वार्षिक रिपोर्ट 2019-2020

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान
इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली
iipa.org.in

गाँधीजी का तिलिस्म

''मैं तुम्हें एक तिलिस्म दूँगा। जब भी तुम्हें संदेह हो अथवा तुम्हारा अहम् प्रबल होता दिखाई दे, तो यह कसौटी आजमा कर देखो:

तब उस सबसे गरीब और निर्बल व्यक्ति का चेहरा याद करो जिसे तुमने देखा है और फिर अपने आप से पूछो कि तुम जो कदम उठाने का विचार कर रहे हो क्या वह उस आदमी के लिए उपयोगी होगा? क्या उससे उसको कुछ लाभ होगा? क्या उससे वह अपने जीवन और भाग्य पर नियंत्रण रख सकेगा? दूसरे शब्दों में, क्या उससे उन करोड़ों भूखे और अतृप्त लोगों को स्वराज्य मिलेगा?

तब तुम देखोगे कि तुम्हारा संदेह मिट रहा है और अहम् समाप्त हो रहा है।''

150 YEARS OF CELEBRATING THE MAHATMA

मोहनदास
करमचंद गाँधी

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110002

66वीं
वार्षिक रिपोर्ट
2019-2020

31 अक्तूबर, 2020 को आम सभा
की वार्षिक बैठक में प्रस्तुत

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं) की स्थापना राज्य तथा केंद्र स्तर पर शासन के कार्यों के प्रबंधन हेतु प्रशिक्षण तथा शोध के माध्यम से प्रशासनिक सेवकों में अपेक्षित ज्ञान, कौशल तथा व्यवहारिक सामर्थ्य-निर्माण करने हेतु की गई थी। सरकारी तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के अधिशासियों की नेतृत्व, प्रबंधन तथा प्रशासनिक सामर्थ्य-वर्धन के अपने प्रयास में, संस्थान राष्ट्रीय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठनों के निकट सहयोग से कार्य करता है। संस्थान के प्रशिक्षण तथा शोध कार्यक्रम इसकी विशद सूचना प्रबंधन तथा अनुभव-साझा करने की गतिविधियों से जुड़े हुए हैं।

संस्थापक जनकों की संकल्पना पर निर्मित, भा.लो.प्र.सं. का लक्ष्य संस्थान को लोक प्रशासन, नीति-निर्माण तथा उसके कार्यान्वयन पर विचार तथा उसे प्रभावित करने वाले विश्व के प्रभावशाली अग्रणी शिक्षण केन्द्रों में से एक केन्द्र बनाना है, जो शासन पद्धति को नागरिकों की आवश्यकताओं तथा अपेक्षाओं के प्रति अधिक उत्तरदायी तथा लोकतांत्रिक समाज में मानव मूल्यों के साथ संरेखित करने में समर्थ कर सके।

कार्यकारी परिषद्
(01.4.2019 से 31.03.2020)

सभापति

श्री. एम. वेंकय्या नायडू
भारत के माननीय उपराष्ट्रपति
6, मौलाना आज़ाद रोड
नई दिल्ली- 110011

अध्यक्ष

श्री.टी.एन. चतुर्वेदी
(कर्नाटक तथा केरल के पूर्व राज्यपाल)
'प्रकाशालय',
ए-4, सेक्टर 17
नोएडा- 201301 (उ.प्र.)
(01.04.2019 से 05.01.2020)

डा. सी. चंद्रमौलि
सचिव
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय,
भारत सरकार
कमरा नं. 112, नार्थ ब्लॉक, नई दिल्ली- 110001
(11.01.2020 से आगे)

उपसभापति

श्री शेखर दत्त
(छत्तीसगढ़ के पूर्व राज्यपाल)
फ्लैट सं. सी-805, 8वीं मंज़िल, कीनवुड टॉवर, चार्मवुड विलेज,
सूरजकुंड रोड, फरीदाबाद- 121009 (हरियाणा)

कार्यकारी परिषद् के सदस्य

प्रो. राजकुमार
कुलपति
पंजाब विश्वविद्यालय
चंडीगढ़- 160014

श्री एस. एस. क्षत्रिय
अध्यक्ष
भा.लो.प्र.सं. महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा
भूतल, महाराष्ट्र बैंक के साथ, मुख्य मंत्रालय
हुतात्मा राजगुरू चौक, मैडम कामा रोड,
मुंबई-400032

प्रो. जोसेफ के. अलेक्ज़ेंडर
अध्यक्ष
भा.लो.प्र.सं. केरल क्षेत्रीय शाखा
मार्फत, एलेक्सी जोस, टी.सी., 41/1950 (1)
ए-56, पंडित कॉलोनी, कॉडीयार
थिरुवनंतपुरम- 695003

प्रो. एन. लोकेन्द्र सिंह
अध्यक्ष
भा.लो.प्र.सं. मणिपुर क्षेत्रीय शाखा
मार्फत मणिपुर विश्वविद्यालय
काँचीपुर, इंफाल- 795003

श्री अमिताभ कांत
मुख्य कार्यकारी अधिकारी
नीति आयोग, भारत सरकार
नीति भवन, संसद मार्ग
नई दिल्ली- 110001

प्रो. के.के. पाण्डेय
भा.लो.प्र.सं.
नई दिल्ली- 110002

श्री एस.सी. मिश्रा
अध्यक्ष
भा.लो.प्र.सं. ओडिशा क्षेत्रीय शाखा
क्वार्टर सं. VIC 2/1, यूनिट-1,
भुवनेश्वर- 751009

डॉ. टी.वी. सोमनाथन
सचिव
व्यय विभाग
वित्त मंत्रालय, भारत सरकार
कमरा सं. 128 सी, नार्थ ब्लॉक
नई दिल्ली- 110001

सदस्य सचिव

श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी
निदेशक
भारतीय लोक प्रस्थान संस्थान,
आई.पी. एस्टेट, रिंग रोड,
नई दिल्ली- 110002

निदेशक की ओर से

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.) के लिए वर्ष 2019-20 कुछ दुखद रहा क्योंकि 5 जनवरी, 2020 को संस्थान ने अपने अत्यंत आदरणीय तथा परमप्रिय अध्यक्ष श्री. टी.एन. चतुर्वेदी को खो दिया। 3 जनवरी, 2020 को संस्थान ने अपने एक अन्य निष्ठावान डा. यू.सी. अग्रवाल को भी खो दिया जो भारत के पूर्व केंद्रीय सतर्कता आयुक्त थे और लंबे समय से संस्थान के आजीवन सदस्य थे और इसके पूर्व निदेशक भी रहे। डा. सी. चंद्रमौलि, भारतीय प्रशासनिक सेवक, सचिव, भारत सरकार, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, कार्मिक लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, भारत सरकार को भा.लो.प्र.सं. का अंतरिम अध्यक्ष चुना गया।

इन दुखद स्मृतियों के बावजूद 2019-20 में संस्थान की शैक्षणिक गतिविधियाँ तीव्र हुईं। सामर्थ्य-निर्माण तथा अध्ययन यात्रा कार्यक्रमों में विविध एवं व्यापक विषय शामिल किए गए, अनुप्रयुक्त शोध कार्य विशेषत: शासन के समस्यापूर्ण क्षेत्रों में शोध कार्य ने संकाय तथा अधिकारियों दोनों पर समान रूप से पर्याप्त दबाव बनाए रखा। संसाधन जुटाने में भी संस्थान को अनुरूप सफलता प्राप्त हुई जिसने आगे संस्था को अपना वार्षिक लेखा सुधारने में सहायता की। वित्त वर्ष (मार्च 2020) के अंत में विश्वव्यापी महामारी कोविड-19 के कारण भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियाँ धीमी हो गईं।

सामर्थ्य-निर्माण मे, संस्थान ने बड़े स्तर पर सरकार की अग्रणी योजनाओं में प्रवेश प्राप्त किया। भारत सरकार में संयुक्त सचिव के स्तर पर पार्श्व प्रवेश करने वाले अधिकारियों; वन सेवा तथा सिविल इंजीनियरी के वरिष्ठ अधिशासियों हेतु लोक नीति तथा शासन; सार्वजनिक क्षेत्र के अधिशासियों हेतु नेतृत्व तथा टीम निर्माण सॉफ्ट कौशल; शहरी शासन तथा कायाकल्प और शहरी परिवर्तन के लिए अटल मिशन (ए.एम.आर.यू.टी.) संबंधित योजनाओं का कार्यान्वयन, वरिष्ठ इंजीनियरों हेतु प्रशासनिक विधि; ई-शासन पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण, परिवर्तन प्रबंधन पर अत्याधुनिक मॉड्यूल; सरकारी प्रक्रिया तथा डिजिटल इंडिया ढाँचे में पुनर्गठन; लिंग संवेदनशीलता; स्मार्ट शहर; जलवायु परिवर्तन, उपभोक्ता संरक्षण तथा विशेषत: वैज्ञानिकों हेतु नए लोक प्रबंधन इन सभी प्रशिक्षण कार्यक्रमों ने संस्थान के संकाय वर्ग को सीखने तथा शिक्षण के नए अवसर उपलब्ध कराए। संस्थान ने उत्तर प्रदेश के जनों तथा अन्य न्यायिक अधिकारियों के लिए प्रबंध विकास कार्यक्रम का संचालन आरंभ किया है। भा.लो.प्र.सं. ने भारतीय राजस्य सेवा (सीमा शुल्क तथा अप्रत्यक्ष कर) हेतु सेवामध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु यूरोप में अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण का सफलतापूर्वक संचालन किया। विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा अधिक सहयोग (आई.टी.आई.सी.) कार्यक्रम के अंतर्गत ट्यूनीशिय, अफ़गानिस्तान, वियतनाम, इथोपिया, बाँग्लादेश, रूस, नेपाल, म्यांमार तथा विविध अन्य अफ्रीकी, लेटिन अमेरीकी तथा मध्य-पूर्व देशों से अंतरराष्ट्रीय प्रतिभागियों को प्रशिक्षण दिया जाता है। भा.लो.प्र.सं. ने गत वित्तीय वर्ष के दौरान कुल 145 कौशल विकास कार्यक्रम, संगोष्ठियाँ तथा कार्यशालाएँ आदि आयोजित कीं। विदेशी प्रशिक्षणार्थियों को मिलाकर लगभग 7,191 अधिकारियों ने इनमें भाग लिया। मात्र प्रशिक्षण गतिविधियाँ से संस्थान को लगभग 20.79 करोड़ की आय हुई।

भा.लो.प्र.सं. के अनुप्रयुक्त शोध विंग ने शासन के विशिष्ट महत्वपूर्ण क्षेत्रों में गुणात्मक उन्नति की। अल्पसंख्यक कल्याण योजनाओं का मूल्याँकन कर उनमें सुधार की सिफारिश करने वाली परियोजनाएँ जिन्होंने अंतरमंत्रालयी समन्वयन की समस्या की ओर ध्यान आकृष्ट किया; गृह मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, अल्पसंख्यक मामले मंत्रालय, डाक विभाग, युवा मामले तथा खेल मंत्रालय और जनजातीय मामले मंत्रालय की योजनाओं का मूल्याँकन। पंचायती राज संस्थानों को संसाधनों को बढ़ानें के उपायों का आकलन, गृह मंत्रालय का पुनर्गठन, राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का प्रभाव आकलन, बहु-क्षेत्रीय विकास योजनाओं का प्रभाव आकलन, खेलो भारत कार्यक्रम कर मूल्याँकन भारतीय जनजातीय सहकारी विपणन विकास संघ (ट्राइफेड) योनजाओं का मूल्याँकन तथा उपभोक्ता कल्याण क्षेत्रों का अध्ययन कर उनमें पद्वतिबद्ध सुधार की सिफारिश; भारत सरकार के पदों की भर्ती प्रक्रिया में क्षेत्रीय असंतुलन के संबंद्ध में शोध, प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मूल्याँकन, जलवायु परिवर्तन के समक्ष जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य-निर्माण रणनीतियाँ आदि शोध अध्ययन किए। शहरी फ्रंट पर, भा.लो.प्र.सं. ने इको-शहरों के ऊर्जा कौशल का

अध्ययन किया तथा शहरी शासन के मुद्दों, प्रक्रियाओं, नवीनताओं तथा एन.डी.एम.सी. की जनशक्ति आश्यकता का आकलन करने के लिए शहरी स्तर पर अध्ययन किए। इन अध्ययनों में प्रमाणित हुआ कि विकेंद्रीकृत-भागीदारी प्रचालन लाभकारी है जिसके परिणामस्वरूप कार्यकुशलता में सुधार तथा राजस्व में वृद्धि तथा विस्तार हुआ। भा.लो.प्र.सं. में स्थित राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने डिजिटल इंडिया के साथ समेकन कर अपनी उपभोक्ता शिकायत मॉनीटरन सेवाओं का विस्तार किया। हमारे संकाय वर्ग ने विविध केंद्रीय मंत्रालयों तथा राज्य सरकारों के लिए 66 शोध अध्ययन किए जिनमें संस्थान को 4.64 करोड़ की सकल आय हुई।

जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार ने जनजातीय कल्याण के विविध पहलुओं पर प्रशिक्षण तथा सक्रिय शोध को सुदृढ़ करने का काम भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को सौंपा है। इस उद्देश्य, भा.लो.प्र.सं. ने उत्कृष्टता केंद्र की स्थापना की गई है तथा इसका नाम जनजातीय शोध तथा अन्वेषण केंद्र रखा गया है। यह केंद्र अपनी स्थापना के आरंभ से ही, जनजातीय समुदाओं के समाहन, बहिष्कार तथा पार्श्वीकरण आदि से संबंधित मुद्दों पर फोकस करते हुए सतत ''जनजातीय शोध तथा अन्वेषण में कार्यरत् है। जनजातीय मामले मंत्रालय के इस उत्कृष्टता केंद्र का, लोक प्रशासन के एक प्रमुख राष्ट्रीय संस्थान- प्रशासन के प्रति संवेदी होने के साथ-साथ नीति निर्माण और शासन के लिए इनपुट उपलब्ध कराने में भी जिसकी प्रमुख भूमिका है- में होने के कारण एक विशेष महत्व है। भा.लो.प्र.सं. 'जनवायु स्मार्ट शासन'' परियोजना भी कार्यान्वित कर रहा है। यह परियोजना विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित है। इस परियोजना का मुख्य उद्देश्य है चुने हुए स्टेकहोल्डरों को जलवायु परिवर्तन के मुद्दों, अनुकूलन आवश्यकताओं तथा विकल्पों के प्रति संवेदनशील बनाना है। मध्यम स्तर के अधिकारियों हेतु ''जलवायु स्मार्ट शासन'' पर मिश्रित सामर्थ्य- निर्माण कार्यक्रम संचालित किया गया।

भा.लो.प्र.सं. ने 2019-2020 के दौरान सामयिक महत्व के विषयों पर ''विशेष व्याख्यान श्रृँखला'' संचालित की जिसमें प्रख्यात वक्ताओं को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित किया गया। लेफ्टिनेंट जनरल (सेवानिवृत्त) सईद अता हसनैन, जम्मू तथा कश्मीर पर बोले, श्री अनिल स्वरूप, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), भारत सरकार, एयर चीफ मार्शल (सेवानिवृत्त) बी.एस. धनोआ, श्री प्रदीप बैजल, पूर्व अध्यक्ष भारतीय दूरसंचार विनियामक प्राधिकरण (ट्राई), श्री बलविंदर कुमार, सदस्य, रियल एस्टेट नियायक प्राधिकरण (रेरा) तथा भारत सरकार के पूर्व सचिव इन प्रसिद्ध व्यक्तियों ने नई शिक्षा नीति, चीन, भारत की रणनीतिगत संरचना तथा अन्य महत्वपूर्ण विषयों पर अपने बहुमूल्य अंतर्दृष्टिपूर्ण विचार प्रस्तुत किए।

नीदरलैंड, बेल्जियम, स्विटरज़रलैंड, फ्राँस, जर्मनी, आस्ट्रेलिया और न्यूज़ीलैंड में संकाय वर्ग तथा प्रशिक्षणार्थी शिष्टमंडल की ज्ञानवर्धक यात्राएँ आयोजित की गई। संस्थान के संकाय वर्ग ने प्रशिक्षण तथा शोध संचालन के अतिरिक्त प्रकाशन तथा संगोष्ठी पत्र लिखे और व्याख्यानों, प्रस्तुतीकरणों तथा सरकार के नीति एवं सलाहकार मंचों की सदस्यता की सहायता से विविध मंत्रालयों को परामर्श देना जारी रखा। 45 वाँ लोक प्रशासन में उच्चस्तरीय व्यवसायिक कार्यक्रम (अप्पा) 1 जुलाई, 2019 को आरंभ हुआ। संस्थान के माननीय अध्यक्ष, श्री.टी.एन. चतुर्वेदी ने इस अवसर की शोभा बढ़ाई। 45 वें अप्पा की समाप्ति पर 30 अप्रैल 2020 को दीक्षांत समारोह आयोजित किया गया। कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, पी.एम.ओ. एवं परमाणु ऊर्जा और अंतरिम मंत्री माननीय डा. जितेन्द्र सिंह ने ऑनलाइन दीक्षांत भाषण दिया।

भा.लो.प्र.सं. के प्रकाशनों के माध्यम से ज्ञान प्रसार करने की दिशा में, सेज़ के साथ भा.लो.प्र.सं. की साझेदारी ने आई.जे.पी.ए. को ही नहीं अपितु भा.लो.प्र.सं. को भी नई पहचान प्रदान की है क्योंकि आई.जे.पी.ए. की प्रतियाँ अब अंतरराष्ट्रीय स्तर पर, यू.के. तथा यू.एस.ए. में भी खरीदी जा रही हैं। भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय की डिजिटल रिपॉज़िटरी के प्रांरभ ने दूरवर्ती स्थानों से संस्थान पुस्तकालय के व्यापक, विशाल संसाधनों तक पहुँच सुलभ करा कर संस्थान को शैक्षणिक विश्व के दूरवर्ती किनारों तक अपने पंख फैलाने में सहायता की है। भा.लो.प्र.सं. ने पहली बार अपने जर्नल डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन को ई-मेल के माध्यम से अपने सदस्यों तक भेजना आरंभ किया है।

गत् वर्ष कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, शहरी विकास मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, पर्यावरण तथा वन मंत्रालय, इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय, डा. अम्बेडकर फाँउडेशन, जनजातीय मामले मंत्रालय- इन केंद्रीय सरकारी विभागों तथा माननीय इलाहाबाद

उच्च न्यायलय और विधायी विभाग, उत्त प्रदेश सरकान ने संस्थान की शैक्षणिक गविधियों हेतु क्लाइंट आधार तथा मुख्य समर्थन उपलब्ध कराया।

संस्थान कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और अन्य केंद्रीय तथा राज्य मंत्रालयों एवं अन्य उन सभी अभिकरणों के प्रति आभार प्रकट करता है जिन्होंने संस्थान में प्रशिक्षण शोध, कार्यशालाओं तथा संगोष्ठियों और सतत ज्ञान आधार प्रोन्नत करने तथा लोक सेवा की गुणवत्ता में सुधार के सरकार के प्रयत्नों में सहायक अन्य गतिविधियों में अपना समर्थन दिया। हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति तथा संस्थान के सभापति, संस्थान के अध्यक्ष तथा कार्यकारी परिषद के सदस्यों के प्रति उनके द्वारा दिए गए सतत समर्थन के लिए अपना आभार तथा प्रशंसा रिकार्ड करते हैं।

संस्थान, क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं के सभी पदाधिरियों, संस्थान के संकाय सदस्यों, अधिकारियों और कर्मचारियों को, उनके द्वारा संस्थान के समग्र विकास हेतु किए गए निष्ठापूर्ण प्रयत्नों के लिए, धन्यवाद देता है। भा.लो. प्र.सं. के भीतर तथा बाहर, हम उन सबके आभारी हैं जिन्होंने वर्ष 2019–2020 के दौरान हमें समर्थन दिया तथा हमारी गतिविधियों और प्रयत्नों की सफलता में योगदान दिया। हम आगे भी इसकी आशा करते हैं।

(सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी)

निदेशक

विषय सूची

निदेशक की ओर से v

सिंहावलोकन 1

प्रशिक्षण/ शैक्षणिक कार्यक्रम 1

सूचना प्रबंधन 5

प्रकाशन 5

पुस्तकालय 6

संस्थागत गतिविधियाँ 8

आम सभा की पैंसठवीं वार्षिक बैठक 8

सदस्यों का तरेसठवाँ वार्षिक सम्मेलन 9

कार्यकारी परिषद् 9

सदस्यता 9

भा.लो.प्र.सं. के गणमान्य सदस्य पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कारों से सम्मानित 10

इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोत्कृष्ट लेख के लिए वर्ष 2018 का श्री. टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार 10

क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाएं एवं सदस्यों की गतिविधियाँ 10

वर्धित गतिविधियाँ 11

निबंध प्रतियोगिता 11

प्रकरण अध्ययन कार्यक्रम 11

अवसंरचनात्मक सुधार 11

संस्थान का वित्त 11

महत्वपूर्ण आयोजन 12

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ/व्याख्यान 12

संस्थान में आए गणमान्य अतिथि 18

शैक्षणिक केन्द्र/चेयर 19

प्रशासनिक तथा कार्मिक मामले 32

हिंदी का प्रगतिशील प्रयोग 32

आभार ज्ञापन 33

2019-20 के दौरान भुगतान किए गए यात्रा भत्ते/ महँगाई भत्ते का विवरण 33

01-4-2019 से 31-3-2020 के दौरान कार्यकारी परिषद् तथा अन्य समितियो की बैठकों/शाखाओं के पदाधिकारियों से संबंधित यात्रा-भत्ते/महँगाई भत्ते का ब्यौरा 33

2019-20 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए वेतन तथा मानदेय का ब्यौरा 33

वित्त एवं लेखा 34

परिशिष्ट

च.1 (क) अप्रैल 2019-मार्च 2020 के दौरान संपन्न शोध परियोजनाएं 37

च.1 (ख) अप्रैल 2019- मार्च 2020 के दौरान प्रगति पर शोध परियोजनाएँ 40

च.2 अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ 42

च.3	शाखाओं की गतिविधियां (2019-2020)	59
च.3.1	क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं के अध्यक्षों तथा मानद सचिवों की सूची (31.03.2020 के अनुसार)	69
च.3.2	31.03.2020 को क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं से संबद्ध सदस्यों की सूची	89
च.4	शैक्षणिक केंद्र (2019-2020)	92
च.5	भा.लो.प्र.सं. के संकाय वर्ग का तथा अन्यों का शैक्षणिक योगदान (प्रशिक्षण तथा शोध अध्ययनों से व्यतिरिक्त)	93
च.6	वर्ष 2019-20 के दौरान भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा	124
च.7	31.03.2020 को भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय शाखाओं से संबद्ध संकाय सदस्यों की सूची	127
च.8	संकाय तथा वरिष्ठ कर्मचारी वर्ग (31.03.2020 के अनुसार)	128
च.9	कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों आदि में भाग लेने के लिए संकाय सदस्यों तथा अन्यों के विदेश दौरे	131
च.10	शहरी अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ	132
च.11	उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ	138
च.12.1	1-4-2019 से 31-3-2020 के दौरान कार्यकारी परिषद् तथा अन्य समितियों की बैठकों/शाखाओं के पदाधिकारियों हेतु भुगतान किए गए यात्रा भत्ते/महंगाई भत्ते का वितरण	151
च.12.2	2019-20 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए वेतन तथा मानदेय का ब्यौरा	152
वर्ष 2019-20 का तुलन पत्र तथा परीक्षित लेखा विवरण		153

IIPA Periodicals

Indian Institute of Public Administration (IIPA) is an internationally reputed Research & Training Institution of Department of Personnel & Training (DoPT), Govt. of India. With a vast talented pool of in-house as well as guest faculty, IIPA has been spreading awareness in the area of Public Administration and Governance since its inception in 1954 also through its widely acclaimed publications like Indian Journal of Public Administration (IJPA), Lok Prashasan, Nagarlok, Documentation in Public Administration and IIPA Digest.

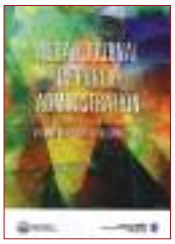

INDIAN JOURNAL OF PUBLIC ADMINISTRATION (IJPA)

(Quarterly since 1955)

Flagship refereed journal of IIPA, IJPA in collaboration with SAGE Publications publishes manuscripts covering topics related to Public Administration, Public Policy, Good Governance, Bureaucracy, Leadership, Environment, Law, Social Welfare, etc. Research articles, case studies, book reviews, essays, notes and documents related to themes authored by experts are regularly featured in IJPA. The author of the best article every year is conferred with the prestigious late Shri TN Chaturvedi Award by the Hon'ble Vice President of India.

LOK PRASHASAN (Hindi)

(Bi-annually since 2008)

Lok Prashasan is IIPA's only Hindi journal published with an aim to promote Hindi language and encourage Hindi literature. Articles and research papers related to Public Administration, Public Policy, Good Governance, Bureaucracy, Leadership, Environment, Law, Social Welfare, etc., are regularly published in this journal.

IIPA DIGEST

(Quarterly since 2019)

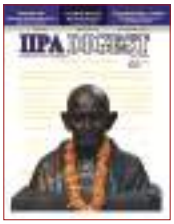

The magazine covers news, stories and features related to latest initiatives and trends of government.

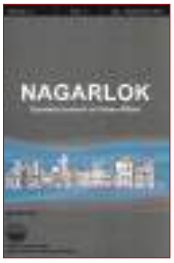

NAGARLOK

(Quarterly since 1969)

The journal accepts manuscripts covering topics related to Urban Studies with a focus on Urban Life, Metropolitan System, Urban Economic Development, Urban Finances, etc.

DOCUMENTATION IN PUBLIC ADMINISTRATION (DPA)

(Quarterly since 1973)

DPA indexes articles/papers/reports/monographs on Public Administration covered by various periodicals.

IIPA NEWSLETTER

(Monthly since 1955)

Now only available as an e-newsletter, it features news related to events and programmes conducted in the Institute. To read more visit our site: www.iipa.org.in

For contribution, subscription and advertisement related queries, please e-mail: chukkathmeghna@gmail.com

Publication Section, Indian Institute of Public Administration, Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi- 110002.

iipa.org.in | @iipa9

संस्थान की गतिविधियों की रिपोर्ट

(2019-2020)

एक सिंहावलोकन

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की यह रिपोर्ट वर्ष 2019-20 से संबंधित है। संस्थान महत्वपूर्ण तथा समसामयिक मुद्दों पर एवं सरकारों, राष्ट्रीय संगठनों तथा अंतर्राष्ट्रीय अभिकरणों द्वारा प्रायोजित विशिष्ट क्षेत्रों में शोध अध्ययन करता है। यह सरकार तथा सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों को कार्य संचालन के क्षेत्रों में सलाहकार सेवाएँ भी देता है। इसके अतिरिक्त संस्थान लोक प्रशासन तथा प्रबंधन के अध्ययन और व्यवहार के विविध पक्षों और पहलुओं पर बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करता है तथा प्रतिवर्ष भारत तथा विदेशों के लगभग 5,000 अधिकारियों और सिविल सोसाइटी सदस्यों को प्रशिक्षित करता है। संस्थान अपने विशेष प्रकाशनों तथा जर्नलों के माध्यम से लोक प्रशासन पर साहित्य प्रकाशित तथा प्रचारित करता है।

यह रिपोर्ट संस्थान की गतिविधियों को निम्नलिखित चार प्रमुख शीर्षों के अंतर्गत प्रस्तुत करती है:

- प्रशिक्षण
- शोध गतिविधियाँ
- सूचना प्रबंधन
- संस्थात्मक एवं वर्धित गतिविधियाँ।

इसके अतिरिक्त रिपोर्ट में निम्नलिखित से संबंधित सूचना शामिल है:

- संस्थान का वित्त
- संगोष्ठियाँ, सम्मेलन, व्याख्यान, यात्राएँ तथा पुस्तक विमोचन आदि जैसे शैक्षणिक आयोजन
- भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की विविध समितियों और केंद्रों की गतिविधियों की रिपोर्ट
- संकाय की शैक्षणिक गतिविधियाँ
- प्रशासनिक तथा कार्मिक मामले

प्रशिक्षण/शैक्षणिक कार्यक्रम

संस्थान ने बड़ी संख्या में प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए जो मुख्य रूप से निम्नलिखित श्रेणियों के अंतर्गत आते हैं:

1. **दीर्घावधि कार्यक्रम:** कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार के प्रशिक्षण विभाग के लिए संचालित किया जाने वाला वरिष्ठ अधिकारियों हेतु लोक प्रशासन में उच्च-स्तरीय व्यावसायिक कार्यक्रम (अप्पा)।
2. **प्रायोजित कार्यक्रम:** इनमें मुख्य रूप से (क) कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, (ख) शहरी विकास मंत्रालय, (ग) विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, (घ) उपभोक्ता मामले विभाग, तथा (ङ) अन्य मंत्रालयों/विभागों, सार्वजनिक क्षेत्र के उपक्रमों आदि द्वारा प्रायोजित कार्यक्रम शामिल हैं।
3. **शुल्क आधारित कार्यक्रम:** इनमें प्रयोक्ता संगठन के आदेश पर तथा स्वयं अपनी पहल पर संस्थान द्वारा तैयार तथा संचालित कार्यक्रम शामिल हैं।

लोक प्रशासन में 45वाँ उच्च-स्तरीय व्यावसायिक कार्यक्रम (2019-2020)

संक्षिप्त रिपोर्ट

संस्थान ने 1 जुलाई, 2019 से 30 अप्रैल, 2020 के दौरान सशस्त्र सेनाओं तथा अखिल भारतीय और केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ अधिकारियों हेतु 10 महीने के एक उच्च-स्तरीय तथा अत्याधुनिक लोक प्रशासन में 45वें प्रोन्नत व्यावसायिक कार्यक्रम (अप्पा) का संचालन किया। छयालीस अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। यह कार्यक्रम कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय प्रायोजित था।

उद्घाटन सत्र

कार्यक्रम का उद्घाटन करते हुए, स्वर्गीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी, भा.लो.प्र.सं. के तत्कालीन अध्यक्ष, ने उल्लेख किया कि अप्पा कार्यक्रम ने, विविध सेवाओं तथा सशस्त्र बलों के प्रतिभागियों को परस्पर विचारों का आदान-प्रदान करने तथाा एक दूसरे की पृष्ठभूमि, सीमाओं तथा कठिनाइयों को जानने तथा उसकी प्रशंसा करने का अवसर प्रदान किया। अप्पा कार्यक्रम प्रतिभागियों को अपना ज्ञान अद्यतन करने, लोकसेवा के आचार को आत्मसात करने, सभी क्षेत्रों में नागरिक-केंद्रित सेवा वितरण में सुधार के लिए आवश्यक गुणों को अंतर्निविष्ट करने का अवसर प्रदान करता है। श्री शेखर दत्त, उपसभापति, भा.लो.प्र.सं., कई वर्षों के परिश्रम से निर्मित अप्पा प्रतिभागियों की जीवंत तथा सेवान्मुखी संस्कृति तथा इससे संबंद्ध प्रतिष्ठा के संबंध में बोले। अपने स्वागत भाषण में, श्री एस.एन त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सरकार के सिद्धांत ''न्यूनतम सरकार तथा अधिकतम शासन'' पर जोर दिया तथा प्रतिभागियों से लोक सेवा के इस मार्गदर्शक सिद्धांत को अपनाने का आग्रह किया। प्रो. गोविन्द भट्टाचारजी, कार्यक्रम निदेशक ने कार्यक्रम को उद्देश्य, विषय-वस्तु, डिजाइन तथा प्रक्रिया पर प्रकाश डाला तथा डा. नीतू जैन, कार्यक्रम की सह-निदेशक ने, आभार ज्ञापन किया।

कार्यक्रम

कार्यक्रम का प्रयास, प्रबंधन सकल्पनाओं, साधनों तथा तकनीकों का लोकनीति सूत्रीकरण, विश्लेषण एवं कार्यान्वयन तथा वितरण पद्धति के डिज़ाइन एवं कार्य-निष्पादन के साथ समेकन के माध्यम से प्रतिभागियों के विषय क्षेत्र के ज्ञान को नवीकृत तथा कौशल को तीक्ष्ण करना था। कार्यक्रम का उद्देश्य प्रभावी लोक नीति पद्धति बनाने तथा उसे कार्यान्वित करने में प्रतिभागियों की संवेदनशीलता, ग्रहणशीलता तथा योग्यता वर्धन करना और उन्हें नवीन विकल्प खोजने के लिए प्रोत्साहित करना था। वैश्विक प्रवृत्तियों तथा व्यवहारों के प्रदर्शन के माध्यम से अप्पा कार्यक्रम ने प्रतिभागियों को नए विकल्प खोजने के लिए प्रोत्साहित किया। चूँकि प्रतिभागियों को सामान्यत: अंतरसरकारी, राष्ट्रीय, क्षेत्रीय तथा स्थानीय सरकारी स्तर पर नीति निर्माण तथा सेवा वितरण में काम करना होता है अत: अप्पा कार्यक्रम उनके व्यावहारिक ज्ञान तथा कौशल को विकसित करने के लिए तैयार किया गया जिससे वे सार्वजनिक क्षेत्र की गतिविधियों के स्पेक्ट्रम में प्रबंधन तथा नीति विश्लेषण के मुद्दों पर कार्य कर सकें।

लक्ष्य

अप्पा कार्यक्रम का लक्ष्य तीव्रता से बदलते समाज में लोगों की अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिभागियों को विस्तृत परिपेक्ष्य तथा नवीनताप्रद पद्धतियों के माध्यम से प्रभावी लोक सेवा वितरण में योगदान देने हेतु तालमेल विकसित करने में समर्थ बनाना है। इसका उद्देश्य प्रतिभागियों में नागरिकों के प्रति सेवा अभिमुखता तथा कार्यकुशलता वर्धन की अभिवृत्ति पैदा करना है।

उद्देश्य

अप्पा कार्यक्रम को उद्देश्य प्रतिभागियों को निम्नलिखित में समर्थ बनाना है :

- समाज विज्ञान, लोक नीति तथा शासन का आधारभूत संकल्पनाओं को समझना;
- लोक प्रशासन तथा भारत में शासन आचार से संबंधित सामयिक मुद्दों पर उनके विचारों को निश्चित रूप देना;
- नीतियों के अनुप्रयोग तथा उसके तौर-तरीकों को प्रभावित करने वाले तत्वों को विश्लेषण करना;
- निर्णय लेने में विश्लेषणात्मक कौशल का अनुप्रयोग करना;
- प्रशासनिक सुधार तथा सुशासन की रूपरेखा तैयार करना; तथा
- अंतर्वैयक्तिक संबंध कौशल तथा लोगों की आवश्यकताओं के प्रति संवदेनशीलता विकसित करना।

उपरोक्त उद्देश्यों की प्राप्ति के लिए इस कार्यक्रम

को इस प्रकार से तैयार किया गया है कि इसमें आचार, मूल्य, गहन सोच तथा सृजनात्मकता विकसित करने के लिए गैर-क्रेडिट इनपुट के अतिरिक्त शैक्षणिक-सह-प्रशिक्षण माड्यूल, अनुभवजन्य शिक्षण, शोध-पत्र लेखन तथा मौखिक परीक्षा शामिल हैं। इस वर्ष शैक्षणिक मॉड्यूल में आधारभूत सिद्धांत तथा संकल्पनाएँ; विषयगत मॉड्यूल: शासन तथा नीति क्षेत्रों में सामयिक विषयों में गहन अंतर्दृष्टि के लिए नीति, प्रशासन तथा शासन और शासन के इनके अतिरिक्त वैकल्पिक विषयों के रूप में विशेषीकृत मॉड्यूल शामिल हैं। इनका विवरण नीचे दिया गया है:

क. शैक्षणिक मॉड्यूल : अप्पा कार्यक्रम के पूर्वार्ध में, आरंभिक पाँच महीने की अवधि में, प्रशिक्षण का फोकस सैद्धांतिक आधार, संकल्पनाएं तथा अनुप्रयोग रहा। शासन के मुद्दों तथा अध्ययन के क्षेत्र में हाल में हुए विकास के लिए उपयुक्तता के आधार पर शाखाओं को चुना गया। इन शाखाओं को आगे तीन भागों में बाँटा गया:

प्रथम मॉड्यूल (क-I) : आधारभूत मॉड्यूल: सिद्धांत तथा संकल्पनाएँ, इसके अंतर्गत लोक प्रशासन की गति, शासन के समसामयिक मुद्दे, आर्थिक नीतियाँ, व्यापार तथा वैश्वीकरण, संपोषणीय कृषि तथा जोखिम प्रबंधन, समाज विज्ञान की शोध पद्धति तथा प्रक्रिया शामिल थे।

द्वितीय उपमॉड्यूल (क-II) : विषयगत मॉड्यूल: नीति, प्रशासन तथा शासन, इसमें संगठनों में मानव व्यवहार, लोक वित्त, सार्वजनिक उद्यम प्रबंधन, लोक नीति: वैश्विक तथा भारतीय मुद्दे शासन में आचार, विकास में लिंग तथा ई-शासन शामिल हैं।

तृतीय मॉड्यूल (क-III) : इसमें पर्यावरण तथा जलवायु परिवर्तन, आपदा प्रबंधन तथा सतत विकास, भारत की सामाजिक पद्धति, अल्पाधिकार प्राप्त तथा शासन, सामाजिक न्याय: समानता तथा सौहार्दता, जनजातीय क्षेत्रों में विकास की चुनौतियाँ, प्रचालन प्रबंधन, उपभोक्ता संरक्षण: कानून तथा नीतियाँ एवं साइबर सुरक्षा तथा राष्ट्रीय सुरक्षा हेतु चुनौतियाँ आदि शासन के महत्वपूर्ण मुद्दे शामिल हैं।

चतुर्थ मॉड्यूल (क-IV) में प्रतिभागियों को छः शाखाओं के एक समूह में से एक वैकल्पिक विषय चुनना था, जिसमें प्रशासन, विकास तथा प्रबंधन के किसी एक क्षेत्र में विशेषता शामिल थी। ये छः वैकल्पिक शाखाएँ थीं: अवसंरचना परियोजनाओं का विकास तथा प्रबंधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य प्रशासन, भारतीय प्रवासियों की गति; प्रवास अंगीकरण तथा विदेशी भारतीय समुदाय तथा अंतरराष्ट्रीय संगठन, अंतरराष्ट्रीय संबंध तथा अंतरराष्ट्रीय व्यापार, भू-राजनीति, राष्ट्रीय सुरक्षा तथा रक्षा नीति एवं शोध सॉफ्टवेयर का प्रयोग करते हुए डाटा विश्लेषण एवं विवेचन।

(ख) अनुभव के माध्यम से शिक्षण : कार्यक्रम के दौरान प्रतिभागियों ने, परस्पर के दूसरे के द्वारा बताए गए अपने-अपने कार्यालयों के रुचिकर अनुभवों तथा विविध स्थलों की यात्राओं के माध्यम से सीखा। इन यात्राओं का उद्देश्य चुने हुए ग्रामीण तथा शहरी केंद्रों की अध्ययन यात्राओं के माध्यम से प्रतिभागियों को सरकार की विविध विकास योजनाओं तथा कार्यक्रमों के कार्यान्वयन तथा वितरण से संबंधित ज़मीनी वास्तविकताओं के प्रति जागरूक करना है। प्रतिभागियों को देश के सीमावर्ती इलाकों क अग्रणी क्षेत्रों में भी ले जाया जाता है जिससे कि वे इन क्षेत्रों की सुरक्षा तथाा विकास पहलुओं से परिचित हो सकें। और अंत में, उन्हें चुने हुए देशों में विदेश अध्ययन यात्रा पर ले जाया जाता है। 45 वें अप्पा के दौरान इनका विवरण निम्नानुसार है:

ख.1 अनुभवजन्य प्रस्तुतीकरण : सभी बैचों के प्रतिभागियों के मध्य प्रचलित ये प्रस्तुतीकरण प्रतिभागियों द्वारा अपने-अपने कार्यस्थल पर आने वाली समस्याओं तथा चुनौतियों का मुकाबला करते समय उनके द्वारा किए गए अनूठे तथा स्मरणीय अनुभवों के संबंध में किए जाते हैं। इसका फोकस मुख्यत: अधिकारी के समक्ष अपने कार्यकाल के दौरान आने वाली विशिष्ट स्थिति पर होता है। ये प्रस्तुतीकरण समस्याओं के समाधान, आंतरिक प्रशासन, संगठनात्मक नेतृत्व में सर्वोत्कृष्ट व्यवहार विकसित करने, तथा परियोजना आयोजन तथा कार्यान्वयन में नवीनताओं पर प्रकाश डालते हैं।

ख.2 ग्रामीण क्षेत्रीय अध्ययन : यह घटक प्रतिभागियों को ग्रामीण क्षेत्रों की सामाजिक-आर्थिक वास्तविकताओं के प्रति संवेदनशील बनाता है। प्रतिभागियों को ग्रामीण विकास के विविध पहलुओं पर फोकस करते हुए एक विषय-आधारित अध्ययन का कार्य सौंपा गया। प्रतिभागियों ने छोटे-छोटे समूहों में किसी संकाय सदस्य के समग्र दिशा-निर्देश में, देश के भिन्न-भिन्न भागों में चुने हुए ग्रामीण क्षेत्रों का दौरा किया तथा ग्रामीण स्तर के पदाधिकारियों और पंचायत सदस्यों के साथ परस्पर विचार-विमर्श किया। वे वितरण तंत्र की प्रभावकारिता का परीक्षण करते हैं तथा निर्धारित क्षेत्रों में ग्रामीण विकास कार्यक्रमों के प्रभाव का आकलन करने का प्रयास करते हैं। इन ग्रामीण क्षेत्रीय अध्ययन रिपोर्टों को बाद में भा.लो.प्र.सं. में प्रस्तुत किया जाता है। इस वर्ष निम्नलिखित राज्यों/ जिलों में गाँवों को चुना गया:

1. कर्नाटक (मैसूर)
2. गुजरात (अहमदाबाद)
3. मेघालय (शिलाँग)
4. उत्तर प्रदेश (नोएडा, गाज़ियाबाद)

ख.3 शहरी क्षेत्रीय अध्ययन : यह अध्ययन प्रतिभागियों को शहरी प्रशासन तथा प्रबंधन की समस्याओं और उनका समाधान करने में आने वाली चुनौतियों को समझने का अवसर प्रदान करता है। प्रतिभागियों ने विविध शहरी विकास योजनाओं तथा उनका लोगों एवं निर्धनता रेखा से नीचे रह रहे लोगों को सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर पड़ने वाले प्रभाव का आकलन किया। उन्होंने नगरपालिका तथा अन्य विकास अभिकरणों के पदाधिकारियों के साथ विचारों का आदान-प्रदान किया। यात्राओं की समाप्ति के पश्चात शहरी अध्ययन रिपोर्ट भी भा.लो.प्र.सं. में प्रस्तुत की जाती है। इस वर्ष, प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों ने निम्नलिखित शहरों का अध्ययन किया:

1. दिल्ली
2. कर्नाटक (मैसूर)
3. गुजरात (अहमदाबाद)
4. मेघालय (शिलाँग)

ख.4 विदेश अध्ययन दौरा : चीन ने कोरोना वायरस के प्रकोप तथा तत्पश्चात् कुछ अन्य देशों में भी इसके प्रसार को ध्यान में रखते हुए कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार ने विदेश अध्ययन दौरा रद्द कर दिया। अप्पा की शैक्षणिक अपेक्षाओं को पूरा करने के लिए प्रतिभागियों को भिन्न-भिन्न विषयों पर सामूहिक असाइनमेंट दिए गए, जिन्हें उन्होंने सफलतापूर्वक पूरा किया।

ग. शोधपत्र लेखन तथा मौखिक परीक्षा

यह अप्पा कार्यक्रम का एक प्रमुख तथा महत्वपूर्ण अंग है। विषय के विशेषज्ञ संकाय वर्ग के मार्गदर्शन में शोध-पत्र लिखते समय, प्रतिभागी अपने द्वारा ही चुनी गई किसी विशिष्ट समस्या का गहन विश्लेषण करते हैं। इन शोध-पत्रों के माध्यम से प्रतिभागी लोक प्रशासन के सिद्धांत तथा व्यवहार में महत्वपूर्ण योगदान देते हैं और इस प्रक्रिया में अपना विश्लेषणात्मक कौशल भी प्रदर्शित करते हैं। सामान्यत: शोध-पत्र के पश्चात् प्रतिभागियों की मौखिक परीक्षा होती है। किंतु, कोविड 19 संकट तथा लॉकडाउन को ध्यान में रखते हुए 45 वें अप्पा पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों की मौखिक-परीक्षा वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के माध्यम से ऑनलाइन संचालित की गई। निदेशक, भा.लो.प्र.सं., कार्यक्रम निदेशक ने मार्गदर्शक संकाय सदस्य तथा विषय विशेषज्ञ के साथ मिलकर ऑनलाइन मौखिक परीक्षा संचालित की जिसमें इसकी गुणवत्ता के साथ कोई भी समझौता नहीं किया गया।

दीक्षांत समारोह

45वें अप्पा का दीक्षांत समारोह 30 अप्रैल, 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के द्वारा हुआ। माननीय केंद्रीय राज्य मंत्री डा. जितेन्द्र सिंह ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने स्वागत भाषण दिया जिसके पश्चात् डा. सी. चंद्रमौलि, सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग और अध्यक्ष, भा. लो.प्र.सं. ने प्रतिभागियों को संबोधित किया। तत्पश्चात प्रो. गोविन्द भट्टाचारजी, कार्यक्रम निदेशक ने कार्यक्रम की संक्षिप्त रिपोर्ट प्रस्तुत की।

डा. जितेन्द्र सिंह ने समापन संबोधन दिया जिसमें उन्होंने कई वर्षों से लोक प्रशासन तथा देश के शासन में भा.लो.प्र.सं. द्वारा दिए गए योगदान पर प्रकाश डाला। वे कोविड 19 के परिणामस्वरूप लगाए गए लॉकडाउन के दौरान सरकार के समक्ष आने वाली अभूतपूर्व चुनौतियों तथा सरकार किस प्रकार दृढ़संकल्प से सफलतापूर्वक इन चुनौतियों का सामना कर रही है के संबंध में बोले। अंत में, डा. नीतू जैन, सह-कार्यक्रम निदेशक ने आभार ज्ञापन किया।

अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम

दीर्घावधि अप्पा कार्यक्रम के अतिरिक्त वर्ष 2019-20 के दौरान संस्थान ने 144 अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रम तथा प्रशिक्षण कार्यशालाएँ आयोजित कीं इनका विवरण निम्नानुसार है:

पाठ्यक्रम	कार्यक्रमों की संख्या	प्रतिभागियों की संख्या
मंत्रालयों/विभागों द्वारा प्रायोजित	32	1439
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग (अप्पा सहित)	2	54
राज्य सरकार	33	1221
विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग	7	170
उपभोक्ता मामले मंत्रालय	13	333
शहरी विकास मंत्रालय	8	300
सार्वजनिक के उपक्रम	4	60
स्मारक व्याख्यान	3	320
कार्यालय/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/प्रतिनिधि दल/ पेनल चर्चाएँ	32	2984
अंतर्राष्ट्रीय कार्यक्रम	9	216
अन्य	2	94
कुल	**145**	**7191**

अत: अप्पा सहित कुल 145 पाठ्यक्रम संचालित किए गए। वर्ष के दौरान अप्पा के 46 प्रतिभागियों सहित 7191 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया। प्रशिक्षण कार्यक्रमों को विस्तृत ब्यौरा परिशिष्ट च.2 पर दिया गया है।

सूचना प्रबंधन

संस्थान आई.आई.पी.ए. न्यूज़लेटर, मासिक डिजिटल संस्करणों, सेज प्रकाशन के सहयोग से इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के त्रैमासिक संस्करणों, नगरलोक के त्रैमासिक संस्करणों, डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के त्रैमासिक संस्करणों तथा लोक प्रशासन (हिन्दी जर्नल) के अर्धवार्षिक संस्करणों, अपने इन नियमित प्रकाशनों के माध्यम से लोक प्रशासन, शासन, नीति तथा विकास से संबंधित सूचना, विश्लेषण, दृष्टिकोणों तथा ज्ञान का प्रसार करता है। संस्थान की वार्षिक आम बैठक 2019 के दौरान आई.आई.पी.ए. डाइजेस्ट का प्रारंभिक संस्करण विमोचित किया गया।

प्रकाशन

संस्थान के प्रकाशन अनुभाग ने वर्ष 2019-2020 के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन प्रकाशित किए:

1. इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चार संस्करण
2. लोक प्रशासन के दो संस्करण
3. नगर लोक चार संस्करण
4. डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चार संस्करण
5. आई.आई.पी.ए. डाइजेस्ट के दो संस्करण
6. डिजिटल न्यूज़लेटर के बारह संस्करण

संस्थान द्वारा आयोजित विविध आयोजनों तथा समारोहों के दौरान निम्नलिखित प्रकाशन विमोचित किए गए:

1. डिजिटल बैंकिंग तथा ग्रामीण भारत पर इसका प्रभाव, प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. ममता पठानिया द्वारा
2. विधिक मापविज्ञान अधिनियम तथा पैक वस्तु नियम के प्रति उपभोक्ता जागरुकता तथा प्रभावकारिता, प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा द्वारा
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019- एक पाठक, प्रो. सुरेश मिश्रा द्वारा
4. केंद्रीय सार्वजनिक क्षेत्र उद्यमों के पृथक कर्मचारियों हेतु परामर्श, पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्विकास योजना का मूल्याँकन, डा. रोमा देबनाथ द्वारा
5. सरकारी तथा निजी आई.टी.आईज़ की मान्यता हेतु भारत की गुणवत्ता परिषद् का मूल्याँकन, डा. पवन तनेजा तथा डा. रोमा मित्रा द्वारा
6. भारतीय भाषा प्रौद्योगिकी अंतरण: भारत सरकार के टीडीआईएल कार्यक्रम का एक मूल्याँकन अध्ययन, डा. चारु मल्होत्रा द्वारा
7. अनौपचारिक कार्यबल में महिलाएँ: समाहन तथा बहिष्कार की पद्धति, डा. नुपूर तिवारी द्वारा
8. अस्त्र-शस्त्र संस्कृति : माओवादी विद्रोह तथा जनजातीय स्व नियम, डा. नूपुर तिवारी द्वारा
9. जलवायु परिवर्तन के समक्ष जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य-निर्माण रणनीतियाँ, प्रो.वी.के. शर्मा और डा. श्यामली सिंह द्वारा
10. ''73 वें संविधान संशोधन के कार्यान्वयन से संबंधित मुद्दे'' विषय पर चौथा राकेश हूजा स्मारक व्याख्यान, श्रीमता मीनाक्षी हूजा द्वारा
11. 21 वीं शताब्दी में लोक प्रशासन, प्रो. रूमकी बासु द्वारा
12. भारतीय प्रशासनिक ढाँचा, निष्पादन तथा सुधार, प्रो. रूमकी बासु द्वारा
13. मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ शाखा का प्रशासक प्रशासिका, श्री केवल कृष्ण सेठी द्वारा
14. बिहार लोक प्रशासन जर्नल, डा. रवीन्द्र कुमार वर्मा द्वारा
15. राजस्थान: प्रशासनिक तथा राजनीतिक व्यवस्था, डा. जनक सिंह मीना द्वारा

पुस्तकालय

समीक्षाधीन वर्ष के दौरान निम्नलिखित गतिविधियाँ हुईं:

संग्रह विकास

वर्ष 2019-20 के दौरान पुस्तकालय में 1106 पुस्तकें तथा 200 पत्रिकाएँ शामिल की गईं। इनमें से, 450 पुस्तकें खरीदी गईं तथा 495 पुस्तकें मानार्थ प्राप्त हुईं। लगभग 161 दस्तावेज़, सार्वजनिक दस्तावेज़ अनुभाग में जोड़े गए जिनमें से 156 मानार्थ नि:शुल्क प्राप्त हुए तथा 05 खरीदे गए। 31 मार्च, 2020 को पुस्तकालय में 2.26 पुस्तकें तथा जर्नल थे। वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने 114 सामयिक पत्र-पत्रिकाएँ और 21 समाचार-पत्र खरीदे तथा 135 पत्र-पत्रिकाएँ ''नि:शुल्क तथा विनिमय आधार'' पर प्राप्त कीं।

ऑनलाइन सेवाएँ

• ऑनलाइन डाटाबेस हेतु अंशदान:

21 से भी अधिक सावधिक पत्रिकाओं, जिनमें हार्वर्ड बिज़नस रिव्यू, इकॉनॉमिक टाइम, इकॉनॉमिक तथा पॉलिटिकल वीकली आदि शामिल हैं, तक ऑन-लाइन पहुँच सुगम की जा रही है। भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय वेबसाइट के माध्यम से इन तक पहुँचा जा सकता है। इसके अतिरिक्त पुस्तकालय ने ए.बी.आई. सूचना में भी अभिदान जारी रखा, जिसके द्वारा लगभग 4000 पुस्तकों तक पहुँच सुगम हो गई है, जिनमें से 3,000 के पूर्ण पाठ हैं। इसके अतिरिक्त डाटाबेस लगभग 25,000 शोध पत्रों तक पहुँच सुगम करवाता है। पुस्तकालय गैर-लाभभोगी संगठन, जे.एस.टी.ओ.आर. में भी अंशदान कर रहा है। यह संगठन, विश्वस्त डिजिटल संग्रह हेतु बौद्धिक विषय वस्तु खोजने, का प्रयोग करने तथा उसके निर्माण करने में विद्वत्समाज की सहायता में तत्पर है। यह लगभग 2,400 जर्नलों की पूर्ण पाठ सर्च उपलब्ध कराता है।

- **पुस्तकालय इनहाउस ऑनलाइन डाटाबेस**

कंप्यूटरीकृत पुस्तकालय डाटाबेस में पुस्तकों तथा रिपोर्टों के 1.36 लाख रिकार्ड तथा पत्र-पत्रिका लेखों के 1.22 रिकार्ड हैं।

रिमोटेक्सेस सॉफ्टफेयर के माध्यम से पूरे विश्व में कहीं भी 24 x 7 इन सभी ऑनलाइन जर्नलों तथा डाटाबेस तक पहुँचा जा सकता है।

- **ई-पुस्तकें:**

पुस्तकालय ने दो किंडल्ज़ खरीदे हैं। पुस्तकालय अमेज़न असीमित किंडल ऑनलाइन को भी सब्सक्राइब कर रहा है, जो एक मिलियन से भी अधिक ई-पुस्तकों तक पहुँच उपलब्ध कराता है। किंडल तथा अन्य किसी उपकरण जैसे पी.सी., मोबाइल आदि के माध्यम से इन तक पहुँचा जा सकता है।

- **डिजिटल ज्ञान संग्रह**

पुस्तकालय ने डिजिटल ज्ञान संग्रह का सृजन किया है जिसमें संस्थान के शोध कार्यों तथा प्रकाशित संसाधनों को दर्शाया गया है। डिजिटल ज्ञान संग्रह, संस्थान की बौद्धिक पूँजी, शोध कार्यों तथा प्रकाशित संसाधनों तक पहुँच उपलब्ध कराने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसका उद्देश्य संस्थान की शोध तथा शैक्षणिक गतिविधियों को परिणामस्वरूप सृजित बौद्धिक कार्य का संग्रह तथा संरक्षण कर तथा इस तक मुक्त पहुँच उपलब्ध करा कर इसका प्रचार-प्रसार करना है। वार्षिक आम सभा की बैठक, अध्यक्षीय संबोधन, संकाय प्रकाशन, दुर्लभ पुस्तकें, वार्षिक रिपोर्टें, विशेष रिपोर्टें संस्थान में आए गणमान्य अतिथि, विषयगत पत्र, आधार-पत्र तथा इसी प्रकार के अन्य संसाधन उसी रूप में प्रस्तुत किए गए हैं जिस रूपस में विविध उद्देश्यों से इन्हें तैयार किया गया है। इसमें अप्पा प्रतिभागियों द्वारा अपनी एम.फिल डिग्री के लिए प्रस्तुत किए गए शोध प्रबंध तथा शोध पत्र भी शामिल हैं। अभी तक संग्रह में 23229 दस्तावेज़ अपलोड किए गए हैं, जिसमें 2008-09 से 2017-18 तक के दस सर्वोत्कृष्ट अप्पा शोध-पत्रों के पूर्ण पाठ भी शामिल हैं।

जिल्दबंदी

पुराने दस्तावेज़ों को संरक्षित करने के अंगस्वरूप लगभग 806 पत्रिकाओं तथा पुस्तकों को पुनर्जिल्दबंद किया गया।

पुस्तकालय सेवाएँ

31 मार्च, 2020 के अनुसार, 1782 दस्तावेज़ उधार दिए गए तथा 1633 दस्तावेज़ पुस्तकालय में वापिस प्राप्त हुए। 9718 पुस्तकालय प्रयोक्ताओं जिनमें संस्थान के संकाय सदस्य, भा.लो.प्र.सं. के सदस्य, लोक प्रशासन में उच्च स्तरीय व्यावसायिक कार्यक्रम (अप्पा) तथा अन्य विविध प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागी शामिल थे, के अतिरिक्त लगभग 1348 प्रामाणिक शोधकर्ताओं ने शुल्क आधारित परामर्श कार्यक्रम के अंतर्गत पुस्तकालय संसाधनों का प्रयोग किया। पुस्तकालय ने अपने सदस्यों को फोटोकापी तथा इंटरनेट सुविधा उपलब्ध कराना जारी रखा। वर्ष के दौरान पुस्तकालय ने अपने प्रयोक्ताओं को 40900 पृष्ठ फोटोकापी उपलब्ध कराई और इसके साथ ही विषय पुस्तक सूची उपलब्ध कराने की सेवाएँ भी जारी रखीं।

मूल्याधारित सेवाएँ

पुस्तकालय सामयिक जागरुकता, सूचीकरण तथा उद्धरण सेवाएँ उपलब्ध कराता है। पुस्तकालय अपने पाठकों को नए दस्तावेज़ों तथा नवीनतम सूचना से अवगत कराने के लिए 'पुस्तक एलर्ट', जोड़ी गई पुस्तकों की मासिक सूची, 'लेख एलर्ट': महत्वपूर्ण लेखों की की एक सूची, साप्ताहिक समाचार एलर्ट तथा सामयिक विषयसूची नियमित रूप से निकालता है। पुस्तकालय त्रैमासिक सूचीकरण तथा उद्धरण पत्रिका ''डाक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन'' नियमित रूप से प्रकाशित करता है। इसमें पत्रिका लेख, उद्धरण, पुस्तक समीक्षाएँ तथा पुस्तक टिप्पणियाँ शामिल होती हैं। वर्ष के दौरान डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में 2428 पत्रिका लेख, 254 पुस्तक समीक्षाएँ तथा 62 पुस्तक टिप्पणियाँ जोड़ी गईं। वर्ष 2019 में डॉक्यूमेंटेशन इन पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के चारों अंक समय पर प्रकाशित किए गए। पुस्तकालय अपने सदस्यों तथा

विविध पाठ्यक्रमों के प्रतिभागियों को माँगने पर पुस्तक-सूची सेवाएँ उपलब्ध कराता है।

राष्ट्रीय पुस्तकालय नेटवर्क में भागीदारी

संस्थान का पुस्तकालय विकासशील पुस्तकालय नेटवर्क (डेलनेट) का सक्रिय सदस्य है तथा यह अंतर्पुस्तकालय लेन-देन, पुस्तक-सूची संकलन और साहित्य सर्वेक्षण हेतु नेटवर्क की सुविधाओं का पर्याप्त प्रयोग कर रहा है। इस नेटवर्किंग उद्यम के अंगस्वरूप भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय भी नेटवर्क के भागीदार अन्य सदस्यों के साथ अपने समृद्ध संसाधनों के प्रयोग के लिए आदान-प्रदान करता है। वर्ष के दौरान संस्थान पुस्तकालय ने अपने उपभोक्ताओं हेतु अंतर्पुस्तकालय ऋण पर 56 दस्तावेज़ उधार लिए तथा अन्य पुस्तकालयों ने डेलनेट सुविधा के माध्यम से 160 दस्तावेज़ उधार लिए। हमारी परस्पर कुशल आदान-प्रदान की प्रभावशाली सेवाओं के अंगस्वरूप, डेलनेट ने 6,000 पुस्तकालयों में से संस्थान पुस्तकालय को सर्वोत्कृष्ट पुस्तकालय चुना तथा प्रशंसा प्रमाण-पत्र प्रदान किया।

संस्थागत गतिविधियाँ

सामान्य सभा की 65वीं वार्षिक बैठक

संस्थान की सामान्य सभा की 65वीं वार्षिक बैठक शुक्रवार 18 अक्टूबर, 2019 को सायं 4.30 बजे संस्थान परिसर में हुई। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति तथा संस्थान के सभापति श्री एम. वेंकय्या नायडू ने आरंभिक सत्र की अध्यक्षता की तथा संस्थान के अध्यक्ष माननीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी तथा संस्थान के उपसभापति श्री शेखर दत्त ने आम सभा की बैठक के द्वितीय भाग की अध्यक्षता की।

श्री एम. वेंकय्या नायडू, भारत के माननीय उपराष्ट्रपति तथा संस्थान के सभापति ने कहा कि भा.लो.प्र.सं. जैसे संस्थान, सूचना तथा ज्ञान का आदान-प्रदान करने वाले ज्ञान केंद्र होने चाहिए जो अंतरण की इस प्रक्रिया को उत्प्रेरित करें। भा.लो.प्र.सं. अनेक वर्षों से इस दिशा में तीव्रता से प्रगति कर रहा है। संस्थान ने सामर्थ्य-निर्माण तथा शोध दोनों में प्रशंसनीय कार्य किया है। प्रशिक्षण जो अब तक केंद्रीय सरकारी अधिकारियों तक सीमित था, अब राज्य तथा विदेशी सरकारों तथा विस्तृत हो गया है। उन्होंने आगे कहा कि मैं भा.लो.प्र.सं. को आगामी कुछ महीनों में नए महत्वाकांक्षी लक्ष्य निर्धारित कर, विश्व में समान अधिदेश वाली सर्वोत्कृष्ट संस्थाओं में स्वयं को एक उत्कृष्ट संस्था के रूप में बेंचमार्क करते हुए देखना चाहता हूँ जो ज्ञान-विनिमय, कौशल विकास, स्वस्थ मूल्याँकन तथा नीति परामर्श का एक सक्रिय केंद्र हो।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी, अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. ने अपने संबोधन में उल्लेख किया कि संस्थान ने अपनी स्थापना के समय से निर्धारित प्रमुख लक्ष्यों तथा उद्देश्यों को आगे और बढ़ा दिया है। यह एक पुरानी संस्था है, जहाँ तक शासन क्षेत्र विशेषत: लोक सेवाओं, सरकारी सेवाओं, सार्वजनिक क्षेत्र तथा इसी प्रकार की सेवाओं से संबंध है, यह प्राचीनतम संस्थाओं में से एक है। उन्होंने कहा कि भा.लो.प्र.सं. द्वारा वर्षों से किए गए काम की अच्छी पहचान बनाने तथा इसे राष्ट्रीय महत्व की संस्था की पहचान बनाने का यह सही समय है।

उन्होंने आशा व्यक्त की कि संस्थान की क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाएँ स्वयं को नवजीवित कर भा.लो.प्र.सं. की संपूर्ण कार्यप्रणाली में योगदान देने की स्थिति में होंगी। उन्होंने आगे कहा कि सरकार की नीति है कि इस प्रकार की अधिक से अधिक संस्थाओं को आत्मनिर्भर होना होगा। वे सदा सरकारी सहायता पर निर्भर नहीं रह सकतीं और हमें अपनी पूर्ण क्षमता से इस दिशा में उद्यम करना चाहिए। उन्होंने आगे कहा कि सरकार तथा अन्य विविध एजेंसियाँ तथा कॉर्पोरेट क्षेत्र की लोक सेवा की विविध शाखाओं की संगतता तथा उपयोगिता बढ़ाने की कोशिश में प्रशिक्षण के महत्व तथा उपयोगिता को समझेगा और इसी कारण हमें अभी भी उम्मीद है कि हमें इस संबंध में सहायता उपलब्ध होगी।

अपनी आरंभिक अभियुक्ति में, श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने, संक्षेप में, संस्थान की उपलब्धियों तथा क्षमताओं के बारे में बताया, जिसके लिए संस्थान के संकाय वर्ग तथा कर्मचारियों ने कड़ी मेहनत की है। उन्होंने उन उपलब्धियों को गिनवाया

जो भा.लो.प्र.सं. द्वारा की गई लोक सेवाओं को बताती हैं तथा संसाधन संग्रहण में आने वाली चुनौतियों को पार करने के संस्थान के दृढ़ संकल्पों के संबंध में भी बताया।

संस्थान के 166 सदस्यों में बैठक में भाग लिया जबकि न्यूनतम कोरम 50 सदस्य था। सदन ने 26 अक्तूबर, 2018 को हुई आम सभा की 64वीं वार्षिक बैठक की कार्यवाही, वर्ष 2018-2019 की वार्षिक रिपोर्ट तथा वार्षिक लेखा विवरण का अनुमोदन किया।

सदस्यों का तरेसठवाँ वार्षिक सम्मेलन

संस्थान के सदस्यों का तरेसठवाँ वार्षिक सम्मेलन 19 अक्तूबर 2019 को भा.लो.प्र.सं. परिसर में हुआ।

सम्मेलन का विषय था ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य''। डा. सी. शीला रेड्डी ने विषय पत्र प्रस्तुत किया। जिसमें उन्होंने संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्यों पर प्रकाश डाला। संस्थान के निदेशक, श्री एस.एन त्रिपाठी ने अपने स्वागत भाषण में विषय के महत्व पर प्रकाश डाला। संस्थान के अध्यक्ष, श्री टी. एन. चतुर्वेदी ने सम्मेलन के आरंभिक सत्र की अध्यक्षता की। संस्थान के उपसभापति, श्री शेखर दत्त भी इस अवसर पर उपस्थित थे। क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं के प्रतिनिधियों ने विषय पर अपने विचार व्यक्त किए। चर्चा के अतिरिक्त, सम्मेलन के दौरान विषय पर पत्र प्रस्तुत किए गए।

156 सदस्यों ने सम्मेलन में भाग लिया। वार्षिक सम्मेलन के आयोजन से पूर्व भा.लो.प्र.सं. की क्षेत्रीय/ स्थानीय शाखाओं ने अपने-अपने मुख्यालय में सम्मेलन के विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन/ संगोष्ठियाँ आयोजित कीं। क्षेत्रीय/ स्थानीय शाखाओं में हुए सम्मेलनों/ संगोष्ठियों की सिफारिशों को सम्मेलन में प्रस्तुत किया गया।

कार्यकारी परिषद्

कार्यकारी परिषद् की बैठकें

वर्ष के दौरान कार्यकारी परिषद् की पांच बैठकें हुई- 3 मई, 2019; 30 अगस्त 2019; 17 अक्तूबर, 2019; 19 अक्तूबर, 2019 तथा 11 जनवरी, 2020।

सदस्यता

वर्ष के दौरान, 16 वार्षिक सदस्यों तथा 11 निगमित सदस्यों, जिनका अभिदान बकाया था, के नाम, संस्थान के नियम 35(1) के अंतर्गत संस्थान की सदस्यता सूची से हटा दिए गए। वर्ष के दौरान 18 आजीवन सदस्यों तथा एक वार्षिक सदस्य का निधन हुआ।

सदस्यता का वर्गवार विवरण निम्न तालिका में दिया गया है:-

	वार्षिक सदस्य	आजीवन सदस्य	सहयोगी सदस्य	छात्र सदस्य	निगमित सदस्य (वार्षिक)	निगमित सदस्य (20 वर्ष के लिए)	कुल
1. 31.3.2019 को सदस्यता	114	10596	96	7	13	67	10893
2. 2019-2020 के दौरान शामिल सदस्य	-	-	56	-	-	-	56
3. 2019-2020 के दौरान परिवर्तित सदस्य	(-) 64	(+) 64	-	-	-	-	-
4. 2019-2020 के दौरान हटाए गए सदस्य	(-) 16	-	(-) 9	-	(-) 7	(-) 4	(-) 36
5. 2019-2020 के दौरान सदस्यों की मृत्यु हुई	(-) 1	(-) 18	-	-	-	-	(-) 19
31.3.2020 को कुल सदस्यता	**33**	**10642**	**143**	**7**	**6**	**63**	**10894**

भा.लो.प्र.सं. के गणमान्य सदस्य पॉल एच.एप्पलबी पुरस्कार से सम्मानित

श्री एम. वेकंय्या नायडू, भा.लो.प्र.सं. के सभापति ने 18 अक्तूबर, 2019 को हुई सामान्य सभा के बैठक में, निम्नलिखित सदस्यों को, संस्थान तथा लोक प्रशासन के क्षेत्र में उनकी सर्वोत्कृष्ट सेवाओं के लिए, पॉल एच. एप्पलबी पुरस्कार से सम्मानित किया:

1. श्री नृपेन्द्र मिश्रा, प्रधानमंत्री के पूर्व निजी सचिव
2. श्री डी.एम. सुकथंवार, महाराष्ट्र के पूर्व मुख्य सचिव
3. श्रीमती निर्मला बुक, मध्य प्रदेश की पूर्व मुख्य सचिव
4. श्री प्रकाश सिंह, उत्तर प्रदेश के पूर्व डी.जी.पी.
5. डा. एस.बी. मेधि, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त)
6. प्रो. कामता प्रसाद, भा.लो.प्र.सं. के पूर्व प्रोफेसर
7. प्रो. (डा.) बी.एस. घुमन, कुलपति, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला
8. इंजीनियर जे.बी.एस. जोहर

इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सर्वोत्कृष्ट लेख हेतु वर्ष 2018 का श्री टी. एन. चतुर्वेदी पुरस्कार

श्री एम. वेकंय्या नायडू, सभापति, भा.लो.प्र.सं. ने श्री शरत कुमार को ''भारत में राज्य स्वामित्व वाले उद्यमों में समझौता ज्ञापन पद्धति: रणनीतिगत प्रबंधन का एक साधन'' विषय पर आई.जे.पी.ए. में प्रकाशित सर्वोत्कृष्ट लेख के वर्ष 2018 के श्री टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार से सम्मानित किया।

लोक सेवाओं में उत्कृष्टता हेतु पुरस्कार

भा.लो.प्र.सं. ने, भा.लो.प्र.सं. एलुमनी संघ के सहयोग से, लोक सेवाओं में उत्कृष्टता हेतु एक पुरस्कार की संस्थापना की है। इस पुरस्कार में एक लाख रुपये नकद, एक साइटेशन तथा एक प्लैक शामिल है। इस वर्ष गुमला, झारखंड में लोक सेवाओं के क्षेत्र में कार्य करने वाले स्वैच्छिक सामाजिक संगठन, विकास भारती बिशनुपुर को इस पुरस्कार के लिए चुना गया है।

क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाएँ तथा शाखाओं की गतिविधियाँ

31 मार्च, 2020 को संस्थान की क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं की कुल संख्या क्रमश: 24 तथा 43 थी। विचाराधीन वर्ष के दौरान क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं और उनके पदाधिकारियों के नाम, उनके द्वारा संचालित गतिविधियाँ एवं उनसे संलग्न सदस्यों की संख्या परिशिष्ट च.3 पर है।

शाखाओं की अनेक गतिविधियाँ मासिक आई.आई.पी.ए. न्यूज़लेटर में भी रिपोर्ट दी गई हैं।

संस्थान के निदेशक श्री सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी ने 18 अक्तूबर, 2019 को भा.लो.प्र.सं. में हुई, क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं के अध्यक्षों की बैठक की अध्यक्षता की। भा.लो.प्र.सं. की गतिविधियों के सुदृढ़ीकरण तथा शाखाओं के विकास से संबंधित अनेक मुद्दों पर चर्चा हुई। जिन क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं के प्रतिनिधियों ने बैठक में भाग लिया उनके नाम है: बिहार, दिल्ली, हरियाणा, जम्मू तथा कश्मीर, केरल, मध्यप्रदेश, महाराष्ट्र, मणिपुर, मिज़ोरम, ओडिशा, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना तथा आँध्रप्रदेश और पश्चिम बंगाल (क्षेत्रीय शाखाएँ) तथा औरंगाबाद, बरेली, बुर्दवान, कुद्दालोर, धारवाड़, हावड़ा, इंदौर, जबलपुर, कानपुर, करीम नगर, मदुरई, मेरठ, मुजफ्फरपुर, पटियाला, पाटलिपुत्र, पुडूचेरी, तंजावुर, तिरुपति, तिरुपत्तुर, विल्लुपुरम तथा वारंगल (स्थानीय शाखाएँ)।

क्षेत्रीय शाखाओं से संबद्ध संस्थान के संकाय सदस्य भी बैठक में उपस्थित थे। क्षेत्रीय शाखाओं से संबद्ध संकाय सदस्यों की सूची परिशिष्ट च.7 पर है।

वर्ष के दौरान शाखाओं को अपने कार्यों तथा गतिविधियों को चलाने के लिए 952082/- रुपये की राशि वित्तीय सहायता के रूप में प्रदान की गई। इसमें आजीवन सदस्यता पूँजीगत निधि पर अर्जित ब्याज का पचास प्रतिशत अंश शामिल है। संस्थान संगोष्ठी/

सम्मेलन, प्रस्तावना सम्मेलन आदि आयोजित करने के लिए एक वित्तीय वर्ष में क्षेत्रीय शाखाओं को 30,000/- रुपये तथा स्थानीय शाखाओं को 15,000/- रुपये की वित्तीय सहायता उपलब्ध कराता है, यदि शाखा (क) नियमित चुनाव करवाती है, (ख) नियमित रूप से परीक्षित लेखा विवरण तथा (ग) अपनी गतिविधियों की रिपोर्ट भेजती है। इसके अतिरिक्त ब्याज का पचास प्रतिशत अंश तथा वार्षिक सदस्यता अभिदान का पचास प्रतिशत भी शाखाओं को दिया जाता है। वर्ष 2019-20 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का ब्यौरा परिशिष्ट च.6 पर है।

आम सभा की वार्षिक बैठक सम्मेलन जिसके लिए सभी शाखाओं को विषय-पत्र भेजा जाता है तथा आई.आई.पी.ए. न्यूज़लैटर का प्रकाशन भी सदस्योन्मुखी गतिविधियाँ हैं।

वर्धित गतिविधियाँ

निबंध प्रतियोगिता

वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता - 2019 के लिए निम्नलिखित विषय चुने गए:

- जल प्रबंधन
- आंतरिक सुरक्षा मुद्दे, चुनौतियाँ तथा सुधार
- एक राष्ट्र एक चुनाव
- गाँधीजी आज के युग में

प्राप्त 27 निबंधों (18 अँग्रेजी तथा 9 हिंदी) का, प्रो. अशोक विशनदास, डा. सचिन चौधरी, डा. श्यामली सिंह तथा डा. ममता पठानिया- इन संकाय सदस्यों की एक समीति ने मूल्याँकन किया।

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने भा.लो.प्र.सं. की वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता 2019 के पुरस्कार विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किए। किसी भी प्रविष्टि को प्रथम पुरस्कार के योग्य नहीं पाया गया। 7,000/- रुपये के द्वितीय पुरस्कार दो प्रतिभागियों को प्रदान किए गए (i) मद्रास विश्वविद्यालय, चेन्नई की सुश्री मैथिली एस.सेन को 'एक राष्ट्र एक चुनाव' विषय पर उनकी प्रविष्टि के लिए तथा (ii) नई दिल्ली के श्री केवल कृष्ण सेठी को 'जल प्रबंधन' विषय पर उनके निबंध के लिए। इसके अतिरिक्त 5,000/-रुपये का तृतीय पुरस्कार, छत्तीसगढ़ के श्री अजय पाल सिंह को, 'गाँधीजी आज के युग में' विषय पर उनकी प्रविष्टि के लिए प्रदान किया गया।

प्रकरण अध्ययन कार्यक्रम

भारत के माननीय उपराष्ट्रपति ने प्रकरण अध्ययन प्रतियोगिता- 2019 के निम्नलिखित विजेताओं को पुरस्कार प्रदान किया। किसी भी प्रविष्टि को प्रथम तथा द्वितीय पुरस्कार का योग्य नहीं पाया गया। श्री मनीष कुमार तिवारी को 4000 रुपये का एक तृतीय पुरस्कार ''कानून के नियमों को अवश्य ही यह सुनिश्चित करना चाहिए कि हाशिमपुरा कभी न हो'' विषय पर उनकी प्रविष्टि के लिए प्रदान किया गया।

अवसंरचना सुधार

संस्थान एक प्रमुख संस्थान है जिनका अपना एक हॉस्टल है जो इसके परिसर में स्थित है। यह अप्पा तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रतिभागियों, बाहर से आने वाले सदस्यों, अतिथियों, शोध विद्वानों तथा शैक्षणिक संस्थाओं और सरकारी विभागों के अधिकारियों आदि को आवास तथा खान-पान की सुविधा उपलब्ध कराता है। हॉस्टल में 89 कमरे तथा 8 अप्पा हेतु फैमिली स्यूट्स हैं। हॉस्टल के सभी कमरों में ए.सी. तथा केबल टी.वी. है तथा शौचालय और स्नानकक्ष संलग्न हैं। लकड़ी के पैनल लगाकर हॉस्टल का नवीनकरण किया गया है।

संस्थान का वित्त

जैसा प्राप्ति तथा भुगतान लेखा (अनुसूची क) में दर्शाया गया है, वर्ष 2019-20 के दौरान, संस्थान की आय 42.86 करोड़ रुपये थी, इसके समक्ष 43.22 करोड़ रुपये का व्यय हुआ। 42.86 करोड़ रुपये की कुल आय में से संस्थान को कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार से 18.00 करोड़ रुपये (वेतन/ सामान्य/ पूँजीगत सहायता अनुदान प्राप्त हुआ।

अत: गत वर्ष से अग्रानीत 29.04 लाख रुपये के

संचित अतिरेक के समायोजन के पश्चात, अनुसूची 'क' के अनुसार वर्ष के अंत में 7.33 लाख रुपये का संचित घाटा था।

वर्ष के दौरान आंतरिक संसाधनों से कुल आय 24.86 करोड़ रुपये थी जबकि गत् वर्ष यह आय 21.33 करोड़ रुपये थी। 24.86 करोड़ रुपये की इन प्राप्तियों में मुख्यत: प्रशिक्षण शुल्क (20.79 करोड़ रुपये), शोध कार्यों से शुद्ध आय (1.93 करोड़ रुपये), प्रयोक्ता प्रभार (1.33 करोड़ रुपये), प्रकाशनों की बिक्री (3.46 लाख रुपये) आदि शामिल है। 44.22 करोड़ रुपये के कुल भुगतान में से संस्थान के केवल वेतन तथा भत्ते 10.22 करोड़ रुपये तथा पेंशन 6.00 करोड़ रुपये थी। व्यय की अन्य मुख्य मदें थी परिसर रखरखाव (2.93 करोड़ रुपये), प्रशासनिक तथा विविध व्यय (56.67 लाख रुपये) तथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (19.48 करोड़ रुपये)।

संस्थान को पूँजीगति प्रकृति की विविध गतिविधियों के कार्यान्वयन हेतु सरकार से 350.00 लाख रुपये का सहायता अनुदान (पूँजीगत) प्राप्त हुआ। जिसके समक्ष कुल 350.00 लाख रुपये का व्यय हुआ। व्यय की मुख्य मदें थीं आई.सी.टी. गतिविधियाँ, (72.39 लाख रुपये), पुस्तकालय (20.42 लाख रुपये), क्षेत्रीय/स्थानीय शाखाओं का सुदृढ़ीकरण (4.80 लाख रुपये) अवसंरचना विकास कार्य/नवीकरण कार्य (252.39 लाख रुपये)। संस्थान की वित्तीय स्थिति का विस्तृत विवरण तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा में दिया गया है।

महत्वपूर्ण आयोजन

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ/व्याख्यान

संस्थान ने वर्ष के दौरान निम्नलिखित संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/व्याख्यान आयोजित किए:

उत्पाद दायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षण पर राष्ट्रीय सम्मेलन

उपभोक्ता केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली ने उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के सहयोग से 2 अप्रैल, 2019 को ''उत्पाद दायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षण'' पर राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया। इस सम्मेलन का उद्देश्य उत्पाद देयता कानून को बेहतर रूप से समझने तथा उपभोक्ता शिकायतों के समाधान में इसके अनुप्रयोग को समर्थ बनाना था। 120 से भी अधिक प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया। श्री अविनाश कुमार श्रीवास्तव सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने कार्यशाला का उद्घाटन किया। सुश्री गावरी गोखले, सॉलिसिटर तथा पेटेन्ट और टीएम अटॉर्नी, निशिथ देसाई एसोसिएट्स ने मुख्य संबोधन दिया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने सम्मेलन का समन्वयन किया।

डा. बी.आर. अम्बेडकर के विचारों पर विचार सभा

सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने, राजनीति विज्ञान विभाग, राम लाल आनंद कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से 9 अप्रैल, 2019 को, कॉलेज के एम्फिथिएटर में 'सामाजिक आर्थिक अंतरण पर डा. बी.आर. अम्बेडकर के विचार' विषय पर एक दिवसीय विचार सभा आयोजित की। इस आयोजन के अंश स्वरूप ''अम्बेडकर का पुनर्लोकन'' विषय पर पोस्टर निर्माण तथा सृजनात्मक लेखन प्रतियोगिताएँ आयोजित की गईं। प्रो. सुषमा यादव, कुलपति, भगत फूल सिंह महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत तथा सदस्य, विश्वविद्यालय अनुदान आयोग और भारतीय प्रेस परिषद; प्रो. सी. शीला रेड्डी, चेयर प्रोफेसर, सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान और प्रो. राकेश कुमार गुप्ता, प्रिंसिपल, रामलाल आनंद कॉलेज इस अवसर पर मुख्य वक्ता थे।

कार्यस्थल पर लिंग समानता कार्यशाला

7 जून, 2019 को ''कार्यस्थल पर लिंग समानता'' विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की गई। सार्वजनिक उद्यम विभाग, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया। डा. नीतू जैन तथा डा. अमित कुमार सिंह ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण पर कार्यशाला

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.) लखनऊ, उत्तर प्रदेश के क्षेत्रीय प्रशिक्षण केंद्र, गाज़ियाबाद के सहयोग से 5-6 जुलाई, 2019 को हापुड़ में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा पंचायती राज संस्थाओं, ग्रामीण विकास अधिकारियों और सेवा प्रदाताओं का सशक्तीकरण'' विषय पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यक्रम उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। इस कार्यक्रम का उद्देश्य ग्रासरूट स्तर पर कार्य करने वाले लोगों की उपभोक्ता अधिकारों तथा उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम से संबंधित सामर्थ्य-निर्माण करना था। सुश्री बबीता सिंह, ब्लॉक प्रमुख, ब्लॉक पंचायत, हापुड़ ने इस कार्यक्रम को उद्घाटन किया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने इसका समन्वयन किया।

उर्वरक विभाग के अधिकारियों हेतु कार्यशाला

उर्वरक विभाग, भारत सरकार ने 13 जुलाई, 2019 को एक अत्याधुनिक कार्यशाला का आयोजन किया जिसमें उर्वरक विभाग के सचिव श्री छविलेन्द्र राउल से लेकर अनुभाग अधिकारियों तक व्यापक स्तर पर अधिकारियों ने भाग लिया। इस कार्यशाला का उद्देश्य अधिकारियों की ग्रहणशीलता, संवेदनशीलता तथा सामर्थ्य वर्धन करना था जिसमें वे बेहतर कार्य कर सकें। प्रो. अशोक विशनदास तथा डा. सुरभि पांडे ने कार्यशाला का समन्वयन किया।

देवलोक की पुनः प्राप्ति : इस बृहत निर्णय के प्रभाव की समीक्षा- विशेष व्याख्यान

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सामयिक तथा संगत महत्व के विषयों पर विशिष्ट व्याख्यान श्रृँखला आरंभ की है। इस श्रृँखला के अंतर्गत सर्वप्रथम 26 अगस्त, 2019 को ''दिव्यलोक पुनः प्राप्तिः इस बृहत निर्णय के प्रभाव की समीक्षा'' विषय पर लेफ्टिनेंट जनरल सईद अता हसनैन के व्याख्यान का आयोजन किया गया। कर्नाटक तथा केरल के पूर्व राज्यपाल तथा भा.लो.प्र.सं. के अध्यक्ष श्री टी.एन. चतुर्वेदी ने इस व्याख्यान की अध्यक्षता की। विषय पर बोलते हुए, लेफ्टिनेंट जनरल हसनैन ने कहा कि भारत की जनता के दिमाग में आम धारणा थी कि अनुच्छेद 35 (ए) तथा 370 के निराकरण ने ऐसी स्थिति को जन्म दिया है जहाँ जम्मू तथा कश्मीर का मुद्दा पूर्णतया समाप्त हो गया है। किंतु यह धारणा सत्य से बहुत दूर है, यद्यपि वर्तमान में भारत के लिए, कम से कम अस्थायी रूप से यह लाभकारी है। श्री टी.एन.चतुर्वेदी, अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. ने अपनी अध्यक्षीय टिप्पणी में कहा कि भारत सरकार इस तथ्य के बारे में जागरुक थी कि रणनीति के अभाव में जम्मू तथा कश्मीर में इतने लंबे समय तक गतिरोध रहा। जम्मू तथा कश्मीर में स्थिति को स्थिर करने के अतिरिक्त अनेक अन्य चीजों की जानकारी अपेक्षित हैं, जिसके लिए दीर्घावधि रणनीति की आवश्यकता है। श्री. एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं., ने अपने स्वागत भाषण में विशिष्ट व्याख्यान श्रृँखला की आवश्यकता पर विचार करते हुए बताया कि किस प्रकार यह श्रृँखला प्रतिभागियों तथा भा.लो.प्र.सं. दोनों के लिए उपयोगी है। डा. सपना चड्डा ने इस व्याख्यान आयोजन का समन्वयन किया तथा श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं. ने आभार ज्ञापन किया।

राष्ट्रीय शिक्षा नीति : सिद्धांत तथा प्राथमिकताएँ पर विशिष्ट व्याख्यान

भा.लो.प्र.सं. ने 6 सितंबर, 2019 को ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति : सिद्धांत तथा प्राथमिकताएँ'' विषय पर इस श्रृँखला का दूसरा विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया। श्री अनिल स्वरूप, पूर्व सचिव, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता, ने यह व्याख्यान दिया। उन्होंने प्राथमिक शिक्षा क्षेत्र की वर्तमान स्थिति की समीक्षा करते हुए इस शिक्षा नीति की उपलब्धियों पर बल दिया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने इस कार्यक्रम की अध्यक्षता की। डा. रोमा देबनाथ ने इसका समन्वयन किया।

किसानों की आय दुगुनी करने पर विशिष्ट व्याख्यान

भा.लो.प्र.सं. ने 30 सितंबर, 2019 को ''किसानों की आय दुगुनी करना'' विषय पर श्रृँखला का तीसरा विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया। श्री अशोक दलवई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वर्षा पोषित क्षेत्र प्राधिकरण, नई दिल्ली, ने व्याख्यान दिया। श्री. एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने व्याख्यान की अध्यक्षता की। प्रो. अशोक विशनदास ने व्याख्यान का समन्वयन किया।

उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण पर कार्यशाला

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने राज्य ग्रामीण विकास संस्थान (एस.आई.आर.डी.), मेघालय के सहयोग से 2-3 सितंबर, 2019 को एस.आई.आर.डी. परिसर, नॉग्सडर, मेघालय में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण'' पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस कार्यशाला का प्रायोजित किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ता आंदोलन को आगे ले जाने के लिए विभिन्न संगठनों के अधिकारियों तथा गैर-अधिकारियों में उपभोक्ता संरक्षण के संबंध में जागरुकता पैदा करना था। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. ममता पठानिया ने कार्यशाला का समन्वयन किया।

गाँधी तथा संपोषणीय जीवनशैली विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने 11 अक्तूबर, 2019 को गाँधी तथा संपोषणीय जीवनशैली विषय पर एक राष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने इस संगोष्ठी को प्रायोजित किया। प्रो. रमेश सी. भारद्वाज, निदेशक, गाँधी भवन, दिल्ली विश्वविद्यालय ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया। अपने आरंभिक संबोधन में उन्होंने गाँधीवादी जीवन पद्धति के महत्व पर प्रकाश डाला। उन्होंने कहा कि एक व्यक्ति से अधिक, गाँधी एक विचार है और सबके लिए गाँधी को एक भगवान की तरह पूजने की अपेक्षा उस विचारधारा को समझना महत्वपूर्ण है। प्रो. सलिल मिश्रा, सम कुलपति, अम्बेडकर विश्वविद्यालय, दिल्ली ने मुख्य व्याख्यान दिया। उन्होंने गाँधीजी की संपोषणीय जीवनशैली के विशिष्ट व्यवहारों का उल्लेख किया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने संगोष्ठी का समन्वयन किया।

उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर सम्मेलन

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने 22 अक्तूबर, 2019 को ''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019'' पर एक उत्तरी ज़ोन क्षेत्रीय सम्मेलन आयोजित किया। उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने इस कार्यक्रम को प्रायोजित किया। लगभग 115 प्रतिभागियों ने इस सम्मेलन में भाग लिया। श्री अविनाश के. श्रीवास्तव, सचिव, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार ने इस सम्मेलन का उद्घाटन किया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने इस सम्मेलन का समन्वयन किया।

मोदी सरकार की सामाजिक न्याय नीतियों पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी

सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर, भा.लो. प्र.सं., ने सत्यवती कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा नीति शोध तथा शासन केंद्र, नई दिल्ली के सहयोग से 16-17 नवंबर, 2019 को, ''मोदी सरकार की सामाजिक न्याय नीतियाँ'' विषय पर एक दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी का आयोजन किया। यह संगोष्ठी आई.सी.एम. एस.आर. की आई.एम.पी.आर.ई.एस.एस. (समाजविज्ञान में प्रभावशाली नीति शोध) योजना तथा डा; अम्बेडकर फाउँडेशन, सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। श्री भगवान लाल साहनी, माननीय अध्यक्ष, राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग आयोग, इस कार्यक्रम के उद्घाटन सत्र में मुख्य अतिथि थे और उन्होंने आरंभिक संबोधन दिया। डा. विनय सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली तथा संसद सदस्य राज्य सभा विशिष्ट अतिथि थे।

उन्होंने भी सभा को संबोधित किया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने सभा का स्वागत किया। प्रो. सी. शीला रेड्डी ने सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर, भा.लो.प्र.सं. तथा इसकी गतिविधियों तथा इसके सहयोगी उद्यमों के संबंद्ध में संक्षेप में बताया। डा. स्वदेश सिंह, सत्यवती कॉलेज ने संगोष्ठी के विषय की रूपरेखा प्रस्तुत की।

अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की रणनीतिगत संरचना पर चौथा विशिष्ट व्याख्यान

4 नवंबर, 2019 को ''अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की रणनीतिगत सरंचना'' विषय पर इस श्रृँखला का चौथा विशिष्ट व्याख्यान भा.लो.प्र.सं. में आयोजित किया गया। श्री सुजन आर. महानिदेशक, भारतीय प्रत्यक्ष बिक्री संघ चिनॉय (आई.डी.एस.ए.) ने यह व्याख्यान दिया। भा.लो.प्र.सं. में प्रशिक्षण ग्रहण कर रहे प्रशासनिक सेवक, न्यायिक, पुलिस तथा रक्षा सेवाओं के अधिकारी भी इस अवसर पर उपस्थित थे। व्याख्यान के पश्चात एक जीवन्त प्रश्नोत्तर सत्र हुआ। प्रो. अशोक विशनदास ने इस व्याख्यान का समन्वयन किया।

ऑनलाइन भवन अनुमति पद्धति पर कार्यशाला

नगरीय अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने 5-7 नवंबर, 2019 को इटानगर में अरुणाचल प्रदेश सरकार के 35 वरिष्ठ अधिकारियों हेतु ऑनलाइन भवन अनुमति पद्धति पर एक तीन दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। प्रो. के.के. पांडेय तथा डा. कुसुम लता ने इस कार्यशाला का समन्वयन किया।

ग्यारहवाँ डा. अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान

सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर, भा.लो.प्र. सं. ने 12 दिसंबर, 2019 को ''स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के विचारों को नए भारत के संदर्भ में देखना'' विषय पर 11 वाँ डा. अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान आयोजित किया। डा. विनय सहस्त्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंद्ध परिषद, नई दिल्ली तथा संसद सदस्य, राज्यसभा ने ज्ञानपूर्ण संबोधन दिया। डा. विनय सहस्त्रबुद्धे ने स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व-वास्तविक सामाजिक अंतरण के लिए आवश्यक इन तीन मुख्य सिद्धांतों का संदर्भ दिया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र. सं. ने अपनी आरंभिक अभियुक्ति में संविधान निर्माण में डा. अम्बेडकर के योगदान तथा उनके विचारों तथा दर्शन के सतत औचित्य के संबंध में विचार साझा किए। श्री डी.पी. माझी, निदेशक, डा. अम्बेडकर फाउँडेशन ने सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय की विविध योजनाओं तथा फाउँडेशन के अंतर्गत डा. अम्बेडकर चेयर योजना के बारे में बताया। डा. सी. शीला रेड्डी, चेयर प्रोफेसर, सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर, ने संक्षेप में चेयर के बारे में बताया तथा कार्यक्रम का समन्वयन किया।

भारत यू.एस. ऊर्जा पर राष्ट्रीय सम्मेलन

तरलीकृत प्राकृतिक गैस (एल.एन.जी. गेल) के सहयोग से 18 दिसंबर, 2019 को ''भारत यू.एस. ऊर्जा सहयोग: नई संभवनाएँ'' विषय पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन आयोजित किया गया। डा. ममन द्विवेदी ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

पाँचवाँ डा. राकेश हूजा स्मारक व्याख्यान

18 दिसंबर, 2019 को ''लोक प्रशासन: उभरते भारत में अवसर तथा चुनौतियाँ'' विषय पर पाँचवें डा. राकेश हूजा स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। सुश्री शैलजा चंद्रा, पूर्व मुख्य सचिव, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार ने व्याख्यान दिया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने शिक्षा तथा प्रशासन के क्षेत्र मं डा. राकेश हूजा के बहुमूल्य योगदान को याद किया। अपने विशद तथा ज्ञानपूर्ण व्याख्यान में सुश्री चंद्रा ने सेवाओं, केडरों तथा करियर उन्नति की सीमाओं से आगे जाकर माननीय परिपेक्ष्य दिया। श्रीमती मीनाक्षी हूजा ने डा. राकेश हूजा से संबंधित अपनी यादें साझा कीं तथा स्मारक व्याख्यान को संस्थागत करवाने हेतु अपना संतोष व्यक्त किया। डा. राकेश हूजा के

परिवार तथा मित्रों, भा.लो.प्र.सं. के संकाय तथा वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारियों, 45 वें अप्पा के प्रतिभागियों तथा अन्य प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रशिक्षणार्थियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। डा. सी. शीला रेड्डी, चेयर प्रोफेसर, सामाजिक न्याय में डा. अम्बेडकर चेयर ने इस आयोजन का समन्वयन किया। उन्होंने संक्षेप में डा. राकेश हूजा के संबंध में बताया तथा आभार ज्ञापन दिया।

उपभोक्ता अधिकारों पर राष्ट्रीय कार्यशाला

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली ने एस.एम.एस.जी. कॉलेज, शेरघाटी, गया, बिहार के सहयोग से 25-26 नवंबर, 2019 को ''उपभोक्ता अधिकार, उपभोग का पैटर्न तथा पर्यावरणीय मुद्दे'' विषय पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार ने इसे प्रायोजित किया। इस कार्यशाला का उद्देश्य बाजार अर्थव्यवस्था में उपभोक्ता संरक्षण की आवश्यकता तथा महत्व को प्रकाश में लाना था। प्रो. राजेन्द्र प्रसाद, कुलपति, मगध विश्वविद्यालय, बोध गया ने आरंभिक संबोधन दिया। श्री श्याम बिहारी मीना (आई.ए.एस.), उप सचिव, आपदा प्रबंधन विभाग, बिहार सरकार ने समापन संबोधन दिया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. ममता पठानिया ने कार्यशाला का समन्वयन किया।

छठा प्रोफेसर एस. सरोजा स्मारक व्याख्यान

13 दिसंबर, 2019 को ''संविधान की बहुविध कल्पनाएँ: पाँचवीं अनुसूची का निर्माण'' विषय पर छठे प्रो. एस. सरोजा स्मारक व्याख्यान का आयोजन किया गया। प्रोफेसर नंदिनी सुंदर, समाजशास्त्र की प्रोफेसर, दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स नई दिल्ली, मुख्य वक्ता थीं। प्रो. गीतांजलि नटराज ने व्याख्यान का समन्वयन किया।

अनसुचित जनजाति के कल्याण हेतु गैर सरकारी संगठनों का परामर्श सह कार्यशाला

जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र भा.लो.प्र.सं. ने 10-12 दिसंबर, 2019 को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को सहायता: योजना के अंतर्गत गैर सरकारी संगठनों की परामर्श सह कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा प्रायोजित थी। लगभग 150 गैर-सरकारी संगठनों ने इसमें भाग लिया। डा. नूपुर तिवारी ने कार्यक्रम को समन्वयन किया। माननीय केंद्रीय जनजातीय मामलों के मंत्री, श्री अर्जुन मुंडा ने जनजातीय शोध संस्थानों (टी.आर.आईज़) के सुदृढ़ीकरण तथा सामर्थ्य निर्माण के लिए आयोजित इस राष्ट्रीय परामर्श का उद्घाटन किया। उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय मामले, भा.लो.प्र.सं. ने 29-30 जनवरी, 2020 को जनजातीय शोध संस्थानों के सुदृढ़ीकरण और सामर्थ्य-निर्माण के लिए राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया। यह परामर्श जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित था। इस कार्यक्रम का समग्र लक्ष्य विविध जनजातीय शोध संस्थानों के विविध व्यवहारों को स्ट्रीमलाइन करने हेतु एक मानक प्रशिक्षण प्रक्रिया तथा मॉड्यूल विकसित करना था। माननीय केंद्रीय जनजातीय मामले मंत्री श्री अर्जुन मुंडा ने इस आयोजन का उद्घाटन किया। डा. नुपूर तिवारी ने इस कार्यक्रम का समन्वयन किया।

चीन हमले का अंतर्वेशन पर विशिष्ट व्याख्यान

21 जनवरी, 2020 को भा.लो.प्र.सं. में चीन हमले का अंतर्वेशन विषय पर विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। श्री प्रदीप बैजल, पूर्व अध्यक्ष भारतीय टेलिकॉम नियामक प्राधिकरण (ट्राई) ने यह विशिष्ट व्याख्यान दिया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक भा.लो.प्र.सं. ने व्याख्यान की अध्यक्षता की। प्रो. विशनदास ने व्याख्यान का समन्वयन किया।

यूरोपीय संघ तथा भारत का शहरी एजेंडा विषय पर विशिष्ट व्याख्यान

15 जनवरी, 2020 को भा.लो.प्र.सं.में यूरोपीय संघ तथा भारत का शहरी एजेंडा विषय पर एक विशिष्ट व्याख्यान का आयोजन किया गया। यूरोपीय संघ की सुश्री फेरिग्मन ने यह विशिष्ट व्याख्यान दिया। श्री. एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने व्याख्यान की अध्यक्षता की। प्रो. के.के. पांडेय ने व्याख्यान का समन्वयन किया।

राज्य विधायकों हेतु राज्य वित्त पर राष्ट्रीय कार्यशाला

भा.लो.प्र.सं. ने पी.आर.एस. विधायी शोध संगठन के साथ मिलकर 20-21 जनवरी, 2020 को भा.लो.प्र.सं. में ''राज्य विधायकों हेतु राज्य वित्त पर राष्ट्रीय कार्यशाला'' विषय पर दो-दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। डा. राजीव कुमार, उपाध्यक्ष, नीति आयोग ने ''भारतीय अर्थव्यवस्था की स्थिति'' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक भा.लो. प्र.सं. ने उद्घाटन संबोधन दिया। विविध राज्यों के 46 विधायकों ने इसमें भाग लिया। श्री एम.आर. माधवन, सी.ई.ओ., पी.आर.एस. विधयी शोध, आमंत्रित संकाय सदस्यों तथा भा.लो.प्र.सं. की ओर से कार्यशाला का समन्वयन करने वाले डा. वी.एन. आलोक ने व्याख्यान दिए।

डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण पर कार्यशाला

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली ने हेमाचंद्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पटन के सहयोग से 3-4 जनवरी, 2020 को पटन, गुजरात में ''डिजिटल युग में उपभोक्ता संरक्षण विषय पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला उपभोक्ता मामले विभाग, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण के क्षेत्र में प्रतिभागियों के ज्ञान तथा कौशल का बढ़ाना था। डा. एस.के. नंदा, आई.ए.एस., पूर्व अध्यक्ष तथा एम.डी., जी.एस.एफ. सी. तथा पूर्व प्रमुख सचिव, खाद्य तथा नागरिक आपूर्ति और उपभोक्ता मामले विभाग तथा पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, गृह विभाग, गुजरात ने कार्यक्रम का उद्घाटन किया। श्री. डी.एल. परमार, नियंत्रक, कानूनी मापविद्या तथा निदेशक, उपभोक्ता मामले, गाँधीनगर, गुजरात, मुख्य अतिथि थे। श्री रामजी मावनी, अध्यक्ष, उपभोक्ता संरक्षण परिषद, नई दिल्ली विशिष्ट अतिथि थे। श्री एन.एम. राठोड़, सहायक नियंत्रक, विधायी माप-विद्या विभाग, मेशना, गुजरात ने समापन भाषण दिया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. ममता पठानिया ने कार्यशाला का समन्वयन किया।

श्री टी.एन. चतुर्वेदी स्मारक विशेष व्याख्यान

संस्थान के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी की स्मृति में, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में श्री टी. एन. चतुर्वेदी स्मारक विशेष व्याख्यान श्रृँखला आरंभ हुई। भारतीय लोकतंत्र : वर्तमान एवं भविष्य विषय पर श्रृँखला का प्रथम व्याख्यान 13 फरवरी, 2020 को सायं 4.00 बजे सार्थक कक्ष (प्रथम तल), भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में आयोजित किया गया। प्रख्यात पत्रकार तथा राजनीतिक विश्लेषक डा. वेद प्रताप वैदिक ने हिंदी में यह व्याख्यान दिया। श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने इस व्याख्यान की अध्यक्षता की। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव ने कार्यक्रम का संचालन किया।

जनजातीय बुद्धिजीवी

उत्कृष्टता केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने ''जनजातीय बुद्धिजीवी तथा समावेश विषय पर कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला 28-29 फरवरी, 2020 को कलिंग समाज विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर, ओडिशा में आयोजित की गई। जनजातीय मामले मंत्रालय ने इस कार्यशाला को प्रायोजित किया और डा. नूपुर तिवारी ने इसका समन्वयन किया। भारत के विविध भागों के लगभग 200 जनजातीय पीएच.डी. विद्वानों ने इस कार्यशाला में भाग लिया। श्री दीपक खांडेकर, सचिव, जनजातीय मामले मंत्रालय ने इस कार्यशाला का उद्घाटन किया तथा श्री एस.एन. त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने विशिष्ट संबोधन दिया।

उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण पर कार्यशाला

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने 27-28 फरवरी, 2020 को ''उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण'' पर एक दो-दिवसीय कार्यशाला का आयोजन किया। यह कार्यशाला खाद्य, सार्वजनिक वितरण तथा उपभोक्ता संरक्षण विभाग, मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित

थी। उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम का कार्यान्वयन करने वाले 28 जिला-स्तरीय अधिकारियों ने इसमें भाग लिया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

आधुनिक युग में अपने जीवन को मास्टर करना- पर विशिष्ट व्याख्यान

भा.लो.प्र.सं. ने 3 फरवरी, 2020 को ''आधुनिक युग में अपने जीवन को मास्टर करना'' विषय पर इस श्रृँखला का सातवाँ विशिष्ट व्याख्यान आयोजित किया। श्री बलविंदर कुमार, सदस्य, रियल एस्टेट नियामक प्राधिकरण (रेरा) तथा पूर्व सचिव, भारत सरकार ने यह व्याख्यान दिया। श्री एन.एस. त्रिपाठी, निदेशक, भा. लो.प्र.सं. ने व्याख्यान की अध्यक्षता की। श्री अशोक विशनदास ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने 3-4 फरवरी, 2020 को राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल, गुजरात के सहयोग से ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' विषय पर एक दो-दिवसीय संगोष्ठी आयोजित की। श्री जे.बी. पटेल, कलेक्टर, मोरबी ने संगोष्ठी का उद्घाटन किया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. ममता पठानिया ने कार्यक्रम का समन्वयन किया।

गैर-सरकारी संगठनों हेतु परामर्श कार्यशाला

उत्कृष्टता केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने पी.एफ.एम.एस गैर-सरकारी संगठनों के साथ ''ई.ए.टी. मॉडयूल'' पर 25-26 फरवरी, 2020 को एक-दो दिवसीय परामर्श सह कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा प्रायोजित थी। पूर देश से लगभग 70 प्रतिभागियों ने इस कार्यक्रम में भाग लिया। यह कार्यक्रम डा. नुपूर तिवारी द्वारा समन्वित था।

जी.आई.एस. पर कार्यशाला

नगरीय अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. के प्रो. के.के. पांडेय तथा डा. कुसुम लता ने 25 फरवरी, 2020 को अरुणाचल प्रदेश में, नगर आयोजन विभाग, इटानगर पासीघाट के बाहरी स्थानीय निकायों और अरूणाचल प्रदेश सरकार के शहरी विकास तथा आवास निदेशालय के अधिशासी अधिकारियों हेतु (आई.सी.बी. कार्यक्रम के अंतर्गत) ''जी.आई.एस.: शहरी विकास का एक साधन विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला आयोजित की। यह कार्यशाला आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। इस कार्यशाला का उद्देश्य अरुणाचल प्रदेश के शहरी क्षेत्रों में भौगोलिक सूचना पद्धति (जी.आई.एस.) की प्रक्रिया, लाभों तथा इसकी उपयोगिता का एक विहंगम दृश्य उपलब्ध कराना था। भा.लो.प्र.सं. की डा. कुसुम लता ने, भी विकास, प्रशिक्षण सहायक तथा (टी.सी.पी.ओ.), नई दिल्ली के विशेषज्ञ के सहयोग से इटानगर में कार्यशाला का संचालन किया।

उपभोक्ता संरक्षण में सामयिक चुनौतियाँ पर राष्ट्रीय संगोष्ठी

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. ने यशवंत राव चव्हाण विधि कॉलेज, पुणे के सहयोग से 2-3 मार्च, 2020 को ''उपभोक्ता संरक्षण में सामयिक चुनौतियाँ'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी आयोजित की। यह संगोष्ठी उपभोक्ता मामल विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित थी। 80 से भी अधिक शोधकर्ताओं, शिक्षाविद्ों, छात्रों, विशेषज्ञों, व्यवहार्ताओं, अधिशासियों तथा गैर-सरकारी संगठनों के प्रतिनिधियों ने इस संगोष्ठी में भाग लिया। इस संगोष्ठी ने सभी स्टेकहोल्डरों को इसमें भाग लेकर इस क्षेत्र की नई चुनौतियों तथा उपभोक्ताओं हेतु सुरक्षित मार्ग के लिए आगे के मार्ग पर चर्चा करने का अवसर प्रदान किया। प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने इसका समन्वयन किया।

संस्थान में आए गणमान्य अतिथि

जुलाई 2019 श्री बालदान बाताज़ोरिग, अध्यक्ष, मंगोलिया परिषद की प्रशासनिक सेवाएँ, महामहिम श्री गॉनचिग गैनबोल्ड, भारत में मंगोलिया के राजदूत, श्री दोर्ज डेमचिगसुरेन, प्रभारी अधिकारी, रणनीतिगत

आयोजन तथा नीति, और श्री हॉर्चिन गैनोचिर, गवर्नर कार्यालय प्रबंधक- इन चार-सदस्यीय प्रतिनिधि दल ने भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया। भा.लो.प्र.सं. पुस्तकालय तथा अवसंरचना की प्रशंसा करते हुए उन्होंने मंगोलियन अकादमी के अपने अनुभवों को साझा किया जहाँ वे भा.लो.प्र.सं. के ही समान ई-शासन के आयोजन आयोजित करते हैं। प्रो. वी.के. शर्मा, प्रो. गीतांजलि नटराज, प्रो. सी. शीला रेड्डी तथा डा. चारु मल्होत्रा ने इस प्रतिनिधि दल का स्वागत किया।

प्रो. अरून मनोहरन, एसोसिएट प्रोफेसर, सार्वजनिक नीति तथा लोक मामले विभाग, मैनचेस्टर विश्वविद्यालय, बॉस्टन, ने 31 जुलाई, 2019 को भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया तथा भा.लो.प्र.सं. के निदेशक, श्री. एस.एन. त्रिपाठी और डा. चारु मल्होत्रा से मिले। ''नगरपालिकाओं में डिजिटल शासन'' पर अपना पाँच सूत्री मूल्याँकन ढाँचा साझा करते हुए उन्होंने डा. मल्होत्रा द्वारा विकसित मेरी सरकार आकलन मॉडल के साथ इसे जोड़ने की संभावना का सुझाव दिया। शोध सहयोग की भावी संभावनाओं पर भी चर्चा हुई।

सितंबर 2019

थाईलैंड के एक प्रतिनिधि दल ने 4 सितंबर, 2019 को भा.लो.प्र.सं. का दौरा किया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव ने प्रतिनिधि दल के इस दौरे तथा भा.लो.प्र. सं. में इसके एक दिन के विचारों के आदान-प्रदान सत्र का समन्वयन किया। निदेशक भा.लो.प्र.सं. श्री एस.एन. त्रिपाठी ने प्रतिनिधि दल को मोमेंटो प्रदान किया तथा उनके साथ भा.लो.प्र.सं. के प्रकाशन साझा किए। विचारों के परस्पर आदान-प्रदान के दौरान ज्ञान साझा करने के अतिरिक्त प्रतिनिधि दल के समक्ष भारत में विविध स्तरों पर प्रशासनिक सेवा प्रशिक्षण की संरचना तथा संभावना पर भी प्रकाश डाला गया। सुश्रर शुतिमा हेनपेकर्न, उप महासचिव, प्रशासनिक सेवा आयोग कार्यालय ने थाईलैंड प्रशासनिक सेवा संरचना के बारे में ज्ञानपूर्ण जानकारी दी। उन्होंने भा.लो.प्र.सं., पुस्तकालय का दौरा किया तथा संस्थान में संचालित प्रशिक्षण सत्रों की एक झलक देखने के लिए चालू प्रशिक्षण सत्रों में भी उपस्थित हुए। डा. सुरभि पांडेय तथा सुश्री मेघना चुकथ, सहायक प्रकाशन अधिकारी ने भी इस परस्पर आदान-प्रदान सत्र में सहयोग दिया।

शैक्षणिक केंद्र/चेयर

संबंधित अध्ययन क्षेत्र में रूचि, अनुभव तथा विशेषज्ञता रखने वाले संकाय सदस्यों से गठित शैक्षणिक केंद्र निम्नलिखित हेतु समय-समय पर बैठक करते हैं (क) अपने क्षेत्र से संबंधित शोध तथा प्रशिक्षण की वार्षिक कार्ययोजना बनाने तथा उसकी सामयिक समीक्षा करने; (ख) व्यक्तिगत कार्य-योजना पर विचार विमर्श, समन्वयन तथा पुनरीक्षण करने; (ग) शैक्षणिक आदान-प्रदान तथा सदस्यों के व्यावसायिक विकास हेतु मंच के रूप में कार्य करने और (घ) अंतरशाखात्मक गतिविधियों को प्रोन्नति हेतु अन्य शैक्षणिक समूहों के साथ समन्वयन करने के लिए। प्रत्येक केंद्र दो वर्ष की अवधि के लिए अपना समन्वयक चुनता है (उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, शहरी अध्ययन केंद्र तथा आई.सी.टी. और ई-शासन केंद्र को छोड़कर, इन केंद्रों के समन्वयक निदेशक नामांकित करते हैं)। सामान्यत: एक संकाय सदस्य से आठ में से तीन केंद्रों का सदस्य बनना अपेक्षित है। प्रत्येक शैक्षणिक केंद्र को अपनी गतिविधियों के संचालन के लिए वित्त पोषण की खोज स्वयं करनी होती है क्योंकि तंग वित्तीय स्थिति के कारण, भा.लो.प्र.सं. इन गतिविधियों के लिए वित्त पोषण उपलब्ध नहीं करवा सकता। 31 मार्च 2020 को शैक्षणिक केंद्रों की सदस्यता का संघटन परिशिष्ट च.4 में दर्शाया गया है।

भा.लो.प्र.सं. के संकाय सदस्यों के शैक्षणिक योगदान (भा.लो.प्र.सं. में संचालित प्रशिक्षण तथा शोध के व्यतिरिक्त) का लेखा परिशिष्ट च.5 में दर्शाया गया है।

शहरी अध्ययन केंद्र

परिशिष्ट च. 10 के अनुसार

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र

परिशिष्ट च. 11 के अनुसार

जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा सूखा प्रशासन केंद्र

चालू शोध परियोजनाएँ

1. विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जलवायु स्मार्ट शासन।
2. जलवायु परिर्वतन के समक्ष जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य निर्माण रणनीतियाँ, राष्ट्रीय हिमालयी अध्ययन मिशन तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित।
3. सिक्किम जिले में सिक्योर (एस.ई.सी.यू.आर.ई.) हिमालयी परियोजना परिदृश्य में मुख्य स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य वर्धन के लिए दीर्घावधि तक प्रभावी जीव वैविध्य संरक्षण, विकास तथा सामर्थ्य-निर्माण ढाँचे के कार्यान्वयन के लिए मुख्य स्टेकहोल्डरों की क्षमताओं तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन, यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित।
4. अन्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्याँकन, एन.डी.एम.ए. द्वारा प्रायोजित।

जीववैविध्य संरक्षण हेतु सामर्थ्य आकलन तथा वर्धन, यू.एन.डी. पी. द्वारा प्रायोजित

सिक्किम अपनी भौगोलिक स्थिति द्वारा सृजित अनूठी जलवायु से समर्थित समृद्ध तथा विविधतापूर्ण वनस्पतियों तथा जीवजंतुओं के लिए जाना जाता है। कुछ वर्षों में सिक्किम में पर्यटकों की बढ़ती हुई संख्या के साथ-साथ इसकी अवसंरचना में भी तीव्रता से विकास हुआ है। बढ़ती हुई शहरी जनसंख्या के साथ हुए औद्योगिक विकास ने पर्यावरण के लिए एक गंभीर चुनौती खड़ी कर दी है और इस प्रकार सिक्किम की जीववैविध्य समृद्धता को जोखिम में डाल दिया है। चूँकि सिक्किम की जीवविविधता पर्यटन को बढ़ाने में सहयोग कर राज्य की अर्थव्यवस्था के एक सशक्त स्तंभ के रूप में स्थित है अत: इसके संरक्षण तथा मुख्य स्टेकहोल्डरों के सामर्थ्य-निर्माण पर विशेष फोकस करना अत्यंत महत्वपूर्ण है। सामर्थ्य विकास की इस प्रक्रिया के लिए यह जानना आवश्यक है कि कौन सी सामर्थ्य निर्माण क्षमताएँ पहले से ही विद्यमान हैं तथा कौन सी अतिरिक्त क्षमताएँ पद्धति में शामिल करने की आवश्कयता होगी।

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित ''सिक्किम जिले में सिक्योर (एस.ई.सी.यू.आर.ई.) हिमालयी परियोजना परिदृश्य में मुख्य स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य वर्धन के लिए दीर्घावधि तक प्रभावी जीववैविध्य संरक्षण, विकास तथा सामर्थ्य-निर्माण ढाँचे के कार्यान्वयन के लिए मुख्य स्टेकहोल्डरों की क्षमताओं तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन'' कार्य सौंपा गया है। लैंडस्केप के अंतर्गत कंचनगंगा राष्ट्रीय पार्क तथा सिंगबा रॉडॉडेनड्रम अभयारण्य संरक्षित क्षेत्र हैं तथा उत्तरी ट्राँस-हिमालय ज़ोन में त्सो-लाह्मु पठार भी प्रस्तावित संरक्षित क्षेत्र हैं। अध्ययन का फोकस दीर्घावधि जीववैविध्य संरक्षण, आजीविका वर्धन तथा प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन के लिए मुख्य स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य तथा प्रशिक्षण आवश्यकताओं का आकलन करना तथा लक्ष्य स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य निर्माण की सामर्थ्य निर्माण के लिए रूपरेखा तथा रणनीति विकसित करना है। सामर्थ्य विकास रूपरेखा के लिए मुख्य स्टेकहोल्डरों का पहचाना अत्यंत महत्वपूर्ण है। अत: इस प्रक्रिया का सर्वप्रथम कदम था उपयुक्त स्टेकहोल्डरों को पहचानना तथा उनकी प्राथमिकता निर्धारित करना। तथा अगला कदम था विस्तृत ''प्रशिक्षण आवश्कयताओं का विश्लेषण'' जिससे यह निश्चित किया जा सके क्या प्रशिक्षण की आवश्यकता है और यदि है तो इस रिक्ति का पूरा करने के लिए किस प्रशिक्षण की आवश्यकता है। इससे लक्ष्य समूहों में वर्तमान स्थिति के स्तर को सटीकता से पहचानने में सहायता प्राप्त हुई।

परियोजना दल में लैंडस्केप-आधारित एप्रोच का प्रयोग करते हुए जीववैविध्य संसाधनों की संपोषणीयता हेतु प्राकृतिक संसाधन प्रबंधन में संलग्न सरकारी अभिकरणों तथा सामुदायिक संस्थाओं और अन्य उपयुक्त स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य तथा प्रशिक्षण आवश्यकतों का आकलन किया। इसके अंतर्गत साहित्य समीक्षा, प्रश्नावलियों का प्रयोग करते हुए सर्वेक्षण, स्टेकहोल्डरों के साथ विचार-विमर्श, परस्पर सामुदायिक आदान-प्रदान तथा साक्षात्कार शामिल है और यह सब विशेषज्ञों के मार्गदर्शन में हुआ।

विश्लेषण तथा स्टेकहोल्डरों के साथ परामर्श कार्यशालाओं के आधार पर ग्रासरूट स्तर की आश्यकताओं के स्थान पर तीन मॉड्यूल विकसित किए गए जिनमें गणनात्मक आँकड़ों के साथ व्यावहारिक तथा क्षेत्र-विशिष्ट सूचना दिखाई गई है। इनके अंतर्गत: सामान्य मॉड्यूल : जीववैविध्य संरक्षण लक्ष्यों के महत्व का संक्षिप्त परिचय उपलब्ध कराना; मॉड्यूल I- कृषि तथा जीव-वैविध्य जो राज्य में कृषि जीववैविध्य एजेंडा के कार्यान्वयन में सहायता करेगा तथा मॉड्यूल I- पर्यावरणीय प्रभाव को कम करने तथा संपोषणीयता के बनाए रखने के लिए संपोषणीय पर्यटन से सुदृढ़ पर्यटन की ओर।

यह विस्तृत आकलन राज्य में जीववैविध्य संरक्षण की दिशा में वर्तमान परिदृष्य का पूण चित्रण प्रस्तुत करता है। यह प्राधिकरणों को कमजोर वर्ग अथवा उन क्षेत्रों जहाँ अधिक क्षमताओं की आवश्यकता है, पर फोकस करने में सहायक होगा। इसके अतिरिक्त यह अध्ययन संबंधित स्टेकहोल्डरों को शामिल करते हुए जीववैविध्य संरक्षण को विकास आयोजन की मुख्यध ारा में लाने में सहायता करेगा। इस अध्ययन में की गई सिफारिशों के संबंध में कुछ क्षेत्र बहुत अच्छा कर रहे हैं जबकि कुछ में वर्तमान क्षमताओं में कुछ विस्तार करने की आवश्यकता है। सामर्थ्य विकास में समग्र एप्रोच करने के लिए इस अध्ययन के प्रमुख निष्कर्षों अर्थात् स्कोरकार्ड और मॉड्यूलज़ को बड़े स्तर पर श्रोताओं के मध्य प्रचारित किया जा रहा है।

जलवायु स्मार्ट शासन (2019-2020)

दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम

17 से 28 जून, 2019 को गजरात आपदा प्रबंधन संस्थान के सहयोग से ''जलवायु स्मार्ट शासन पर दो सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम'' संचालित किया गया। इस कार्यक्रम के लक्ष्य श्रोता थे- विश्वविद्यालय संकाय, देश के विविध भागों के शोध विद्वान जो पहले से ही जलवायु परिवर्तन से संबंधित विषयों पर कार्य कर रहे हैं और उन्हें इससे संबंधित पूर्व-अपेक्षित ज्ञान पहले से है। विविध क्षेत्रों तथा भूगोल, राजनीति विज्ञान, मृदा संरक्षण, वानिकी, वनस्पति विज्ञान तथा पर्यावरणीय इंजीनियरी इन विविध क्षेत्रों के संकाय सदस्यों ने इस सामर्थ्य-निर्माण कार्यक्रम में भाग लिया। कुल 23 प्रतिभागियों ने सफलता पूर्वक यह प्रशिक्षण कार्यक्रम संपन्न किया।

मिश्रित सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम : वरिष्ठ स्तरीय अधिकारी

26 सितंबर से 5 अक्टूबर, 2019 को वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों के लिए मिश्रित सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम संचाचित किया गया। यह कार्यक्रम गुजरात आपदा प्रबंधन संस्थान, गाँधीनगर, गुजरात के सहयोग से सफलतापूर्वक चलाया गया। यह कार्यक्रम गुजरात के विविध राज्य विभागों के वरिष्ठ स्तरीय अधिकारियों के लिए चलाया गया। विभिन्न विभागों जैसे जल प्रबंधन विभाग, सड़क तथा यातायात विभाग, ऊर्जा विभाग तथा नगर निगम आदि के अधिकारियों ने सक्रिय रूप से इसमें भाग लिया तथा मिश्रित शिक्षण की इस संकल्पना की प्रशंसा की।

जलवायु परिवर्तन की दशा में जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य निर्माण रणनीतियाँ (2019-20)

पंचायती राज संस्थानों के सदस्यों तथा स्थानीय समुदाय हेतु सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम

सिक्किम के उत्तरी तथा पश्चिमी जिलों में 6 और 9 मई, 2019 को प्रशिक्षण कार्यशाला संचालित की गई। यह सामर्थ्य निर्माण प्रशिक्षण कार्यशाला, चुने हुए जी.पी.यूज़ के स्थानीय निवासियों, उनके पंचायत सदस्यों तथा स्कूल के छात्रों को समान रूप से ध्यान में रखकर आयोजित की गई। जी.पी.यू. जिनके लिए यह सामर्थ्य निर्माण कार्यशाला संचालित की गई वे पहले से ही सामुदायिक जोखिम रजिस्टर के विषय है तथा इस कार्यक्रम में उन मुद्दों को फोकस किया गया जिन मुद्दों पर समुदाय ने अपने-अपने जी.पी.यू. के

लिए प्रकाश डाला था। इन जी.पी.यूज़ में प्रशिक्षण का फोकस था जलवायु परिवर्तन के कारण होने वाली जटिल आपदाएँ। समुदाय को सिक्किम तथा स्वयं अपने क्षेत्र के संदर्भ में जलवायु परिवर्तन के प्रभावों के प्रति जागरुक होना चाहिए।

अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी- पर्वतीय शहरों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण में चुनौतियाँ

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण, भूमि राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग के सहयोग से 18 और 19 सितंबर, 2019 को एक दो-दिवसीय संगोष्ठी संचालित की। कार्यशाला को उद्देश्य था पर्वतीय शहरों के आपदा जोखिम न्यूनीकरण की चुनौतियों पर फोकस करना। यह कार्यशाला जलवायु परिवर्तन, आपदा जोखिम तथा संबंधित मुद्दों पर कार्य करने वाले विभागों के वरिष्ठ ता मध्यम स्तर के अधिकारियों तथा अनेक अन्य देशों के कुछ प्रतिनिधियों के लिए संबोधित थी। यह संगोष्ठी चिंतन भवन, गैंगटॉक, सिक्किम में आयोजित की गई।

जलवायु स्कूल पहल : स्कूलों को जलवायु स्मार्ट बनाना

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान ने 5 और 6 मार्च को सामुदायिक कक्ष, सोरेन्ग, पश्चिमी सिक्किम में ''जलवायु स्कूल पहल: स्कूलों को जलवायु स्मार्ट बनाना'' विषय पर दो-दिवसीय आयोजन किया। यह दो-दिवसीय आयोजन सिक्किम आपदा प्रबंधन प्राधि करण के सहयोग से ''जलवायु परिवर्तन के समक्ष जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य निर्माण रणनीतियाँ'' विषयक परियोजना के अंतर्गत आयोजित किया गया। यह परियोजना राष्ट्रीय हिमालय अध्ययन मिशन तथा पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित थी।

चित्रकला प्रतियोगिता

आयोजन के प्रथम दिन, 5 मार्च को सोरेन्ग, चुम्बंग, थर्पु, पाक्किगाँव, सोमपरिया, स्रिबदम, टिमबर्बुन्ग, गेल्लिंग, चाकुन्ग तथा दरमदिन से दस सीनियर सेकेन्डरी स्कूलों के छात्रों के लिए एक चित्रकला प्रतियोगिता आयोजित की गई। इस चित्रकला प्रतियोगिता का विषय था ''सिक्किम: जलवायु स्मार्ट तथा आपदा सुदृढ़ राज्य की ओर''। इन दस स्कूलों के पचास छात्रों ने इस प्रतियोगिता में भाग लिया। के.बी. लिंबू स्मारक वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल, स्रिबदम के आशिष मुखिया को प्रथम स्नान प्राप्त हुआ जबकि गेल्लिंग वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल से मंजिला बिस्व तथा थर्पु वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल के कैलाश प्रधान को प्रतियोगिता में क्रमश: द्वितीय तथा तृतीय स्थान प्राप्त हुआ।

धूपदार मौसम प्रयोगशाला का शुभारंभ

इस दो-दिवसीय आयोजन के दौरान एक स्कूल आधारित मौसम स्टेशन, धूपदार मौसल प्रयोगशाला का शुभारंभ किया गया। प्रतिदिन न्यूनतम तथा अधि कतम तापमान, वर्षा, आर्द्रता, वायुमंडलीय दबाव, वायु की गति तथा वायु की दिशा मापने के लिए वरिष्ठ माध्यमिक सरकारी स्कूल में छ: उपकरण लगाए गए। आशा है कि यह मौसम प्रयोगशाला छात्रों को जलवायु परिवर्तन के प्रति संवेदनशील बनाकर उनमें इस तथ्य के अध्ययन के प्रति आगे उत्सुकता जगाएगी। इस सत्र में सोरेन्ग वरिष्ठ माध्यमिक स्कूल तथा जूनियर हाई स्कूल, अप्पर शायरी के छात्रों तथा अध्यापकों को इस धूपदार मौसम प्रयोगशाला को चलाने के संबंध में अधि कारिक रूप से बताया गया। श्री कुंगा नीमा लेपचा, माननीय मंत्री खेल तथा युवा मामले विभाग, शिक्षा विभाग, भूमि राजस्व तथा आपदा प्रबंधन विभाग तथा विधि विभाग, सिक्किम सरकार- इस अवसर पर मुख्य अतिथि थे। अपने संबोधन में उन्होंने आपदा से निबटने की पूर्व तैयारी पर इस दो-दिवसीय आयोजन आयोजित किए जाने पर अपना आभार प्रकट किया। उन्होंने इस दो-दिवसीय आयोजन में भाग लेने वाले बच्चों के उत्साह तथा जोश की प्रशंसा की। उन्होंने छात्रों से पर्यावरण संरक्षण के लिए आवश्यक परिवर्तन लाने के लिए प्रोत्साहित किया। उन्होंने आपदाओं से निबटने की पूर्व तैयारी हेतु भवनों में सुरक्षा मानकों का पालन करने के महत्व पर ज़ोर दिया। उन्होंने विस्तार यह भी बताया

कि किस प्रकार राज्य सरकार यह सुनिश्चित करने के लिए कार्य कर रही है कि राज्य किसी भी समय आने वाली प्राकृतिक आपदाओं का सामना करने के लिए तैयार रहे। उन्होंने सरकार के जलवायु स्मार्ट तथा आपदा सुदृढ़ राज्य बनाने के संकल्प को भी दोहराया।

अन्य आपदा प्रबंधन योजनाओं का तृतीय पक्ष मूल्यांकन

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान को 34 अन्य आपदा प्रबंधन योजनाओं (ओ.डी.एम.एस.) का तृतीय पक्ष का मूल्याँकन करने का काम सौंपा गया है। ओ.डी.एम.एस. में आपदा जोखिम प्रबंधन हेतु एन.डी.एम.ए. की 49 योजनाएँ; एन.आई.डी.एम., एन.डी.आर.एफ. की 03 उप-योजनाएँ तथा आपदा प्रबंधन प्रभाग अर्थात् राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन कार्यक्रम और यू.एन.डी.पी. की 2 उप-योजनाऐं हैं जिनमें से 34 योजनाओं को मार्च 2020 से आगे बढ़ाना प्रस्तावित है। इस अध्ययन का उद्देश्य इन योजनाओं की प्रभावकारिता को बढ़ाना तथा प्रभावी तरीके से इसके प्रस्तावित अध्यादेश को प्राप्त करने हेतु रोडमैप उपलब्ध कराना है। यह अध्ययन इन योजनाओं हेतु आवश्यकताओं तथा प्राथमिकताओं का आकलन करने के लिए, संचालित की जाने वाली विस्तार गतिविधियों तथा कार्यक्रमों के प्रभाव तथा स्टेकहोल्डरों के मध्य समन्वयन को लिखित रूप में प्रस्तुत करने में सहायक होगा।

कार्य के वांछित क्षेत्र तथा अब तक प्राप्त किए लक्ष्यों के आधार पर किए गए कार्यनिष्पादन के आधार पर इन योजनाओं का मूल्याँकन किया जाएगा। यह अध्ययन इन परियोजनाओं की स्थिति, तथा इसमें कमियों/ चुनौतियों पर इनसाइट उपलब्ध कराएगा कि इन योजनाओं ने अपने लक्ष्य प्राप्त किए हैं अथवा नहीं।

आर्थिक विकास तथा प्रबंध अध्ययन हेतु शासन

इस केंद्र के सदस्यों द्वारा संचालित गतिविधियाँ उनके व्यक्तिगत योगदान के अंतर्गत रिपोर्ट की गई हैं।

सुशासन केंद्र

इस केंद्र की स्थापना जुलाई 2019 को की गई। इस केंद्र का अधिदेश है- कार्यालय, ई-ऑफिस, आई.टी.संबंधित गतिविधियों, भा.लो.प्र.सं. के प्रकाशनो तथा कंप्यूटर केंद्र की गतिविधियों के स्वचालन/ प्रबंधन के लिए कार्य करना। यह केंद्र भा.लो.प्र.सं. में ई-ऑफिस के कार्यान्वयन तथा इससे संबंधित प्रक्रिया प्रबंधन में संलग्न है। ई-ऑफिस कार्यक्रम संस्थान के सभी अनुभागों में कार्यान्वित किया गया है तथा फाइलों, टिप्पणियों अैर संलग्नकों आदि से संबंधित कार्य प्रक्रिया पूर्णतया स्वचालित तथा कागज़ रहित है। यह केंद्र भा.लो.प्र.सं. के प्रकाशनों के मानकों तथा गुणवत्ता विकास के लिए भी कार्य करेगा। 100 एम.बी.पी.एस. की स्पीड के साथ राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क स्थापित किया गया है।

ई-शासन केंद्र

इस केंद्र के सदस्यों द्वारा संचालित गतिविधियाँ उनके व्यक्तिगत योगदान के अंतर्गत रिपोर्ट की गई हैं।

सामाजिक न्याय में डा. बी.आर. अम्बेडरकर चेयर

(i) शोध परियोजना सम्पन्न

क्रम सं	शोध कार्य तथा परियोजना का नाम	प्रभारी व्यक्ति का नाम	दीर्घावधि/अल्पावधि कार्य/ परियोजना
1.	डा. अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतरजातीय विवाह योजना का संभावित लाभभोगियों के जीवन पर प्रभाव	डा. सी. शीला रेड्डी	अल्पावधि (रिपोर्ट सौंप दी)
2.	राष्ट्रीय पिछड़ा वर्ग वित्त तथा विकास निगम की योजनाओं का मूल्याँकन	डा. सी. शीला रेड्डी	अल्पावधि (रिपोर्ट सौंप दी)

(ii) छात्रों (एम.फिल/एल.एल.एम./पी.) के माध्यम से शोध अध्ययन

क्रम सं	शोध अध्ययन का नाम (अध्ययन के बाद शोध निष्कर्ष फाउँडेशन को भेजने हैं)	छात्र/विद्वान का नाम	निरीक्षक का नाम	अभ्युक्ति
1.	भारतीय डाक की ग्रामीण डाक सेवक पद्धति की एक समीक्षा: अवसर तथा चुनौतियाँ	श्री शैलेन्द्र दशोरा	प्रो. सी. शीला रेड्डी	लोक प्रशासन में 10 महीने के उच्चस्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (अप्पा 2019-2020) के एक प्रतिभागी
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली में गैर-सरकारी संगठनों द्वारा चलाए जा रहे ड्रग-नशामुक्ति केंद्रों की कार्यप्रणाली: एक अध्ययन	डा. आनंद कटोच	प्रो. सी. शीला रेड्डी	लोक प्रशासन में 10 महीने के उच्चस्तरीय व्यावसायिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (अप्पा 2019-2020) के एक प्रतिभागी

(iii) शिक्षण/प्रशिक्षण

क्रामिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित, भा.लो.प्र.सं. के शीर्ष कार्यक्रम, लोक प्रशासन ने अग्रणी व्यवसायिक कार्यक्रम (अप्पा) में ''सामाजिक न्याय : समानता तथा सौहार्दता'' पर शाखा को संभाला। अखिल भारतीय, केंद्रीय तथा रक्षा सेवाओं के अधिकारी इस कार्यक्रम में प्रतिभागी हैं। ''सामाजिक न्याय: समानता तथा सौहार्दता'' शाखा का लक्ष्य प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों को ''सामाजिक न्याय'' विषय से संबंधित मुद्दों के प्रति संवेदनशील करना और डा. अम्बेडकर के विचारों तथा दर्शन का प्रचार करना है। शाखा के अंशस्वरूप प्रशिक्षणार्थी अधिकारियों ने दिसंबर, 2019 में डा. अम्बेडकर स्मारक का दौरा किया।

(iv) संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ/ समागम आयोजित

क्रम सं	दिनाँक	स्थान	संगोष्ठी/कार्यशाला/ समागम का विषय	अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या	कार्यशाला की कारवाई का विवरण (आयोजन के पश्चात् प्रतियाँ फाउँडेशन में जमा करनी हैं)
1.	16-17 नवंबर, 2020	सत्यवती कॉलेज दिल्ली विश्वविद्यालय के सहयोग से ''मोदी सरकार की सामाजिक न्याय नीतियाँ'' विषय पर दो-दिवसीय अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी		70-80	प्रकाशनाधीन

(v) पुस्तकें/लेख/ जर्नल प्रकाशित

क्रम सं	पुस्तक/लेख/जर्नल का शीर्षक (नियत अवधि पर प्रतियाँ जमा करनी हैं)	लेखकों/योगदाता का नाम	प्रकाशक का नाम (प्रकाशन की लक्ष्य तिथि/महीना)
1.	'सामाजिक समाहन तथा सामाजिक न्याय का अंतर्संबध: डा. अम्बडेकर का परिपेक्ष्य'	प्रो. सी. शीला रेड्डी	सामाजिक न्याय संदेश, खंड 10, जनवरी 2020
2.	'सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'	प्रो. सी. शीला रेड्डी	सदस्यों के 63 वें वार्षिक सम्मेलन का विषय पत्र, भा.लो.प्र.सं., 19 अप्रैल, 2019
3.	लेंसी लोबो तथा धनंजय कुमार द्वारा संपादित पुस्तक 'अम्बेडकर की विरासत: विश्लेषण तथा मूल्याँकन' में संविधान निर्माण में डा. अम्बेडकर का दर्शन	प्रो. सी. शीला रेड्डी द्वारा संपादित	रावत प्रकाशन, जयपुर, 2019, ISBN 978-81-316-1068-8
4.	सुशासन हेतु पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण	प्रो. सी. शीला रेड्डी	बिहार लोक प्रशासन जर्नल, खंड XVI, सं.01, जनवरी-जून 2019, पृष्ठ 5-11, ISSN 0974-273

(vi) पुस्तकें/लेख/ जर्नल प्रकाशित

क्रम सं	दिनाँक	स्थान	संगोष्ठी/कार्यशाला/समागम का विषय	अपेक्षित प्रतिभागियों की संख्या
1.	22 दिसंबर, 2019	भा.लो.प्र.सं.	विनय सहस्रबुद्धे, अध्यक्ष, भारतीय सांस्कृतिक संबंध परिषद्, नई दिल्ली तथा संसद सदस्य, राज्य सभा ने 'स्वतंत्रता, समानता तथा भ्रातृत्व के विचारों का संदर्भीकरण' विषय पर स्मारक व्याख्यान दिया	100

(vii) प्रस्तावित जागरुकता/विस्तार/प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं	दिनाँक	कार्यक्रम का विवरण	कार्यक्रम का स्थान	प्रतिभागियों की संख्या	उपेक्षित उपलब्धि
1.	26 नवंबर, 2019	70 वाँ संविधान दिवस	भा.लो.प्र.सं.	70-80	जागरुकता तथा संवेदीकरण

(viii) संगोष्ठियों/सम्मेलनों/कार्यशालाओं/व्याख्यानों में वक्ता

क्रम सं	वक्ता का नाम	पत्र का शीर्षक (नियत अवधि में प्रतियाँ जमा करनी है)	संगोष्ठी/सम्मेलन का नाम
1.	डा. सी. शीला रेड्डी	05 सितंबर, 2019 को 'शासन में आचार' विषय पर व्याख्यान दिया	केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के सचिवों, अतिरिक्त सचिवों तथा संयुक्त सचिवों हेतु रूपांतरण नेतृत्व पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (2-7 सितंबर, 2019)
2.	डा. सी. शीला रेड्डी	25 नवंबर, 2019 को 70 वें संविधान दिवस के अवसर पर गोलमेज़ में वक्ता के रूप में आमंत्रित	डा. अम्बेडकर अंतरराष्ट्रीय केंद्र (डी.ए.आई.सी.) जनपथ, नई दिल्ली

3.	डा. सी. शीला रेड्डी	13 फरवरी 2020 को ''प्रशासन, शासन तथा सामाजिक न्याय' विषय पर व्याख्यान दिया	विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा 10-21 फरवरी, 2020 को, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग के तकनीकी कार्मिकों हेतु 14 वाँ सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम
4.	डा. सी. शीला रेड्डी	24 अप्रैल 2019 को ''भारत में सामाजिक न्याय: उपेक्षित समुदायों को सशक्त करने का प्रयत्न'' विषय पर व्याख्यान दिया	विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित, राष्ट्रीय ट्यूनीशिया प्रशासकों हेतु ई-शासन पर दो सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम
5.	डा. सी. शीला रेड्डी	23 अप्रैल, 2019 को ''सामाजिक न्याय: भारत में अम्बेडकर का परिपेक्ष्य)) विषय पर व्याख्यान दिया	विदेश मंत्रालय के भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम द्वारा प्रायोजित, बाँग्लादेश सरकार के अधिकारियों हेतु ''भारत में सामर्थ्य निर्माण कौशल विकास'' पर प्रशिक्षण
6.	डा. सी. शीला रेड्डी	06 दिसंबर, 2019 को 'महापरिनिर्वाण दिवस' के अवसर पर मुख्य वक्ता के रूप में आमंत्रित	यू.जी.सी. मानव संसाधन विकास केंद्र (एच.आर. डी.सी.), बी.पी.एस महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत ख़ानपुर कलाँ, हरियाणा
7.	डा. सी. शीला रेड्डी	7 नवंबर, 2019 को 'डा. बी.आर. अम्बेडकर की सामाजिक-आर्थिक परिवर्तन की संकल्पना' विषय पर आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा प्रायोजित अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में पेनलिस्ट के रूप में आमंत्रित	डा. बी.आर. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित (7-8 नवंबर, 2019;

(ix) पुस्तकों/जर्नलों/स्रोत सामग्री की खरीद हेतु प्रस्ताव दिया

क्रम सं	पुस्तक/जर्नल/स्रोत सामग्री का विषय	लेखक/संपादक का नाम	प्रकाशक का नाम, प्रकाशन का वर्ष तथा महीना	पुस्तक/जर्नल स्रोत सामग्री की कीमत, यदि कुछ है
1.	भा.लो.प्र.सं., चयन के विषय से संबंधित दलित साहित्य/ पुस्तकें हिंदी/अंगेजी दोनों में खरीद सकता है। यह पद्धति आगामी वर्ष में भी अपनाई जाएगी			

जनजातीय शोध तथा अन्वेषण केंद्र

(जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार के अंतर्गत एक उत्कृष्टता केंद्र)

केंद्र की गतिविधियाँ (2019-2020)

1. जनजातीय प्रतिभा पूल के संबंध में

जनजातीय प्रतिभा पूल जनजातीय मामले मंत्रालय की एक योजना है जिसका उद्देश्य जनजातियों के लिए शिक्षण, समर्थन, योगदान तथा पहचान का वातावरण उपलब्ध करवाकर जनजातीय विद्वानों का विकास करना है। जनजातीय मामले मंत्रालय ने, अपना एक उत्कृष्टता केंद्र होने के नाते भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली को ऐसे विद्वानों की प्रशिक्षण आवश्यकताओं तथा सामर्थ्य निर्माण का आकलन कर उसे सुदृढ़ करने और डॉक्टरल फेलो के जनजातीय प्रतिभा पूल में से 500 सर्वाधिक प्रतिभाशाली विद्वानों को चुनने का काम

सौंपा है। इस उद्देश्य से भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, शोध की गुणवत्ता में सुधार के लिए विविध कार्यक्रम संचालित करेगा जिससे डॉक्टरल विद्वान जनजातीय मामले में मंत्रालय द्वारा केंद्र तथा राज्य स्तर पर की जाने वाली विविध शोध तथा मूल्याँकन गतिविधियों में भाग ले सकें। यह कार्यक्रम इन विद्वानों के उद्यमता कौशल तथा योग्यता को भी पहचानेगा। चुने हुए छात्रों का आगामी जनजातीय छात्रों जिनकी शोध गतिविधियों में रूचि है के लिए मेंटर (गुरु) के रूप में कार्य करने का भी विकल्प दिया जाएगा।

गतिविधि

i. 3 से 5 दिसंबर, 2019 को जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जनजातीय प्रतिभा पूल हेतु आकलन तथा सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण।

ii. 28 दिसंबर, 2019 से 1 जनवरी 2020 को काज़ीरंगा विश्वविद्यालय के सहयोग से सिक्किम में ''जनजातियों की विरासत तथा संपोषणीयता'' विषय पर कार्यशाला।

iii. 28 और 29 फरवरी, 2020 को कलिंग समाज विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर में, जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित जनजातीय विद्वत्वर्ग तथा उनका समाहन।

2. ''जनजातीय शोध संस्थानों की सामर्थ्य निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण कें संबंध में

जनजातीय शोध संस्थान जनजातियों को मुख्यधारा में लाने का प्रमुख आधार हैं। ये संस्थान क्षेत्र में जनजातीय समूहों की किसी भी आवश्यकता में सर्वप्रथम प्रतिक्रिया करते हैं। जनजातीय प्रशिक्षण संस्थानों को, जनजातीय विकास, जनजातियों की सांस्कृतिक विरासत के संरक्षण राज्यों को साक्ष्याधारित आयोजन तथा उपयुक्त कानूनों संबंधी इनपुट उपलब्ध कराने वाले, जनजातियों तथा जनजातीय मामलों से जुड़े हुए व्यक्तियों/संस्थानों के सामर्थ्य-निर्माण, सूचना के प्रसार तथा जागरुकता आदि के सृजन हेतु विचार मंच तथा ज्ञान और शोध निकाय के रूप में देखा जाता है। ये संस्थान राज्य सरकारों को आयोजन संबंधी इनपुट उपलब्ध कराने, शोध तथा मूल्याँकन अध्ययन संचालित करने, डाटा संग्रहण करने, जनजातियों के सामाजिक-आर्थिक विकास के क्षेत्र में आने वाली चुनौतियों को पहचानने और उनकी संस्कृति को समझने, प्रोन्नत करने तथा उसके संरक्षण के कार्य में लगे हुए हैं।

स्टेकहोल्डरों का प्रशिक्षण और सामर्थ्य निर्माण तथा ज्ञान समर्थन, इस योजना के अंतर्गत सहायता उपलब्ध कराने के प्रमुख क्षेत्र हैं जो सक्ष्याधारित नीति तथा योजना के निर्माण में सहायक होंगे। प्रशिक्षण इन कार्यक्रमों का मुख्य अंग है। जनजातीय मामले मंत्रालय ''जनजातीय शोध संस्थानों (टी.आर.आई.) को समर्थन'' योजना के अंतर्गत शोध संचालन के लिए टी.आर.आईज़ वित्त पोषण करता है। विचार-विमर्श के दौरान यह देखा गया है कि टी.आर.आईज़ की शोध परियोजनाओं, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शोध परियोजनाओं के क्षेत्रों और शोध की पद्धति और मॉनीटरन की एप्रोच एक जैसी नहीं है। इसका एक उदाहरण है वन अधिकार अधिनियम, जिसमें विविध टी.आर.आईज़ ने डाटा संग्रहण तथा प्रशिक्षण तंत्र विकसित करने के लिए भिन्न-भिन्न पद्धतियाँ विकसित की है। यह भी समझा गया है कि कुछ टी.आर.आईज़ जो अच्छा काम कर रहे हैं वे नए टी.आर.आईज़ को मेंटर (गाइड) कर सकते हैं। कुछ टी.आर.आईज़ ने कार्य के क्षेत्र, कर्मचारी बल, वित्त उपलब्धता तथा प्रशासनिक ढाँचे के संबंध में विविध समस्याएँ सामने रखी हैं। टी.आर.आईज़ के लिए एक मानक प्रशिक्षण प्रक्रिया एवं मॉड्यूल विकसित करने की आवश्यकता है। कार्यपद्धति को पुनः तैयार करने की आवश्यकता है।

गतिविधि

i. 28-29 जनवरी, 2020 को, जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र ने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान में ''जनजातीय शोध संस्थानों की सामर्थ्य निर्माण और सुदृढ़ीकरण'' पर एक राष्ट्रीय परामर्श का आयोजन किया जिसमें पूरे देश से टी.आर.आईज़ प्रमुखों ने भाग लिया।

3. शोध परियोजनाएँ

उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय मामले में निम्नलिखित शोध परियोजनाएँ हाथ में ली हैं:

1. लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन कीमत का मूल्याँकन
2. विशेषत: संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास
3. पूर्व-मैट्रिक तथा उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्तियाँ
4. जनजातीय उत्पादों के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत समर्थन
5. राष्ट्रीय/ राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को समर्थन
6. नया : जनजाति केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार पर अध्ययन

4. जनजाति केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार

इस अध्ययन का उद्देश्य नवीनताओं तथा उद्यमता एवं सरकार द्वारा जनजातियों के सशक्तीकरण के लिए की गई कार्यवाही का विश्लेषण करना है, जिससे व्यापार करने में आसानी तथा स्टार्टअपस् को समर्थन मिलेगा। यह अध्ययन जनजातीय केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहारों के कार्यान्वयन में सहायक होगा। इस अध्ययन का उद्देश्य है कौशल विकास तथा कार्यबल के लिए उत्तम तथा बाज़ार संगत सूचना तक पहुँच बढ़ाने और कैसे इन गतिविधियों को विस्तार किया जाए और कैसे इनके कार्यक्षेत्र को बढ़ाया जाए का विश्लेषण करने के लिए संस्थागत तंत्र बढ़ाना।

इस उद्देश्य से भविष्य में ''जनजातीय केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार'' विषय पर राष्ट्रीय परामर्श आयोजित किया जाएगा।

5. प्रकाशन रिपोर्टें, पुस्तकें, मोनोग्राफ, न्यूज़लैटर तथा उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय मामले का जर्नल आदि, निम्नानुसार विविध प्रकाशन निकाले:

i. लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन कीमत का मूल्याँकन
ii. विशेषत: संवेदनशील जनजातीय समूहों का विकास
iii. पूर्व-मैट्रिक तथा उत्तर-मेट्रिक छात्रवृत्तियाँ
iv. जनजातीय उत्पादों के विकास तथा विपणन हेतु संस्थान समर्थन
v. राष्ट्रीय/ राज्य अनुसूचित जनजाति वित्त तथा विकास निगम को समर्थन
vi. नया: जनजाति केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार का अध्ययन
vii. अस्त्र-शस्त्र संस्कृति: माओवादी उग्रवाद तथा जनजातीय स्वनियम, डा. नुपूर तिवारी द्वारा
ix. जनजातीय आजीविका तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति की सुरक्षा, श्री नरेशचंद्र सक्सेना द्वारा
x. अत्याधुनिक जनजातीय अध्ययन: एक सटीक ग्रंथ सूची
xi. पेसा तथा वामपंथी उग्रवाद: झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के उग्रवाद प्रभावित क्षेत्रों का एक अध्ययन
xii. जनजातीय विकास तथा समाहन नीति
xiii. जनजातीय स्व-शासन: पेसा तथा इसका कार्यान्वयन
xiv. कार्रवाई की प्रतिलिपि: जनजातीय विकास के भिन्न-भिन्न अभिकरणों के मध्य वार्तालाप हेतु मंच का निर्माण
xv. जनजातीय बौद्धिकवर्ग तथा समाहन: आकलन की आवश्यकता पर कार्यशाला की रिपोर्ट
xvi. जनजातीय प्रतिभा पूल का आकलन तथा सुदृढ़ीकरण पर ''सी.ए.पी.आई. का प्रयोग करते हुए शोध की गुणात्मक तथा मात्रात्मक एप्रोच और डाटा संग्रहण पद्धति'' तीन दिवसीय कार्यशाला की रिपोर्ट
xvii. ''भारत में जनजातीय असंतोष, अशांति तथा उग्रवाद के कारणों का मुकाबला करने के लिए विकास के मुद्दे'' विषय पर रिपोर्ट
xviii. जनजातीय विकास, पेनल चर्चा तथा विचार मंथन के लिए विविध एजेंसियों के मध्य वार्तालाप हेतु मंच का निर्माण पर रिपोर्ट
xix. ''रेड कॉरिडोर में नृशंसता तथा वामपंथी उग्रवाद'' पर पेनल चर्चा की रिपोर्ट।

xx. जनजातीय परंपराओं तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों की रक्षा पर रिपोर्ट

xxi. जनजातीय विकास के भिन्न-भिन्न अभिकरणों के मध्य वार्तालाप हेतु मंच निर्माण पर रिपोर्ट

xxii. ''जनजातीय केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार'' पर पेनल चर्चा की रिपोर्ट

xxiii. ''जनजातीय शोध संस्थानों की सामर्थ्य निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय परामर्श की रिपोर्ट

xxiv. जनजातीय शोध संस्थानों हेतु ''सामर्थ्य निर्माण रूपरेखा: बेहतर निष्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रक्रिया'' विषय पर पद्धतिबद्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल।

6. जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र न्यूज़लेटर

i. जनजातीय मामले न्यूज़लेटर, फरवरी 2019

ii. जनजातीय मामले न्यूज़लेटर, मार्च 2019

iii. राज्य जनजातीय मामले न्यूज़लेटर, जनवरी, 2019

iv. राज्य जनजातीय मामले न्यूज़लेटर, अपैल, 2019

v. जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र न्यूज़लेटर गतिविधियाँ

7. उत्कृष्टता केंद्र : ई-जर्नल

भारतीय जनजातीय मामले तथा सामाजिक विकास जर्नल (उत्कृष्टता केंद्र, भा.लो.प्र.सं. एक ई-जर्नल निकालने जा रहा है।)

इसमें निम्नलिखित पत्र हैं:

इसके प्रथम खंड में निम्नलिखित पत्र प्रकाशित किए जाएँगे-

1. ''रेड कॉरिडोर बेल्ट में पुनर्वास तथा पुनर्स्थापना नीति: झारखंड में राँची जिला का एक प्रकरण अध्ययन

2. ''रेड कॉरिडोर: वामपंथी उग्रवाद तथा जनजातीय जनसंख्या'' पर सरकारी नीतियों पर पुनर्विचार

3. जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण : वर्तमान सरकार के विविध अंतराक्षेपों पर एक अंतर्दृष्टि (2014-2019)

4. नक्सलवाद: रेड कॉरिडोर में जनजातीय विकास में एक अवरोध

5. जनजातीय महिलाएँ : जेन्डर बिहान्ड द वॉल्स् ऑफ रेड कॉरिडोर

6. आदिवासी एजेंसी तथा विरोध का विचार

7. पांचवीं अनुसूची का निर्माण : पूर्व के पाठ भविष्य के दिशा निर्देश के रूप में

8. रेड कॉरिडोर : विरोध से आतंक तक : पुनर्स्थापन तथा पुनर्वास की चुनौतियाँ

9. महाश्वेता देवी की दो लघु कथाओं 'लिटिल वन्स' तथा ''साल्ट'' के विशेष संदर्भ में पर्यावरणीय न्याय तथा चुप रहने वालों की दुर्दशा

10. वन अधिकार अधिनियम (2006), आंतरिक प्रचलित कानून तथा सामुदायिक अंतर्द्वन्द्व: पश्चिम बंगाल की लोधा जनजाति का एक प्रकरण अध्ययन

8. संगोष्ठियाँ/ सम्मेलन

जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र ने विविध संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ, पेनल चर्चाएँ तथा जनजातीय महिला दिवस आयोजित किया।

संगोष्ठियाँ :

1. रेड कॉरिडोर में हिंसा का जनजातीय विकास तथा परंपराओं पर प्रभाव पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 11-12 मार्च, 2019

2. जनजाति केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार पर राष्ट्रीय संगोष्ठी, 20 मार्च, 2020 को भा.लो.प्र.सं. में

9. 8 मार्च, 2019 को जनजातीय महिला दिवस

भारत में जनजातीय महिला बौद्धिक वर्ग का विकास

10. मुक्त सदन चर्चा

''एफ.आर.ए. तथा पेसा के माध्यम से जनजातीय

अधिकार सुरक्षित करना: मुद्दे, चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग'' विषय पर मानव अधिकार आयोग ने मुक्त सदन चर्चा आयोजित की। भा.लो.प्र.सं. की संकाय सदस्य डा. नूपुर तिवारी को विशेषज्ञ के रूप में आमंत्रित किया गया। श्री डी.एम.मुले, सदस्य, एन.एच.आर.सी.; श्री जयदीप गोविंद, अध्यक्ष, एन.एच.आर.सी.; श्री दीपक खांडेकर, सचिव, जनजातीय मामले मंत्रालय, श्री डब्ल्यू. आर. रेड्डी, डी.जी., एन.आई.आर.डी., श्रीमती मनीषा वर्मा, प्रधान सचिव, श्री पतजोशी, संयुक्त सचिव, पंचायती राज मंत्रालय, नॉयफि थॉमस, डी.जी., वन विभाग इस पेनल चर्चा में अन्य सदस्य थे।

11. कार्यशाला

1. 10 दिसंबर, 2019 को अनुसूचित जनजातियों के कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों को ए.आई.डी. योजना के अंतर्गत, गैर सरकारी संगठनों के साथ परामर्श सह कार्यशाला।

भा.लो.प्र.सं. के जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र द्वारा आयोजित तथा जनजातीय मामले मंत्रालय द्वारा वित्त पोषित एवं अनुसूचित जनजातियों को कल्याण के लिए कार्य करने वाले स्वैच्छिक संगठनों की ए.आई.डी. योजना के अंतर्गत, गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श सह कार्यशाला में आँध्रप्रदेश, हिमाचल प्रदेश, कर्नाटक, केरल, दिल्ली, राजस्थान, तमिलनाडु, तेलंगाना, उत्तर प्रदेश, महाराष्ट्र, गुजरात, छत्तीसगढ़, त्रिपुरा, अरूणाचल प्रदेश, असम, मणिपुर मेघालय, मिज़ोरम, नागालैंड, सिक्किम, जम्मू-कश्मीर, उत्तराखंड, पश्चिम बंगाल, उड़ीसा, झारखंड तथा मध्यप्रदेश से 150 गैर-सरकारी संगठनों ने ग्रामीण महिलाओं, जनजातीय शिक्षा, जनजातीय युवाओं तथा जलवायु परिवर्तन, पी. वी.टी.जीज़, जनजातीय स्वास्थ्य, निर्धनता तथा बच्चों से संबंधित प्रशंसनीय कार्य किया है। इन गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किया गया कार्य बहुत प्रशंसनीय था।

2. 25 और 26 फरवरी 2020 को ''पी.एफ.एम.एस. , खाद्य मॉड्यूल'' पर भा.लो.प्र.सं. में गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श सह कार्यशाला आयोजित की गई।

12. पेनल चर्चा

1. ''भारत में जनजातियों में असंतोष, अशांति तथा उग्रवाद के कारणों का मुकाबला करने के लिए विकास संबंधी मुद्दे'' विषय पर पेनल चर्चा, 24 दिसंबर, 2019
2. ''जनजातीय विकास हेतु विविध एजेंसियों के मध्य वार्तालाप के लिए मंच का निर्माण'' विषय पर पेनल चर्चा और विचार-विमर्श, 28 फरवरी, 2019
3. ''रेड कॉरिडोर में अत्याचार तथा वामपंथी उग्रवाद'' पर पेनल चर्चा, 12 मार्च, 2019
4. ''जनजातीय केंद्रित संपोषणीय आजीविका जनन तथा नवीनता प्रेरक व्यवहार'' विषय पर पेनल चर्चा, 20 मार्च, 2020, भा.लो.प्र.सं. में।

13. उत्कृष्टता केंद्र वेबिनार

29 मई, 2020 को ''कोविड-19, लचीलापन, स्टिग्मा तथा लिंग समानता'' विषय पर वेबिनार। 150 से अधिक प्रतिभागियों ने इस वेबिनार में भाग लिया। जनजातीय मामले मंत्रालय के अधिकारियों, जनजातीय प्रशिक्षण संस्थानों के प्रधानों तथा उस्मानिया विश्वविद्यालय, कलिंग विश्वविद्यालय के जनजातीय विद्वानों तथा शोधकर्ताओं और भा.लो.प्र.सं., जे.एन.यू., डी.यू., जामिया मिलिया इस्लामिया, जामिया हमदर्द, इग्नू, अम्बेडकर विश्वविद्यालय से जनजातीय विद्वानों तथा शोधकर्ताओं, पूरे देश से विविध प्रतिभागियों ने इसमें भाग लिया।

14. ट्राईफेड

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र ने ट्राइफेड के साथ पाँच वर्ष के लिए समझौता ज्ञापन हस्ताक्षर किए।

ट्राइफेड तथा भारतीय लोक प्रशासन, संस्थान ने कार्यक्रमों को समृद्ध करने और परिणामों में सुधार करने के लिए जनजातीय उद्यम, कार्यशालाओं, मॉनीटरन तथा मूल्याँकन को प्रोन्नत करने के लिए पाँच वर्ष की भागीदारी के लिए एक समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए हैं।

15. ज्ञान साझा करने हेतु सहायता संघ

(भा.लो.प्र.सं. ने जनजातीय मामलों के विशेषज्ञ, शैक्षणिक तथा नीति अभिमुखी केंद्रों के लिए ज्ञान साझा करने वाले एक सहायता संघ का विकास किया है)

भारत में अनेक विशेषज्ञ केंद्र हैं जो जनजातीय शोध पर कार्य कर रहे हैं। इनमें से विश्वविद्यालयों में विद्यमान अधिकांश केंद्रों का उद्देश्य शैक्षणिक ज्ञान वर्धन है किंतु उनमें से कुछ नीति तथा व्यवहार के क्षेत्र में भी कार्य करते हैं। ज्ञान साझा करने वाला यह सहायक संघ व्यवहर्ताओं को शिक्षाविदों तथा शिक्षाविद्ों को व्यवहर्ताओं के साथ ज्ञान साझा करने हेतु मंच प्रदान करेगा। और यह आदान-प्रदान आगे नीति निर्माण में सहायक होगा।

16. भा.लो.प्र.सं. के विद्वानों द्वारा की गई अन्य सहायक गतिविधियाँ

1. पूर्वोत्तर क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/संस्थानों तथा विद्वानों के डाटा का वर्गीकरण

(i) विश्वविद्यालय के अनुसार

(ii) व्यक्तिगत विश्वविद्यालयों का वर्षवार वर्गीकरण

(iii) शाखा तथा पाठ्यक्रम के अनुसार वर्गीकरण

2. उड़ीसा क्षेत्र के विश्वविद्यालयों/ संस्थानों तथा स्कूलों के डाटा का वर्गीकरण
3. उड़ीसा तथा पड़ोसी राज्यों के विश्वविद्यालयों के विद्वानों के विवरण का वर्षवार पृथक्करण
4. व्यक्तिगत विद्वान के शोध तथा नामांकन विवरण की विश्वविद्यालय के अनुसार जाँच
5. जनजातीय शोध संस्थान प्रभाग द्वारा अग्रेषित सूची का प्रयोग करते हुए जनजातीय शोध संस्थानों में समन्वयन
6. जनजातीय मामले मंत्रालय की फेलोशिप योजना से संबद्ध 108 विश्वविद्यालयों/ संस्थानों के प्रमुखों के साथ समन्वयन
7. पूरे देश के शोध विद्वानों (जिन्होंने शिकायत पोर्टल पर अपने शोध विषय का विवरण नहीं भरा है) के बीच समन्वयन
   1. 2016-2017 बैच के छात्र
   2. 2015-2016 बैच के छात्र
   3. 2014-2015 बैच के छात्र
   4. 2013-2014 बैच के छात्र
   5. 2012-2013 बैच (मध्य में होने वाली कार्यशालाओं के कारण जो अभी जारी है पूरा नहीं हुआ है) के छात्र
8. जनजातीय प्रतिभा पूल कार्यशाला के लिए उड़ीसा क्षेत्र के विद्वानों में समन्वयन। (कलिंग समाज विज्ञान संस्थान)
9. जनजातीय प्रतिभा पूल कार्यशाला के लिए केंद्रीय क्षेत्र के विद्वानों में समन्वयन। (उस्मानिया विश्वविद्यालय)
10. शिकायत पोर्टल पर शिकायतें चेक करना।
11. जनजातीय प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए आमंत्रित करने से संबंधित सूचना के लिए शिकायत पोर्टल के माध्यम से मेल/ एस.एम.एस. भेजना।
12. उत्कृष्टता केंद्र, जनजातीय मामले संस्थान द्वारा ''जनजातीय शोध संस्थानों की सामर्थ्य-निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण'' पर राष्ट्रीय समागम में जनजातीय शोध संस्थानों को आमंत्रित करने हेतु अनुवर्ती कार्यवाही।
13. जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा की गई राज्य गतिविधियों की सूची तैयार की।
14. सभी जनजातीय शोध संस्थानों की शोध तथा मूल्याँकन गतिविधियों की राज्यवार तथा वर्षवार सूची तैयार की।
15. जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा की गईं अन्य सस्वीकृत गतिविधियों की सूची तैयार की।
16. उत्कृष्टता केंद्रों तथा अन्य गैर-सरकारी संगठनों द्वारा किए गए शोध प्रस्तावों का सार तैयार किया।
17. शोध परियोजनाओं की स्थिति पर सूचना एकत्रित की।
18. सभी जनजातीय शोध संस्थानों की गतिविधियों को राज्य के अनुसार तथा वर्ष के अनुसार (2016-17),

(2018-19), (2019-2020) टी.आर. आई. ई-पोर्टल पर दर्ज किया।

19. मंत्रालय अधिकारी द्वारा दी गई परियोजना सूचना को टी.आर.आई. पोर्टल पर दर्ज किया।
20. जनजातीय मामले मंत्रालय तथा जनजातीय शोध संस्थानों द्वारा सस्वीकृत परियोजनाओं तथा गतिविधियों को राज्य तथा वर्ष के अनुसार टी.आर. आई. पोर्टल पर दर्ज किया।
21. सस्वीकृत परियोजनाओं की स्थिति की जानकारी लेने के लिए सभी टी.आर.आईज़ को पत्र लिखा।
22. सभी टी.आर.आईज़, उत्कृष्टता केंद्रों तथा शोध संगठनों की स्थिति को टी.आर.पोर्टल पर चेक किया।
23. पोर्टल पर पंजीकरण विवरण अथवा प्रविष्टि के संबंध में एन.आई.सी. अधिकारी से समन्वयन किया।

प्रशासनिक तथा कार्मिक मामले

क. नियुक्तियाँ/ कार्यग्रहण

- डा. सुरभि पांडेय को 5.6.2019 से नियमित आधार पर आई.टी. तथा ई-शासन की सहायक प्रोफेसर नियुक्त किया गया।
- डा. सुजित कुमार प्रुसेथ, शहरी प्रबंधन के सहायक प्रोफेसर जो लियन पर माननीय कौशल विकास तथा उद्यमता मंत्री के अतिरिक्त निजी सचिव के पद पर थे, उन्होंने 14.6.2019 से वापिस कार्यग्रहण कर लिया।
- सुश्री मेघना चुकथ को 14.6.2019 से अनुबंध आधार पर सहायक प्रकाशन अधिकारी के रूप में नियुक्त किया गया।
- श्री सुरेंद्र नाथ त्रिपाठी, निदेशक, भा.लो.प्र.सं. ने 08. 04.2019 का भा.लो.प्र.सं. में कार्यभार ग्रहण किया और 31.07.2019 को सचिव, संसदीय मामले, भारत सरकार का कार्यभार सौंप कर 01.08. 2019 से पूर्णकालिक रूप से भा.लो.प्र.सं. में कार्य जारी किया।

ख. सेवा अवधि का विस्तार

- डा. अमित कुमार, शहरी विकास के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की अवधि, एक वर्ष के लिए अर्थात् 12.04.2020 तक बढ़ा दी गई है।
- प्रो. गीतांजलि नटराज, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र की प्रोफेसर की नियुक्ति की अवधि, एक वर्ष के लिए अर्थात् 16.04.2020 तक बढ़ा दी गई है।
- डा. अनुपम सरकार, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर की नियुक्ति की अवधि, एक वर्ष के लिए अर्थात् 30.04.2020 तक बढ़ा दी गई है।
- प्रो. अशोक कुमार विशनदास, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर की नियुक्ति की अवधि, एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.12.2020 तक बढ़ा दी गई है।
- श्री ओ.पी. चावला, उपकुलसचिव (वित्त एवं प्रशा.) की नियुक्ति की अवधि, एक वर्ष के लिए अर्थात् 31.01.2021 तक बढ़ा दी गई है।

ग. निम्नलिखित संकाय तथा कर्मचारी अधिवर्षिता पर संस्थान की सेवा से निवृत्त हुए:

- श्री ज़हीरुल्लाह, पुस्तकालय क्लर्क, अधिवार्षिता पर 31.05.2019 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।
- श्री वेद प्रकाश, जूनियर प्लंबर, अधिवर्षिता पर 30. 06.2019 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।
- श्री त्रिलोचन प्रसाद सुयाल, सहायक, अधिवार्षिता पर 31.12.2019 को संस्थान की सेवाओं से सेवानिवृत्त हुए।

घ. संकाय/ कर्मचारी संस्थान की सेवा से कार्यमुक्त हुए:

- डा. अनुपम सरकार, अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के सहायक प्रोफेसर को 11.09.2019 से संस्थान की सेवाओं से कार्यमुक्त किया गया।

हिंदी की प्रगतिशील प्रयोग

संस्थान की राजभाषा कार्यान्वयन समिति ने निदेशक महोदय की अध्यक्षता तथा प्रोफेसर के.के. पांडेय के

समन्वयन में संस्थान की कार्यप्रणाली में हिंदी के प्रयोग की प्रगति जारी रखने की दिशा में उठाए गए कुछ कदम इस प्रकार थे:

संस्थान ने 16 सितंबर, 2019 को हिंदी में सार्वजनिक व्याख्यान का आयोजन किया। प्रो. हेरम्ब चतुर्वेदी, पूर्व विभागाध्यक्ष, इतिहास विभाग, इलाहाबाद विश्वविद्यालय, ने ''हिंदी विकास तथा क्रम : प्रारम्भिक चुनौतियाँ, वर्तमान समस्याएँ और भविष्य'' विषय पर हिंदी में व्याख्यान दिया। संस्थान के माननीय अध्यक्ष टी. एन.चतुर्वेदी ने कार्यक्रम की अध्यक्षता की तथा संस्थान के माननीय निदेशक श्री एस.एन. त्रिपाठी ने स्वागत भाषण दिया तथा प्रो. के.के. पांडेय ने कार्यक्रम का समन्वयन किया और परिचय दिया। श्री अमिताभ रंजन, कुलसचिव, ने आभार ज्ञापन किया। आयोजन की समस्त कार्रवाई हिंदी में संचालित की गई।

संस्थान प्रतिवर्ष वार्षिक निबंध पुरस्कार प्रतियोगिता का संचालन करता है। इस प्रतियोगिता के लिए हिंदी में भी प्रविष्टियाँ आमंत्रित की गईं। हिंदी निबंधों के लिए पृथक पुरस्कार थे।

संस्थान ने हिंदी में मौलिक लेखन को प्रोत्साहित करने के लिए हिंदी लेख प्रतियोगिता-2019 का आयोजन किया। संस्थान ने अपने संकाय सदस्यों से अपनी रूचि के विषय पर हिंदी में लेख आमंत्रित किए। डा. नीतू जैन, एसोसिएट प्रोफेसर को *''भ्रष्टाचार भगाओ, नया भारत बनाओ''* विषय पर लेख के लिए 5,000/- रुपये का प्रथम पुरस्कार, डा. श्यामली सिंह, सहायक प्रोफसर को *''परिपत्र अर्थव्यवस्था: एक कदम 5 ट्रिलियन इकॉनामी की ओर''* विषय पर लेख के लिए 3,000/- रुपये का द्वितीय पुरस्कार तथा प्रो. सुरेश मिश्रा को *''आज भी प्रासंगिक है गाँधी के विचार''* विषय पर उनके लेख के लिए 2,000/- रुपये तृतीय पुरस्कार पुरस्कृत किया गया।

संस्थान ने वर्ष के दौरान अर्धवार्षिक हिंदी जर्नल ''लोक प्रशासन'' के दो अंक प्रकाशित किए।

संस्थान का वार्षिक प्रतिवेदन हिंदी तथा अँग्रेजी दोनों में निकाला गया।

आभार-ज्ञापन

हम भारत के माननीय उपराष्ट्रपति तथा भा.लो.प्र. सं. के सभापति श्री. एम. वेंकय्या नायडू के प्रति उनके निरंतर समर्थन तथा दिशा-निर्देश देने के लिए अगाध आभार व्यक्त करते हैं।

हम संस्थान के पूर्व अध्यक्ष स्वर्गीय श्री टी.एन. चतुर्वेदी के आभारी हैं, जिन्होंने अपने जीवन की अंतिम सांस तक संस्थान की विविध शैक्षणिक गतिविधियों के संचालन में सतत अपना समर्थन दिया। हम डा. जितेन्द्र सिंह, माननीय केंद्रीय राज्यमंत्री, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेशन मंत्रालय, भारत सरकार तथा मंत्रालय के सभी अधिकारियों, विशेषत: डा. सी. चंद्रमौलि, सचिव, कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, श्री. ए.एन. नारायणन के भी आभारी हैं जिन्होंने संस्थान को सतत अपना समर्थन दिया। इसके साथ ही हम व्यय विभाग, वित्त मंत्रालय, भारत सरकार, आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, उपभोक्ता मामले मंत्रालय, विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी मंत्रालय, विदेश मंत्रालय, सामाजिक तथा सशक्तीकरण मंत्रालय, सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, जनजातीय मामले मंत्रालय तथा माननीय इलाहाबाद उच्च न्यायालय और विधि विभाग, उ.प्र. सरकार और अन्य सभी विभागों और विदेशी सरकारों के भी आभारी हैं जिन्होंने भा.लो. प्र.सं. की गतिविधियों में निरंतर अपनी रूचि दिखाई। हम संस्थान के संकाय वर्ग, अधिकारियों तथा सहायक कर्मचारी वर्ग के भी आभारी हैं।

2019-20 के दौरान भुगतान किए गए यात्रा भत्ते/ महँगाई भत्ते तथा मानदेय विवरण

क. 2019-2020 के दौरान कार्यकारी परिषद् तथा अन्य समिति की बैठकों/ शाखाओं के पदाधिकारियों से संबंधित यात्रा भत्ते/महँगाई भत्ते का विवरण

परिशिष्ट च. 12.1 देखें

ख. 2019-2020 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए वेतन तथा मानदेय का विवरण

परिशिष्ट च. 12.2 देखें

वित्त एवं लेखा

राजस्व लेखा (नकद आधार पर)

प्राप्तियाँ

स्वयं अपने संसाधन जुटाने के अलावा संस्थान को भारत सरकार के कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय तथा अन्यों से अनुदान प्राप्त हुआ। विचाराधीन वर्ष के दौरान इन प्राप्तियों का ब्यौरा इस प्रकार है-

		धनराशि (लाख रुपये)	टिप्पणियाँ
क.	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त अनुदान		
1.	वेतन	850.00	
2.	सामान्य	600.00	
3.	पूँजी	350.00	
ख.	भा.लो.प्र.सं. द्वारा जनित आंतरिक प्राप्तियाँ	2485.76	

	ब्यौरा निम्नानुसार है	(लाख रुपये)
i)	विविध शुल्क आधारित तथा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से शुल्क	2079.10
ii)	प्रयोक्ता प्रभार	132.98
iii)	शोध कार्यों से शुद्ध आय	192.69
iv)	सदस्यता अंशदान (सदस्यता निधि पर ब्याज सहित)	10.24
v)	प्रकाशनों की बिक्री	3.48
vi)	विविध प्राप्तियाँ	65.27
vii)	अग्रिमों की वसूली	4.57
viii)	शोध सावधि निधि से अंतरित	2.00
	कुल	**2485.76**

अत: 2019-20 के दौरान संस्थान की कुल प्राप्तियाँ 4285.76 लाख रुपये थीं।

व्यय

4285.76 लाख रुपये की राजस्व प्राप्तियों के समक्ष, विचाराधीन वर्ष के दौरान 4322.15 लाख रुपये का भुगतान हुआ, जिसका ब्यौरा नीचे दिया गया है-

		(लाख रुपये)
1.	स्थापना (वेतन एवं भत्ते)	1022.60
2.	शुल्काधारित तथा प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों का संचालन	1947.74
3.	पुस्तकालय पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ	5.18

4.	प्रकाशन	5.43
5.	पेंशन	600.00
6.	शाखा गतिविधियों की प्रोन्नति	4.76
7.	हॉस्टल आम प्रभार, जल तथा विद्युत प्रभार, किराया, दरें तथा कर सहित परिसर रखरखाव	292.80
8.	प्रशासनिक तथा विविध व्यय	56.67
9.	परिसंपत्तियों की खरीद	25.16
10.	सी.जी.एच.एस.को भुगतान की गई राशि	10.95
11.	जी.एस.टी./सेवा कर व्यय	0.86
12.	पूँजीगत व्यय	350.00
	कुल	**4322.15**

वर्ष 2018-19 के अंत में संचित अतिरेक 29.04 लाख रुपये था। तथापि संस्थान ने 2019-2020 के अंत में 7.33 लाख रुपये मात्र का संचित घाटा जनित किया।

शहरी अध्ययन केंद्र (सी.यू.एस.)

विचाराधीन वर्ष के दौरान शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार से 320.75 लाख रुपये का अनुदान प्राप्त हुआ। इसके अतिरिक्त 0.11 लाख रुपये सी.यू.एस. के प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त हुए। गत् वर्ष से 143.81 लाख रुपये का घाटा विचाराधीन वर्ष के दौरान आगे लाया गया।

176.94 लाख रुपये (143.81 लाख रुपये के गत् घाटे के समायोजन के पश्चात्) की कुल निधि के समक्ष निम्नानुसार 286.90 लाख रुपये का व्यय हुआ।

		(लाख रुपये)
1.	वेतन तथा भत्ते	234.50
2.	प्रशिक्षण कार्यक्रम/संगोष्ठियाँ आदि	0.00
3.	पुस्तकें तथा पत्र-पत्रिकाएँ	0.01
4.	यात्रा व्यय	4.94
5.	अवसंरचना	0.00
6.	प्रकाशनों का मुद्रण	0.68
7.	अन्य आकस्मिक तथा विविध व्यय	1.35
8.	कम्प्यूटर सुविधा, सुरक्षा, दूरभाष आदि सहित परिसर रखरखाव	8.40
9.	जल तथा विद्युत	5.96
10.	उपरि प्रभार	29.05
11.	मुद्रण एवं लेखन सामग्री	2.01
	कुल	**286.90**

109.96 लाख रुपये का घाटा अगले वर्ष 2020-21 में समायोजित करने के लिए आगे लाया गया है।

प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शोध अध्ययनों आदि हेतु विशिष्ट अनुदान तथा इन पर व्यय

प्रायोजक मंत्रालयों/विभागों से प्रायोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों, शोध अध्ययनों तथा संगोष्ठियों आदि के संचालन हेतु निम्नानुसार 1995.87 लाख रुपये अनुदान/शुल्क प्राप्त हुआ:

		(लाख रुपये)
1.	45वें अप्पा हेतु (विविध प्रायोजक मंत्रालयों/विभागों से)	377.49
2.	विविध मंत्रालयों/विभागों से अप्पा प्रतिभागियों के क्षेत्रीय दौरों/शोध-पत्र आदि हेतु	268.40
3.	मंत्रालयों/विभागों (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग के अतिरिक्त)	92.01
	तथा अन्य संगठनों से विशिष्ट कार्यक्रमों, शोध अध्ययनों, शोध कार्यों, संगोष्ठियों आदि के लिए	592.01
4.	उपभोक्ता मामले मंत्रालय से उपभोक्ता अध्ययन केंद्र हेतु	762.07
	कुल	**1999.97**

गत् वर्ष से 477.19 लाख रुपये का अव्ययित अधिशेष भी आगे लाया गया। अत: 2477.16 लाख रुपये की कुल निधि उपलब्ध थी।

उपरोक्त के समक्ष, नीचे दिए गए विवरण के अनुसार विविध कार्यक्रमों, शोध अध्ययनों आदि पर 1382.27 लाख रुपये का व्यय हुआ:

		(लाख रुपये)
1.	45 वें अप्पा पर	81.70
2.	अप्पा प्रतिभागियों के क्षेत्रीय दौरों तथा शोध-पत्रों आदि पर	97.34
3.	भारत सरकार के विभिन्न मंत्रालयों/विभागों तथा अन्य संगठनों द्वारा प्रायोजित विशिष्ट कार्यक्रमों, शोध अध्ययनों/ शोध कार्यों तथा संगोष्ठियों आदि पर	427.91
4.	उपभोक्ता अध्ययन केंद्र पर	775.38
	कुल	**1382.33**

1094.83 लाख रुपये का अधिशेष आगामी वर्ष में उपयोग के लिए आगे लाया गया है।

विदेशी योगदान (एफ.सी.आर.ए.)

कतिपय प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा शोध अध्ययनों आदि के संचालन के लिए 294.33 लाख रुपये (1.00 लाख रुपये के अर्जित तथा खाते में जमा किए ब्याज सहित) का विदेशी योगदान भी प्राप्त हुआ।

गत् वर्ष से 7.81 लाख रुपये का अव्ययित अधिशेष आगे लाया गया। अत: 257.14 लाख रुपये की कुल निधि उपलब्ध थी। इसके समक्ष वर्ष के दौरान 222.00 लाख रुपये की राशि उपयोग में लाई गई। 35.14 लाख रुपये का अव्यतित अधिशेष आगामी वर्ष हेतु आगे लाया गया है।

इन अनुदानों में से अधिशेष व्यय 2020-21 के दौरान उपयोग/समायोजन हेतु आगे लाया गया है।

मैसर्स जी.एस.ए. तथा सहयोगी ने विचाराधीन वर्ष के दौरान संस्थान के लेखा की परीक्षा की।

संस्थान ने अपनी वित्तीय स्थिति सुदृढ़ करने के लिए संसाधन जुटाने का उद्यम जारी रखा।

शोध अध्ययन/ परियोजनाएँ संपन्न

वर्ष के दौरान संस्थान ने 43 शोध अध्ययन संपन्न किए, जिनका विवरण परिशिष्ट च.1 (क) पर दिया गया है।

इसके अतिरिक्त, 23 शोध परियोजनाएँ प्रगति पर थीं जिनकी सूची परिशिष्ट च.1 (ख) पर है।

परिशिष्ट-च.1 (क)

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान संपन्न शोध परियोजनाएँ

क्रम सं.	परियोजना	परियोजना समन्वयक	अभिकरण
1.	मेरी सरकार- एक ऑनलाइन नागरिक एंगेज़मेट प्रोर्टल का प्रभाव आकलन	डा. चारु मल्होत्रा	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
2.	ऑनलाइन नियोजन, डिग्गिंग तथा मॉनीटरन पद्धति का प्रभाव आकलन	डा. चारु मल्होत्रा	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, सूचना प्रौद्योगिकी विभाग
3.	''इको शहरों में ऊर्जा कौशल'' विषय पर एक अध्ययन। (देहरादून शहर, उत्तराँचल के आवासीय क्षेत्र का एक प्रकरण अध्ययन)	प्रो. के.के.पांडेय डा. सचिन चौधरी डा. सुजित कुमार प्रुसेथ	एचएसएमआई, हुडको
4.	गृह मंत्रालय की पुनर्सरचना	डा. नीतू जैन डा. सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय
5.	शोध परियोजना विकास बैंक	डा. चारु मल्होत्रा	द इनसाइट डेवेलपमेंट कंसल्टिंग ग्रुप प्रा.लि.
6.	राष्ट्रीय ज्ञान नेटवर्क का प्रभाव आकलन	डा. चारु मल्होत्रा	राष्ट्रीय सूचना-विज्ञान केंद्र
7.	भारतीय भाषाओं का तकनीकी विकास कार्यक्रम का प्रभाव आकलन अध्ययन	डा. चारु मल्होत्रा	इलेक्ट्रॉनिक और सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
8.	त्रिपुरा में समेकित रबड़ विकास परियोजनाओं का जनजातीय आजीविका पर प्रभाव: एक समाजशास्त्रीय अध्ययन	डा. गिरीश कुमार डा. गदाधर मोहपात्र	भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद्
9.	विशेषत: संवेदनशील जनजातीय समूहों की विकास योजना का मूल्याँकन	डा. गदाधर मोहपात्र	जनजातीय मामले मंत्रालय
10.	सरकारी तथा निजी आई.टी.आईज़ की मान्यता के संबंध में भारत की गुणवत्ता परिषद् का मूल्याँकन	डा. पवन कुमार तनेजा डा. रोमा देबनाथ	कौशल विकास तथा उद्यमता मंत्रालय
11.	केंद्र के सार्वजनिक क्षेत्र के उद्यमों के पृथक किए गए कर्मचारियों हेतु पुनर्प्रशिक्षण तथा पुनर्नियोजन परामर्श	डा. रोमा देबनाथ	सार्वजनिक उद्यम विभाग
12.	प्रधानमंत्री स्वास्थ्य सुरक्षा योजना का मूल्याँकन	डा. पवन कुमार तनेजा	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
13.	डिजिटल इंडिया परियोजना : राज्य ए.टी. आईज़ के माध्यम से जिला स्तरीय अनुसूचित जाति/ अनुसूचित जनजाति के अधिकारियों हेतु जागरुकता तथा कौशल विकास कार्यक्रम	डा. चारु मल्होत्रा	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय

14.	एम.डी.एम.सी. के विविध विभागों में प्रमुख शक्ति आवश्यकताओं का एक अध्ययन	प्रो. के.के.पांडेय डा. सचिन चौधरी	ए.डी.एम.सी.
15.	राष्ट्रीय पिछड़ावर्ग वित्त तथा विकास निगम की योजनाओं के प्रभाव का मूल्याँकन	डा. सी.शीला रेड्डी	डा. अम्बेडकर फाउँडेशन
16.	जम्मू तथा कश्मीर में शासन की स्थिति : संस्थाओं, प्रक्रियाओं तथा जन-सहभागिता का एक अध्ययन	डा. मनन द्विवेदी	भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद्
17.	अनौपचारिक कार्यबल में लिंग अंतर कम करने में मनेरगा का प्रभाव, उत्तर प्रदेश (शाहजहाँपुर तथा बरेली) में महिला सहभागिता का एक तुलनात्मक अध्ययन	डा. नूपुर तिवारी	ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज विभाग, उ.प्र. सरकार
18.	लघु वन उत्पाद की न्यूनतम समर्थन कीमत की मूल्याँकन स्कीम	डा. नूपुर तिवारी	जनजातीय मामले मंत्रालय
19.	अंतरसरकारी वित्त का ग्रामीण स्थानीय सरकार में अंतरंग तथा संसाधन अंतर का डिज़ाइन, 15 वाँ वित्त आयोग (2018)	डा. वी.एन. आलोक	15 वाँ वित्त आयोग
20.	जनजातीय उत्पादों के विकास तथा विपणन हेतु संस्थागत समर्थन मूल्याँकन योजनाएँ	डा. अमित कुमार सिंह	जनजातीय मामले मंत्रालय
21.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति वित्त विकास निगम को इक्विटी समर्थन का मूल्याँकन	डा. अमित कुमार सिंह	जनजातीय मामले मंत्रालय
22.	विद्युत मंत्रालय, भारत सरकार का स्वत: प्रकटन	डा. सपना चड्डा	विद्युत मंत्रालय
23.	पूर्व-मैट्रिक तथा उत्तर-मैट्रिक छात्रवृत्ति मूल्याँकन योजना	डा. कुसुम लता डा. साकेत बिहारी	जनजातीय मामले मंत्रालय
24.	के.वी.आई.सी.लखनऊ के लिए पी.एम.ई.जी.पी. युनिट्स का भौतिक सत्यापन	डा. कुसुम लता डा. साकेत बिहारी	के.वी.आई.सी.लखनऊ
25.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय विदेशी छात्रवृत्ति का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
26.	अन्य पिछड़े वर्ग/ आर्थिक रूप से पिछड़ वर्ग के विदेश अध्ययन हेतु शिक्षा ऋण पर ब्याज सब्सिडी की डा. अम्बेडकर योजना का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
27.	समेकित वरिष्ठ नागरिकता योजना का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी डा. नीतू जैन	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
28.	अनुसूचित जातियों के लिए उद्यम पूँजीगत निधि का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
29.	अनुसूचित जाति के छात्रों हेतु राष्ट्रीय योजना का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय

30.	अन्य पिछड़े वर्ग के छात्रों हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप योजना	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
31.	ओ.बी.सीज़/ डी.एन.टीज़/ ई.बी. सीज़ आदि के कौशल विकास का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
32.	सामाजिक सुरक्षा सेवा उपलब्ध कराने का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
33.	अनुसूचित जातियों के लिए क्रेडिट वर्धन गारंटी योजना का मूल्याँकन अध्ययन	डा. साकेत बिहारी	सामाजिक न्याय तथा सशक्तीकरण मंत्रालय
34.	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार के लिए राष्ट्रीय स्तर पर मॉनीटरन कार्य	डा. साकेत बिहारी डा. नीतू जैन	ग्रामीण विकास मंत्रालय, भारत सरकार
35.	आर.टी.आई. अधिनियम 2005 के अंतर्गत सूचना के अग्रसक्रिय प्रकटन का तृतीय पक्ष परीक्षण	डा. सपना चड्डा	ऊर्जा दस्ता मंत्रालय
36.	राष्ट्रीय शोध फ्रोफेसरशिप योजना का मूल्याँकन	डा. सुरिभ पांडेय	मानव संसाधन विकास मत्रालय, उच्च्तर शिक्षा विभाग
37.	इलेक्ट्रॉनिक्स निर्माण क्लस्टर योजना का प्रभाव आकलन	डा. सुरिभ पांडेय	इलेक्ट्रॉनिक तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय, भारत सरकार
38.	वैधानिक माप अधिनियम एवं पैक की गई वस्तु नियमों की प्रभावकारिता तथा इनके प्रति उपभोक्ता जागरुकता	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा	उपभोक्ता मामले विभाग
39.	डिजिटल बैंकिंग तथा ग्रामीण भारत पर इसका प्रभाव तथा एक अध्ययन	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया	उपभोक्ता मामले विभाग
40.	भारत के पूर्वोत्तर राज्यों में उपभोक्ता संरक्षण जागरुकता तथा संस्थागत तंत्र	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा	उपभोक्ता मामले विभाग
41.	चरित्र तथा पूर्व-वृत्त सत्यापन की संशोधित नीति का प्रभाव आकलन अध्ययन	डा. नुपूर तिवारी	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
42.	स्वायत्त शासी निकायों का विस्तृत मूल्याँकन	डा. नुपूर तिवारी	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
43.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के आठ स्वायत्तशासी अस्पतालों का तृतीय पत्र ऑडिट	डा. पवन कुमार तनेजा प्रो. के.के. पांडेय डा. सचिन चौधरी	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार

परिशिष्ट-च.1 (ख)

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान संपन्न शोध परियोजनाएँ प्रगति पर

क्रम सं.	परियोजना	परियोजना समन्वयक	अभिकरण
1.	डी.एस.टी. के जलवायु परिवर्तन कार्यक्रम के अंतर्गत- जलवायु स्मार्ट शासन, मानव सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम	प्रो. विनोद शर्मा डा. श्यामली सिंह	डी.एस.टी. (भारत सरकार)
2.	जलवायु परिवर्तन की दशा में जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य निर्माण रणनीतियाँ	प्रो. विनोद शर्मा डा. श्यामली सिंह	पर्यावरण तथा वन मंत्रालय (भारत सरकार), एन.एम.एच.एस.
3.	सुरक्षित हिमालय परियोजना लैंडस्केप तथा सिक्किम के सभी जिलों में मुख्य स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य बढ़ाने के लिए सामर्थ्य निर्माण ढाँचे के दीर्घावधि प्रभावी जीववैविध्य संरक्षण विकास तथा कार्यान्वयन हेतु मुख्य स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य तथा प्रशिक्षण आवश्यकता का आकलन	प्रो. विनोद शर्मा डा. श्यामली सिंह	यू.एन.डी.पी./ पर्यावरण तथा वन एवं जनवायु परिवर्तन मंत्रालय
4.	डा. अम्बेडकर फाउँडेशन की अंतरजातीय विवाह योजना का भावी लाभ भोगियों के जीवन पर प्रभाव	डा. सी.शीला रेड्डी	डा. अम्बेडकर फाउँडेशन
5.	पंचायती राज संस्थानों के संसाधन बढ़ाने के उपायों पर शोध अध्ययन	डा. वी.एन. आलोक	नीति आयोग
6.	चरम जलवायु में लघुधारक चावल कृषकों की स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय संवेदनशीलता : कृषि परिस्थितिकी तथा परंपरागत रूप का सहचर अध्ययन	डा. श्यामली सिंह	स्लो ऑनसेट जलवायु आपदा हेतु सिस्टम एप्रोच सहित आपदा जोखिम न्यूनीकरण संस्थान
7.	पूर्व आई.ई.सी. कार्यक्रम के स्वस्थ नागरिक अभियान का शीघ्र आकलन	डा. पवन तनेजा डा. रोमा देबनाथ	नीति आयोग
8.	उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा डा. ममता पठानिया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
9.	राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन के माध्यम से समेकित उपभोक्ता शिकायत समाधान पद्धति	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा डा. ममता पठानिया	उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार
10.	सी.बी.आई. की चालू योजना का तृतीय पक्ष, मूल्याँकन	डा. सपना चड्डा डा. अमित कुमार सिंह	केंद्रीय अन्वेषण ब्यूरो
11.	विदेश अध्ययन हेतु अनुसूचित जनजाति के छात्रों को छात्रवृत्ति योजना का मूल्याँकन	डा. गदाधर मोहपात्र	जनजातीय मामले मंत्रालय

12.	मानव संसाधन प्रबंधन का तृतीय पक्ष मूलयाँकन	डा. कुसुम लता	संचार मंत्रालय, डाक विभाग
13.	अनुसूचित जनजाति के छात्रों की उच्चतर शिक्षा हेतु राष्ट्रीय फेलोशिप तथा स्कॉलरशिप	डा. गदाधर मोहपात्र	जनजातीय मामले मंत्रालय
14.	भारतीय विदेश नीति : नेहरूवादी अवधि से आज तक	डा. मनन द्विवेदी	भारतीय समाज विज्ञान शोध परिषद्
15.	सबके लिए प्रशिक्षण	डा. गीतांजलि नटराज	कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग
16.	ओडिशा के के.बी.के. जिलों में महिला सशक्तीकरण पर मिशन शक्ति के प्रभाव का मूल्याँकन	डा. गदाधर मोहपात्र	राष्ट्रीय महिला आयोग
17.	राष्ट्रीय एड्स नियंत्रण संगठन का मूल्याँकन	डा. पवन कुमार तनेजा डा. रोमा देबनाथ	स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, भारत सरकार
18.	सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय हेतु तटीय सुरक्षा सेवा, फ़ेज-II का तृतीय पक्ष मूल्याँकन	डा. सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय
19.	सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय हेतु सीमा अवसंरचना प्रबंधन योजना का तृतीय पक्ष मूल्याँकन	डा. सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय
20.	सीमा प्रबंधन, गृह मंत्रालय हेतु सीमा क्षेत्र विकास कार्यक्रम योजना का तृतीय पक्ष मूल्याँकन	डा. सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय
21.	भारतीय साइबर अपराध समन्वयन केंद्र (14सी) योजना का तृतीय पक्ष मूल्याँकन	डा. सुरभि पांडेय	गृह मंत्रालय
22.	प्रधानमंत्री ग्रामीण डिजिटल साक्षरता अभियान का प्रभाव आकलन और मूल्याँकन	डा. चारु मल्होत्रा	इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय
23.	आई.एस.टी.एम. की प्रशिक्षण सुविधाओं में वृद्धि योजना का तृतीय-पक्ष मूल्याँकन	डा. पवन तनेजा	आई.एस.टी.एम. (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग)

परिशिष्ट-च.2

अप्रैल 2019 से मार्च 2020 की अवधि के दौरान संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रम/कार्यशालाएँ

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
1.	''उत्पाद उत्तरदायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षण'' पर एक दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन (उपभोक्ता अध्ययन केंद्र (सी.सी.एस.) भारत सरकार द्वारा प्रायोजित	2 अप्रैल, 2019	72	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
2.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियो हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	8-12 अप्रैल, 2019	36	डा. सुरिभ पांडेय
3.	जिला मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 105वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस.), भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	8-12 अप्रैल, 2019	29	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
4.	ट्यूनीशियाई प्रशासकों हेतु ई-शासन पर दो-सप्ताह का विशिष्ट कार्यक्रम (राष्ट्रीय ट्यूनीशिया स्कूल (ई.एन.ए.)	15-26 अप्रैल, 2019	22	डा. चारु मल्होत्रा प्रो. विनोद के. शर्मा
5.	भारत में सामर्थ्य-निर्माण तथा कौशल विकास पर प्रशिक्षण (समान कल्याण मंत्रालय, बाँग्लादेश सरकार के अंतर्गत)	20-24 अप्रैल, 2019	20	डा. चारु मल्होत्रा प्रो. विनोद के. शर्मा
6.	भा.लो.प्र.सं., तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा जागरुकता'' पर दो दिवसीय संगोष्ठी, चेन्नई (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	22-23 अप्रैल, 2019	136	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
7.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	22-26 अप्रैल, 2019	35	डा. सुरिभ पांडेय
8.	भारतीय राजस्व सेवा के अधिकारियों (आयकर) हेतु प्रशिक्षण (एन.ए.डी.टी. नागपुर द्वारा प्रायोजित)	1-8 मई, 2019	171	डा. चारु मल्होत्रा डा. जी. मोहपात्र

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
9.	चुंगयांग, जी.पी.यू., उत्तरी सिक्किम में जलवायु परिवर्तन के समक्ष जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य-निर्माण रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पर्यावरण तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा एन.एम.एस.एस. द्वारा प्रायोजित)	6 मई, 2019	50	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
10.	सतत विकास हेतु पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भूमिका पर आई.एफ.एस. अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम (पर्यावरण एवं वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	6-10 मई, 2019	18	डा. साकेत बिहारी डा. अनुपम सरकार
11.	उत्तर प्रदेश सरकार के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	6-10 मई, 2019	37	डा. सुरिभ पांडेय
12.	सोरेंग, पश्चिमी सिक्किम में जलवायु परिवर्तन के समक्ष जटिल आपदाओं के प्रबंधन हेतु सामर्थ्य-निर्माण रणनीतियों पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पर्यावरण तथा वन औरं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय तथा एन.एम.एस.एस. द्वारा प्रायोजित)	9 मई, 2019	12	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
13.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	13-17 मई, 2019	39	डा. सुरिभ पांडेय
14.	नीति आयोग के विभागीय जी.सी.एस. अधिकारियों के लिए संगत क्षेत्रों में दो सप्ताह का सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (नीति आयोग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	13-24 मई, 2019	14	प्रो. गीतांजलि नटराज प्रो. गोविंद भट्टाचारजी
15.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	20-24 मई, 2019	37	डा. सुरिभ पांडेय
16.	कार्यस्थल पर लिंग समानता पर एक-दिवसीय कार्यशाला (डी.पी.ई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	7 जून, 2019	14	डा. नीतू जैन डा. अमित कुमार सिंह

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
17.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	10-14 जून, 2019	41	डा. सुरभि पांडेय
18.	संगठनात्मक प्रबंधन में नवीनताओं पर अंतरराष्ट्रीय सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम (नई दिल्ली, आस्ट्रेलिया, तथा न्यूज़ीलैंड) (गैर-आवासीय) (सरकारी संगठनों/ विभागों/ स्वायत्त निकायों द्वारा प्रायोजित)	10-24 जून, 2019	15	डा. साकेत बिहारी
19.	यू.एन.डी.पी. के अंतर्गत एक-दिवसीय कार्यशाला, सिक्किम में (डी.एस.टी. द्वारा प्रायोजित)	11 जून, 2019	25	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
20.	''नेतृत्व तथा व्यापार उत्कृष्टता प्राप्ति में सहायक'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी.पी.ई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	17-21 जून, 2019	35	डा. नीतू जैन डा. अमित कुमार सिंह
21.	जिला मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 100 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	17-21 जून, 2019	24	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
22.	वरिष्ठ अधिकारियों हेतु लोक प्रशासन : नेतृत्व तथा प्रबंधन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (केंद्रीय तिब्बत प्रशासन द्वारा प्रायोजित)	17-26 जून, 2019	22	डॉ सुरभि पांडेय
23.	जलवायु स्मार्ट शासन पर दो-सप्ताह का संकाय विकास कार्यक्रम (डी.एस.डी., भारत सरकार प्रायोजित)	17-28 जून, 2019	23	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
24.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	24-28 जून, 2019	41	डा. सुरिभ पांडेय
25.	ए.टी.आईज़/ एस.आई.आर.डीज/ विश्वविद्यालय/ शोध संस्थाओं के संकाय सदस्यों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर 24 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	24-28 जून, 2019	24	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
26.	लोक प्रशासन में उच्च स्तरीय 45 वाँ व्यावसायिक कार्यक्रम (कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	1 जुलाई, 2019-30 अप्रैल 2020	46	प्रो. गोविंद भट्टाचारजी डा. नीतू जैन

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
27.	सी.एस.आई.डब्ल्यू.जी. अफ़गान प्रतिनिधि दल का भारत का अध्ययन दौरा (ए.सी.ई.पी. सी.एस.ओ. अध्ययन दौरा) (यू.एस.ए.आई.डी., प्रतिरूप अंतरराष्ट्रीय-अफ़गानिस्तान द्वारा प्रायोजित)	2-10 जुलाई, 2019	19	डा. वी.एन. आलोक
28.	''समेकित शहरी जल पद्धति प्रबंधन अरुणाचल प्रदेश'' पर अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2-4 जुलाई, 2019	46	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता
29.	''पंचायती राज के सदस्यों, ग्रामीण विकास अधिकारियों तथा सेवा प्रदाताओं के लिए उपभोक्ता संरक्षण'' पर उत्तर प्रदेश के राज्य सरकार के सहयोग से दो-दिवसीय कार्यशाला (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	5-6 जुलाई, 2019	60	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
30.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	08-12 जुलाई, 2019	41	डा. सुरिभ पांडेय
31.	वी.वी.ओज़/ एन.जी.ओज़ के प्रमुखों तथा सदस्यों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर 16 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	08-12 जुलाई, 2019	26	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
32.	आई.टी.ई.सी. परियोजना के अंतर्गत रूस के प्रतिनिधियों हेतु ''जोखिम प्रबंधन पर दो सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण'' (विदेश मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	08-19 जुलाई, 2019	21	डा. रोमा देबनाथ डा. पवन के. तनेजा
33.	उर्वरक विभाग के अधिकारियों हेतु एक दिन की कार्यशाला उर्वरक विभाग, रसायन एवं उर्वरक मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	13 जुलाई, 2019	40	प्रो. अशोक विशनदास
34.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	22-26 जुलाई, 2019	39	डा. सुरिभ पांडेय
35.	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से ''भूमंडलीकरण तथा तकनीकी और उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर दो दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	29-30 जुलाई, 2019	594	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
36.	कम्बोडिया के सीनेट सदस्यों हेतु प्रबंध विकास प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई.टी.ई.सी. द्वारा प्रायोजित)	29 जुलाई से 02 अगस्त, 2019	15	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. नीतू जैन
37.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	5-9 अगस्त, 2019	39	डा. सुरभि पांडेय
38.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकारके लिए समेकित सामर्थ्य-निर्माण कार्यक्रम तथा क्रियात्मक शोध और प्रशिक्षण की अनुवर्ती कार्यवाही (केपसूल 3) (आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	6-8 अगस्त, 2019	22	प्रो. के.के. पांडेय डा. सचिन चौधरी डा. अमित कुमार सिंह
39.	ए.टी.आई. शिलाँग में ''डिजिटल इंडिया में नवीनतम पहल'' पर कार्यशाला (डिजिटल इंडिया परियोजना द्वारा प्रायोजित)	7 अगस्त, 2019	20	डा. चारु मल्होत्रा
40.	एम.एफ.पी. हेतु एम.एम.पी. पर जनजातीय पेनल चर्चा	9 अगस्त, 2019	15	डा. नूपुर तिवारी
41.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	19-23 अगस्त, 2019	36	डा. सुरभि पांडेय
42.	महात्मा गाँधी राज्य लोक प्रशासन संस्थान, चंडीगढ़ के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर दो-दिवसीय कार्यशाला (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	20-21 अगस्त, 2019	27	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
43.	''वैश्विक अर्थव्यवस्था में व्यापार उत्कृष्टता हेतु नेतृत्व'' पर 8 वाँ अग्रणी नेतृत्व कार्यक्रम (शुल्क आधारित) (पी.एस.यू. द्वारा प्रायोजित)	19 अगस्त-17 सितंबर, 2019	14	डा. नीतू जैन डा. सचिन चौधरी
44.	वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु ''वैज्ञानिक संगठनों में वित्तीय प्रबंधन'' पर 8 वाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम (सभी स्तरों के वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु)	19-23 अगस्त, 2019	22	डा. पवन के. तनेजा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
45.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	26-30 अगस्त, 2019	38	डा. सुरभि पांडेय
46.	जिला मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 107 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	26-30 अगस्त, 2019	30	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
47.	भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा और वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु ''लोक प्रशासन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.आई.सी.एफ., दूर संचार विभाग, संचार मंत्रालय भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	26-30 अगस्त, 2019	16	प्रो. सी. शीला रेड्डी डा. ममता पठानिया
48.	भारतीय राजस्व सेवा के परिवीक्षाधान अधिकारियों के 72 वें बैच की युरोप में अंतरराष्ट्रीय संलग्नता (एन.ए.डी.टी., नागपुर द्वारा प्रायोजित)	1-11 सितंबर, 2019	161	डा. सचिन चौधरी
49.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मेघालय के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर दो-दिवसीय सामर्थ्य-निर्माण कार्यशाला (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	2-3 सितंबर, 2019	44	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
50.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	2-6 सितंबर, 2019	37	डा. सुरभि पांडेय
51.	लोक निर्माण हेतु परियोजना प्रबंधन पर चार सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई.टी.ई.सी. द्वारा प्रायोजित)	2-27 सितंबर, 2019	35	डा. रोमा देबनाथ डा. पवन कुमार तनेजा
52.	वरिष्ठ स्तर के अधिकारियों हेतु ''लोक प्रशासनः नेतृत्व तथा प्रबंधन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (केंद्रीय तिब्बत प्रशासन द्वारा प्रायोजित)	2-6 सितंबर, 2019	18	डा. सुरभि पांडेय
53.	''डिजिटल इंडिया तथा इसमें नवीनतम पहल'' विषय पर एक सप्ताह का प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण (इलेक्ट्रॉनिक्स तथा सूचना प्रौद्योगिकी मंत्रालय द्वारा प्रायोजित	9-13 सितंबर, 2019	18	डा. चारु मल्होत्रा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
54.	''डिजिटल इंडिया तथा ई-शासन'' (एन.आई.डी.ई.एम. द्वारा प्रायोजित)	11 सितंबर, 2019	11	डा. चारु मल्होत्रा
55.	आई.डी.ई.एस. के अधिकारियों हेतु सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.आई.डी.ई.एम., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	16-20 सितंबर, 2019	6	प्रो. सी. शीला रेड्डी
56.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	16-20 सितंबर, 2019	38	डा. सुरभि पांडेय
57.	एन.एम.एच.एस. परियोजना के अंतर्गत ''पहाड़ी नगरों में आपदा जोखिम न्यूनीकरण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन'', सिक्किम में	18-19 सितंबर, 2019	50	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
58.	जल गुणवत्ता पैरामीटरों हेतु विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.पी.सी.बी. द्वारा प्रायोजित)	23-25 सितंबर, 2019	27	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
59.	डी.यू.डी.ए. तथा यू.एल.बीज़ और अरूणाचल प्रदेश के अधिकारियों हेतु समेकित अभिमुखीकरण कार्यक्रम (आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	23-25 सितंबर, 2019	76	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता
60.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	23-27 सितंबर, 2019	40	डा. सुरभि पांडेय
61.	जोनल उपभोक्ता हेल्पलाइनों के समन्वयकों तथा सलाहकारों हेतु चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	23-27 सितंबर, 2019	30	डा. ममता पठानिया सुश्री दीपिका सुर
62.	भारत सरकार के संयुक्त सचिव स्तर के पार्श्व प्रवेशकों हेतु आरंभिक प्रशिक्षण (डी.ओ.पी.टी., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	23 सितंबर-4 अक्तूबर, 2019	8	डा. वी.एन. आलोक
63.	जलवायु स्मार्ट शासन पर मिश्रित सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम, जी.आई.डी.एम., गुजरात (डी.एस.टी., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	3-4 अक्तूबर, 2019	48	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
64.	गाँधीजी तथा सतत जीवनशैली पर एक दिवसीय सम्मेलन (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	11 अक्तूबर, 2019	96	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
65.	महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, मोतीहारी, पूर्वी चंपारण, बिहार के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	14-15 अक्तूबर, 2019	70	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
66.	एम.ई.एस. के मुख्य अभियंता रैंक के अधिकारियों (ए.डी.जी.ग्रेड में पदोन्नति) हेतु मानव संसाधन प्रबंधन पर दो सप्ताह का प्रशिक्षण (एम.ई.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	14-25 अक्तूबर, 2019	37	डा. नीतू जैन डा. साकेत बिहारी
67.	सनशाइन देशों हेतु अंतरराष्ट्रीय सामर्थ्य वर्धन कार्यक्रम	21 अक्तूबर, 2019	80	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
68.	गेल की महिला अधिकारियों हेतु तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम (गेल द्वारा प्रायोजित)	21-23 अक्तूबर, 2019	17	डा. नीतू जैन डा. साकेत बिहारी
69.	वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु ''शासन में विज्ञान, तकनीकी तथा उभरती प्रवृत्तियाँ'' विषय पर नौवाँ प्रशिक्षण कार्यक्रम (सभी स्तर के वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु)	21-25 अक्तूबर, 2019	25	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
70.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	21-25 अक्तूबर, 2019	38	डा. सुरभि पांडेय
71.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर ज़ोनल सम्मेलन (उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	22 अक्तूबर, 2019	100	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
72.	स्कूल के छात्रों मे उपभोक्ता जागरुकता पर अंतर्विद्यालय प्रतियोगिता, स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कालकाजी, नई दिल्ली (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) (स्कूल ऑफ एक्सीलेंस, कालकाजी)	23 अक्तूबर, 2019	25	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
73.	राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड के अधिकारियों हेतु दो सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.एफ.एल.) (राष्ट्रीय उर्वरक लिमिटेड, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	4-15 नवंबर, 2019	15	प्रो. अशोक विशनदास
74.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा अप्रत्यक्ष कर) फेज़ III बैच I हेतु सेवा मध्य प्रशिक्षण (राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा नार्कोटिक्स अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	4-29 नवंबर, 2019	30	प्रो. गीतांजलि नटराज डा. सुरभि पांडेय डा. अमित कुमार सिंह
75.	स्थानीय क्षेत्रीय योजना तथा नगर आयोजन योजना पर एक-दिवसीय कार्यशाला (आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित) अरूणाचल प्रदेश	4 नवंबर, 2019 (बाह्य स्थानों के)	37	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता
76.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	4-8 नवंबर, 2019 (आवासीय) (40)	37	डा. सुरिभ पांडेय
77.	अरूणाचल प्रदेश, ईटानगर के ऑन लाइन भवन अनुमति पद्धति अधिकारियों हेतु तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	5-7 नवंबर, 2019	49	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता डा. साकेत बिहारी
78.	''मोदी सरकार की सामाजिक न्याय नीतियाँ'' विषय पर दो-दिन की अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी (सामाजिक न्याय में अम्बेडकर चेयर तथा आई. सी.एस.एस.आर., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	16-17 नवंबर, 2019	120	प्रो. सी. शीला रेड्डी
79.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	18-22 नवंबर, 2019	31	डा. सुरिभ पांडेय
80.	जिला मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 108 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	18-22 नवंबर, 2019	20	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
81.	सी.आई.एस.ओ. प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.ई.जी.डी., एम.ई.आई.टी.वाई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	18-22 नवंबर, 2019	26	डा. चारु मल्होत्रा
82.	गेल की महिला कार्यकारी अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (गेल द्वारा प्रायोजित)	20-22 नवंबर, 2019	14	डा. नीतू जैन डा. साकेत बिहारी
83.	श्री महंत शतानंद गिरि हरिहर संस्कृत कॉलेज बोधगया के सहयोग से ''उपभोक्ता अधिकार, उपभोग का पैटर्न तथा पर्यावरणीय चिंताएँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला	25-26 नवंबर, 2019	119	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
84.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	25-29 नवंबर, 2019	36	डा. सुरभि पांडेय
85.	महिला वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु ''ग्रामीण समाजों के लिए विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी'' विषय पर 8 वाँ कार्यक्रम (दिशा योजना के अंतर्गत)	25-29 नवंबर, 2019	17	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. चारु मल्होत्रा
86.	विकास तथा सतत विकास हेतु वैश्विक रणनीति नेतृत्व पर अंतरराष्ट्रीय प्रबंध विकास कार्यक्रम (आई.टी.ई.सी., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	25 नवंबर -20 दिसंबर, 2019	37	डा. रोमा देबनाथ डा. पवन के. तनेजा
87.	''जल गुणवत्ता पैरामीटर- एक समान प्रोटोकोल हेतु विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.पी.सी.बी., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	26-28 नवंबर, 2019 (आवासीय) 30	19	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
88.	संगठनात्मक प्रबंधन में नवीतनताओं पर अंतरराष्ट्रीय सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम (नई दिल्ली, आस्ट्रेलिया तथा न्यूज़ीलैंड) (गैर-आवासीय) (सरकारी संगठनों/ विभागों/ स्वायत्त निकायों द्वारा प्रायोजित)	30 नवंबर-13 दिसंबर, 2019 (गैर-आवासीय) 15	15	डा. साकेत बिहारी श्री अमिताभ रंजन
89.	ग्राम पंचायत हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम, ट्राप, पश्चिम सिक्किम (यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित)	1 दिसंबर, 2019	35	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
90.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा अप्रत्यक्ष कर) चरण III बैच II का सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय सीमा शुल्क, अप्रत्यक्ष कर तथा नार्कोटिक्स अकादमी, उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	2-27 दिसंबर, 2019 (गैर-आवासीय)	44	प्रो. गीतांजलि नटराज डा. सुरिभ पांडेय डा. अमित कुमार सिंह
91.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	2-6 दिसंबर, 2019 (आवासीय)	37	डा. सुरभि पांडेय
92.	प्रशिक्षण संस्थानों के संकाय सदस्यों हेतु ''उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण'' पर 25 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.एस.एस., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	2-6 दिसंबर, 2019	22	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
93.	ग्राम पंचायत हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम, युकसोम, सिक्किम (यू.एन.डी.पी. परियोजना के अंतर्गत)	2 दिसंबर, 2019	28	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
94.	जनजातीय प्रतिभा पूल का आकलन तथा सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण (जनजातीय मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	3-5 दिसंबर, 2019	58	डा. नूपुर तिवारी
95.	ग्राम पंचायत हेतु पायलट प्रशिक्षण कार्यक्रम, चंगथांग, उत्तरी सिक्किम (यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित)	5 दिसंबर, 2019	30	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
96.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	9-13 दिसंबर, 2019	34	डा. सुरभि पांडेय
97.	लोक सभा सचिवालय के दस अधिकारियों का प्रशिक्षण, भा.लो.प्र.सं. (संसदीय मामले मंत्रालय)	9-13 दिसंबर, 2019	10	प्रो. अशोक विशनदास
98.	अनुसूचित जनजाति के कल्याण के लिए काम करने वाले स्वैच्छिक संगठनों के लिए ए.आई.डी. योजना के अंतर्गत गैर-सरकारी संगठनों हेतु परामर्श सह कार्यशाला (जनजातीय मामले मंत्रालय, उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	10-12 दिसंबर, 2019	160	डा. नुपूर तिवारी

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
99.	''स्वतंत्रता, समानता तथा बंधुत्व के विचारों को संदर्भित करना'' विषय पर 11 वाँ अम्बेडकर स्मारक व्याख्यान (अम्बेडकर फाउंडेशन द्वारा प्रायोजित)	12 दिसंबर, 2019	120	प्रो. सी. शीला रेड्डी
100.	''संविधान की बहुबिध कल्पनाएँ : पाँचवीं अनुसूची का निर्माण'' छठा प्रो. एस. सरोजा स्मारक व्याख्यान	13 दिसंबर, 2019	100	प्रो. गीतांजलि नटराज
101.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	16-20 दिसंबर, 2019	37	डा. सुरभि पांडेय
102.	केंद्रीय तिब्बत प्रशासन के नए भर्ती हुए अधिकारियों हेतु 10 दिन का आरंभिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.टी.ए. द्वारा प्रायोजित)	16-27 दिसंबर, 2019	23	डा. सुरभि पांडेय
103.	जम्मू तथा कश्मीर भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय शाखा के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण पर दो-दिवसीय कार्यशाला, जम्मू में (सी.सी.एस. द्वारा प्रायोजित)	16-17 दिसंबर, 2019	50	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
104.	''जल गुणवत्ता प्रबंधन तथा सर्वोत्कृष्ट प्रयोगशाला व्यवहार'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.पी.सी.बी. द्वारा प्रायोजित)	17-19 दिसंबर, 2019	19	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
105.	''इंडो-यू.एस. ऊर्जा सहयोग: प्राप्त प्रगति'' विषय पर एक दिवसीय सम्मेलन	18 दिसंबर, 2019	44	डा. मनन द्विवेदी
106.	''लोक प्रशासन: भारत में अवसर तथा उभरती चुनौतियाँ'' विषय पर पाँचवाँ राकेश हूजा स्मारक व्याख्यान	18 दिसंबर, 2019	100	प्रो. सी. शीला रेड्डी
107.	प्रोन्नत सुशासन तथा ई-शासन प्रशिक्षण तथा ए.के.एफ. (अफ़गानिस्तान) दौरा सी.एस.जी. स्टाफ	23-27 दिसंबर, 2019	12	डा. चारु मल्होत्रा
108.	राष्ट्रीय उपभोक्ता संगोष्ठी (सी.सी.एस. द्वारा प्रायोजित)	24 दिसंबर, 2019	200	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया डा. सपना चड्डा

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
109.	हेमचंद्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से ''डिजिटल युग में उपभोक्ता तथा वी. सी.ओज़'' विषय पर दो-दिवसीय सामर्थ्य निर्माण कार्यशाला	3-4 जनवरी, 2020	100	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
110.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	6-10 जनवरी, 2020	39	डा. सुरभि पांडेय
111.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	13-17 जनवरी, 2020	36	डा. सुरभि पांडेय
112.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	20-24 जनवरी, 2020	37	डा. सुरभि पांडेय
113.	परियोजना तथा जोखिम प्रबंधन पर अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण कार्यक्रम, विशिष्ट आई.टी.ई.सी. पाठ्यक्रम (आई.टी.ई.सी. द्वारा प्रायोजित)	20-31 जनवरी, 2020	35	डा. पवन तनेजा डा. रोमा देबनाथ
114.	अस्पताल तथा स्वास्थ्य-देखभाल प्रशासन केंद्रीय तिब्बत प्रशासन (सी.टी.ए. द्वारा प्रायोजित)	20-24 जनवरी, 2020	12	डा. पवन तनेजा डा. रोमा देबनाथ
115.	वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु (8 सप्ताह का) 19 वाँ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (बी तथा सी स्तर के तथा इनके समान स्तर के वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु) (डी.एम.टी. द्वारा प्रायोजित)	27 जनवरी-20 मार्च, 2020	15	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
116.	अरुणाचल प्रदेश के अधिकारियों तथा डी.यू.डी.ए. एवं यू.एल.बीज़ के अधिकारियों हेतु अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई.सी.बी. केपसूल-II के अंतर्गत)	28-30 जनवरी, 2020	37	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता डा. साकेत बिहारी
117.	जनजातीय शोध संस्थानों की सामर्थ्य-निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण (जनजातीय मामले मंत्रालय, सी.ओ.ई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	29-30 जनवरी, 2020	70	डा. नूपुर तिवारी

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
118.	इलाहाबाद में पवित्र गंगा घाट मेले में उपभोक्ता शिक्षण तथा जागरुकता शिविर	31 जनवरी से 2 फरवरी, 2020	150	प्रो. सुरेश मिश्रा श्री वी.एन. मिश्रा
119.	राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल, गुजरात के सहयोग से ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' विषय पर दो-दिवसीय संगोष्ठी	04-05 फरवरी, 2020	183	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
120.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	3-7 फरवरी, 2020	36	डा. सुरभि पांडेय
121.	आई.सी.बी.पी. के अंतर्गत बिहार सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	6-7 फरवरी, 2020	15	प्रो. के.के. पांडेय डा. अमित कुमार सिंह डा. सचिन चौधरी
122.	जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्षों और सदस्यों हेतु 109 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस. द्वारा प्रायोजित)	10-14 फरवरी, 2020	22	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
123.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	10-14 फरवरी, 2020	34	डा. सुरभि पांडेय
124.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 71वें बैच हेतु एक सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय अटैचमेंट	10-15 फरवरी, 2020	33	डा. सुजित प्रुसेथ
125.	तकनीकी कार्मिकों हेतु 14 वाँ सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम	10-21 फरवरी, 2020	20	प्रो. वी.के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
126.	आई.सी.बी.वी. के अंतर्गत बिहार सरकार के चुने हुए प्रतिनिधियों के लिए जागरुकता प्रशिक्षण कार्यक्रम (आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	13-14 फरवरी, 2020	20	प्रो. के.के. पांडेय डा. सचिन चौधरी डा. अमित कुमार सिंह

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
127.	एल.एस. कॉलेज, मुजफ्फरपुर तथा भा.लो.प्र.सं., की मुजफ्फरपुर स्थानीय शाखा, बिहार के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	17-18 फरवरी, 2020	75	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
128.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा अप्रत्यक्ष कर) फेज़ III बैच II हेतु सेवा मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम (राष्ट्रीय, उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	17 फरवरी-13 मार्च, 2020	31	प्रो. गीतांजलि नटराज डा. सुरभि पांडेय डा. अमित कुमार सिंह
129.	भारतीय राजस्व सेवा (सीमा शुल्क तथा केंद्रीय उत्पाद शुल्क) के परिवीक्षाधीन अधिकारियों के 71 वें बैच हेतु एक सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय अटैचमेंट	17-22 फरवरी, 2020	34	डा. सुजित प्रुसेथ
130.	सहायक प्रशासनिक अधिकारी से लेकर सहायक विभागीय प्रबंधक संवर्ग के अधिकारियों का ''अग्रणी समय प्रबंधन'' प्रशिक्षण हेतु मनोनयन। (एल.आई.सी. द्वारा प्रायोजित)	19-21 फरवरी, 2020	31	डा. कुसुम लता डा. साकेत बिहारी
131.	वी.सी.ओज़/ एन.जी.ओज़ के प्रधानों तथा सदस्यों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण में 17 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	24-28 फरवरी, 2020	26	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. ममता पठानिया
132.	उत्तर प्रदेश के न्यायिक सेवा के अधिकारियों हेतु प्रबंध विकास कार्यक्रम (न्यायिक प्रशिक्षण तथा शोध संस्थान द्वारा प्रायोजित)	24-28 फरवरी, 2020	36	डा. सुरभि पांडेय
133.	उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम पर दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.सी.एस. द्वारा प्रायोजित)	24-25 फरवरी, 2020	26	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
134.	सी.आई.एस.ओ. प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.ई.जी.डी., एम.ई.आई.टी.वाई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	24-28 फरवरी, 2020	29	डा. चारु मल्होत्रा
135.	''पी.एफ.एम.एस. खाद्य मॉड्यूल'' पर गैर-सरकारी संगठनों के साथ परामर्श तथा कार्यशाला (जनजातीय मामले मंत्रालय, सी.ओ.ई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	25-26 फरवरी, 2020	25	डा. नूपुर तिवारी

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या	कार्यक्रम निदेशक
136.	''जी.आई.एस. : शहरी विकास का साधन'' विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में	25 फरवरी, 2020	28	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता डा. सचिन चौधरी
137.	''व्यावहारिक जी.आई.एस. साफ्टवेयर'' विषय पर तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, ईटानगर, अरुणाचल प्रदेश में	26-28 फरवरी, 2020	35	प्रो. के.के. पांडेय डा. कुसुम लता डा. सचिन चौधरी
138.	मध्य प्रदेश राज्य के जिला उपभोक्ता मामलों के अधिकारियों के लिए दो दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मध्य प्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित)	27-28 फरवरी, 2020	29	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
139.	अनुसूचित जनजातियों के लिए ''जनजातीय बौद्धिकता तथा समाहन : एक आवश्यकता आधारित आकलन'' विषय पर कार्यशाला कलिंग समाज-विज्ञान संस्थान, भुवनेश्वर में (जनजातीय मामले मंत्रालय, उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	28-29 फरवरी, 2020	200	डा. नूपुर तिवारी
140.	यशवंत राव चव्हाण विधि कॉलेज, पुणे के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण में समसामयिक चुनौतियाँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	02-03 मार्च, 2020	95	प्रो. सुरेश मिश्रा डा. सपना चड्डा
141.	महाराष्ट्र राज्य के राजपत्रित अधिकारियों का अध्ययन दौरा (वी.ए.एन.ए.एम.ए.टी.आई., नागपुर द्वारा प्रायोजित)	2-6 मार्च, 2020	104	प्रो. के.के. पांडेय डा. सचिन चौधरी डा. सुजित कुमार प्रुसेथ डा. मनन द्विवेदी
142.	भारत सरकार संवर्धन संगठन के वर्ग 'ए' तथा 'बी' अधिकारियों हेतु प्रशिक्षण कार्यक्रम	2-6 मार्च, 2020	20	डा. वी.एन. आलोक
143.	जीववैविध्य संरक्षण पर प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यशाला, गैंगटॉक (यू.एन.डी.पी. द्वारा प्रायोजित)	3 मार्च, 2020	20	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
144.	सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम : जनवायु स्मार्ट स्कूलों के निर्माण की ओर कदम (एन.एम.एच.एस. द्वारा प्रायोजित)	5-6 मार्च, 2020	300	प्रो. विनोद के. शर्मा डा. श्यामली सिंह
145.	अनुसूचित जनजातियों के लिए ''जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका जनन तथा नवीन व्यवहार'' पर पेनल चर्चा (जनजातीय मामले मंत्रालय, उत्कृष्टता केंद्र, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	20 मार्च, 2020	15	डा. नूपुर तिवारी

विशेष व्याख्यान श्रृँखला

क्रम सं.	विशेष व्याख्यान का विषय/ तिथि	कार्यक्रम समन्वयक	वक्ता
1.	देवलोक का पुनर्प्रापण : बड़े निर्णय के प्रभाव की एक समीक्षा (26 अगस्त, 2019)	डा. सपना चड्डा	लेफ्टिनेंट जनरल सईट अता हसनेन, पूर्व जी.ओ.सी. 15 कार्प्स (श्रीनगर)
2.	राष्ट्रीय शिक्षा नीति : सिद्धांत तथा प्राथमिकताएँ (6 सितंबर, 2019)	डा. रोमा देबनाथ	श्री अनिल स्वरूप, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), पूर्व सचिव, स्कूल शिक्षा तथा साक्षरता विभाग, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, भारत सरकार
3.	किसानों की आय दुगुनी करना (30 सितंबर, 2019)	प्रो. अशोक विशनदास	श्री अशोक दलवई, अध्यक्ष, राष्ट्रीय वर्षा सिंचित क्षेत्र प्राधिकरण, नई दिल्ली
4.	अंतरराष्ट्रीय मामलों में भारत की रणनीतिगत संरचना (4 नवंबर, 2019)	प्रो. अशोक विशनदास	श्री सुजान आर. चिनॉय, महानिदेशक, आई.डी.एस.ए., नई दिल्ली
5.	बदलते सुरक्षा पैराडिग्म में ''भारतीय वायु सेना'' (7 जनवरी, 2020)	प्रो. अशोक विशनदास	एयर चीफ मार्शल, (सेवानिवृत्त) बी.एस. धनोआ
6.	चीन आक्रमण का अंतर्वेशन (21 जनवरी, 2020)	प्रो. अशोक विशनदास	श्री प्रदीप बैजल, पूर्व अध्यक्ष, ट्राई
7.	आधुनिक युग में अपने जीवन को मास्टर करना	प्रो. अशोक विशनदास	श्री बलविंदर कुमार, सदस्य (रेरा) तथा पूर्व सचिव, भारत सरकार

परिशिष्ट-च.3
शाखाओं की गतिविधियाँ (2019-2020)
क्षेत्रीय शाखाएँ

असम

संगोष्ठी

1. ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' पर चर्चा करने के लिए प्रस्तावना सम्मेलन (29 सितंबर, 2019)

व्याख्यान बैठक

1. डा. डी.पी. शर्मा, प्रोफेसर, राजनीति विज्ञान, गुवाहाटी विश्वविद्यालय द्वारा ''असम का प्रशासनिक इतिहास'' विषय पर वार्ता। (11 अगस्त, 2019)
2. प्रो. एम.के. पुरकैत, प्रधान, रसायन इंजीनियरी, आई.आई.टी., गुवाहाटी द्वारा ''जल प्रदूषण'' विषय पर वार्ता। (1 सितंबर, 2019)
3. श्रीमती मीनाक्षी काकाति, सी.ई.ओ., ट्रेंडसेटर कंसल्टिंग द्वारा ''उद्यमता'' विषय पर वार्ता। (11 अगस्त, 2019)

शोध अध्ययन

1826 (यांदाबु संधि) से 1972 (मेघालय के सृजन) की अवधि के अविभाजित असम के प्रशासनिक इतिहास को पूर्व करने के लिए, क्षेत्रीय शाखा द्वारा आरंभ की गई शोध परियोजना का कार्य प्रगति पर है। यह परियोजना गुवाहाटी विश्वविद्यालय तथा कुछ स्थानीय कॉलेजों के चुने हुए शिक्षकों की सहायता से आरंभ की गई। इस वर्ष इतिहास का प्रथम प्रारूप पूर्ण होने की आशा है।

बिहार

संगोष्ठी

1. ''ग्रामीण लोगों में पर्यावरणीय जागरूकता'' विषय पर संगोष्ठी। (4 जून, 2019)
2. ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन। (15 सितंबर, 2019)

व्याख्यान बैठक

1. ''बिहार में लोक प्रशासन का विकास'' विषय पर एक पेनल चर्चा। (11 अगस्त, 2019)
2. ''वर्तमान भारत में गाँधी की संगतता'' विषय पर वार्ता। (2 अक्तूबर, 2019)
3. केंद्रीय बजट 2020-21 की एक समीक्षा विषय पर वार्ता। (12 फरवरी, 2020)

शोध अध्ययन

''कोविड 19, नीति प्रक्रिया तथा प्रवासी श्रमिक : बिहार के विशेष संदर्भ में'' विषय पर मार्च, 2020 में आर.के. वर्मा द्वारा शोध अध्ययन आरंभ किया गया (प्रगति पर)

प्रकाशन

1. ''बिहार लोक प्रशासन जर्नल खंड. XV सं.1, जनवरी-जून, 2019 ISSN: 0974-2735, यू.जी.सी.-केयर जर्नलों की सूची में शामिल किया गया।
2. ''बिहार लोक प्रशासन जर्नल खंड. XVI सं. 2, जुलाई-दिसंबर, 2019 ISSN: 0974-2735, यू.जी.सी.-केयर जर्नलों की सूची में शामिल किया गया।

अन्य गतिविधियाँ

1. स्नातक तथा स्नात्कोत्तर छात्रों के लिए ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर राज्य स्तर पर जे.के.पी. सिन्हा स्मारक निबंध प्रतियोगिता 2019 का आयोजन किया गया। प्रथम, द्वितीय, तृतीय तथा दो सांत्वना पुरस्कार - पाँच पुरस्कार प्रदान किए गए। प्रत्येक पुस्तकार में नकद पुरस्कार का प्रमाण-पत्र शामिल था।

2. शाखा की वेबसाइट www.iipabiका रखरखाव तथा विकास।
3. श्री टी.एन. चतुर्वेदी, पूर्व अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं., दिल्ली के दु:खद निधन पर शोक सभा।

दिल्ली क्षेत्रीय शाखा

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/व्याख्यान बैठक

1. 10 अक्तूबर, 2019 को ''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन। प्रो. सी.शीला रेड्डी, चेयर प्रोफेसर, डा. अम्बेडकर चेयर, भा.लो.प्र.सं. ने मुख्य भाषण दिया। डा.एस. के पचौरी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), आजीवन सदस्य ने भी विषय पर पत्र प्रस्तुत किया। प्रो. सुरेश मिश्रा, अध्यक्ष, दिल्ली क्षेत्रीय शाखा ने अध्यक्षता की तथा डा. संजीव कुमार तिवारी, मानद सचिव ने स्वागत किया तथा विषय का परिचय दिया। डा. अनिल दत्ता मिश्रा ने आभार ज्ञापन किया।
2. 10 अक्तूबर, 2019 को, भा.लो.प्र.सं. दिल्ली क्षेत्रीय शाखा के सदस्यों की 33 वीं वार्षिक आम बैठक हुई।
3. दिल्ली क्षेत्रीय शाखा ने मीडिया स्कैन, नई दिल्ली के सहयोग से 9 नवंबर, 2019 को ''जम्मू-कश्मीर-लद्दाख में नया विकास मॉडल क्या होगा'' विषय पर व्याख्यान का आयोजन किया।

जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रीय शाखा

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ/समागम

1. भारतीय रिज़र्व बैंक के सहयोग से ''मौद्रिक नीति'' पर संगोष्ठी। (14 मई, 2019)
2. ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन। (2 अक्तूबर, 2019)
3. उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण पर दो-दिवसीय कार्यशाला। (16-17 दिसंबर, 2019)

व्याख्यान/चर्चा

1. ''स्वच्छ शहर तथा नगर: आगे का मार्ग'' विषय पर व्याख्यान। (8 अप्रैल, 2019)
2. ''पारिवारिक व्यापार- चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग'' विषय पर छठा श्री राम सहाय स्मारक व्याख्यान। (27 अप्रैल, 2019)
3. ''गैर-पारंपरिक युद्ध के खतरों/ चुनौतियों का मुकाबला करने की भारत की तत्परता'' विषय पर व्याख्यान। (20 मई, 2019)
4. ''स्वास्थ्य तथा प्रसन्नता हेतु समग्र एप्रोच'' विषय पर व्याख्यान। (29 जून, 2019)
5. 73वें स्वतंत्रता दिवस पर ध्वजारोहण समारोह। (15 अगस्त, 2019)
6. सदन के मत में ''उल्लँघन करने वालों के लिए कठोर दंड के माध्यम से ही केवल सड़क दुर्घटनाओं को कम किया जा सकता है'' विषय पर 18 वाँ वीरन्ना एवल्ली स्मारक वाद-विवाद। (6 दिसंबर, 2019)
7. आम सभा की 41 वीं वार्षिक बैठक 2020 (4 जनवरी, 2020)
8. 71 वें गणतंत्र दिवस पर ध्वजारोहण समारोह (26 जनवरी, 2020)
9. फेक न्यूज़ के खतरे पर 10 वाँ सतपाल साहनी स्मारक व्याख्यान। (15 फरवरी, 2020)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

''प्रबंध क्षमताएँ'' विषय पर प्रशिक्षण कार्यक्रम'' (20 अप्रैल 2019)

प्रकाशन

भा.लो.प्र.सं. जम्मू तथा कश्मीर न्यूज़लेटर, खंड X सं.1

कर्नाटक

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला/समागम

1. प्रशासनिक शोध संस्थान, आई.ए.एस. अधिकारी संघ बंगलोर में ''बंगलोर महानगर शासन'' विषय पर समागम। (18 मई, 2019)

2. ''माउंट कार्मल कॉलेज, बंगलोर के सहयोग से, माउंट कार्मल कॉलेज परिसर में ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन आयोजित किया गया।
3. स्नातकोत्तर राजनीति विज्ञान विभाग, सेंट जोसेफ़ कॉलेज (स्वायत्तशासी), बंगलोर के सहयोग से तथा उसके परिसर में ''गणराज्य की स्थिति'' विषय पर वाद-विवाद तथा छात्र संगोष्ठी आयोजित की।

केरल

संगोष्ठी/सम्मेलन

1. प्रस्तावना सम्मेलन (1 अक्तूबर, 2019)
2. ''कुशल आबंटन तथा संसाधनों का उपयोग'' विषय पर संगोष्ठी (12 नवंबर, 2019)
3. ''सहयोगी तथा प्रतियोगी संघवाद'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी।
4. सी.ए.ए.-एन.पी.आर.-एन.सी.आर.: मिथ अथवा वास्तविकता (20 जनवरी, 2020)
5. भारत में ई-शासन : उभरता प्रक्षेपपथ तथा बदलते नीति विकल्प। (20 फरवरी, 2020)

मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़

संगोष्ठी/सम्मेलन

महीना	विषय	मुख्य वक्ता
अप्रैल 2019	गरीबी हटाओ, अमीरी बढ़ाओ	श्री एस.सी. बेहार, पूर्व मुख्य सचिव, मध्य प्रदेश
मई 2019	कृषक कल्याण	श्री केवल कृष्ण सेठी, अध्यक्ष क्षेत्रीय शाखा
जून 2019	आपदा प्रबंधन	डा. राकेश दूबे, निदेशक, आपदा प्रबंधन
अगस्त 2019	प्रारूप शिक्षा नीति	श्रीमती रश्मि अरुण शमी, प्रमुख सचिव, शिक्षा विभाग
अगस्त 2019	संपोषणीय विकास ध्येय तथा बस्तर चुनौतियाँ तथा अवसर	श्री अयाज़ तम्बोली, कलेक्टर बस्तर, श्री अविनाश मिश्रा, सहायक क्लेक्टर, बस्तर
सितंबर 2019	संपोषणीय विकास लक्ष्य तथा सुशासन	श्री ललित शास्त्री, वरिष्ठ पत्रकार
नवंबर 2019	नागरिक सहकारी बैंक-समस्या तथा समाधान	श्री अजीत केशरी, प्रमुख सचिव, सहकारिता
दिसंबर 2019	मध्य प्रदेश में पर्यटन विकास की संभावनाएँ	1.सुश्री भावना विलम्बे, अतिरिक्त प्रबंध संचालक, मध्य प्रदेश, पर्यटन मंडल 2. श्री अतुल सिन्हा, पूर्व महानिदेशक, भारतीय पर्यटन निगम
जनवरी 2020	स्मार्ट प्रशासन	प्रो. जी.डी. शर्मा - कुलपति, अटल बिहारी वाजपेयी विश्वविद्यालय, बिलासपुर; श्रीमती इन्द्रा मिश्रा, पूर्व अतिरिक्त मुख्य सचिव, छत्तीसगढ़ श्री पुष्पेन्द्र मीना, संचालक, तकनीकी शिक्षा, डाक्टर संजय अलंग, जिलाधीश बिलासपुर
फरवरी 2020	आर्थिक समीक्षा एवं बजट 2020-21	श्री केवल कृष्ण सेठी, अध्यक्ष, क्षेत्रीय शाखा

प्रकाशन

1. शाखा ने प्रशासक प्रशासिका 2018 का प्रकाशन किया तथा वार्षिक आम बैठक 2019 में इसका विमोचन किया।
2. मासिक न्यूज़लेटर प्रशासक प्रशासिका।

अन्य गतिविधियाँ

1. शाखा ने इस वर्ष भी वार्षिक निबंध प्रतियोगिता आयोजित की। प्रतियोगिता का विषय था ''एक राष्ट्र एक चुनाव''
2. क्षेत्रीय शाखा की वार्षिक आम बैठक सितंबर 2019 में हुई।

महाराष्ट्र

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. सूचना का अधिकार 2005 (28 जनवरी, 2020)
2. एम.सी.एस. (छुट्टी.....) नियम- 1981 (29 जनवरी, 2020)
3. एम.सी.एस. (कार्यग्रहण अवधि.....) नियम-1981 (30 जनवरी, 2020)
4. एम.सी.एस. (पेंशन) नियम -1982; एन.पी.एस. (जनवरी 31, 2010)
5. सरकार में विधायी मामले (3 फरवरी, 2020)
6. तनाव प्रबंधन (4 फरवरी, 2020)

अन्य गतिविधियाँ

क. पुस्तकालय : शाखा का एक सुसज्जित पुस्तकालय है जिसमें लोक प्रशासन, अर्थशास्त्र, राजनीति विज्ञान, समाजशास्त्र, प्रबंधन, इतिहास इत्यादि विभिन्न विषयों की पुस्तकें तथा प्रख्यात विद्वानों की जीवनियाँ तथा सेवा और रक्षा कार्मिकों द्वारा लिखी गई 12000 पुस्तकें हैं।

ख. शाखा ने निम्नलिखित विषयों पर स्वर्गीय श्री. बी.जी देशमुख वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2019-2020 आयोजित की:

1. जल प्रबंधन
2. राज्य में क्षेत्रीय विभिन्नताओं पर विचार करते हुए महाराष्ट्र में पोषण की स्थिति

ग. लोक प्रशासन में नवीनताओं हेतु स्वर्गीय डा. एस. एस. गडकरी स्मारक पुरस्कार।

ओडिशा

संगोष्ठियाँ

1. ''निर्वाचकीय सुधार'' विषय पर संगोष्ठी (20 अगस्त, 2019)
2. ''जलवायु परितर्वन तथा वैश्विक उष्मा का प्रभाव'' विषय पर संगोष्ठी। (2 सितंबर, 2019)
3. ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर संगोष्ठी। (19 सितंबर, 2019)
4. ''भारतीय अर्थव्यवस्था के समक्ष चुनौतियाँ'' विषय पर संगोष्ठी। (26 अक्तू. 2019)
5. ''लोक प्रशासन में मीडिया की भूमिका'' विषय पर संगोष्ठी। (11 नवंबर, 2019)
6. ''समसामयिक मानव अधिकार स्थितियाँ'' विषय पर संगोष्ठी। (10 दिसंबर, 2019)
7. वार्षिक सम्मेलन (29 जनवरी, 2020)
8. ''ओडिशा में शासन सुधार'' विषय पर संगोष्ठी। (22 फरवरी, 2020)

प्रकाशन

1. प्रशासन 2017-18 / 2018-19
2. ''भारत में निर्वाचकीय सुधार'' : विषय पर वार्षिक जर्नल।

अन्य गतिविधियाँ

1. वार्षिक निबंध प्रतियोगिता 2019.
2. वार्षिक वाद-विवाद प्रतियोगिता 2019.
3. मानव अधिकार कार्यक्रम।
4. अन्य संस्थाओं के साथ कार्यक्रमों में सहयोग
   (क) भारतीय जनसंचार संस्थान
   (ख) बी.पी. पुलिस अकादमी
   (ग) लोक प्रशासन विभाग, उत्कल विश्वविद्यालय

राजस्थान

संगोष्ठी/सम्मेलन

1. स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्यों पर क्षेत्रीय संगोष्ठी। (10 अक्तू., 2019)

व्याख्यान बैठक/चर्चाएँ

1. जनसांख्यिकी तथा लोकतंत्र (5 मई, 2019)
2. भारतीय लोकतंत्र की प्रकृति पर मुक्त सदन चर्चाएँ। (17 मई, 2019)
3. भारतीय अर्थव्यवस्था : वर्तमान परिदृश्य (18 मई, 2019)
4. भारतीय अर्थव्यवस्था: एक स्वॉट एनालिसिस (10 अक्तू., 2019)
5. मित्रों को कैसे जीतें तथा लोगों को कैसे प्रभावित करें : एक विश्लेषण (11 अक्तू., 2019)
6. प्रौढ़ शिक्षा के सहयोग से मानव विकास प्लस मॉडल पर आधा दिन की संगोष्ठी (14 दिसंबर, 2019)
7. सफल व्यक्तित्व (30 दिसं., 2019)
8. जीवन मे सफलता हेतु समय प्रबंधन (31 दिसं., 2019)
9. भारत में शासन: समसामयिक मुद्दे तथा चुनौतियाँ पर मुक्त सदन चर्चाएँ (01 फरवरी, 2020)
10. शोध तथा भ्रष्टाचार की समस्याओं पर फोकस करते हुए भ्रष्टाचार अध्ययन में कठिनाइयाँ। (12 फरवरी, 2020)
11. सौहार्दता के पुन: ट्रैक पर लाने संबंधी आदान-प्रदान। (26 फरवरी, 2020)
12. नैतिक तथा उत्कृष्ट समाज का सृजन : प्रबुद्ध नागरिकों तथा सिविल सेवकों के दायित्व (15 मार्च, 2020)

तमिलनाडु

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. ''उपभोक्ता संरक्षण तथा जागरूकता'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी (22 और 23 अप्रैल, 2019;
2. ''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना संगोष्ठी। (21 सितंबर, 2019)
3. लोक प्रशासन स्नातकोत्तर तथा शोध विभाग के सहयोग से ''पुलिस व्यवस्था तथा सोशल मीडिया'' विषय पर संगोष्ठी। (1 फरवरी, 2020)
4. ''राष्ट्रीय एकता दिवस'' पर कार्यशाला। (3 अक्तूबर, 2019)
5. ''भारतीय संविधान- संविधान दिवस/ कानून दिवस 2019'' पर कार्यशाला। (26 नवंबर, 2019)

व्याख्यान/बैठक/चर्चाएँ

1. ''जल प्रबंधन'' पर व्याख्यान (20 जुलाई 2019)

प्रकाशन

1. न्यूज़लेटर-न्यू एडमिनिस्ट्रेटर - जून 2019 में समाप्त होने वाली तिमाही
2. न्यूज़लेटर-न्यू एडमिनिस्ट्रेटर - सितंबर 2019 में समाप्त होने वाली तिमाही

अन्य गतिविधियाँ

1. शासन तथा लोक प्रशासन के विविध क्षेत्रों में जन सहभागिता पर एक व्याख्यान श्रृंखला संचालित की गई। यथा समय इस विषय पर पुस्तक प्रकाशित करने का प्रस्ताव है।
2. कार्यशालाओं, लघु व्याख्यानों तथा स्मार्ट क्विज़ के माध्यम से जागरूकता पैदा करने के लिए तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा 2015 से विविध शहरों तथा उपनगरीय कालेजों में संविधान दिवस (कानून दिवस) मना रही है।
3. स्मार्ट क्विज; के अंतर्गत छात्रों को तत्काल 30 मिनट के समय में 20 पुरस्कार दिए गए।
4. संविधान के महत्व पर 20 मिनट का लघु व्याख्यान।
5. भा.लो.प्र.सं. तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा की वार्षिक आम सभा 15.01.2019 को हुई और इसमें निम्नानुसार नए केंद्र खोलने का संकल्प लिया गया:
    1. महिला सशक्तीकरण केंद्र
    2. निर्धनता उन्मूलन केंद्र

3. पर्यावरणीय संरक्षण तथा जलवायु परिवर्तन केंद्र
4. उपयोग उपरांत फेंक देने वाला प्लास्टिक उन्मूलन केंद्र
5. समाज सेवा केंद्र तथा जनजागरूकता तथा सहभागिता केंद्र

तेलंगाना तथा आँध्रप्रदेश क्षेत्रीय शाखा

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला संचालित की

1. ''राजस्व प्रशासन - भूमि हकदारी तथा अधिकारों पर विशेष फोकस सहित'' विषय पर राष्ट्रीय समागम। (15 जुलाई, 2019)
2. ''सुशासन तथा संयुक्त सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन। (10 अक्तूबर, 2019)
3. ''उच्चतर शिक्षा में ऑनलाइन पहल'' विषय पर समागम। (20 मार्च, 2019)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएँ

1. मिलिट्री इंजीनियरों सेवा के वर्ग 'क' अधिकारियों (परिवीक्षाधीन) हेतु प्रथम आधारभूत पाठ्यक्रम के प्रतिभागियों को श्री एम. गोपालकृष्ण, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त), शाखा के अध्यक्ष ने ''प्रशासन में आचार तथा मूल्य'' विषय पर व्याख्यान दिया। (24 अप्रैल, 2019)
2. शाखा के अध्यक्ष के हैदराबाद प्रबंधन संघ ने ''वर्ष का सदस्य पुरस्कार'' प्रदान किया। यह पुरस्कार भारत के उपराष्ट्रपति ने प्रदान किया। (8 जून, 2019)
3. श्री एम. गोपालकृष्ण, शाखा के अध्यक्ष ने आँध्र महिला सभा में ''उनकी सहायता करना जो अपनी सहायता नहीं कर सकते गैर सरकारी संगठनों की भूमिका'' विषय पर दुर्गाभाई देशमुख स्मारक-2019 व्याख्यान दिया। (15 जुलाई, 2019)
4. श्री एम. गोपालकृष्ण, शाखा के अध्यक्ष ने प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज में ''निगमित शासन'' विषय पर व्याख्यान दिया। (20 अगस्त, 2019)
5. श्री एम. गोपालकृष्ण, शाखा के अध्यक्ष ने, भारतीय प्रशासनिक स्टाफ कॉलेज, हैदराबाद में - वित्तीय पद्धति प्रबंधन तथा सरकार में उत्तरदायिता- पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में प्रतिभागियों हेतु ''नागरिक केंद्रित शासन'' विषय पर व्याख्यान दिया। (26 सितंबर, 2019)
6. श्री एम. गोपालकृष्ण, शाखा के अध्यक्ष ने एन.टी.पी.सी. के कर्मचारियों को सिकंदराबाद में सतर्कता सप्ताह पर व्याख्यान दिया। (28 अक्टूबर, 2019)

उत्तर प्रदेश

संगोष्ठियाँ/कार्यशालाएँ/सम्मेलन

''राष्ट्रीय शिक्षा नीति- 2019 के प्रारूप के संदर्भ में शिक्षा की गुणवत्ता'' विषय पर कार्यशाला। (27 जुलाई, 2019)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

कर्मचारियों के लिए कार्यालय प्रबंधन (24-25 जून, 2019)

शोध अध्ययन

लखनऊ में ऑटो रिक्शा क्षेत्र का पायलट प्रकरण अध्ययन। (उत्तर प्रदेश)

प्रकाशन

1. त्रैमासिक न्यूज़लेटर ''डायनेमिक प्रशासन'' के अप्रैल से जुलाई 2019 तथा अगस्त से नवंबर 2019 अंकों का प्रकाशन।
2. ''लोक प्रशासन में नए आयाम'' शीर्षक पुस्तक का प्रकाशन जिसमें वर्ष 2018-2019 के दौरान संचालित कार्यशालाओं में प्रस्तुत पत्र शामिल हैं।

अन्य गतिविधियाँ

1. श्री विद्यानंद गर्ग, मानद सचिव, भा.लो.प्र.सं., उ.प्र. क्षेत्रीय शाखा की 7 मार्च, 2018 को डा. नंद लाल भारती, प्रधान, लोक प्रशासन विभाग के साथ बैठक जिसके परिणामस्वरूप दोनों संस्थाओं ने कक्षा 9-12 के छात्रों के लिए आयोजित वार्षिक निबंध प्रतियोगिता पुरस्कार

तथा प्रमाण-पत्र वितरण समारोह आयोजन किया। 12 सितंबर, 2019 को लोक प्रशासन विभाग, लखनऊ विश्वविद्यालय में पुरस्कार वितरण हुआ। विश्वविद्यालय के संकाय वर्ग तथा भा.लो.प्र.सं., लखनऊ ने उत्साहपूर्वक इस आयोजन में भाग लिया।

2. भा.लो.प्र.सं., उ.प्र. क्षेत्रीय शाखा ने 27 जुलाई, 2019 को सफलता पूर्वक अपनी वेबसाइट आंरभ की। वेबसाइट का पता है uprbiipa.org.in.
3. सड़क की भीड़ तथा यातायात प्रबंधन पर कार्यशाला में स्मार्ट शहर तथा यातायात प्रबंधन पर वार्ता देने के लिए विषय विशेषज्ञ को आमंत्रित करने के लिए स्मार्ट सिटी कार्यालय को दौरा किया।
4. 8 जनवरी, 2020 को परस्पर सहयोग के संबंध में निदेशक, सचिवालय प्रशिक्षण के साथ बैठक की।

स्थानीय शाखाएँ

औरंगाबाद

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्याशालाएँ

1. ''उन्त गाँव - उन्नत भारत- सर्वांचा सहभाग-सर्वांचा विकास'' विषय पर एक दिवसीय कार्यशाला (उन्नत गाँव-उन्नत भारत-सबकी सहभागिता-सबक विकास) (13 फरवरी, 2020)
2. प्रतियोगिकता परीक्षा मार्गदर्शन पर एक दिवसीय राज्य स्तरीय कार्यशाला। (15 फरवरी, 2020)

बरेली

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन

1. ''भारत के राष्ट्रीय गौरव वर्धन में उच्चतर शिक्षा की भूमिका'' विषय पर शिक्षक दिवस कार्यक्रम। (5 सितंबर, 2019)
2. ''राष्ट्रीय गौरव तथा भारत के लोग'' विषय पर राष्ट्रीय सम्मेलन। (15 सितंबर, 2019)
3. ''भारत के संदर्भ में मानव अधिकारों की उभरती प्रवृत्तियाँ'' विषय पर मानव अधिकार दिवस। (10 दिस. 2019)
4. बजट 2020 पर सम्मेलन (4 फरवरी, 2020)

बुर्दवान

संगोष्ठी

''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना संगोष्ठी। (30 सितंबर, 2019)

व्याख्यान बैठक

''उच्चतर शिक्षा क्षेत्र के हाल में हुई नीतिगत पहल'' विषय पर व्याख्यान बैठक, प्रो. अपूर्व रतन घोष, प्रो. एस.एन. मंडल, प्रो. प्रेम अग्रवाल, प्रो. अरिंदम रे तथा प्रो. दिलीप भट्टाचारजी (16 अगस्त, 2019)

व्याख्यान बैठक

''स्कूल शिक्षा में सुधार विषय पर परियोजना प्रस्ताव'' तथा इसका बजट आकलन हमारे उपाध्यक्ष जिला मजिस्ट्रेट, पूर्व वर्धमान के कार्यालय को सौंपा।

कुद्दालोर

संगोष्ठी/ सम्मेलन

''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' (21 अगस्त, 2019)

व्याख्यान बैठक

सतत कृषि (4 मार्च, 2020)

धारवाड़

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन

1. सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य विषय पर प्रस्तावना संगोष्ठी। (5 अक्तूबर, 2019)
2. एक राष्ट्र एक संविधान विषय पर वर्धित कार्यक्रम। (26 नवंबर, 2019)
3. मतदाता जागरुकता कार्यक्रम विषय पर वर्धित कार्यक्रम। (20 जनवरी, 2020)

व्याख्यान बैठक

एक राष्ट्र एक संविधान (11 नवंबर, 2019)

हावड़ा

सम्मेलन/कार्यशाला

1. कृषि क्षेत्र में जल प्रबंधन। (27 जुलाई, 2019)
2. प्लास्टिक का प्रयोग पर्यावरण का विनाश करता है। (11 सितंबर, 2019)
3. सुशासन पर प्रस्तावना सम्मेलन। (17 सितंबर, 2019)
4. विश्व मानव अधिकार दिवस पर ''मानव अधिकारों के संरक्षण हेतु पद्धति का पुनर्निर्माण''। (10 दिसंबर, 2019)

व्याख्यान बैठक

1. वार्षिक आम बैठक (11 जून, 2019)
2. कार्यकारी समिति की बैठक (5 नवं. 2019 तथा 11 जनवरी, 2020)

कानपुर

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. ''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' व्षिय पर एक दिवसीय संगोष्ठी (25 दिंस., 2019)
2. विज्ञापन, सरकार तथा उपभोक्ता पर सम्मेलन (5 जनवरी, 2020)
3. ''मोदी नवीन भारत के अग्रणी के रूप में'' विषय पर कार्यशाला। (17 नवं., 2019)

व्याख्यान बैठकें/चर्चाएँ

''गाँधीवादी विचारधारा अंतरराज्यीय संबंधों का एकमात्र विकल्प'' पर एक व्याख्यान। (2 अक्तूबर, 2019)

अन्य गतिविधियाँ

श्री चित्रगुप्त समिति के सहयोग से वृक्षारोपण कार्यक्रम आयोजित किया। (14 जुलाई, 2019)

पाटलिपुत्र

संगोष्ठी/सम्मेलन/कार्यशाला

1. ''उग्रवाद तथा लोकतंत्र- एक वैश्विक ख़तरा'' विषय पर संगोष्ठी। (28 अप्रैल, 2019)
2. ''भारतीय समाज में लिंग समानता- की स्थिति।'' विषय पर गोल मेज़ सम्मेलन। (23 जून, 2019)
3. ''क्या संयुक्त राष्ट्र के सतत विकास लक्ष्य प्राप्त किए जा सकते हैं?'' विषय पर संगोष्ठी तथा गोल मेज़ चर्चा। (27 अगस्त, 2019)

व्याख्यान/बैठक/चर्चा

1. ''मानव संसाधन - क्या भारत के विकास के लिए यह एक परिसंपत्ति है'' विषय पर चर्चा। (22 सितंबर, 2019)
2. ''सतत विकास तथा सुशासन- संभावनाएँ तथा बाधाएँ'' विषय पर गोल मेज़ चर्चा। (13 अक्तूबर, 2019)
3. वैश्विक उष्मा - चर्चा (8 मार्च, 2020)

पुडुचेरी

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. आयोजन तथा बजट 2020 पर संगोष्ठी। (6 अप्रैल, 2019)
2. यू.पी.एस.सी. जागरूकता कार्यक्रम- अन्नामलाई विश्वविद्यालय, चिंदबरम, तमिलनाडु। (18 अप्रैल, 2019)
3. अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रतियोगिता परीक्षा प्रशिक्षण कार्यक्रम, डिवाइन मदर कॉलेज, पुडुचेरी (27 मई, 2019)
4. वर्तमान परिपेक्ष्य में लोक प्रशासन तथा जन प्रबंधन। (23 अगस्त, 2019)
5. पुडुचेरी में यातायात पद्धति, केंद्रशासित (21 सितंबर, 2019)
6. सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य। (28 सितंबर, 2019)

व्याख्यान/बैठकें/चर्चाएँ

1. पुडुचेरी का आर्थिक विकास 2020. (11 मई, 2019)
2. स्थानीय प्रशासन- वर्तमान परिदृश्य (15 जून, 2019)
3. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 (10 अगस्त, 2019)
4. केंद्रशासित प्रदेशों के लिए सुशासन। (12 अक्तूबर, 2019)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

1. यू.पी.एस.सी.- जागरूकता, राजीव गाँधी इंजीनियरी कॉलेज, पुडुचेरी। (21 जून, 2019)
2. अंतिम वर्ष के छात्रों के लिए प्रशासनिक सेवा परीक्षा प्रशिक्षण सी.आई.टी. (27 जून, 2019)
3. +2 स्कूल हेतु प्रशासनिक सेवा परीक्षा जागरूकता प्रशिक्षण, सायराम तथा संता क्लास कॉन्वेंट स्कूल (27 जून, 2019)
4. कस्तूरबा महिला कॉलेज के छात्रों तथा संकाय वर्ग हेतु उपभोक्ता जागरूकता तथा संरक्षण प्रशिक्षण कार्यक्रम (15 जुलाई, 2019)
5. इधाया कॉलेज में लोक प्रशासन नीतियाँ। (11 दिंसबर, 2019)

अन्य गतिविधियाँ

1. भा.लो.प्र.सं. पुडुचेरी शाखा द्वारा 23 अगस्त, 2019 को पुडुचेरी विश्वविद्यालय में वर्तमान परिदृश्य में लोक प्रशासन तथा जन प्रबंधन'' विषय पर संगाष्ठी, भा.लो.प्र.सं. पुडुचेरी स्वर्ण जयंती पुरस्कार तथा लेफ्टिनेंट जनरल डा. किरन बेदी को भा.लो. प्र.सं. पॉल एच.एप्प्लबी पुरस्कार से पुरस्कृत किया गया जाना आयोजित किया।
2. भा.लो.प्र.सं. पुडुचेरी शाखा ने 28 सितंबर, 2019 को ''52वाँ वार्षिक दिवस समारोह'' आयोजित किया।
3. डा. आर.आर. धनपालन, अध्यक्ष, शाखा के अन्य पदाधिकारियों के साथ 23.12.2019 को पुडुचेरी राजनिवास में, भारत के महामहिम राष्ट्रपति के साथ मिले।
4. भा.लो.प्र.सं. पुडुचेरी दल ने सतत विकास लक्ष्य 2030 पुडुचेरी की रिपोर्ट सौंपी।
5. अंतिम वर्ष के कॉलेज छात्रों के लिए विविध कॉलेजों तथा स्कूलों में, यू.पी.एस.सी. सिविल सेवा परीक्षा के संबंध में प्रेरणाप्रद प्रशिक्षण कार्यक्रम आयोजित किए।
6. स्कूल तथा कॉलेज के छात्रों के लिए लोक प्रशासन जागरूकता कार्यक्रम।
7. राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस - दिसंबर 2019 तथा राष्ट्रीय मतदाता दिवस- जनवरी 2020 आयोजित किया।

तिरुपति

संगोष्ठी

1. विश्व पर्यावरण दिवस (वृक्षारोपण) (5 जून, 2019)
2. विश्व मरुस्थलीकरण तथा सूखा संघर्ष दिवस। (17 जून, 2019)
3. प्रारूप राष्ट्रीय शिक्षा नीति-2019, उच्चतर शिक्षा पर फोकस पर समागम। (31 जुलाई, 2019)
4. सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र संघ सतत विकास लक्ष्य पर प्रस्तावना सम्मेलन। (27 सितंबर, 2019)
5. भारत 2035 की संकल्पना सामग्री इनपुट पर समागम। (6 दिसंबर, 2019)
6. विश्व उपभोक्ता अधिकार दिवस। (15 मार्च, 2020)

व्याख्यान बैठक

1. कल्याण समाज की प्रोन्नति में ग्रेविटेशनल गवर्नेंस का प्रभाव विषय पर व्याख्यान कार्यक्रम। (15 फरवरी, 2020)
2. स्वर्गीय श्री अगराला ईश्वर रेड्डी- पूर्व कार्यकारी परिषद् सदस्य, भा.लो.प्र.सं. को श्रद्धांजलि। (5 मार्च, 2020)

प्रकाशन

ओ रायलसीमा! तुम्हें राज्य का स्टेटस कहाँ से मिलेगा?

तिरुपत्तुर

संगोष्ठी

1. ''जल संकट तथा जल प्रबंधन'' विषय पर संगोष्ठी। (24 जुलाई, 2019)
2. सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन। (23 सितंबर, 2019)

व्याख्यान बैठक

शिक्षा ऋण तथा छात्रवृत्ति जागरूकता। (1 जनवरी, 2020)

अन्य गतिविधियाँ

1. ''अस्थि खनिज घनत्व'' नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, एल.एस. अस्पताल। (22 मई, 2019)
2. ''अस्थि मज्जा घनत्व'' नि:शुल्क चिकित्सा शिविर, एल.एस.अस्पताल। (26 नवंबर, 2019)

वडोदरा

संगोष्ठियाँ

1. ''पर्यावरणीय संरक्षण- शहरी इकोपद्धति के प्रति जागरूकता'' विषय पर संगोष्ठी, वडोदरा। (1 नवं., 2019)
2. ''परंपरा संरक्षण तथा इसका सांस्कृतिक मूल्याँकन'' विषय पर संगोष्ठी, वडोडरा, गुजरात, शुक्रवार, 7.2.2020. श्रीमंत महाराज समरजीत सिंह राव गायकवाड ने इस संगोष्ठी का उद्घाटन किया।

व्याख्यान बैठक

कार्यकारी समिति की बैठक। (4 मई 2019 तथा 7 फरवरी 2020)

व्याख्यान बैठक/चर्चा

वडोदरा चैप्टर की कार्यकारी समिति के महत्वपूर्ण सदस्यों तथा बड़ोदा के महाराजा सयाजिराव विश्वविद्यालय के पदेन डीन की एक समिति नियुक्त की गई जो संभवत: शीघ्र ही बड़ोदा हरिजन सेवक संघ'' को देने के लिए पुरस्कार का सुझाव देगी।

अन्य गतिविधियाँ

गुजरात के 33 जिलों में से 9 जिले रेड ज़ोन के अंतर्गत हैं और वडोदरा उनमें से एक है। तथापि, इस स्थिति में भी, हम भा.लो.प्र.सं., वडोदरा शाखा की ओर से सरकारी अस्पताल के बाल चिकित्सा कक्ष में गए तथा वहाँ रोगियों और उनके रिश्तेदारों को फल तथा खाद्य सामग्री बाँटी। हमने दूसरे राज्यों के कर्मचारी जो राज्य में अचानक लॉकडाउन की घोषणा से वडोदरा मे फँस गए थे, उनके लिए तीन दिन तक शरण की व्यवस्था की।

विल्लुपुरम

संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/कार्यशालाएँ

1. ''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य (14 अक्तू., 2019)
2. संपोषणीय कृषि (4 मार्च, 2010)

व्याख्यान बैठकें/चर्चाएँ

कृषि क्षेत्र में महिला उद्यमियों की भूमिका। (22 नवं., 2019)

प्रशिक्षण कार्यक्रम

लघु सिंचाई तकनीकें (15 अगस्त, 2019)

विशाखापट्टनम

संगोष्ठियाँ

स्थापना दिवस (10 जुलाई, 2019)

''सुशासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' विषय पर प्रस्तावना सम्मेलन। (15 अक्तूबर, 2019)

परिशिष्ट-च.3.1

क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं के अध्यक्षों और मानद सचिवों की सूची

(31.3.2019 के अनुसार)

क्षेत्रीय शाखाएं

असम	
श्री जतिन हज़ारिका, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.स., असम क्षेत्रीय शाखा, जिवागिरी सरानिया हिल्स, उलुबरि, गुवाहाटी-781007 (असम)	मोबाइल: 09435198867 ई-मेल: jatin_hazarika@yahoo.com
श्री दीपक कुमार शर्मा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) मानद सचिव, भा.लो.प्र.सं., असम क्षेत्रीय शाखा हाउस नं. 19, रूप कुंवर पथ, (जाकिर हुसैन रोड का एक बाई लेन) नियर नवज्योति क्लब, हेंगराबाड़ी गुवाहाटी-781036 (असम)	मोबाइल: 9864092901 ई-मेल: deepakkush57@gmail.com
बिहार	
इंजीनियर जुगल किशोर सिंह अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. बिहार क्षेत्रीय शाखा, उमाशंकर लेन गुरहट्टा पटनासिटी, पटना -800008 (बिहार)	(0612) 2630078 (आ.) मोबाइल: 09431213122, 07294913137 ई-मेल: jks2508@gmail.com
डॉ. रविन्द्र कुमार वर्मा मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. बिहार क्षेत्रीय शाखा शिव पीठ, न्यू पुरेन्दरपुर (समीप दोपुलवा) पटना- 800001 (बिहार)	मोबाइल: 09473431548, 07762882579 ई-मेल: rkverma395@gmail.com iipabihar@gmail.com
दिल्ली	
प्रो. सुरेश मिश्रा अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. दिल्ली क्षेत्रीय शाखा भ.लो.प्र.सं. आई.पी. एस्टेट, नई दिल्ली-110002	(011) 23468349 (का.) मोबाइल: 9312413955 ई-मेल: drsureshmisra@gmail.com

डॉ. संजीव कुमार तिवारी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. दिल्ली क्षेत्रीय शाखा तथा एसोसिएट प्रोफेसर, महाराजा अग्रसेन कॉलेज, वसुंधरा एन्क्लेव दिल्ली-110096	(011) 22610563 (का.) मोबाइल: 9811546564 ई-मेल: sanjeevtiwaridu@gmail.com
गुजरात	
श्री पी.के. लाहिड़ी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. गुजरात क्षेत्रीय शाखा सदविचार परिवार कैंपस सेटलाइट रोड अहमदाबाद- 380015 (गुजरात)	मोबाइल: 9824083969 ई-मेल: pklaheri@gmail.com
श्री पी.एन. जैन मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. गुजरात क्षेत्रीय शाखा सदविचार परिवार कैंपस सेटलाइट रोड अहमदाबाद-380015 (गुजरात)	(079) 27560926 (आ.) मोबाईल: 9978405766 ई-मेल: pnjce@yahoo.co.in
हरियाणा	
श्री एम.सी. गुप्त, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. हरियाणा क्षेत्रीय शाखा मकान सं. 771, सेक्टर-15, भाग-2 गुड़गाँव-122001 (हरियाणा)	मोबाइल: 9810806644 ई-मेल: mc_gupta02@yahoo.co.in
डॉ. राजवीर ढाका मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. हरियाणा क्षेत्रीय शाखा प्लॉट सं. 76 हिपा कॉम्प्लैक्स सेक्टर 18, गुड़गाँव (हरियाणा)	0124-2344512 (का.) 0124-2343076 (आ.) मोबाइल: 9911399437 फैक्स: 0124-2348452 ई-मेल: drrajvirdhaka@rediffmail.com
जम्मू तथा कश्मीर	
श्री बी.आर. शर्मा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रीय शाखा 3/6, चन्नी हिम्मत कॉलोनी, पी.एन.बी. के समीप जम्मू-180015 (जे. तथा के.)	0191-2434006 (का.) मोबाइल: 09419180655 ई-मेल: brajrajsharma1984@gmail.com

प्रो. अल्का शर्मा मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रीय शाखा एक्रॉस दूसरा तवी ब्रिज, डी.डी.ई. कॉम्पलेक्स के समक्ष जम्मू-180006 (जे. तथा के.)	0191-2434006 (का.) मोबाइल: 094191-40828 ई-मेल: sharma.alka1568@gmail.com iipajkbranch@gmail.com
कर्नाटक	
श्री एस. रामानाथन, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा कमरा सं. 4, भूतल एम.एस. बिल्डिंग 5वीं स्टेज, डॉ. अम्बेडकर वीधि बंगलुरु-560001	(080) - 22372897 (का.) (080) - 23610499 (आ.) मोबाइल: 9945273372 ई-मेल: sramanathan83@gmail.com iipakrb.bangalore@gmail.com
डॉ. डी. जीवन कुमार मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा कमरा सं. 4, भूतल एम.एस. बिल्डिंग 5वीं स्टेज डॉ. अम्बेडकर वीधि बंगलुरु-560001	(080) - 22372897 (का.) (080) - 28482587 (आ.) मोबाइल: 9972496362 ई-मेल: jeeves0607@yahoo.com iipakrb.bangalore@gmail.com
केरल	
प्रो. जोसफ के. अलेक्ज़ेंडर अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. केरल क्षेत्रीय शाखा ए-56 पंडित कॉलोनी कोडियार थिरुवनंतपुरम्-695003 (केरल)	मोबाइल: 09447811811 ई-मेल: alexander.joseph095@gmail.com
डॉ. जी. राधाकृष्ण कुरूप मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. केरल क्षेत्रीय शाखा, स्रीपनयाथु शांतिनगर, 'स्रीकरियम', पी.ओ. थिरुवनंतपुरम्-695017 (केरल)	(0471) 2591769 (आ.) मोबाइल: 09496253891/ 09496253891 ई-मेल: drgrkurup@gmail.com

मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़	
श्री के.के. सेठी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मध्यप्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा मार्फत प्रशासन अकादमी, कमरा सं.-3, 1100 क्वार्टर्स, भोपाल-462016 (मध्यप्रदेश)	(0755) - 2461095 (का.) (0755) -2428310 (आ.) मोबाइल: 9425023223, 9868842009 फैक्स: 0755-2464244 ई-मेल: kewal_sethi@yahoo.com iipa.mp@gmail.com
डॉ. डी.पी. तिवारी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मध्यप्रदेश क्षेत्रीय शाखा मार्फत प्रशासन अकादमी, कमरा सं.-3, 1100 क्वार्टर्स, भोपाल-462016 (मध्यप्रदेश)	0755 - 2461095 (का.) 0755 - 2460166 (आ.) मोबाइल: 9425012607 फैक्स: 0755-2464244 ई-मेल: iipa.mp@gmail.com tiwari_dp@hotmail.com
महाराष्ट्र	
श्री स्वधीन क्षत्रीय, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा भूतल (महाराष्ट्र बैंक के साथ) मंत्रालय मुख्य हुतात्मा राजगुरु चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-400032 (महाराष्ट्र)	022 - 22022347 (का.) मोबाइल: 9870333182 ई-मेल: swadheenk@yahoo.com ccrts@maharashtra.gov.in
डॉ. विजय सतबीर सिंह, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा भूतल (महाराष्ट्र बैंक के साथ) मंत्रालय मुख्य हुतात्मा राजगुरू चौक, मादाम कामा रोड, मुंबई-400032 (महाराष्ट्र)	022 – 26590029 (का.) मोबाइल: 9920214830 ई-मेल: satbirbath@yahoo.com member1@maharera.mahaonline.gov.in
मणिपुर	
प्रो. एन. लोकेन्द्र सिंह अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. मणिपुर क्षेत्रीय शाखा, डीन, समाज विज्ञान स्कूल मणिपुर विश्वविद्यालय, कांचीपुर इंफाल-795003(मणिपुर)	मोबाइल: 09436232364 फैक्स: 0385-2435145 ई-मेल: lokendranaorem2015@gmail.com

डॉ. गंगा प्रसाद प्रसेन मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मणिपुर क्षेत्रीय शाखा वाणिज्य विभाग, मणिपुर विश्वविद्यालय कांचीपुर, इंफाल-795003 (मणिपुर)	0385-2435075 (का.) 0385-2435072, 2435755 (आ.) मोबाइल: 09612158167 फैक्स: 0385-2435145 ई-मेल: gpprasain@yahoo.co.in
मिज़ोरम	
प्रो.सी. लालकीमा अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. मिज़ोरम क्षेत्रीय शाखा, ए टी-ज़र्कवत, एज़वल मार्फत, लोक प्रशासन विभाग, मिज़ोरम विश्वविद्यालय, तन्हरिल, एज़वल-796009 (मिज़ोरम)	(0389) 2342820 मोबाइल: 09862304298 ई-मेल: pa_mzu@yahoo.in
प्रो. लालनेहज़ोवि मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मिज़ोरम क्षेत्रीय शाखा तथा मानद निदेशक, महिला अध्ययन केंद्र, मिज़ोरम विश्वविद्यालय तन्हरिल, एज़वल-796004 (मिज़ोरम)	(0389) 2331612, 2331274 (का.) मोबाइल: 09436151165 ई-मेल: inzovi@yahoo.co.in
ओडिशा	
श्री शरत चंद्र मिश्र, आई.पी.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. ओडिशा क्षेत्रीय शाखा, मकान सं. VIC, 2/1, यूनिट-1 भुवनेश्वर-751009 (ओडिशा)	(0674) 2434843 (का.) मोबाइल: 9937422521/7008737218 ई-मेल: msrasarat@yahoo.co.in iiparbodisha@yahoo.com
श्री. अशोक कुमार मोहापात्र, ओ.एफ.एस. (सेवानिवृत्त) मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. ओडिशा क्षेत्रीय शाखा, क्वार्टर सं. VIC, 2/1, यूनिट-1 भुवनेश्वर-751009 (ओडिशा)	(0674) 2433711 (का.) मोबाइल: 9938512110 ई-मेल: iiparbodisha@yahoo.com
पंजाब तथा चंडीगढ़ (संघशासित प्रदेश)	
श्री बी.एस. ओझा, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. पंजाब तथा चंडीगढ़ (संघशासित प्रदेश) क्षेत्रीय शाखा, म.सं. 143 सेक्टर 11-ए, चंडीगढ़-160011	(0172) 2744577 (आ.) मोबाइल: 9815046888 ई-मेल: bsojha@hotmail.com

प्रो. बी.एस. घुमन मानद सचिव, भा.लो.प्र.सं. पंजाब तथा चंडीगढ़ (संघशासित प्रदेश) क्षेत्रीय शाखा मार्फत, लोक प्रशासन विभाग पंजाब विश्वविद्यालय, सेक्टर-14, चंडीगढ़-160014	(0172) 2534734 (का.) 2542534 (आ.) मोबाइल: 9815942534 ई-मेल: ghumanbs@pu.ac.in
राजस्थान	
डॉ. रमेश के. अरोड़ा अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. राजस्थान क्षेत्रीय शाखा 7-एन.ए., 8, जवाहर नगर जयपुर-302004 (राजस्थान)	(0141) 2655738, 4064817 (का.) (0141) 2611921 (आ.) मोबाइल: 98290-10011 ई-मेल: rkajaipur@rediffmail.com
डॉ. मीना सोगानी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. राजस्थान क्षेत्रीय शाखा 7-एन ए-8,जवाहर नगर, जयपुर-302004 (राजस्थान)	मोबाइल: 9829057644 ई-मेल: meenasogani@gmail.com
तमिलनाडु	
श्री पी.आर. संपथ, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा प्लॉट सं. 1082, डी.सं. 165, छठा एवेन्यू, अन्ना नगर, चेन्नई-600040 (तमिलनाडु)	(044) 26163636 मोबाइल: 9444007299, 9340007299 ई-मेल: prshampathias@yahoo.com
श्री एस.एस. जवाहर, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा ताइशा ए.आई.एस. हाउसिंग कॉम्पलेक्स सी-09-03, नातेसन नगर वेस्ट, विरुगम्मबक्कम वेस्ट चेन्नई-600040 (तमिलनाडु)	(044)-29818244 (आ.) (044)-29818244 (फैक्स) मोबाइल: 9445399444 ई-मेल: ssjawahar2000@gmail.com
तेलंगाना तथा आँध्र प्रदेश क्षेत्रीय शाखा	
श्री एम. गोपालकृष्ण नायडू, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय शाखा ''भ्रमर'' 12-2-823 ए/23 संतोषनगर, मेहदीपट्टनम हैदराबाद-500028 (तेलंगाना)	(040) 23513420 (आ.) मोबाइल: 09849555306 फैक्स: 040-3525322 ई-मेल: gopalkm2006@gmail.com

डा. ए.वी. नरसिम्हा रेड्डी मानद सचिव, भा.लो.प्र.सं. तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश क्षेत्रीय शाखा फ्लैट सं. 504, रॉयल मनोर अपार्टमेंट्स, 3-4-133, गली सं. 6, बरकथपुरा हैदराबाद-500027 (तेलंगाना)	(040) 27563921 (आ.) (040) 23680240 (का.) मोबाइल: 09391552189 ई-मेल: avnopen@gmail.com
उत्तर प्रदेश	
श्री आर. रमानी, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा सी-30, आवास विकास कॉलोनी, माल एवेन्यू लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)	(0522) 2286661 (का.) मोबाइल: 9336556027 ई-मेल: vidyanandgarg785@gmail.com
श्री विद्यानंद गर्ग, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा कमरा सं. 825, 8वाँ तल, जवाहर भवन लखनऊ-226001 (उत्तर प्रदेश)	(0522) 2286661 (का.) मोबाइल: 817771222 ई-मेल: vidyanandgarg785@gmail.com vidyanandgarg@gmail.com
पश्चिम बंगाल	
श्री सूर्य्य रे अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय शाखा 4-ए, नार्थ एवेन्यू, कोलकता-700037 (प.बं.)	(033) 25566251 (आ.) मोबाइल: 9433624822 ई-मेल: suryyaray1@yahoo.in
डॉ. सिबरंजन चैटर्जी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय शाखा ड्यूपाइंट, फ्लैट एस-I, 51-डी, गार्चा रोड कोलकता-700019 (प.बं.)	(033) 24749764 (आ.) मोबाइल: 9830106278

स्थानीय शाखाएँ

आगरा	
डॉ. इंद्र कुमार अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. आगरा स्थानीय शाखा 235, जयपुर हाउस, आगरा-282010 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 9412560195

डॉ. वी.पी. त्रिपाठी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. आगरा स्थानीय शाखा 23/451, वजीरपुर रोड आगरा-282003 (उत्तर प्रदेश)	(0562) 4044620 (का.) 2522156 (आ.) मोबाइल: 09319101976 फैक्स: 2520774 ई-मेल: ved_tripathi@rediffmail.com
औरंगाबाद	
श्री कृष्ण भोग, आई.ए.एस. (सेवानिवृत्त) अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. औरंगाबाद स्थानीय शाखा प्लाट सं. 4/5, अक्षर, साई वृंदावन कॉलोनी पैथन रोड औरंगाबाद-431005 (महाराष्ट्र)	(0240) 2364040 (आ.) मोबाइल: 9823668811 ई-मेल: iipakb1101aurangabad@gmail.com
डॉ. जयश्री टी. बिर्दवादे मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. औरंगाबाद स्थानीय शाखा प्लाट सं. 4/5, अक्षर, साई वृंदावन कॉलोनी पैथन रोड औरंगाबाद-431005 (महाराष्ट्र)	मोबाइल: 9823773260 ई-मेल: jaybhandwaldar@gmail.com
बरेली	
डॉ. ए.के. चौहान अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. बरेली स्थानीय शाखा संजीवनी क्लीनिक, सर्किट हाउस चौराहा, सिविल लाईन्स बरेली (उत्तर प्रदेश)	(0581) 2422222 (आ.) मोबाइल: 9719042222, 9701942222
डॉ. मिथिलेश मिश्रा मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. बरेली स्थानीय शाखा 35-डी/3, रामपुर गार्डन, बरेली-243002 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 9917391957, 8126944347
बुदायूँ	
श्री राम प्रकाश आहूजा अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. बुदायूँ स्थानीय शाखा पथिक चौक बुदायूँ-243601 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 9837029524 ई-मेल: ahujatradersbadaun@gmail.com

डॉ. राम वीर सिंह मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. बुदायूँ स्थानीय शाखा मधुवन कॉलोनी, बुदायूँ मरोड़ी पो.ओ. अलापुर जिला बुदायूँ-243601 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 09412673687, 8433276686 ई-मेल: ramvirpcs@gmail.com
बुर्दवान	
डा. शोरोसिमोहन डैन अध्यक्ष (कार्यवाहक) भा.लो.प्र.सं. बुर्दवान स्थानीय शाखा नूतनपल्लि, दुर्गाबाड़ी के समीप बुर्दवान-713101 (प.बं.)	(033) 23352317 (आ.) मोबाइल: 09748421228 ई-मेल: prof.mohit@gmail.com
डॉ. बिजॉय चंद मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. बुर्दवान स्थानीय शाखा आलमगंज, अंतरदंगा (मोटा सिबताल के समीप), पो.ओ. नूतनगंज, बुर्दवान-713102 (प.बं.)	मोबाइल: 09434660670, 8250100384 ई-मेल: bijoy.chand@rediffmail.com
कुद्दालोर	
श्री एन. रंगारामानुजम अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. कुद्दालोर स्थानीय शाखा 60, गाँधी नगर, कुद्दालोर-607001 (तमिलनाडु)	मोबाइल: 09443266894 04142-221629 (आ.) ई-मेल: rgangahitech@gmail.com
श्री एस. कृष्णराज मानद सचिव, भा.लो.प्र.सं. कुद्दालोर स्थानीय शाखा सं. 23, पेरियार नगर कुथप्पकम कुद्दालोर-607002 (तमिलनाडु)	मोबाइल: 9486583568
कटक	
श्री बिपिन बिहारी राठो अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. कटक स्थानीय शाखा नारायण कमला निवास, पी.ओ., जिला कटक कटक-753008 (ओडिशा)	(0671) 2361284 (0671) 2362734

डॉ. सुशांत कुमार कर मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. कटक स्थानीय शाखा विद्याधरपुर, पी.ओ., नया बाज़ार जिला कटक-753004 (ओडिशा)	मोबाइल: 9437228449 ई-मेल: 07susu07@gmail.com drsushantkumarkar@gmail.com
धारवाड़	
डॉ. एस.एस. पटागुंदी अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. धारवाड़ स्थानीय शाखा बासवज्योति, एस.के.एस. कालोनी, सप्तपुर धारवाड़-580004 (कर्नाटक)	मोबाइल: 9448822782 ई-मेल: patagundi53@gmail.com
डॉ. ए. आर. जगताप मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. धारवाड़ स्थानीय शाखा, सर्वदा : 295 ix मुख्य, iv क्रॉस, निसर्ग धारवाड़-580003 (कर्नाटक)	(836) 2740189 (आ.) मोबाइल: 9481209624 ई-मेल: arjagatap@gmail.com
गुलबर्गा	
श्री मारुथि के. पवार अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. गुलबर्गा स्थानीय शाखा हाउस नं. 9-646, शाह बाज़ार कालाबुर्गी गुलबर्गा-585102 (कर्नाटक)	(08472) 277603, 277613 (का.) (08472) 277602, 277614 मोबाइल: 09482055555 ई-मेल: info@wonderrecovery.com
डॉ. बी.एस. गुलशेट्टी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. गुलबर्गा स्थानीय शाखा प्लॉट सं. 86, संगम जायानगर, सेदम रोड कालाबुरगी, गुलबर्गा-585105 (कर्नाटक)	मोबाइल: 09342352517 ई-मेल: drbsgul@rediffmail.com drgulshetty@gmail.com
हावड़ा	
श्री दिलीप के. दास अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. हावड़ा स्थानीय शाखा 252/2, नेताजी सुभाष रोड, हावड़ा-711101 (प.बं.)	(033) 6541306 (आ.) मोबाइल: 9830050107 ई-मेल: arup123das@rediffmail.com

प्रो. आशिष रे मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. हावड़ा स्थानीय शाखा 67/3/3, कॉलेज रोड, पी.ओ. बोटानिकल गार्डन, हावड़ा-711103 (प.बं.)	मोबाइल: 9831822665 6289279019 ई-मेल: asishray547@gmail.com
इंदौर	
डॉ. राजेन्द्र प्रसाद पाठक अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. इंदौर स्थानीय शाखा 21, मधुबन कॉलोनी, केशरबाग रोड इंदौर-452009 (म.प्र.)	0731-2365946 (आ.) 0731-2365946 (का.) मोबाइल: 9301335081
डॉ. मनोज कुमार दुबे मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. इंदौर स्थानीय शाखा 8, दुबे कॉलोनी, मानिक बाग रोड इंदौर-452004 (म.प्र.)	(0731) 2368344, 2472991 मोबाइल: 9826016006
जबलपुर	
डॉ. वी.के. दुबे अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. जबलपुर स्थानीय शाखा 9, ब्रह्मपुरी हाउसिंग सोसाइटी, एम.जी.एम. स्कूल के पीछे गिरराज किशोर कपूर रोड, हाथीताल, गुप्तेश्वर जबलपुर-482001 (म.प्र.)	(0761) 4065759 (आ.) मोबाइल: 9407021974, 9407000223, 7489219842 ई-मेल: vrind44dubey@gmail.com
श्रीमती शवात्री दुबे मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. जबलपुर स्थानीय शाखा 9, ब्रह्मपुरी हाउसिंग सोसाइटी, एम.जी.एम. स्कूल के पीछे गिरिराज किशोर कपूर हाथीताल, गुप्तेश्वर, जबलपुर - 482001 (म.प्र.)	मोबाइल: 9407021974 ई-मेल: savatri49dubey@gmail.com
जमशेदपुर	
डॉ. श्वेताभ सुमन अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. जमशेदपुर स्थानीय शाखा बंगला नं. 16, बी-रोड, नार्दन टाउन एरिया जमशेदपुर-831001 (झारखंड)	मोबाइल: 9934127266 ई-मेल: drswetabhsuman@rediffmail.com

श्री अनिल कुमार सिंह मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. जमशेदपुर स्थानीय शाखा फ्लैट नं. 3322, फेज़-VI, विजय हेरीटेज़ कदम, जमशेदपुर-831005 (झारखंड)	
कानपुर	
डा. गिरीश लाल श्रीवास्तव अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. कानपुर स्थानीय शाखा 17/2/27, राधाकृष्ण हाउसिंग सोसाइटी श्रद्धानगर कानपुर-208025 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 09450133213
डॉ. कुलदीप एन. श्रीवास्तव मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. कानपुर स्थानीय शाखा 11/326 सौतेरगंज, कानपुर-208001 (उत्तर प्रदेश)	(0512) 2541100 (का.) मोबाइल: 09336117202, 09455754607 ई-मेल: srivastava_kuldip@yahoo.in kuldeepsrivastava3912@gmail.com
करीमनगर	
डा. एम. मदन बाबू अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. करीमनगर स्थानीय शाखा हाउस नं. 5-4-156 कुपवाड़ा करीमनगर-505001 (तेलंगाना)	(0878) 2243301 (आ.) मोबाइल: 9849232236 ई-मेल: babumuppidi@gmail.com
श्री एम, गंगाधर मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. करीमनगर स्थानीय शाखा 2-10-1662, चैतन्यपुरी, करीमनगर-505001 (तेलंगाना)	(0878) 2201155 (आ.) मोबाइल: 09440020369 ई-मेल: gangadharmittapalli@gmail.com
मदुरई	
श्री सी.आर. पटेल अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मदुरई स्थानीय शाखा क्वालिटी सेल्स, प्रथम तल, सं.5, काकथोप्पु स्ट्रीट मदुरई-625001(तमिलनाडु)	मोबाइल: 09443058723 ई-मेल: kalkicrp@gmail.com

श्री के. भास्करन मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मदुरई स्थानीय शाखा प्लॉट सं. 32, रामालिंग नगर, पार्क टाउन दूसरी स्ट्रीट (विस्तार) थापाल थांति नगर, मदुरई-625017	मोबाइल: 09345200608 ई-मेल: iipa.baskarank@gmail.com
मेरठ	
प्रो. एस.एस. शर्मा अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मेरठ स्थानीय शाखा 2/141, सेक्टर-2, राजेन्द्र नगर, साहिबाबाद, गाज़ियाबाद-201005 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 09312832502 ई-मेल: surjan2006@yahoo.co.in
प्रो. सत्य प्रकाश मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मेरठ स्थानीय शाखा 4, एफ, राज लोक, सिविल लाईन्स मेरठ-250001 (उत्तर प्रदेश)	मोबाइल: 09837291071 ई-मेल: satyavee.prakash@gmail.com
मैसूर	
डॉ. के.सी. बासवराज अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मैसूर स्थानीय शाखा सं. 43, केरागेड्डु मुख्य 23 वाँ क्रॉस, विजयनगर III स्टेज मैसूर- 570017 (कर्नाटक)	(0821) 2525620 (आ.) मोबाइल: 9341175461
प्रो. मुज़फ्फर एच. असादि मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मैसूर स्थानीय शाखा मार्फत, राजनीति विज्ञान विभाग, मैसूर विश्वविद्यालय मानस गंगोत्री, मैसूर-570006 (कर्नाटक)	(0821) 2419507 (का.) 2543936 (आ.) मोबाइल: 9448186295 ई-मेल: muzaffar.assadi@gmail.com
मुज़फ्फरपुर	
डॉ. आर.पी. श्रीवास्तव अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मुज़फ्फरपुर स्थानीय शाखा प्रवास, पड़ाव पोखर, लेन-2, अंगोला मुज़फ्फरपुर-842002 (बिहार)	(0621) 2243839 (आ.) मोबाइल: 9431241274 ई-मेल: rps_pravaas@gmail.com

डॉ. अवधेश कुमार सिंह मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मुज़फ्फरपुर स्थानीय शाखा आदर्शनगर, शेखपुर, मुज़फ्फरपुर-842002 (बिहार)	(0621) 2230352 (आ.) मोबाइल: 9905032357 ई-मेल: awadeshks85@gmail.com
नागपुर	
श्री ए.एस. उखल्कर अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. नागपुर स्थानीय शाखा सं. 11, 'चेतना' अपार्टमेंट्स रामदासपीठ नागपुर-440016 (महाराष्ट्र)	(0712) 2443042 (आ.) मोबाइल: 9370666487
डा. नीलिमा देशमुख मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. नागपुर स्थानीय शाखा, शिरीष-16, एस.ए.रोड, लक्ष्मीनगर नागपुर-440022 (महाराष्ट्र)	(0712) 2228676 (का.) मोबाइल: 09822231076 ई-मेल: neelimadeshmukh87@yahoo.in
नासिक	
डॉ. एम.एस. गोसावी अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. नासिक स्थानीय शाखा 7, अनुबंधन, मॉडल कॉलोनी नासिक-422005 (महाराष्ट्र)	(0253) 2574682 (का.) 2342060 (आ.) मोबाइल: 9822055197 फैक्स: 2574682 ई-मेल: gokhaleeducation@dataone.in gokhale_edu@hotmail.com
डॉ. (श्रीमती) ए.ए. वेरुलकर मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. नासिक स्थानीय शाखा बी-3, श्रीनिवास, सौभाग्य नगर, गंगापुर रोड नासिक-422005 (महाराष्ट्र)	(0253) 2571643 (का.) मोबाइल: 9822603890 2571810 (आ.) फैक्स: 2571643 ई-मेल: gesjdcb_nsk@sancharnet.in
पटियाला	
प्रो. हरबंस पाठक अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. पटियाला स्थानीय शाखा ''आशीर्वाद'' सं. 38, फेज़ V, त्रिकोण सिटि, पोस्ट आफिस चलेला, सरहिंद रोड, पटियाला- 147001 (पंजाब)	(0175) 2280213 (आ.) मोबाइल: 9814320117 ई-मेल: pathak117@yahoo.co.in

प्रो. डी.के. मदान मानद सचिव भा.लो.प्र.सं., पटियाला स्थानीय शाखा प्रधान समाज विज्ञान स्कूल, पंजाब विश्वविद्यालय पटियाला- 147002 (पंजाब)	(0175) 2280063 (आ.) मोबाइल: 09417079934
पाटलिपुत्र	
डॉ. घनश्याम एन. सिंह अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. मगध स्थानीय शाखा ए/14, नोबा नगर, फेज़-I, खोजा ईमाली के समीप, फुलवारी शरीफ, पटना-801505 (बिहार)	मोबाइल: 09431494843 ई-मेल: ghanshyamnsingh@gmail.com
डॉ. सी.पी. सिंह मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. मगध स्थानीय शाखा ए/14, नोबा नगर, फेज़-I, खोजा ईमाली के समीप, फुलवारी शरीफ, पटना-801505 (बिहार)	मोबाइल: 09835061655 ई-मेल: chakradharprasadsingh@gmail.com
पुडुचेरी	
डॉ. आर.आर. धनपाल अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. पुडुचेरी स्थानीय शाखा सं. 3, चौथा तल, पी.डब्ल्यू. डी. भवन, ले एविचि स्ट्रीट पुडुचेरी-605001	(0413) 2222534 (का.) मोबाइल: 9345009639 ई-मेल: rrdhanapa1723@gmail.com iipapuducherry@gmail.com
इंजीनियर आर. नरसिम्हमूर्ति मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. पुडुचेरी स्थानीय शाखा सं. 3, चौथा तल, पी.डब्ल्यू. डी. भवन, ले एविचि स्ट्रीट पुडुचेरी-605001	(0413) 2222534 (आ.) फैक्स: (0413) 2222354 मोबाइल: 0944399497 ई-मेल: iipapuducherry@gmail.com
पुणे	
..	
डॉ. एस.वी. खरे मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. पुणे स्थानीय शाखा सहनिष्ठा सोसाइटी, क्रम सं. 83/17/1/1, सहकार नगर, पार्वती, पुणे-411009 (महाराष्ट्र)	(020) 24230345 (का.) (020) 24230345 (आ.) मोबाइल: 07276888456 ई-मेल: kharesharadv@gmail.com

सालेम	
...	
डॉ. आर. कुमारस्वामी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. सालेम स्थानीय शाखा 59/1, रथिनापुरी, गोरिमेदु, सालेम-636008 (तमिलनाडु)	(0427) 2400302 मोबाइल: 9442622334
साँगलि	
प्रो. श्रीराम जी. कनित्कर अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. साँगलि स्थानीय शाखा चन्द्रमणि, नियर अर्बन बैंक, विश्रामबाग साँगलि-416415 (महाराष्ट्र)	0233-2309359 (का.) 0233-2301286 (आ.) फैक्स: 0233-2301359 मोबाइल: 09422407470 ई-मेल: sgkanitkar@gmail.com
प्रो. डी. जी. दाहके मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. साँगलि स्थानीय शाखा 2 तारा कॉम्पलेक्स, 1275 खंभोग, पंचमुखी मूर्ति रोड साँगलि-416415 (महाराष्ट्र)	0233-2326359 (आ.) मोबाइल: 9422614774 ई-मेल: dahakedg@rediffmail.com
सिरोही	
श्री नरेन्द्र कुमार जैन अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. सिरोही स्थानीय शाखा लक्ष्मी भवन, सदर बाज़ार, सिरोही-307001 (राजस्थान)	(02972) 220136 (का.) 222209 (आ.) मोबाइल: 9414152318 फैक्स: 220433
श्री बलवंत सिंह राठौर मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. सिरोही स्थानीय शाखा 46, राठौर लेन, सिरोही-307001 (राजस्थान)	(02972) 225075 मोबाइल: 09468834301
तंजावुर	
डॉ. टी. एलनगोवन अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तंजावुर स्थानीय शाखा नं. 80 ए.बी.आई. तथा ए.बी.आई. टावर्स, मेडिकल कॉलेज के सामने, तंजावुर-613004 (तमिलनाडु)	(04362) 244505 (का.) 04362) 241505 (आ.) मोबाइल: 09585500000 ई-मेल: abiabiinternational@gmail.com abiabiasia@gmail.com

डॉ. जी. देवंयगम मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. तंजावुर स्थानीय शाखा 1/343, लक्ष्मी गार्डन्स, त्रीचि रोड, न्यू बस स्टैंड के सामने तंजावुर-613005 (तमिलनाडु)	(04362) 247005 (का.) 241505 (आ.) मोबाइल: 09047150000 फैक्स: 246444 ई-मेल: chairman@abiabi.org gdnayagam@gmail.com
तिरुचिरापल्लि (त्रीचि)	
श्री ए.आर. रामाचन्द्रन अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तिरुचिरापल्लि स्थानीय शाखा 1/24, अम्मनगुडि अग्राहारम, अंदनाललुर (पोस्ट), जीयपुरम, तिरुचिरापल्लि-639101 (तमिलनाडु)	(0431) 2614873 (आ.)
डॉ. एस. पालनिस्वामी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. तिरुचिरापल्लि स्थानीय शाखा ए-80, तीसरा क्रॉस, धीरन नगर, डिंडिगुल रोड तिरुचिरापल्लि-620009 (तमिलनाडु)	(0431) 2403062 (आ.) मोबाइल: 9442583062 ई-मेल: swamy@bdu.ernet.in
तिरुनेलवेलि	
श्री के. भास्कर अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तिरुनेलवेलि स्थानीय शाखा 40, सुभम कॉलोनी, के.टी.सी. नगर, नार्थ महाराजा नगर पी.ओ., तिरुनेलवेलि-627011 (तमिलनाडु)	(0462) 2521353 (आ.) मोबाइल: 9486041694
तिरुपति	
डॉ. ए. रंगा रेड्डी अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तिरुपति स्थानीय शाखा 15-40/1 डी, श्री साईं हाई स्कूल लेन, पद्नीवथी नगर, तिरुपति-517502 (आंध्रप्रदेश)	0877-2289443 (आ.) मोबाइल: 9849741654 ई-मेल: angadi_reddy@yahoo.co.in
डॉ. (श्रीमती) ए. सामंथकमानी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. तिरुपति स्थानीय शाखा 10-13-518, रेड्डी तथा रेड्डी कॉलोनी तिरुपति-517501 (आंध्रप्रदेश)	(0877) 2255054 (आ.) 0877-2289316, 2289316 (का.) मोबाइल: 9490045697 ई-मेल: akkarajusamanthakamani@gmail.com

तिरुपत्तुर	
अग्रि सी. वीरवदरन अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. तिरुपत्तुर स्थानीय शाखा सं. 342, साईबाबा नगर, वनियमबाड़ि रोड तिरुपत्तुर-635601 (तमिलनाडु)	मोबाइल: 8870762867
श्री के.एम. सुब्रामण्यन मानद सचिव, भा.लो.प्र.सं. तिरुपत्तुर स्थानीय शाखा 116, कुट्चेरी स्ट्रीट, एल.एस. हॉस्पिटल तिरुपत्तुर-635601 वेल्लोर जिला (तमिलनाडु)	मोबाइल: 9443222862 ई-मेल: kms_is@yahoo.com
वडोदरा (बड़ौदा)	
डॉ. जतिन वी. मोदी अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. वडोदरा स्थानीय शाखा 13, प्रकाश कॉलोनी जेतालपुर रोड वडोदरा-390005 (गुजरात)	(0265) 2460734 (0265) 2334282 मोबाइल: 09426054166 ई-मेल: nfabaroda@gmail.com
श्री महेश एन. त्रिवेदी मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. वडोदरा स्थानीय शाखा बजवाड़ा, भाटिया शेरि, कल्याणरेजि मंदिर के पीछे वडोदरा- 390001 (गुजरात)	मोबाइल: 9825097476
वल्लभ विद्यानगर	
प्रो. हिम्मत जी. पटेल अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. वल्लभ विद्यानगर स्थानीय शाखा 41, प्रोफेसर सोसाइटी, मोटा बाजार वल्लभ विद्यानगर-388120 (गुजरात)	मोबाइल: 09825892826 ई-मेल: hgpeco@yahoo.co.in
डॉ. जयेश पुजारा मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. वल्लभ विद्यानगर स्थानीय शाखा श्री.डी.एन. स्नातकोत्तर वाणिज्य अध्ययन संस्थान, एस.बी. पटेल विज्ञान कॉलेज परिसर, सरदार गंज रोड आनंद- 388001 (गुजरात)	मोबाइल: 093752559375 08866298662 ई-मेल: jayeshpoojara@gmail.com

वेल्लोर	
श्री पी. देवदास अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. वेल्लोर स्थानीय शाखा नं. 148, वी.ओ.सी. स्ट्रीट, गाँधी नगर वेल्लोर-632006 (तमिलनाडु)	(0416) 2243814 (आ.) मोबाइल: 9894112375
विल्लुपुरम	
श्री एम. षण्मुखम अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. विल्लुपुरम स्थानीय शाखा 5, जेयाराम लेआउट, महाराजापुरम विल्लुपुरम-605602 (तमिलनाडु)	मोबाइल: 9994506828 टेलिफोन: 4146 - 22207
श्री एम. थिरुग्ननसंबंद्धम मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. विल्लुपुरम स्थानीय शाखा 11/5 देवराज स्ट्रीट, कीलपेरुम्बक्कम विल्लुपुरम-605602 (तमिलनाडु)	मोबाइल: 9994707470 ई-मेल: mthirugnanasambandam@gmail.com
विरूद्धनगर	
श्री एस.पी.जी.आर. नित्यानंदन अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. विरूद्धनगर स्थानीय शाखा 1, कूलैय्यन कोविल स्ट्रीट विरूद्धनगर-626001 (तमिलनाडु)	244164 & 244364 (का.) फैक्स: 244964 (का.) ई-मेल: spgr@md4.vsnl.net.in
श्री आर. कांगवेल मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. विरूद्धनगर स्थानीय शाखा 529, मदुरई रोड, विरूद्धनगर-626001 (तमिलनाडु)	(04562)-244835 (का.) 246035 (आ.) फैक्स: 244562-243705 ई-मेल: kanagavel@thangamgroup.com
विशाखापट्टनम	
प्रो. ई.ए. नारायण अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. विशाखापट्टनम स्थानीय शाखा मार्फत राजनीति विज्ञान तथा लोक प्रशासन विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय, विज़ग विशाखापट्टनम-530003 (तेलंगाना)	(0891) 2824418 (का.) मोबाइल: 09441249331 ई-मेल: narayanaea@gmail.com

प्रो. एन. संबशिवा रॉव मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. विशाखापट्टनम स्थानीय शाखा मार्फत वाणिज्य तथा प्रबंध अध्ययन विभाग, आंध्र विश्वविद्यालय विशाखापट्टनम-530003 (तेलंगाना)	(0891) 2844270 (का.) मोबाइल: 09848170274 ई-मेल: nadendlasr@gmail.com
वारंगल	
प्रो. एम. विद्यासागर रेड्डी अध्यक्ष भा.लो.प्र.सं. वारंगल स्थानीय शाखा मार्फत लोक प्रशासन तथा मानव संसाधन प्रबंधन विभाग काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल-506009 (आंध्रप्रदेश)	मोबाइल: 09866576017 ई-मेल: profmvsreddy@gmail.com
प्रो. जी. रामेश्वरम मानद सचिव भा.लो.प्र.सं. वारंगल स्थानीय शाखा मार्फत लोक प्रशासन तथा मानव संसाधन प्रबंधन विभाग काकतीय विश्वविद्यालय, वारंगल-506009 (आंध्रप्रदेश)	(0870) 2455588 (का.) मोबाइल: 09885774967 ई-मेल: rameshwaram@yahoo.co.in

परिशिष्ट-च.3.2

क्षेत्रीय तथा स्थानीय शाखाओं से संबद्ध सदस्यों की सूची

31.03.2020 के अनुसार

क्रम सं.	क्षेत्रीय	स्थानीय	सक्रिय सदस्य		स्थगित सदस्य		कुल सदस्यता		कुल क+ख
			वार्षिक	आजीवन	वार्षिक	आजीवन	वार्षिक (क)	आजीवन (ख)	
1.	असम		0	42	1	156	1	198	199
2.	बिहार		0	156	0	352	0	508	508
3.		पाटिलपुत्र	0	9	0	29	0	38	38
4.		मुज़्जफ्फरपुर	0	25	0	14	0	39	39
5.	दिल्ली		0	387	5	1427	5	1814	1819
6.	गोवा (पश्चिमी तट)		1	9	0	33	1	42	43
7.	गुजरात		0	21	0	112	0	133	133
8.		वडोदरा	0	11	1	35	1	46	47
9.		वल्लभ विद्यानगर	0	4	0	31	0	35	35
10.	हरियाणा		0	73	0	161	0	234	234
11.	हिमाचल प्रदेश		0	36	0	54	0	90	90
12.	जम्मू तथा कश्मीर		1	142	1	195	2	337	339
13.	झारखंड		0	51	0	127	0	178	178
14.		जमशेदपुर	0	3	0	13	0	16	16
15.	कर्नाटक		2	87	0	204	2	291	293
16.		गुलबर्गा	0	19	0	21	0	40	40
17.		धारवाड़	0	12	0	10	0	22	22
18.		मैसूर	0	7	0	24	0	31	31
19.	केरल		1	77	2	120	3	197	200
20.	मध्य प्रदेश (छत्तीसगढ़ सहित)		1	94	1	166	2	260	262
21.		इंदौर	0	16	0	23	0	39	39
22.		जबलपुर	0	14	0	48	0	62	62

क्रम सं.	क्षेत्रीय	स्थानीय	सक्रिय सदस्य		स्थगित सदस्य		कुल सदस्यता		कुल क+ख
			वार्षिक	आजीवन	वार्षिक	आजीवन	वार्षिक (क)	आजीवन (ख)	
23.	महाराष्ट्र		0	163	0	597	0	760	760
24.		औरंगाबाद	0	28	0	29	0	57	57
25.		नागपुर	1	37	0	55	1	92	93
26.		नासिक	0	0	0	20	0	20	20
27.		पुणे	1	39	1	120	2	159	161
28.		साँगलि	0	9	0	9	0	18	18
29.	मणिपुर		0	20	0	40	0	60	60
30.	मेघालय		0	14	0	65	0	79	79
31.	मिज़ोरम		0	15	0	54	0	69	69
32.	ओडिशा		0	73	0	160	0	233	233
33.		कटक	0	18	0	17	0	35	35
34.	पंजाब तथा चंडीगढ़ (संघशासित प्रदेश)		0	61	1	210	1	271	272
35.		पटियाला	0	17	0	20	0	37	37
36.	राजस्थान		2	93	0	221	2	314	316
37.		सिरोही	0	4	0	4	0	8	8
38.	तमिलनाडु		0	218	0	441	0	659	659
39.		कोयंबटूर	0	8	0	22	0	30	30
40.		कुद्दालोर	0	35	0	9	0	44	44
41.		डिंडिगुल	0	7	0	15	0	22	22
42.		मदुरई	0	48	0	67	0	115	115
43.		सैदापेट	0	5	0	19	0	24	24
44.		सालेम	0	2	0	15	0	17	17
45.		तंजावुर	0	6	0	23	0	29	29
46.		तिरुनेलवेलि	0	8	0	11	0	19	19
47.		तिरुपत्तुर	0	14	0	3	0	17	17
48.		तिरुचिरापलि	0	6	0	19	0	25	25
49.		वेल्लोर	0	18	0	22	0	40	40

क्रम सं.	क्षेत्रीय	स्थानीय	सक्रिय सदस्य		स्थगित सदस्य		कुल सदस्यता		कुल क+ख
			वार्षिक	आजीवन	वार्षिक	आजीवन	वार्षिक (क)	आजीवन (ख)	
50.		विल्लुपुरम	0	17	0	3	0	20	20
51.		विरूद्धनगर	0	6	0	10	0	16	16
52.		पुडुचेरी	0	20	1	30	1	50	51
53.	तेलंगाना' तथा आन्ध्र प्रदेश		0	177	2	333	2	510	512
54.		करीमनगर	0	9	0	19	0	28	28
55.		तिरुपति	0	34	0	34	0	68	68
56.		विशाखापट्टनम	0	30	0	53	0	83	83
57.		वारंगल	0	39	0	47	0	86	86
58.	उत्तराखंड		0	53	0	193	0	246	246
59.	उत्तर प्रदेश		0	248	3	530	3	778	781
60.		आगरा	0	11	0	23	0	34	34
61.		बरेली	0	16	0	25	0	41	41
62.		बुदायूँ	0	47	0	56	0	103	103
63.		मेरठ	0	20	0	36	0	56	56
64.		कानपुर	0	52	0	21	0	73	73
65.	पश्चिम बंगाल		3	95	0	241	3	336	339
66.		बुर्दवान	0	13	0	6	0	19	19
67.		हावड़ा	0	11	0	6	0	17	17
	अन्य राज्य*		0	10	1	45	1	55	56
	विदेश*		0	11	0	109	0	120	120
	कुल		**13**	**3180**	**20**	**7462**	**33**	**10642**	**10675**

* भा.लो.प्र.सं. की कोई शाखा नहीं।

परिशिष्ट-च.4

शैक्षणिक केंद्र (2019-2020)

नगरीय अध्ययन केंद्र		उपभोक्ता अध्ययन केंद्र	
1.	प्रो. के.के. पांडेय- समन्वयक	1.	प्रो. सुरेश मिश्रा- समन्वयक
2.	डॉ. वी.एन. आलोक	2.	डॉ. साकेत बिहारी
3.	डॉ. कुसुम लता	3.	डॉ. सपना चड्डा
4.	डॉ. सचिन चौधरी	4.	डॉ. ममता पठानिया
5.	डॉ. सुजित कुमार प्रुसेथ	5.	डॉ. मनन द्विवेदी
6.	डॉ. अमित कुमार सिंह		
आर्थिक विकास तथा प्रबंधन अध्ययन केंद्र		**जनजातीय शोध तथा अन्वेषण केंद्र**	
1.	प्रो. गोविंद भट्टाचारजी- समन्वयक	1.	डॉ. नूपुर तिवारी- समन्वयक
2.	प्रो. गीतांजलि नटराज	2.	डॉ. साकेत बिहारी
3.	डा. नीतू जैन	3.	डा. गदाधर मोहपात्र
4.	डा. पवन कुमार तनेजा	4.	डा. अमित कुमार सिंह
		5.	डा. अनुपम सरकार
लोकनीति तथा सामाजिक न्याय हेतु डा. अम्बेडकर केंद्र		**जलवायु परिवर्तन, पर्यावरण तथा सूखा प्रशासन केंद्र**	
1.	प्रो. सी.शीला रेड्डी- समन्वयक	1.	डॉ. श्यामली सिंह- समन्वयक
2.	डॉ. नीतू जैन	2.	प्रो. वी.के. शर्मा
3.	डॉ. नूपुर तिवारी	3.	प्रो. अशोक विशनदास
4.	डॉ. सपना चड्डा	4.	डॉ. सुरभि पांडेय
5.	डा. गदाधर मोहपात्र		
स्वच्छ शासन केंद्र		**ई-शासन केंद्र**	
1.	श्री अमिताभ रंजन- समन्वयक	1.	डा. चारु मल्होत्रा- समन्वयक
2.	श्री. एच.सी. यादव	2.	डा. कुसुम लता
3.	श्री मिथुन बरुआ	3.	डा. सुरभि पांडेय
4.	सुश्री मेघना चुकथ		

परिशिष्ट-च.5

भा.लो.प्र.सं. संकाय वर्ग तथा अन्यों का शैक्षणिक योगदान (प्रशिक्षण तथा शोध अध्ययनों के अतिरिक्त)

सुरेश मिश्रा

शोध मार्गदर्शन

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या	शोध प्रबंध जमा किया	डिग्री प्रदान की
1.	4503- श्री सुभाषचंद्र	आई.टी.यू. की आई. सी.टी. विकास सूची: भारत की रैंकिंग में सुधार की रणनीति	संपन्न
2.	4524- श्री अनुपम मिश्रा	संबंधित वस्तुओं की भावी स्पाट कीमत का विश्लेषण	संपन्न

प्रकाशन

1. सतत उपभोग और जीवनशैली की ओर (संपा.)

   II प्रकाशक : कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी, नई दिल्ली

   III स्थान : नई दिल्ली

   IV प्रकाशन की तिथि : 2019 (अप्पा दीक्षांत समारोह में विमोचित)

2. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019- एक पाठक

   II प्रकाशक : भा.लो.प्र.सं.

   III स्थान : नई दिल्ली

   IV नवं 2019 (वार्षिक आम बैठक- 2009 में विमोचित)

(iv) संदर्भ जर्नलों/ पुस्तकों में प्रकाशित पत्रों का विवरण

- सुरेश मिश्रा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, उपभोक्ता आवाज़, खंड 4 - अंक 2, अक्तू.- दिसं. 2019
- सुरेश मिश्रा, प्रत्यक्ष बिक्री पर इन फोकस साक्षात्कार, प्रत्यक्ष बिक्री आज, अक्तू. 2019 में प्रकाशित
- सुरेश मिश्रा तथा ममता पठानिया, (2019) विद्युत क्षेत्र में शिकायत समाधान तंत्र: दिल्ली का एक एक प्रकरण अध्ययन, गुरप्रीत पन्नु (संपा.), भारत में उपभोक्ता संरक्षण की चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग, में, प्रकाशन ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, 2019 ISBN 978-81-302-0509-0
- शिकायत दर्ज करना आसान हुआ, समाधान शीघ्र होना चाहिए, ट्रिब्यून, चंडीगढ़
- डिजिटाइज़ेशन का प्रसार तथा भारत में सुधार, प्रो. ए. रंगा रेड्डी, तिरुपति की पुस्तक में प्रस्तावना लिखी।
- वैश्वीकृत बाज़ार में उपभोक्ता सशक्तीकरण: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भा.लो.प्र.सं., डाइजेस्ट, खंड सं. 01, 4 अक्तू- दिसं 2019

भा.लो.प्र.सं. की समितियाँ

I. अध्यक्ष, भा.लो.प्र.सं. शोध कर्मचारी चयन समिति

II. अध्यक्ष, एन.सी.एच. कर्मचारी चयन समिति

III. निदेशक महोदय की अध्यक्षता वाली परियोजना कर्मचारी चयन समिति के सदस्य

वर्ष के दौरान विविध परियोजना कर्मचारियों के चयन हेतु चयन समितियों की 30 से भी अधिक बैठकें हुईं।

क. समन्वयक, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र

इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की समस्त गतिविधियों का समन्वयन, सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रमों, कार्यशालाओं, संगोष्ठियों का

वार्षिक कैलेंडर तैयार करना, विविध पाठ्यक्रमों के लिए विविध विश्वविद्यालयों तथा संस्थाओं से प्राप्त प्रस्तावों मूल्याँकन तथा आकलन, मॉनीटरन समिति से अनुमोदित कार्य योजना संपन्न करना, क्षेत्रीय यात्राएँ संचालित करना, समय पर उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करने जिससे समय पर अनुदान प्राप्त हो तथा लेखा परीक्षा के लिए प्रत्युत्तर तैयार करना, मॉनीटरन समिति के समक्ष सी.सी.एस. की कार्य योजना प्रस्तुत करना, रिपोर्टें तैयार तथा जमा करना, सी.सी.एस. वेबसाइट का रखरखाव, उपभोक्ता मामले विभाग, विविध राज्य सरकारों, एन.सी.डी.आर.सी. तथा अन्य उपभोक्ता शिकायत समाधान मंचों के साथ संपर्क करना और अन्य गतिविधियाँ। उपभोक्ता मामले विभाग की विविध बैठकों तथा विभाग की अन्य समितियों में भाग लेना। विचाराधीन अवधि में मैं विविध मुद्दों पर मंत्रालय की 50 से अधिक बैठकों में भाग लिया।

ख. संपादक : कंज़्यूमर डॉयलॉग, सी.सी.एस. न्यूज़लैटर

ग. संपादक : उपभोक्ता वार्ता- सी.सी.एस. हिंदी पत्रिका

घ. परियोजना निदेशक : एन.सी.एच. के समेकित उपभोक्ता शिकायत समाधान पद्धति

इस उत्तरदायित्व के अंतर्गत प्रतिदिन एन.सी.एन. तथा एस.सी.एच. की कार्यप्रणाली का प्रबंधन तथा समीक्षा, कार्य योजना निर्मिति तथा उत्तरदायित्व सौंपना आदि शामिल है। परियोजना कर्मचारियों को कार्य आबंटन, प्रतिदिन शिकायतों का मॉनीटरन तथा समीक्षा एवं उनका समाधान। सचिव (उपभोक्ता मामले) की अध्यक्षता में आयोजित साप्ताहिक समीक्षा बैठकों में भाग लेना, सी.सी.एस. की समीक्षा बैठकों में भाग लेना तथ माननीय मंत्रीजी के समक्ष एन.सी.एच. रिपोर्टों को प्रस्तुत करना, शिकायतों को समाधान पर संसदीय प्रश्नों का उत्तर देना, विविध उपभोक्ताओं द्वारा भेजी गई आर.टी.आई. का उत्तर देना। समय पर रिपोर्ट जमा करना। एन.सी.एच. का बजट तैयार करना, उपयोगिता प्रमाण-पत्र जमा करना तथा अनुदान विमोचन। विविध संबद्ध कंपनियों के साथ परस्पर आदान-प्रदान। बंगलौर, अहमदाबाद, जयपुर, पटना, कोलकत्ता तथा गुवाहाटी में स्थिति हेल्पलाइनों की कार्यप्रणाली की नियमित रूप से समीक्षा करना, उनका मॉनीटरन तथा निरीक्षण करना। निरीक्षण रिपोर्टों को उपभोक्ता मामले विभाग में प्रस्तुत करना।

भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य शैक्षणिक/व्यावसायिक उपलब्धियाँ तथा योगदान

1. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किया गया शैक्षणिक कार्य

- उपभोक्ता मामले विभाग हेतु सर्वोत्कृष्ट राज्य आयोग पुरस्कार की रैंकिंग के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निबटान आयोग के लिए पद्धति तथा आकलन पैरामीटर तैयार किए।
- 16 जनवरी, 2020 को गुणवत्ता अवसंरचना पर इंडो-जर्मन कार्य समूह की सातवीं वार्षिक बैठक में ''नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उत्पाद दायित्व'' पर प्रस्तुतीकरण देने के लिए आमंत्रितं
- 29 सितंबर, 2019 को हेमचंद्र आचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय में ''स्वास्थ्य देखभाल तकनीकों का समेकन: सस्ते तथा सुलभ स्वास्थ्य देखभाल का एक समाधान - स्वास्थ्य सशक्तीकरण की ओर एक कदम'' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में ''स्वास्थ्य देखभाल, तकनीक तथा उपभोक्ता संरक्षण'' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया।
- 6 सितंबर, 2019 को, गाँधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में स्वैच्छिक उपभोक्ता संघ के स्वनियामक शीर्षस्थ निकाय के वार्षिक सम्मेलन में ''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा स्वैच्छिक उपभोक्ता संघों की भूमिका'' विषय पर मुख्य भाषण दिया।
- दिल्ली विश्वविद्यालय द्वारा ''भारत में निजी इक्विटी निवेश का एक अनुभव सिद्ध अध्ययन: प्रवृत्तियाँ तथा निर्धारक'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- मदुरई कामराज विश्वविद्यालय द्वारा ''जिला डिंडिगुल में निजी क्षेत्र के बैंकों में उपभोक्ता संतुष्टि का एक अध्ययन'' विषय पर पीएच. डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- इग्नू, नई दिल्ली द्वारा ''शहरीकरण पर सरकारी

योजनाओं का प्रभाव : एन.सी.आर. दिल्ली (1983-2013) का एक प्रकारण अध्ययन'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।

- मदुरई कामराज विश्वविद्यालय द्वारा ''तमिलनाडु में टी.एन.एस.टी.सी. में औद्योगिक संबंध'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- कला संकाय/ गाँधीवादी अध्ययन, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा ''महात्मा गाँधी तथा भगतसिंह : स्वतंत्रता की अवधारणा'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- मदुरई कामराज विश्वविद्यालय द्वारा ''मदुरई जिले में पर्यटन का खुदरा व्यापारियों तथा फेरी वालों की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- कला संकाय, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़, पंजाब द्वारा ''जनजातियों के मानव अधिकार : लहौलस्फीती का एक प्रकरण अध्ययन'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- मदुरई कामराज जिला, तमिलनाडु द्वारा ''डिंडिगुल जिला तमिलनाडु में निजी अस्पतालों की मार्केटिंग सेवाएँ'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त।
- विधि विद्यालय, इग्नू, नई दिल्ली उपभोक्ता संरक्षण पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या तैयार करने में योगदान दिया।

II. भा.लो.प्र.सं. के बाहर व्यावसायिक उपलब्धियाँ

- परिवार तथा उपभोक्ता विज्ञान विभाग, मानव इकॉलॉजी संकाय, बॉगॉर कृषि विश्वविद्यालय, इंडोनेशिया द्वारा अपने उपभोक्ता विज्ञान जर्नल के समीक्षक नामांकित।
- सदस्य, संपादक मंडल, अंतरराष्ट्रीय प्रबंध अध्ययन जर्नल, के.आई.ई.टी., गाज़ियाबाद
- सदस्य, स्कूल मंडल, विधि विद्यालय, इग्नू, नई दिल्ली
- सदस्य, अध्ययन मंडल (लोक प्रशासन), आई. आई.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर
- सदस्य, शासी मंडल, अंसल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम
- सदस्य, शैक्षणिक परिषद्, अंसल विश्वविद्यालय गुरुग्राम

शाखाओं के साथ संबद्धता

संबंद्ध शाखा

- **अध्यक्ष, दिल्ली क्षेत्रीय शाखा**

क. 9 अक्तूबर, 2019 को भा.लो.प्र.सं. के वार्षिक सम्मेलन के विषय पर दिल्ली क्षेत्रीय शाखा के प्रस्तावना सम्मेलन की अध्यक्षता की।

ख. 10 अक्तूबर,2019 को दिल्ली क्षेत्रीय शाखा की वार्षिक आम बैठक की अध्यक्षता की।

- **राजस्थान क्षेत्रीय शाखा से संबद्ध**

क. जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रीय शाखा के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की, जम्मू, जम्मू तथा कश्मीर

ख. भा.लो.प्र.सं., मुज़्फ्फरपुर स्थानीय शाखा, बिहार के साथ एक संगोष्ठी आयोजित की।

II. भा.लो.प्र.सं. के बाहर व्यावसायिक उपलब्धियाँ

1. सदस्य, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्, उपभोक्ता मामले विभाग भारत सरकारं
2. सदस्य, मुद्रित तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया में भ्रामक विज्ञापनों तथा अनुचित व्यापार व्यवहारों के मॉनीटरन हेतु अंतरमंत्रालयी मॉनीटरन समिति।
3. सदस्य, आई.एस.ओ./ सी.ओ.पी.ओ.एल.सी.ओ. की राष्ट्रीय मिरर समिति (उपभोक्ता नीति पर समिति), बी.आई.एस.।
4. सदस्य, उपभोक्ता जागरुकता सृजन हेतु सशक्त समिति, जागो ग्राहक जागो, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार।
5. सदस्य, विशेषत: विवाहों/पार्टियों/ समारोहों के दौरान खाद्यान्न अपव्यय तथा आडंबरपूर्ण व्यवहार को रोकने हेतु समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।

6. सदस्य, उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ''टी.पी.डी.एस. में सुधार–एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'' विषय पर परामर्श समिति।
7. सदस्य, उपभोक्ता जागरुकता सृजन हेतु मल्टीमीडिया सलाहकार समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।
8. सदस्य, विविध कानूनों के अंतर्गत पैक की हुई वस्तुओं पर लेबल लगाने की आवश्यकताओं के सौहार्दीकरण हेतु स्थायी समिति।
9. सदस्य, उपभोक्ता जागरुकता हेतु सृजनात्मक एजेंसियों की सूचीकरण हेतु चयन समिति, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार।
10. सदस्य, *''जागो ग्राहक जागो''* अभियान हेतु प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक (दृश्य/श्रव्य) सृजनों के डिज़ाइन तथा निर्माण हेतु उत्पादन एजेंसियों के सूचीकरण हेतु चयन समिति।

मीडिया के साथ परस्पर विचार विमर्श

- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का मार्ग, ज्ञानदर्शन टी.वी. पर पेनल चर्चा, इग्नू, 23 दिसंबर, 2019 ।
- उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर पेनल चर्चा, राज्य सभा टी.वी., 24 दिसंबर, 2019 ।
- उपभोक्ता दिवस पर राज्यसभा टी.वी. पर पेनल चर्चा।
- देश में आयोजित विविध कार्यक्रमों के दौरान उपभोक्ता कल्याण सं संबंधित मुद्दों पर प्रिंट तथा इलेक्ट्रॉनिक मीडिया के साथ बातचीत की तथा साक्षात्कार दिए।

सी. शीला रेड्डी

शोध

(i) डा. अम्बेडकर फाउंडेशन की अंतरजातीय विवाह योजना का संभावित लाभभोगियों के जीवन पर प्रभाव

(ii) पंजाब में एन.बी.सी.एफ.डी.सी. की योजनाओं के लाभभोगियों का निरीक्षण तथा इनके प्रभाव का मूल्याँकन।

प्रख्यात जर्नलों तथा उल्लिखित पत्रिकाओं में लेखः

(i) लेख प्रकाशित, सी. शीला रेड्डी द्वारा, ''सामाजिक समावेश तथा सामाजिक न्याय का अंतर्संबंध : डा. अम्बेडकर का परिपेक्ष्य'', सामाजिक तथा न्याय संदेश, खंड 10, जनवरी 2020, में।

(ii) 19 अक्तूबर, 2019 को हुए भा.लो.प्र.सं. के सदस्यों के 63 वें वार्षिक सम्मेलन के लिए ''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य'' पर विषय-पत्र लिखा।

(iii) लेख प्रकाशित, सी. शीला रेड्डी द्वारा, संविधान निर्माण में डा. अम्बेडकर का दर्शन, लेंसी लोबो तथा धनंजय कुमार द्वारा संपादित ''अम्बेडकर की विरासतः विश्लेषण तथा मूल्याँकन'' शीर्षक पुस्तक, रावत प्रकाशन, जयपुर 2019, ISBN 978-81-316-1068-8, में।

(iv) लेख प्रकाशित, सी. शीला रेड्डी द्वारा, ''स्वच्छ शासन हेतु पंचायती राज संस्थाओं का सुदृढ़ीकरण'', बिहार लोक प्रशासन जर्नल, खंड XVI, संख्या 01, जनवरी-जून, 2019 पृ.5-14, ISSN: 0974-2735, में।

संगोष्ठी/सम्मेलन का विवरण जिनमें पत्र प्रस्तुत किया :

(i) 30 अगस्त, 2019 को इंस्टीट्यूट ऑफ पब्लिक ऑडिटर्स ऑफ इंडिया, नई दिल्ली द्वारा ''सार्वजनिक लेखा परीक्षा तथा शासन'' विषय पर संगोष्ठी में वक्ता के रूप में आमंत्रित।

(ii) हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान द्वारा भा.लो.प्र.सं. हरियाणा क्षेत्रीय शाखा के सहयोग से आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला (03-04 अक्तूबर, 2019) ''स्वच्छ शासन तथा सतत विकास लक्ष्य'' में 03 अक्तूबर, 2019 को सतत विकास लक्ष्य पर संकल्पना पत्र प्रस्तुत किया।

(iii) भा.लो.प्र.सं. की दिल्ली क्षेत्रीय शाखा द्वारा 10 अक्तूबर, 2019 को *''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत विकास लक्ष्य''* विषय पर आयोजित प्रस्तावना सम्मेलन में विषय-पत्र प्रस्तुत किया।

(iv) 19 अक्तूबर, 2019 को भा.लो.प्र.सं. के सदस्यों के 63 वें वार्षिक सम्मेलन में ''स्वच्छ शासन तथा संयुक्त राष्ट्र सतत् विकास लक्ष्य'' पर विषय-पत्र प्रस्तुत किया।

(v) डा. बी.आर. अम्बेडकर अध्ययन केंद्र, कुरुक्षेत्र विश्वविद्यालय, कुरुक्षेत्र द्वारा आयोजित (7-8 नवंबर, 2019) तथा आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा प्रायोजित ''डा. बी.आर.अम्बेडकर की सामाजिक-आर्थिक अंतरण की संकल्पना'' शीर्षक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में 07 नवंबर, 2019 को पेनलिस्ट।

(vi) 25 नवंबर, 2019 को मनाए जाने वाले संविधान दिवस की पूर्व संध्या पर डा. अम्बेडकर अंरराष्ट्रीय केंद्र आयोजित ''संविधान, संविध ानवाद तथा राष्ट्रीय एकता'' पर गोलमेज़ में पेनलिस्ट।

(vii) आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा प्रायोजित तथा भूगोल विभाग, मिरांडा हाउस कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय में, ''समाज तथा शैक्षणिक संस्थाएँ: राष्ट्र निर्माण'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय (29-30 नवंबर, 2019) संगोष्ठी में 29 नवंबर, 2019 को ''राष्ट्र निर्माण में संस्थाओं की भूमिका'' विषय पर पेनल वक्ता।

(viii) 6 दिसंबर, 2019 को, यू.जी.सी.-मानव संसाधन विकास केंद्र, बी.पी.एस. महिला विश्वविद्यालय, सोनीपत, ख़ानपुर कलाँ, हरियाणा में ''महापरिनिर्माण दिवस'' के अवसर पर मुख्य वक्ता।

(ix) राजनीति विज्ञान विभाग, जामिया मिलिया इस्मालिया, नई दिल्ली द्वारा ''भारत में लोकतंत्र तथा लोकनीति : चयन तथा परिणाम'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय (26-27 फरवरी, 2020) अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में ''सैद्धांतिक संरचना तथा लोकनीति प्रक्षेप पथ की गति विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।

महत्वपूर्ण शैक्षणिक निकायों तथा ख्याति प्राप्त जर्नलों के संपादक मंडल की सदस्यता

(i) सदस्य, शैक्षणिक निकाय (विविध शैक्षणिक कार्यक्रमों के आरंभ, डिज़ाइन तथा कार्यान्वयन सहित समस्त शैक्षणिक मुद्दों हेतु सलाहकार मंडल), डी.ए.आई.सी.।

(ii) सदस्य, डी.ए.आई.सी. हेतु पोस्ट-डॉक्टोरल फेलो के चयन हेतु चयन समिति।

(iii) सदस्य, झारखंड केंद्रीय विश्वविद्यालय में लोक प्रशासन विभाग की स्थापना हेतु उच्चस्तरीय विशेषज्ञ समिति।

(iv) सुश्री प्रियंका अग्रवाल, प्रबंध अध्ययन विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय पर यू.जी.सी. वरिष्ठ शोध फेलोशिप के विचारार्थ उनके जे.आर.आफ. शोध कार्य के मूल्याँकन हेतु बाह्य विशेषज्ञ।

(v) लोक प्रशासन विभाग, समाज विज्ञान स्कूल, इग्नू में डॉक्टोरल समिति में बाह्य विशेषज्ञ।

(vi) लोक प्रशासन विभाग, समाज विज्ञान केंद्र, इग्नू में परामर्शदाताओं (पूर्ण कालिक) की भर्ती हेतु चयन समिति की सदस्य।

(vii) राजनीति विज्ञान विभाग, हैदराबाद विश्वविद्यालय में एम.फिल मौखिक परीक्षा हेतु बाह्य परीक्षक।

(viii) सदस्य, शोध परिषद, भारत की ग्रासरूट अध्ययन तथा शोध अकादमी, रखरखाव तथा विकास के लिए आई.सी.एस.एस.आर. का एक सहायता अनुदान शोध संगठन।

(ix) सदस्य, संपादक मंडल, ग्रासरूट शासन जर्नल, भारत की ग्रासरूट अध्ययन तथा शोध अकादमी।

(x) सह-संपादक, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (2 जनवरी, 2020 से)।

(xi) सदस्य सचिव, प्रकरण अध्ययन समिति, भा.लो.प्र.सं.।

(xii) इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन में सवोत्कृष्ट लेख हेतु श्री टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार के चयन हेतु चयन समिति की सदस्य।

विनोद के. शर्मा

संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों आदि में पत्र प्रस्तुत

I. संगोष्ठी/ कार्यशाला/ सम्मेलन आदि का शीर्षकः

1. *''आपदा जोखिम न्यूनीकरण तथा अनुक्रिया हेतु स्मार्ट तकनीके''* विषय पर दो दिवसीय कार्यशाला (1-2 जुलाई, 2019) में एक सत्र की अध्यक्षता की, ली मेरिडियन, नई दिल्ली।
2. मेड्रिड, स्पेन में 3-7 दिसंबर, 2019 को सी.ओ.पी. 25 के छः आयोजनों में भाग लिया।
3. 7 दिसंबर, 2019 को, मेड्रिड में सी.ओ.पी. 25 में जलवायु प्रेरित प्रवास पर एक आयोजन की अध्यक्षता की।
4. 9 जनवरी, 2020 को द अम्बेसेडर, नई दिल्ली में *''पशु समावेशी आपदा जोखिम न्यूनीकरण''* हेतु सामर्थ्य-निर्माण पर राष्ट्रीय कार्यशाला में ''पशुओं तथा भटकते पशुओं हेतु आपदा जोखिम न्यूनीकरण के संबंध में चुनौतियाँ तथा कमियाँ'' पर सत्र की अध्यक्षता की।

II. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

(क) समितियाँ तथा अन्य (प्रभाग तथा योजना और परामर्श समिति की सदस्यता, समन्वयकत्व, संपादकत्व तथा संयोजकत्व आदि) विवरण तथा भागीदारी की प्रकृति- भा.लो.प्र.सं. की आजीवन सदस्यता।

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबंद्धता (समितियों/बोर्डो आदि की सदस्यता)।

1. ट्रापिकल परिस्थितिकी हेतु अंतरराष्ट्रीय सोसाइटी की आजीवन सदस्यता
2. सदस्य, ''आपदा अनुक्रिया तथा प्रबंधन'' जर्नल सलाहकार बोर्ड, ISSN No. 2347-2553, एल..बी.एस.एन., ए.ए., मसूरी
3. सदस्य, संपादक दल, आपदा प्रबंधन पर स्रोत पुस्तक, एल.बी.एस.एन.ए.ए., मसूरी
4. सदस्य, संपादक मंडल, मानव अधिकारों पर एन.आई.यू. अंतरराष्ट्रीय जर्नल
5. सदस्य, संपादक मंडल, वनस्पति विकास विज्ञान जर्नल। ISSN : 0974-6382, राष्ट्रीय कृषि विज्ञान अकादमी द्वारा प्रकाशित।
6. सदस्य, सलाहकार समिति, विकास तथा सामाजिक पर्यावरणीय प्रबंधन व्यावसायिक संस्थान, कलकत्ता (पश्चिम बंगाल)
7. सदस्य, यू.एन., आई.एस.डी.आर., एशिया विज्ञान, तकनीकी तथा शैक्षणिक सलाहकार समूह (2015-2020)
8. उपाध्यक्ष- यू.एन.आई.एस.डी.आर.- फिक्कि एराइज़ इंडिया
9. उपाध्यक्ष- सिक्किम राज्य आपदा प्रबंधन प्राधिकरण
10. विशेषज्ञ सदस्य, उत्तर प्रदेश जलवायु परिवर्तन प्राधिकरण
11. सदस्य - विज्ञान, प्रौद्योगिकी तथा नवीनता नीति 2020 - अध्यक्ष विषयगत समूह- सामर्थ्य निर्माण
12. सदस्य, कार्यकारी समिति, स्फीयर इंडिया

के.के. पांडेय

प्रकाशन

पत्र तथा लेख

I. शीर्षकः

(क) विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अंतरनगरीय मॉडल

(ख) भारत में शहरी अपशिष्ट से परिपत्र अर्थव्यवस्था

II. जर्नल/ समाचार पत्र

(क) शेल्टर, हुडको

(ख) निर्माण सारिका, बी.एम.टी.पी.सी.

III. दिनाँक

क. अक्तूबर, 2019

ख. अक्तूबर 7, 2019

भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता

(क) समितियाँ तथा अन्य (प्रभाग और योजना तथा परामर्श समिति की सदस्यता, समन्वयकत्व, संपादकत्व तथा संयोजकत्व आदि) विवरण तथा भागीदारी की प्रकृति।

(i) नगरीय अध्ययन केंद्र, भा.लो.प्र.सं. का समन्वयन

(ii) राजभाषा समिति, भा.लो.प्र.सं. का समन्वयन

(iii) अप्पा में शहरी शाखा का समन्वयन

(iv) अप्पा में अर्थशास्त्र शाखा का समन्वयन

(v) अप्पा में आचार शाखा का समन्वयन

(vi) भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद् के सदस्य

(vii) भा.लो.प्र.सं. में शोध स्टाक की चयन समिति के सदस्य

(viii) नगरलोक संपादक मंडल के सदस्य

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

(i) लोक प्रशासन की एशियाई समीक्षा

(ii) आकाँक्षा- वाई.एस.एस.जी. पत्रिका (ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं को प्रमाणित करने हेतु)

(iii) एन.सी.आर. योजना मंडल, 2021 की समीक्षा हेतु स्टीयरिंग समिति के सदस्य

(iv) ए.एम.डी.ए. (नगरपालिका तथा विकास प्राधिकरण संघ) के सलाहकार मंडल के सदस्य

(v) आर्थिक गतिविधि तथा वित्तीय नीति पर एन.सी. आर.पी.बी. अध्ययन समूह के अध्यक्ष

(vi) जामिया मिलिया इस्मालिया प्रबंधन में भारत के राष्ट्रपति के नामिती।

शाखाओं से संबद्धता

शाखा से संबद्धता : उत्तर प्रदेश और महाराष्ट्र

गतिविधियों से संबद्धता

1. प्रशिक्षण: राज्य सरकारों के साथ समझौता ज्ञापन

(क) तकनीकी प्रस्तावों की निर्मिति

1. अध्ययन/शैक्षणिक गतिविधियों हेतु तकनीकी प्रस्ताव भेजे (i) आई.सी.बी. कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन हेतु बिहार, अरूणाचल प्रदेश, लखनऊ, मिज़ोरम आदि राज्य सरकारों, (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आदि को सामाजिक प्रभाव आकलन।
2. स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार के विदेश अध्ययन दौरे हेतु प्रस्ताव भेजा।
3. अरूणाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों हेतु विदेश अध्ययन दौरे का प्रस्ताव भेजा।
4. एन.सी.ए.पी. (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका की रूपरेखा पर अध्ययन हेतु प्रस्ताव
5. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा मिशन, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को दो अध्ययन प्रस्ताव भेजे।
6. इथोपिया के सिटी नेताओं हेतु यू.एन.- हेबीटैट सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम के लिए प्रस्ताव भेजा।
7. उत्तर प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति हेतु लागत तथा कीमत एवं लागत वसूली का अध्ययन।
8. राजीव गाँधी युवा विकास संस्थान के आकलन और मूल्याँकन हेतु प्रस्ताव।

(ख) प्रकाशन

(i) विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन हेतु अंतरनगरीय मॉडल; शेल्टर, हुडको, अक्तूबर, 2019

(ii) भारत में नगरीय अपशिष्ट से परिपत्र अर्थव्यवस्था, निर्माण सारिका, बी.एस.टी.पी.सी., अक्तूबर 7, 2019

(iii) सी.यू.एस. के समन्वयक के रूप में, आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा समय-समय पर माँगी गई सावधिक रिपोर्टें, आकलन रिपोर्ट, संसदीय प्रश्न, पत्र, डाटा शीट्स तथा तकनीकी पत्र तैयार किए।

(iv) आई.आई.पी.ए. बैठक के लिए दस्तावेज़ तैयार किए।

(ग) संगोष्ठियों/सम्मेलनों में भाग लिया

(i) यू.एन. हेबीटैट द्वारा 15-19 जुलाई, 2019 को आयोजित भूमंडलीकृत विश्व में नगर-महानगरीय अर्थव्यवस्था तथा वित्त।

(ii) 20 अगस्त, 2019 को राजस्थान नवीनताप्रेरक दृष्टि द्वारा आयोजित स्थानीय सरकार का सुदृढ़ीकरण।

(iii) आई.टी.पी.आई. द्वारा 11-13 जनवरी, 2020 को आयोजित 68 वाँ राष्ट्रीय नगर तथा राष्ट्र आयोजक संगोष्ठी, राष्ट्रीय मिशल : स्थानीय आयोजन तथा कार्यान्वयन कार्य।

(iv) एन.सी.आर. हेतु क्षेत्रीय आयोजन-2041 की निर्मित, एन.सी.आर.पी.बी. द्वारा 24 जनवरी, 2020 को कार्यान्वयन रणनीतियों पर कार्यशाला आयोजित।

(घ) महत्वपूर्ण शैक्षणिक निकायों तथा संपादकीय मंडल की सदस्यता

(i) संपादक मंडल के सदस्य

क. नगरलोक

ख. लोक प्रशासन की एशियाई समीक्षा

ग. आकाँक्षा- वाई.एस.एस.जी. पत्रिका (ग्रामीण क्षेत्रों में शैक्षणिक संस्थाओं को प्रमाणित करने हेतु)

(ii) भा.लो.प्र.सं. की कार्यकारी परिषद् के सदस्य

(iii) एक केंद्रीय विश्वविद्यालय की चयन समिति में आमंत्रित नामिति

(iv) एन.सी.आर. योजना मंडल, 2021 की समीक्षा करने के लिए स्टीयरिंग समिति के सदस्य

(v) अध्यक्ष- शहरी अर्थव्यवस्था पर एन.सी.आर. अध्ययन समूह

(vi) ए.एम.डी.ए. (नगरपालिका तथा विकास प्राधिकरण संघ) के सलाहकार मंडल के सदस्य

(vii) समन्वयक, नगरीय अध्ययन केंद्र

(viii) समन्वयक, राजभाषा समिति

अशोक विशनदास

पत्र तथा लेख

(i) अशोक विशनदास (2019), ''उर्वरक सहायता का डी.बी.टी.: चलने का अंतिम मील'', फाइनेंशियल एक्सप्रेस,। अगस्त, 2019 (https://www.financialexpress.com/economy/dbt-of-fertilizers-subsidy-the-last-mile-to-walk/1662938/)

(ii) अशोक विशनदास (2019), ''मोदी यदि कृषि-नीति में ये सुधार लाते हैं तो भारतीय कृषि उड़ान भरेगी'', फानेंशियल एक्सप्रेस, 26 जून, 2019 (https://www.financialexpress.com/budget/budget-2019-indian-agriculture-will-fly-if-modi-brings-these-reforms-in-agri-policy/1613241/)

(iii) अशोक विशनदास (2020) ''2020 तक किसानों की आय दोगुनी करना एक कठिन कार्य, किंतु असंभव नहीं'', पॉलिसी सर्कल, 6 फरवरी, 2020. (https://www.policycircle.org/opinion/doubling-farmers-income-by-2022-a-tough-task-but-not-an-impossible-one/)

(iv) अशोक विशनदास तथा नितिशा ठकवानी (2020) ''निर्धन किसान तथा उत्पाद की उच्च खुदरा कीमत एक नई साधारण बात'', पॉलिसी सर्कल, 7 अप्रैल, 2020. (https://www.policycircle.org/economy/impoverished-farmer-and-high-product-prices-the-new-normal/)

(v) अशोक विशनदास तथा निताशा ठकवानी (2020), 'कोरोनावायरस संकट: सरकार को

सबके लिए खाद्य सुनिश्चित करना चाहिए, और लोगों को निर्धनता में जाने से बचाना चाहिए, फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 2 मई, 2020 (https://www.financialexpress.com/economy/coronavirus-lockdown-food-poor-poverty-govt-agenda-helping-poor-bpl-food-for-all-migrant-workers-labourers-covid-19/1946152/ -)

(ख) संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों आदि में पत्र-प्रस्तुत

I. संगोष्ठी/ कार्यशाला/ सम्मेलन आदि का शीर्षकः

(i) ''पंजाब अर्थव्यवस्था की सामयिक चुनौतियाँ- आगे का एक रोडमैप'', मुख्य व्याख्यान दिया।

(ii) आयोजक अभिकरण : पंजाब स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स, गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

(iii) स्थान तथा दिनाँक : अमृतसर, 21-22 फरवरी, 2020.

(iv) वित्त पोषण अभिकरण : गुरू नानक देव विश्वविद्यालय, अमृतसर।

(v) अनुदान

(vi) प्रस्तुत पत्र का शीर्षक : ''पंजाब अर्थव्यवस्था के सामयिक मुद्दे- आगे का एक रोडमैप'' पर मुख्य व्याख्यान दिया।

ख. II. संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों आदि पत्र प्रस्तुत

श्री माता वैष्णो देवी विश्वविद्यालय द्वारा अपने स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स, 'अर्थ' के बड़े समारोह के अवसर पर अतिथि वक्ता के रूप में आमंत्रित।

स्थान तथा दिनाँक : कटरा (जे.तथा के.), 7 से 9 फरवरी, 2020

ग. भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता (समितियों/ बोर्डों आदि का सदस्यता)

आईसी.एस.एस.आर के अनुरोध पर एक एसोसिएट प्रोफेसर के परियोजना अध्ययन का मूल्याँकन किया।

घ. शाखाओं से संबद्धता

शाखा से संबद्धता : जम्मू तथा कश्मीर

गतिविधियों से संलग्नता

संगोष्ठियाँ/ सम्मेलन

(i) 20 दिसंबर, 2019 को ''नया भारत : 5 ट्रिलियन अर्थव्यवस्था की महत्वाकांक्षा'', सम्मेलन में जहाँ भारत के माननीय प्रधानमंत्री मुख्य अतिथि थे, में आमंत्रित।

(ii) अप्पा तथा अन्य प्रतिभागियों के लिए कई विशेष व्याख्यानों का आयोजन किया जिनमें पूर्व एयर चीफ मार्शल से लेकर पूर्व राजदूत वक्ता थे।

(iii) नीति आयोग के सदस्य संयोजकत्व में एक बैठक में भाग लिया।

(iv) सचिव (उर्वरक) से निमंत्रण प्राप्त होने पर, मैंने 24 दिसंबर, 2020 को ''भारतीय आर्थिक सहायता कार्यक्रम का रणनीतिगत अंतरण'' में उपस्थित तथा इसमें योगदान भी दिया।

(v) भा.लो.प्र.सं. में मॉनीटरन तथा मूल्याँकन पर पेनल चर्चा आयोजित की जिसमें गणमान्य पेनलिस्टों में युनिसेफ से वरिष्ठ अधिकारी शामिल थे।

(ङ) अन्य शैक्षणिक अथवा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है

(i) 45 वें अप्पा के दो प्रतिभागियों को उनके शोध-पत्रों के लिए मार्गदर्शन दिया।

(ii) कृषि तथा कृषक कल्याण मंत्रालय की बैठकों में भाग लिया।

कुसुम लता

क. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/ सम्मेलनों आदि में पत्र प्रस्तुत

- अंतरराष्ट्रीय नगर तथा क्षेत्रीय आयोजक सोसाइटी द्वारा आयोजित, 24 वें अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन ''शहरी आयोजन, क्षेत्रीय विकास तथा सूचना समाज'' की

कार्रवाई में ''रूर्बन आयोजन हेतु एक भू-स्थानिक सूचना मॉडल'' शीर्षक पत्र, ISSN 2521-3939.

- तीन-दिवसीय अंतराष्ट्रीय सम्मेलन ''भावी शहर-2019'', 11-13 दिसंबर, 2019 में, शहरी आयोजन विषय पर ''रूर्बन कलस्टर हेतु स्थानीय रणनीतियाँ : कुरुक्षेत्र का प्रकरण अध्ययन'' शीर्षक पत्र प्रस्तुत किया। सह-लेखिका सुश्री अर्पिता ने पत्र प्रस्तुत किया। यह सम्मेलन वास्तुकला तथा आयोजन, भारतीय प्रौद्योगिकी संस्थान, रूड़की तथा स्थानीय आयोजन तथा पर्यावरणीय शोध संस्थान, पंचकुला, भारत द्वारा आयोजित था।

ख. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

(क) भा.लो.प्र.सं., के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/ बोर्डों आदि की सदस्यता)

- भा.लो.प्र.सं. की दिल्ली क्षेत्रीय शाखा की कार्यकारी परिषद् की सदस्य

ग. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखाओं से संबद्धता : मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़

घ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण

- 7 मार्च, 2020 को, भारतीय नगर आयोजक संस्थान द्वारा एसोसिएटशिप परीक्षा के प्रतिभागियों के I,II तथा III योजना के पोर्टफोलियो का परीक्षा करने के लिए निर्णायक समिति के सदस्य के रूप में आमंत्रित।
- श्री गुरू गोविंद सिंह वाणिज्य महाविद्यालय, दिल्ली विश्वविद्यालय तथा सिडनी बिज़नस स्कूल, वॉलॉन्गॉंग विश्वविद्यालय, आस्ट्रेलिय द्वारा आयोजित ''सतत भविष्य सुनिश्चित करना : उद्यमता, प्रबंधन नीतियों में नवीनताओं तथा परिपत्र अर्थव्यवस्था की भूमिका'' शीर्षक अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी के पाँचवें संस्करण के ''सतत विकास-I'' पर तकनीकी सत्र 3 के अंतगर्त प्रस्तुतीकरण देने वालों का मूल्याँकन किया तथा इसकी अध्यक्षता की, 6 मार्च, 2020.

(ङ) अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है

- श्री जीतेश राय, भूगोल विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के ''स्थानिक पुनर्संरचना, शहरी शासन तथा शहर के अधिकार: दिल्ली का प्रकरण'' विषय पर पीएच. डी. शोध प्रबंध का मूल्याँकन किया। (पीएच.डी. शोध प्रबंध 13 जनवरी 2020 को प्राप्त हुआ)।
- सुश्री आकाँक्षा यादव, भूगोल विभाग, दिल्ली स्कूल ऑफ इक्नॉमिक्स, दिल्ली विश्वविद्यालय के ''दिल्ली के शहरी गाँवों में सृजनात्मक आर्थिक स्थलों की अवधारणा : शाहपुर जाट गाँव का पुनर्सृजन'' शीर्षक एम.फिल. शोध-पत्र का मूल्याँकन किया तथा मौखिक परीक्षा ली, 16/09/2019.

शोध हेतु मार्गदर्शन

क्रम सं.	शोध-प्रबंध/ परियोजना रिपोर्ट सौंपी	डिग्री पुरस्कृत
1.	''ई-अपशिष्ट प्रक्रियाओं तथा सुविधाओं का एक अध्ययन : एन.सी. आर. का प्रकरण अध्ययन, 44 वें अप्पा के डा. रजत भार्गव द्वारा	एम.डी.पी.ए. पुरस्कृत एम.फिल डिग्री अभी प्रदान की है
2.	''जयपुर क्षेत्र में राष्ट्रीय सौर अभियान तथा ग्रामीण विकास'', अशोक कुमार शर्मा द्वारा	एम.डी.पी.ए. पुरस्कृत एम.फिल डिग्री अभी प्रदान की है
3.	''भारत में बाल फिल्म समाज : एक आलोचनात्मक अध्ययन'', 45 वें अप्पा के डा. श्रवण कुमार	एम.डी.पी.ए. पुरस्कृत एम.फिल डिग्री अभी प्रदान की है
4.	''महिलाएँ थलसेना के संघर्ष में : उनके प्रवेश की संभावना'', 40 वें अप्पा के ब्रिगेडियर चरंजीव मंजु	एम.डी.पी.ए. पुरस्कृत एम.फिल डिग्री अभी प्रदान की है

चारु मल्होत्रा

क. प्रकरण अध्ययन तैयार किए

I शीर्षक : मेरी सरकार के विशेष संदर्भ में सिविक तकनीक मंच का अध्ययन : भारत सरकार का एक नागरिक संलग्नता मंच

II वित्त पोषक अभिकरण : आक्सफोर्ड विश्वविद्यालय

III अनुदान : लागू नहीं

IV आरंभ की तिथि : जनवरी 2020

V समापन की तिथि : मार्च 2020

VI सारांश तथा निष्कर्ष :

इस प्रकरण अध्ययन का उद्देश्य भारत के मेरी सरकार के विशेष संदर्भ में, नीति निर्माण के लिए नागरिकों की डिजिटल संलग्नता का मूल्याँकन करना है तथा यह ऑक्सफोर्ड विश्वविद्यालय यू.के. के कुलाधिपतियों तथा विद्वानों के आदेश पर लिखा गया है। इसका उद्देश्य यह समझना था कि क्या विकासशील देशों में मेरी सरकार (भारत) जैसे नागरिक संलग्न, डिजिटल मंचों की स्थापना, शासन संबंधी मुद्दों पर नीति निर्माण हेतु अर्थपूर्ण परिणाम प्राप्त करने में समर्थ हुए है। सत्तावन पृष्ठ के इस अध्ययन में डाटा संग्रहण की विविध तकनीकों जिनमें इस मंच के स्वामी तथा डिज़ाइनर के साथ अर्ध-औपचारिक साक्षात्कार, वेबसाइट का निरीक्षण तथा सरकारी रिपोर्टों और शैक्षणिक प्रकाशनों आदि का सहायक सामग्री का भी संदर्भ लिया गया। इसमें सरकार, मेरी सरकार तथा नागरिकों के बीच नियमित फीडबैक की अनुपलब्धता की कमी आदि विविध पहलुओं पर फोकस किया गया है, कुल मिलाकर पूर्ण परामर्श प्रक्रिया का परिणाम उतने उत्साहवर्धक नहीं हैं जितने होने चाहिए। सरकार को चाहिए कि वह पद्धति में परिवर्तन लाने पर अपना ध्यान केंद्रित करे ताकि वह सतत विकास लक्ष्यों की प्राप्ति में वस्तुतः नागरिक-समावेशी पद्धति से डिजिटल तकनीकों की अधिक विवेकपूर्ण तरीके से प्रयोग करने में समर्थ हो।

ग. प्रकाशन

(क) पुस्तकें

पुस्तक 1

शीर्षक	भारत की बैंडविड्थ क्रांति : एन.के.एन. का एक प्रभाव आकलन
पृष्ठ संख्या	202
प्रकाशक	भा.लो.प्र.सं.
स्थान	नई दिल्ली
प्रकाशन की तिथि	जून, 2019

पुस्तक 2

शीर्षक	भारत की भाषा तकनीक का अंतरण: टी.डी.आई. एल. का एक मूल्याँकन अध्ययन
पृष्ठ संख्या	221
प्रकाशक	भा.लो.प्र.सं.
स्थान	नई दिल्ली
प्रकाशन की तिथि	अक्तूबर 2019

(ख) पत्र तथा लेख

प्रकाशित

(i) शीर्षक : फ्रंटियर तकनीक के उद्भव के साथ सरकार के उभरते परिपेक्ष्य: भारतीय संदर्भ

जर्नल : प्रबंधन तथा शोध का ए.आई.एम.ए. जर्नल खंड

खंड : 13

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : मई 2019

(ii) शीर्षक : ई-शासन/ आई.सी.टी. आधारित परियोजनाओं में नियंत्रण जोखिम: लेखा परीक्षकों की भूमिका

जर्नल : पर्स्यूट (आई.टी.ऑडिट का अर्धवार्षिक जर्नल), सूचना पद्धति तथा लेखा परीक्षा (आई.सी.आई.एस.ए.) अंतरराष्ट्रीय केंद्र

खंड : लागू नहीं

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : 2019 का संस्करण

(iii) शीर्षक : स्मार्ट शहर तथा साइबर सुरक्षा : सामर्थ्य निर्माण की आवश्यकता स्थापित करना

जर्नल : साइब्र नॉमिक्स

खंड : I

संख्या : अंक-3

दिनाँक : अगस्त 2019

(iv) शीर्षक : डिजिटल नागरिक संलग्नता मंच की समीक्षा : भारत सरकार के मेरी सरकार का एक प्रकरण अध्ययन

जर्नल : आई.सी.ई.जी.ओ.वी.2019, ए.सी. प्रेस

खंड : लागू नहीं

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : अप्रैल 2019

(v) शीर्षक : सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक का डिज़ाइन: आई.सी.टी. आधारित ज्ञान प्रबंधन पद्धति की भूमिका

जर्नल : केलिडोस्कोप- 2019: स्वास्थ्य हेतु आई.सी.टी.: नेटवर्क, मानक तथा नवीनताएँ, आई.टी.यू.

खंड : लागू नहीं

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : दिसंबर 2019

(vi) शीर्षक : भारत में सरल कार्यान्वयन के लिए भारत को स्पष्ट करना

पुस्तक/जर्नल में अध्याय : विषय: डिजिटल इंडिया: उत्कृष्टता तक सफलता

स्थान : शिलाँग, मेघालय

दिनाँक : 8-9 अगस्त, 2019

(vii) शीर्षक : भारत में लिंग आधारित हिंसा को संबोधित करने के लिए साइबर अभियान तथा ऑनलाइन सक्रियता

सम्मेलन: जामिया मिलिया इस्मालिया द्वारा आयोजित जे.टी.ए. बहुशाखीय अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

स्थान : नई दिल्ली

दिनाँक : 16-18 फरवरी, 2020

(प्रकाशन के लिए स्वीकृत)

(i) शीर्षक : ई-शासन/ आई.सी.टी. आधारित परियोजनाओं में जोखिम प्रबंधन- एक ऑडिट सहायता

जर्नल : पर्स्यूट (आई.टी.ऑडिट का अर्धवार्षिक जर्नल), सूचना पद्धति तथा ऑडिट अंतरराष्ट्रीय केंद्र

खंड : लागू नहीं

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : 1 दिसंबर, 2019

(ii) शीर्षक : भारत में सार्वजनिक सेवा वितरण तीव्र करना : कृषि में आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का अनुप्रयोग

जर्नल : ई-शासन का अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन

खंड : आई.सी.ई.जी.- 2020: ग्रीस

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : लागू नहीं

(ग) अन्य प्रकाशन

1. शीर्षक : उभरती तकनीकों का प्रयोग करते हुए समग्र स्वास्थ्य वितरण: भारत के राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक हेतु एक संकल्पनात्मक रूपरेखा

   पुस्तक में अध्याय - ई-शासन पर राष्ट्रीय सम्मेलन- एन.सी.ई.जी. 2020 के पत्र संग्रह में प्रकाशित

   स्थान - मुंबई

   दिनाँक - 7-8 फरवरी 2020

2. शीर्षक : भारत में सरल कार्यान्वयन हेतु भारत को स्पष्ट करना पुस्तक/ जर्नल में अध्याय : ई-शासन के 22 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के पृष्ठभूमि पत्र

   स्थान - शिलाँग, मेघालय

   दिनाँक - 8-9 अगस्त, 2019

(घ) पुस्तक समीक्षा

क. पुस्तक का शीर्षक : ई-शासन तथा नागरिक संलग्नता

लेखक का नाम : सेज प्रकाशन

जर्नल का नाम : लागू नहीं

संख्या : लागू नहीं

दिनाँक : 3 अप्रैल 2020

(ङ) संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों आदि में पत्र प्रस्तुत

1. I. संगोष्ठी/ कार्यशाला/ सम्मेलन आदि का विषय : 'आई.टी.यू. की कार्रवाई, केलिडोस्कोप-2019: स्वास्थ्य हेतु आई.सी.टी.: नेटवर्क, मानक तथा नवीनता''

   II. आयोजक अभिकरण : अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ

   III. स्थान तथा दिनाँक : अटलाँटा, यू.एस.ए., 4-6 दिसंबर, 2019

   IV. वित्त पोषण अभिकरण : अंतरराष्ट्रीय दूरसंचार संघ

   V. अनुदान : यात्रा अनुदान

   VI. प्रस्तुत पत्र का शीर्षक: सार्वजनिक स्वास्थ्य हेतु राष्ट्रीय स्वास्थ्य स्टैक का डिज़ाइन: आई.सी.टी. आधारित ज्ञान प्रबंधन पद्धति की भूमिका

2. I. संगोष्ठी/ कार्यशाला/ सम्मेलन आदि का शीर्षक: डिजिकॉम 2019 निवेश

   II. आयोजक अभिकरण : राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान तथा फिस्की

   III. स्थान तथा दिनाँक : नई दिल्ली, 24 सितंबर, 2019

   IV. वित्त पोषण अभिकरण : लागू नहीं

   V. अनुदान : लागू नहीं

   VI. प्रस्तुत पत्र का शीर्षक: उद्योग 4.0 : एन.डी.सी.पी. 2018 में डिजिटल संचार की भूमिका: चुनौतियों की अवसरों में बदलना

3. I. संगोष्ठी/ कार्यशाला/ सम्मेलन आदि का शीर्षक

   II. आयोजक अभिकरण : हरियाणा लोक प्रशासन संस्थान

   III. स्थान तथा दिनाँक : गुरूग्राम, 10 अप्रैल, 2019

   IV. वित्त पोषण अभिकरण : लागू नहीं

   V. अनुदान : लागू नहीं

   VI. प्रस्तुत पत्र का शीर्षक : शासन में आई.सी.टी. का भविष्य

4. I. संगोष्ठी/ कार्यशाला/ सम्मेलन आदि का शीर्षक: ए.आई.सी.आर.ए.एस.टी.ई.एम. सम्मेलन तथा पुरस्कार 2019

   II. आयोजक अभिकरण : ए.आई.सी.आर.ए.

   III. स्थान तथा दिनाँक : अप्रैल 2019, डोगरा हॉल, आई.आई.टी. दिल्ली

   IV. वित्त पोषण अभिकरण : लागू नहीं

   V. अनुदान : लागू नहीं

   VI. प्रस्तुत पत्र का शीर्षक : एस.टी.ई.एम. स्पेस डिज़ाइन में सर्वोत्कृष्ट व्यवहार

(च) भा.लो.प्र.सं., के बाहर अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

1. अध्यक्षा, ''इलेक्ट्रॉनिक्स/आई.टी./सी.सी. तथा बी.टी. में केंद्रीय शोध तथा विकास सेक्टर योजना'' एम.ई.आई.टी.वाई., भारत सरकार, नई दिल्ली (2019)
2. सदस्य, ''भारत की विकासशील अर्थव्यवस्था हेतु अंतर्शाखात्मक शोध योजना हेतु शोध प्रस्तावों का मूल्याँकन'', विश्वविद्यालय अनुदान आयोग।
3. सदस्य, ''श्रमशक्ति विकास योजना'' को मार्च 2020 के बाद जारी रखने की समीक्षा करने हेतु गठित समिति'' (2019)
4. सदस्य, ''राष्ट्रीय ई-शासन पुरस्कार स्क्रीनिंग समिति'', डी.ए.आर.पी.जी., भारत सरकार (2020)
5. सदस्य, ''सामर्थ्य निर्माण योजना फेज़-II की तीसरी सशक्त समिति'' (2019)

6. सदस्य, ''जनसाधारण हेतु आई.टी. कार्यक्रम'', एम.ई.आई.टी.वाई., भारत सरकार (2019-20)

7. सदस्य, इलेक्ट्रॉनिक्स/आई.टी./सी.सी. तथा बी.टी. में केंद्रीय शोध तथा विकास सेक्टर योजना के मूल्याँकन हेतु स्वतंत्र मूल्याँकन समिति, जिसकी बैठक निम्न निर्धारित तिथि पर होगी: 2 सितंबर, 2019

(छ) भा.लो.प्र.सं., के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य विवरण

- इग्नू के मुक्त दूरस्थ शिक्षण कार्यक्रम के अंतर्गत स्मार्ट सिटी विकास तथा प्रबंधन एवं ई-कामर्स डिप्लोमा हेतु पाठ्यक्रम एक ''स्मार्ट क्षेत्र : स्मार्ट शहर तथा स्मार्ट गाँव'' हेतु विशेषज्ञ तथा विषयवस्तु डिज़ाइनर।
- स्वास्थ्य तथा परिवार कल्याण मंत्रालय, ई-स्वास्थ्य अनुभाग द्वारा प्रस्तावित ''राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य ब्लूप्रिंट'' के लिए नीति सिफारिश तथा विशिष्ट सुझाव

(ज) अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है

क. राष्ट्रीय टेलिविज़न का विशेषज्ञ मत

1. डाटा की दुनिया शो, डी.डी. विज्ञान (डी.डी. राष्ट्रीय), नई दिल्ली में, ''डाटा विज्ञान के महत्वपूर्ण पहलू'' (31 मार्च, 2020)

ख. ई-गवर्नेस पर 23 वें राष्ट्रीय सम्मेलन के दो सत्रों में ''सम्मानित पेनलिस्ट'' (7-8 फरवरी, 2020)

(i) कौशल तथा सामर्थ्य निर्माण

(ii) ए.आई./मशीन शिक्षण तथा भाषा

ग. एम.फिल शोध-पत्रों हेतु मार्गदर्शन दिया (अप्पा अधिकारियों को)

1. डिजिटल संप्रभुता सुरक्षित करना : साइबर स्पेस की वर्तमान चुनौतियों के संदर्भ में (2019-20)
2. भारत में कृषि शासन में उभरती तकनीकों की भूमिका (2019-20)
3. भारतीय रेलवे के नए धनवापिसी नियम तथा सिस्टम में एकीकृत करने के लिए तकनीकी का प्रयोग का एक विश्लेषणात्मक अध्ययन (2019-20)

घ. हाल के कुछ पत्रों की समीक्षा की

1. स्वच्छ शासन के अनुसरण में डिजिटल इंडिया मिशन की स्थापना: इलेक्ट्रॉनिक शासन पहल का एक अध्ययन/भारतीय प्रदेश ओडिशा, इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (2019)
2. कृषि तथा खेत मॉनीटरन में आई.ओ.टी. का संभावित प्रयोग तथा कार्यक्षेत्र : नेपाल के संदर्भ में। जर्नल ऑफ द इंस्टीट्यूशन ऑफ इंजीनियर्स (भारत) (2019)।
3. विकासशील समाजों में ई-शासन व्यवहारों के प्रति जन प्रवृत्ति : पंजाब में सुविधा परियोजना का एक प्रकरण अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (2020)।
4. ई-शासन के प्रति नागरिकों के अनुभव : भारत के लखनऊ शहरी समुदाय का एक अध्ययन। इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन (2020)।

साथ ही

''ग्लोबल स्मार्ट सिटीज़ लीडर'' के रूप में सम्मानित। फरवरी 2019

सचिन चौधरी

भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबंद्धता

क. समिति/ अन्य (प्रभाग तथा योजना और परामर्शदात्री समिति की सदस्यता, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकत्व आदि)- विवरण तथा भागीदारी की प्रकृति

1. शोध तथा परामर्श समिति

शाखाओं से संबद्धता

शाखा से संबद्ध : मणिपुर तथा मिज़ोरम

गतिविधियों में संलग्नता

I. शोध तथा प्रकरण अध्ययन, जल संसाधन विभाग, भारत सरकार को प्रस्ताव भेजा

अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है

- नीति आयोग के लिए शासन अध्ययन केंद्र हेतु प्रस्ताव भेजा।

वी.एन. आलोक

प्रकाशन

- 25 जुलाई, 2019, फाइनेंशियल एक्सप्रेस – 'क्या यह कार्बन कर लगाने का समय है'। (मॉनिका गुप्ता के साथ संयुक्त रूप से)
- (2019) ''भारतीय राज्यों में लोक सेवा वितरण का अधिकार : कानून तथा आकलन'' – नगरलोक–शहरी मामलों का एक त्रैमासिक जर्नल, खंड LI, अप्रैल–जून, सं.–2, में (एस. एन. त्रिपाठी तथा दामिनी सिंह के साथ संयुक्त रूप में) ISSN 0027-7584
- (2020) ''केंद्रीय बजट 2020–21– भारतीय अर्थव्यवस्था का समष्टि अर्थशास्त्र पहलू'' द चार्टर्ड एकाउंटेट, खंड. 68, सं. 9, मार्च, में
- (2020) ''कोविड–19 तथा भारत में बहुक्रमीय संघवाद', नगरलोक शहरी मामलों का एक त्रैमासिक जर्नल, खंड LII, जनवरी–मार्च, सं.1.

टी.वी. चैनलों पर व्याख्यानों/प्रस्तुतीकरण/पेनलस्टि के रूप में आमंत्रित

- 24 अप्रैल, 2019 ने पी तॉ, म्यँमार, नेशनल डिफेंस कॉलेज, ने पी तॉ, म्यँमार में सशस्त्र सेना के लगभग 120 वरिष्ठ अधिकारियों जिनमें जज एडवोकेट जनरल, भी शामिल को वित्तीय संघवाद पर वार्ता दी। भारतीय दूतावास, विदेश मंत्रालय, भारत सरकार ने यह यात्रा प्रायोजित की तथा मेरी अनेक वार्ताएँ आयोजित कीं।
- 25 अप्रैल, 2019 को, एम.आई.एस.आई.एस., यांगोन में वित्तीय संघवाद पर वार्ता प्रस्तुत की तथा म्याँमार के विद्वान नेताओं के साथ परस्पर विचार–विमर्श किया। भारतीय दूतावास ने इस विचार–विमर्श का आयोजन किया।
- 26 अप्रैल, 2019, यांगोन में विश्वविद्यालय के छात्रों तथा शिक्षाविदों के साथ वित्तीय संघवाद पर विचार–विमर्श किया।
- 25 जून, 2019, ए.एस.सी.आई., हैदराबाद में श्री गोडिसेला गाउड की शीर्षस्थता वाले संपूर्ण तेलंगाना राज्य वित्त आयोग के समक्ष राज्य–नगरपालिका वित्तीय अंतरण का डिज़ाइन पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- 5 जुलाई, 2019, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 5 जुलाई, 2019 को संसद में प्रस्तुत केंद्रीय बजट पर चर्चा करने के लिए एन.डी.टी.वी. पर एक लाइव कार्यक्रम में पेनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 10 जुलाई, 2019, नई दिल्ली, संसद में केंद्रीय बजट पर वाद–विवाद के दौरान केंद्रीय मंत्री सुश्री निर्मला सीतारमन के प्रत्युत्तर पर चर्चा करने के लिए एन.डी.टी.वी., नई दिल्ली स्टूडियो में एक लाइव कार्यक्रम के दौरान पेनलिस्ट के रूप में भाग लिया।
- 17 जुलाई, 2019, आई.आई.सी.ए., गुरूग्राम में, भारतीय निगमित मामले संस्थान के इनसॉलवेंसी कार्यक्रम के प्रतिभागियों के एक समूह के समक्ष भारतीय संघ में लोक वित्त पर वार्ता दी।
- 26 जुलाई, 2019, एन.ए.ए.सी., बंगलोर में, राष्ट्रीय समाज विज्ञान परिषद् तथा राष्ट्रीय आकलन एवं मान्यता परिषद् द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2019 में प्रतिबिम्बित मानवीकी तथा समाज विज्ञान के परिप्रेक्ष्य'' विषय पर पूर्ण सत्र में मुक्त चर्चा की अध्यक्षता की।
- 11 अक्टूबर, 2019, नीति आयोग, नई दिल्ली में ''भारत में शासन की दीर्घकालिक दृष्टि'' विषय पर चुने हुए समूह की बैठक में विशेषा के रूप में भाग लिया। प्रो. रमेश चंद, सदस्य, नीति आयोग ने बैठक की अध्यक्षता की।

- 29 नवंबर, 2019 को कांस्टीट्यूशन क्लब, नई दिल्ली में ''भारतीय आर्थिक संघ'' के अंतर्गत ''वित्तीय संघवाद का सुदृढ़ीकरण'' विषय पर पेनल चर्चा की अध्यक्षता की। यह चर्चा काय तथा स्कॉच समूह द्वारा आयोजित थी। श्री एन.के. सिंह, अध्यक्ष, 15 वाँ वित्त आयोग मुख्य वक्ता थे।
- 2 दिसंबर, 2019, आगरा में, भारतीय आर्थिक तथा सहायक विज्ञान संघ, सिम्बोज़िया महिला विश्वविद्यालय, आगरा द्वारा आयोजित राष्ट्रीय संगोष्ठी ''महात्मा गाँधी : वर्तमान समाज के लिए सीख'' में मुख्य अतिथि के रूप में ''गाँधी तथा शासन'' विषय पर मुख्य संबोधन किया।
- 5-7 दिसंबर, 2019 चंडीगढ़ में, ग्रामीण तथा औद्योगिक विकास शोध केंद्र तथा आई.सी.एस.एस.आर. द्वारा आयोजित अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन *''वैश्विक संरचना स्थानीय संदर्भ में : चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग''* में ''सतत विकास लक्ष्य तथा महिलाओं की संवेदनशीलता संबंधित करना'' विषय पर एक सत्र में सह-लेखक के साथ ''भारतीय राज्यों में लोक सेवा वितरण का अधिकार: कानून तथा आकलन'' विषय पर प्रस्तुत किया तथा ''ग्रामीण विकास, हरित नीतियाँ तथा विवाद समाधान'' पर सत्र की सह-अध्यक्ष के रूप में अध्यक्षता की।
- 22-23 जनवरी 2020, आई.एच.सी., नई दिल्ली में प्रचा फाउँडेशन द्वारा आयोजित ''राष्ट्रीय शहरी शासन समागम 2020'' दो दिवसीय संगोष्ठी में वित्तीय विकेंद्रीकरण पर सत्र में पेनलिस्ट के रूप में भाग लिया। 33 प्रमुख शहरों के प्रतिनिधियों ने इसमें भाग लिया।
- 27 जनवरी 2020, जयपुर में, एच.सी.एम. राजस्थान लोक प्रशासन संस्थान, जयपुर में मध्यावधि प्रशिक्षण ले रहे राजस्थान प्रशासनिक सेवा के 40 अधिकारियों को ''राज्य स्थानीय संबंध तथा लोक सेवा वितरण'' पर आरंभिक व्याख्यान दिया, जयपुर।

अन्य शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

सहायक संपादक के रूप में, नगरलोक- शहरी मामलों का एक त्रैमासिक जर्नल, के संपादन में निदेशक, भा.लो.प्र.सं. को सहयोग किया (मार्च 2020 तक इसके चार अंक मुद्रित)।

इंडियन जनरल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन के लिए लेखों की समीक्षा

भा.लो.प्र.सं. की शाखाओं के साथ संबद्धता

कर्नाटक

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण अंतरराष्ट्रीय जर्नलों हेतु लेखों की समीक्षा

प्रतियोगी परीक्षा हेतु पेपर सेट किया

प्रतियोगी परीक्षा का परीक्षक

नीतू जैन

क. पत्र तथा लेखन

1. राष्ट्रीय शिक्षा आयोजन तथा प्रशासन संस्थान, दिल्ली द्वारा प्रकाशित एक नीति रिपोर्ट में ''अधिशासी शिक्षा तथा जीविका प्रोन्नति: सतत रोज़गार'' प्रकाशनाधीन है।
2. कर्मचारियों के तनाव तथा कार्यकुशलता पर अनुभवी परामर्श का प्रभाव, मानव संसाधन विकास तथा प्रबंधनका अंतरराष्ट्रीय जर्नल (प्रकाशाधीन)
3. कर्मचारियों की प्रभावकारिता पर अनुभवी परामर्श के जीविका तथा मनोवैज्ञानिक - सामाजिक कार्यों का प्रभाव, संगठनात्मक व्यवहार तथा शिक्षा का जर्नल (ए.बी.डी.सी.- सी श्रेणी)
4. एक स्वस्थ तथा महान कार्यस्थल बनाना, प्रबंध शोध, इबरो-अमरीकी प्रबंधन अकादमी, एमराल्ड प्रकाशन, एस.सी.ओ.पी.यू.एस. सूचीकृत, जुलाई, 2019

ख. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में पत्र-प्रस्तुत

1. जी.एल.ए. विश्वविद्यालय द्वारा सेंट थॉमस विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. तथा केलीफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय, यू.एस.ए, के सहयोग से 10-11 जनवरी 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में ''समान तथा क्रॉस जेंडर मेंटरिंग संबंध में छात्रों की शैक्षणिक सफलता पर मेंटरिंग का प्रभाव'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया तथा एक सत्र की अध्यक्षता की।
2. जॉन मिलिकिन्स विश्वविद्यालय तथा आई.आई.एम. रोहतक द्वारा 4 जुलाई, 2019 को आई.आई.टी दिल्ली में आयोजित ए.जी.बी.ए. के अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन में ''प्रेरणा, विकास तथा प्रतिभा बनाए रखने की समग्र एप्रोच'' पर पत्र प्रस्तुत किया।
3. जी.एल.ए. विश्वविद्यालय द्वारा सेंट थॉमस विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. तथा केलीफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय, यू.एस.ए, के सहयोग से 10-11 जनवरी, 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में ''जेन वाई प्रोफाइल की अंतर्वैयक्तिक पर सोशल मीडिया के प्रभाव का आकलन'' पर पत्र प्रस्तुत किया।
4. जी.एल.ए. विश्वविद्यालय द्वारा सेंट थॉमस विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. तथा केलीफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय, यू.एस.ए, के सहयोग से 10-11 जनवरी, 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में ''मानव संसाधन वैश्लेषिकी तथा मानव संसाधन परिदृश्य पर इसका प्रभाव'' पर पत्र प्रस्तुत किया।
5. जी.एल.ए. विश्वविद्यालय द्वारा सेंट थॉमस विश्वविद्यालय, यू.एस.ए. तथा केलीफोर्निया राज्य विश्वविद्यालय, यू.एस.ए, के सहयोग से 10-11 जनवरी, 2020 को आयोजित अंतरराष्ट्रीय प्रबंधन सम्मेलन में ''कार्य संलग्नता का मध्यस्थ विश्लेषण: अग्रणी सदस्य का आदान-प्रदान, व्यक्ति की संगठनात्मक सटीकता तथा संगठनात्मक समिति के मध्य संबंद्ध'' पर पत्र प्रस्तुत किया।

ग. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता

(क) समितियाँ/अन्य (प्रभाग तथा योजना एवं परामर्शदात्री समिति आदि की सदस्यता, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकत्व, आदि)- वितरण और भागीदारी की प्रकृति

- 45 वें अप्पा की सह-निदेशक। इसलिए निम्न कार्य संभाले
- अप्पा की समय-तालिका तैयार की
- विविध संकाय सदस्यों के साथ समन्वय करके अप्पा प्रतिभागियों की कक्षाएँ निर्धारित कीं।
- अप्पा प्रतिभागियों के लिए यात्राएँ संचालित कीं।
- मार्गदर्शक के रूप में तीन अप्पा प्रतिभागियों को उनके शोध-पत्र हेतु मार्गदर्शन दिया।

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता (समितियों/बोर्डों आदि की सदस्यता)

- राष्ट्रीय एच.आर.डी. नेटवर्क की आजीवन सदस्य
- आई.एस.ए.बी.एस. की सहयोगी सदस्य

घ. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखा के संबद्ध : हरियाणा

ङ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए शैक्षणिक कार्य का विवरण

- कुछ अंतरराष्ट्रीय जर्नलों के पत्रों की समीक्षक
- एन.ए.सी.आई.एन. द्वारा अपने अधिकारियों को व्याख्यान देने के लिए आमंत्रित।

च. अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है

- भा.लो.प्र.सं. द्वारा आयोजित हिंदी निबंध प्रतियोगिता में ''भारत में भ्रष्टाचार'' विषय पर निबंध के लिए 5,000/- रुपये का प्रथम पुरस्कार प्राप्त हुआ। भारत के माननीय उपराष्ट्रपति श्री एम. वेंकय्या नायडू ने भा.लो.प्र.सं. की ए.जी.एम. के अवसर पर पुरस्कार प्रदान किया।

साकेत बिहारी

क. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

1. सह-संपादक : लोक प्रशासन
2. भा.लो.प्र.सं. की विविध आंतरिक समितियों में सदस्य के रूप में कार्य किया।

भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

1. ईश्वर शरन कॉलेज, इलाहाबाद में एफ.डी.पी., एम.एच.आर.डी., भारत सरकार के अंतर्गत ग्रामीण-शहरी संबंध विषय पर वार्ता प्रस्तुत की।

ख. शाखाओं से संबद्धता

संबद्ध शाखा : झारखंड

ग. अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है।

शोध मार्गदर्शन

क्रम सं.	शोध प्रबंध/परियोजना रिपोर्ट सौंपी	डिग्री प्रदान की गई
1.	ग्राम पंचायतों में आयोजन: त्रिपुरा में ग्राम पंचायत विकास का एक अध्ययन	एम.डी.पी.ए. तथा एम. फिल अभी प्रदान की जानी है
2.	दिल्ली छावनी में सार्वजनिक शौचालयों की प्रभावकारिता: उनके रखरखाव का एक अध्ययन	एम.डी.पी.ए. तथा एम. फिल अभी प्रदान की जानी है

रोमा देबनाथ

प्रकाशन

क. पत्र तथा लेख

I शीर्षक : संगठनात्मक कार्य निष्पादन पर ज्ञान प्रबंधन का प्रभाव

II जर्नल : वी.आई.एन.ई. सूचना तथा ज्ञान प्रबंधन पद्धति का जर्नल

III खंड : खंड 49, पृ. 510-530. https://doi.org/10.1108/VJIKMS-07-2018-0063

IV संख्या : 4

V दिनाँक : 2019

ख. पत्र तथा लेख

I शीर्षक : काइज़ेन का प्रयोग करते हुए उपभोक्ता संतुष्टि वर्धन: इम्पीरियल तंबाकू कंपनी का एक प्रकरण अध्ययन

II जर्नल : प्रबंध शोध में उन्नति का जर्नल

III खंड : 16, सं.3, पृ. 277-293. https://doi.org/10.1108/जे.ए.एम.आर.-01-2018-0009

IV संख्या : 3

V दिनाँक : 2019

भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

(क) समिति- अन्य (प्रभाग तथा योजना एवं परामर्शदात्री समिति की सदस्यता, समन्वयकत्व आदि)- विवरण तथा भागीदारी की प्रकृति

शोध सहायकों/ शोध कर्मचारियों की चयन समिति की सदस्य। मेरा उत्तरदायित्व चुने गए प्रत्याशियों का इंटरव्यू करवाना तथा विषय ज्ञान के आधार पर प्रत्याशियों को चुनना है।

शाखाओं से संबद्धता

शाखा से संबद्ध : पश्चिम बंगाल

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए शैक्षणिक कार्य का विवरण

1. फोरम फॉर इमोशनल इंटेलीजेंस लर्निंग के साथ इमोशनल इंटेलिजेंस पर प्रथम अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, 16-17 जनवरी, 2020, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली
2. 30 अगस्त, 2019 को बी.ई.एल., गाज़ियाबाद के द्वारा नवाचार दिवस के अवसर पर ''संगठन को नवीनता केंद्र बनाना'' विषय वक्ता के रूप में आमंत्रित।

नूपुर तिवारी

पेनल चर्चाएँ

क्रम सं.	पाठ्यक्रम का नाम	नया/पुनरावृत्त	अवधि
1.	भारत की जनजातियों में असंतोष, अशांति तथा उग्रवाद के कारणों से मुकाबला करने के विकास मुद्दे'' पर पेनल चर्चा	नया	एक दिन
2.	जनजातीय विकास हेतु विविध अभिकरणों के बीच वार्तालाप के लिए मंच का निर्माण	नया	28 फरवरी, 2019
3.	रेड कॉरिडोर में अत्याचार तथा वामपंथी उग्रवाद पर पेनलचर्चा	नया	12 मार्च, 2019
4.	जनजातीय परंपराओं तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण पर पेनल चर्चा	नया	12 मार्च, 2019
5.	जनजातीय विकास हेतु विविध अभिकरणों के बीच वार्तालाप के लिए मंच का निर्माण – पर पेनल चर्चा	नया	28 फरवरी, 2019
6.	राष्ट्रीय मानव अधिकार आयोग के साथ मिलकर ''एफ.आर.ए. तथा पेसा के माध्यम से जनजातीय अधिकार सुरक्षित करना: मुद्दे, चुनौतियाँ तथा आगे मार्ग'' विषय पर मुक्त सदन चर्चा	नया	एक दिन
7.	जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र ने ''जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका जनन तथा नव व्यवहार'' विषय पर एक पेनल चर्चा आयोजित की	नया	20 मार्च, 2020
8.	रेड कॉरिडोर में हिंसा का जनजातीय विकास तथा परंपराओं पर प्रभाव विषय पर व्याख्यान (जनजातीय मामले हेतु उत्कृष्टता केंद्र)		11 मार्च, 2019
9.	जनजातीय महिला दिवस– सत्कार (जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र)		8 मार्च, 2019

(क) विनिबंध

क्रम सं.	विनिबंध का नाम	नाम
1.	हथियारबंद संस्कृति: माओवादी उग्रवाद तथा जनजातीय स्वनियम	डा. नूपुर तिवारी
2.	जनजातीय आजीविका तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्ति का संरक्षण	श्री नरेश चंद्र सक्सेना

(ख) पुस्तकें

क्रम सं.	पुस्तक का नाम
1.	पंचायतें स्थानीय स्वशासन की संस्थाओं के रूप में : समावेश तथा निषेध के मुद्दे (कनिष्क प्रकाशन)
2.	अत्याधुनिक जनजातीय अध्ययन : एक सटीक ग्रंथ सूची– जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र
3.	पेसा तथा वामपंथी उग्रवाद : झारखंड, छत्तीसगढ़ तथा ओडिशा के उग्रवाद प्रभावित इलाकों का एक अध्ययन
4.	जनजातीय विकास तथा समावेश नीति

5.	जनजातीय स्वशासन : पेसा तथा इसका कार्यान्वयन
6.	जनजातीय शोध संस्थानों हेतु एक पद्धतिबद्ध प्रशिक्षण मॉड्यूल ''सामर्थ्य निर्माण ढाँचा : बेहतर निष्पादन हेतु प्रशिक्षण प्रक्रिया''
7.	अनौपचारिक कार्यबल में महिलाएँ : समावेश तथा निषेध का पैटर्न (मानक प्रकाशन)

(ग) लेख प्रकाशित

क्रम सं.	लेख का नाम	प्रकाशक	नाम	दिनाँक
1.	सतत स्वास्थ्य देखभाल हेतु निगमित सामाजिक उत्तरदायित्व पहल के रूप में परिपत्र साधन प्रबंधन	शासन तथा राजनीतिक जर्नल, खंड 8	बी.के.वैन स्ट्रैटन तथा नूपुर तिवारी	3 मार्च, 2020
2.	ई-ग्राम स्वराज पोर्टल : क्रांतिकारी प्रथम कदम	Governance Now_ http://www. governancenow. com/views/columns/ egram-swaraj-portal- the-revolutionary- first-step	डा. नुपूर तिवारी	30 अप्रैल, 2020

(घ) रिपोर्टें

क्रम सं.	रिपोर्ट का नाम
1.	लघु वन उत्पाद हेतु न्यूनतम समर्थन मूल्य का मूल्याँकन पर रिपोर्ट
2.	जनजातीय केंद्रित सतत
3.	जनजातीय विकास हेतु विविध अभिकरणों के बीच वार्तालाप हेतु मंच का निर्माण : कार्रवाई की रिपोर्ट
4.	जनजातीय बुद्धिजीवी तथा समावेश : एक आवश्यकता आधारित आकलन विषय पर कार्यशाला की रिपोर्ट
5.	जनजातीय प्रतिभा पूल हेतु ''शोध पद्धति की गुणात्मक तथा मात्रात्मक एप्रोच एवं सी.ए.पी.आई. का प्रयोग करते हुए डाटा संग्रहण पद्धति'' पर तीन दिवसीय आकलन तथा सुदृढ़ीकरण प्रशिक्षण कार्यशाला पर रिपोर्ट
6.	''भारत में जनजातीय असंतोष, अशांति तथा उग्रवाद के कारणो का मुकाबला करने के लिए विकास मुद्दे'' पर रिपोर्ट
7.	जनजातीय विकास, पेनल चर्चा तथा विचार-विमर्श के लिए विभिन्न एजेंसियों बीच मंच निर्माण पर रिपोर्ट
8.	''रेड कॉरिडोर में अत्याचार तथा वामपंथी उग्रवाद'' पर पेनल चर्चा की रिपोर्ट
9.	जनजातीय परंपराओं तथा सांस्कृतिक अभिव्यक्तियों का संरक्षण पर रिपोर्ट
10.	''जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका जनन तथा नवीन व्यवहार'' पर पेनल चर्चा की रिपोर्ट
11.	''जनजातीय शोध संस्थानों की सामर्थ्य-निर्माण तथा सुदृढ़ीकरण'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी की रिपोर्ट

(ङ) जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र न्यूज़लेटर

क्रम सं.	न्यूज़लेटर	दिनाँक
1.	जनजातीय मामले न्यूज़लेटर	फरवरी 2019
2.	जनजातीय मामले न्यूज़लेटर	मार्च 2019
3.	राज्य जनजातीय मामले न्यूज़लेटर	जनवरी 2019
4.	राज्य जनजातीय मामले न्यूज़लेटर	अप्रैल 2019
5.	जनजातीय मामले उत्कृष्टता केंद्र न्यूज़लेटर	2020

संगोष्ठियों/ कार्यशालाओं/ सम्मेलनों आदि में पत्र प्रस्तुत

क्रम सं.	नाम	दिनाँक
1.	रेड कॉरिडोर में हिंसा का जनजातीय विकास तथा परंपराओं पर प्रभाव विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में पृष्ठभूमि पत्र प्रस्तुत किया	11-12 मार्च, 2019
2.	जनजातीय केंद्रित सतत आजीविका जनन तथा नवीन व्यवहार पर राष्ट्रीय समागम में पत्र प्रस्तुत किया	20 मार्च, 2019
3.	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला ''भारत मे घरेलू काम करने वालों के समक्ष आने वाले मुद्दे तथा चुनौतियाँ'' में घरेलू काम करने वालों की बेहतरी तथा कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण सत्र में पेननिस्ट	22 अक्तूबर, 2019
4.	एन.एच.आर.सी.- संरक्षक कानून का प्रभावी कार्यान्वयन : पेसा पर पत्र प्रस्तुत किया	8 जनवरी, 2020
5.	''कोविड-19, लचीलापन, धब्बा तथा लिंग समानता'' पर वेबिनार में पृष्ठभूमि पत्र प्रस्तुत किया	29 मई, 2020
6.	बनारस के सनबील संस्थान के एक वेबिनार में ''कोविड 19 में लिंग समानता'' पर पत्र प्रस्तुत किया	18 जून, 2020
7.	जी.ओ.ए.एल. वेबिनार में पृष्ठभूमि पत्र तैयार किया	25 जून, 2020
8.	बी.एच.यू. में एक वेबिनार में, कोविड-19 की अवधि में ''घरेलू हिंसा'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया	27 जून, 2020
9.	राष्ट्रीय महिला आयोग द्वारा आयोजित कार्यशाला ''भारत में घरेलू काम करने वालों के समक्ष आने वाले मुद्दे तथा चुनौतियाँ'' में घरेलू काम करने वालों की बेहतरी तथा कल्याण के उद्देश्य से बनाई गई सामाजिक सुरक्षा योजनाओं का विश्लेषण पर विशेषज्ञ पेनलिस्ट के रूप में प्रस्तुत किया	22 अक्तूबर, 2019
10.	श्यामा प्रसाद मुखर्जी रुर्बन मिशल की चौथी वर्षगाँठ आयोजन के अवसर पर राष्ट्रीय स्तर पर अनुभव साझा करने में रुर्बन पर पत्र प्रस्तुत किया	24 फरवरी, 2020
11.	''वन संबंधी अधिनियम के प्रकाश में एफ.आर.ए. तथा पेसा के माध्यम से जनजातीय अधिकार सुरक्षित करना: मुद्दे, चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग'' पर एच.आर.सी. में पत्र प्रस्तुत किया।	6 जनवरी, 2020

च. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता

(क) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/ बोर्डों आदि की सदस्यता)

क्रम सं.	समितियों/ बोर्डों आदि का नाम
1.	बिहार पंचायती राज विभाग, बिहार सरकार की ग्राम कचहरियों के सदस्यों को प्रशिक्षाक करने के लिए मॉड्यूल विकसित करने हेतु गठित समिति की सदस्य
2.	मानव संसाधन विकास मंत्रालय की शोध समिति की सदस्य
3.	सेज़ प्रकाशन के विशेषज्ञ पेनल में विषय विशेषज्ञ
4.	राज्य सभा और दूरदर्शन टी.वी. पर ग्रामीण विकास तथा पंचायती राज और अन्य नीति मुद्दों पर पेनल चर्चा में उपस्थित
5.	*''सशक्त तथा प्रभावी जिला परिषद पद्धति''* पर अपनी रिपोर्ट देनी वाली बिहार सरकार की समिति की सदस्य। समिति के अन्य सदस्य थे- श्री एस.एम विजयानंद, पूर्व मुख्य सचिव, केरल; श्री एम. एन. रॉय- पूर्व मुख्य सचिव, पी.आर.डी., पश्चिम बंगाल सरकार।

(ख) बाह्य (घरेलू तथा विदेशा) कार्यों में उपलब्धियाँ

क्रम सं.	उपलब्धियाँ	संस्थान
1.	एमिटी लोक नीति संस्थान के एरिया सलाहकार बोर्ड तथा अध्ययन बोर्ड की विशेषज्ञ सदस्य	एमिटी विश्वविद्यालय
2.	राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग की राष्ट्रीय संसाधन एंटिटी पर विशेषज्ञ व्यक्ति	पेसा
3.	उग्र सुधारवाद पर शोध अध्ययन केंद्र सृजित करने हेतु बी.पी.आर. तथा डी. में विशेषज्ञ व्यक्ति	उग्र सुधारवाद शोध अध्ययन केंद्र

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण

पी.एच.डी. शोध प्रबंध की मूल्याँकन समिति की सदस्य

i. जवाहर लाल नेहरू विश्वविद्यालय (जे.एन.यू.) एस.एस.एस./सी.पी.एस.

ii. दिल्ली विश्वविद्यालय : राजनीति विज्ञान विभाग

अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है।

नेशनल टी.वी. पर पेनल चर्चा में शामिल

क्रम सं.	पेनल चर्चा	लिंक	दिनाँक
1.	भारत में स्वास्थ्य देखभाल पद्धति की वैघता	https://www.youtube.com/watch?v=gBp5MO-auVs	13 जून, 2018
2.	देश देशांतर- होमवर्क की छुट्टी	https://youtu.be/sny93G2wq_8	4 जून, 2018
3.	देश देशांतर- गांव में कितन स्वराज	https://youtu.be/YxOdKIGCtGE	25, अप्रैल 2018
4.	चर्चा में: पंचायती राज	https://youtu.be/mVHH1hek2PQ	25, अप्रैल 2018

5.	महिला सुरक्षा: प्रतिबिंब तथा चुनौतियाँ	https://www.youtube.com/watch?v=MDN4yYiPLbY	15 दिसंबर, 2018
6.	महिला सुरक्षा: प्रतिबिंब तथा चुनौतियाँ	https://youtu.be/kzVlPaREJlQ	16 दिसंबर, 2018
7.	नीति पर्यवेक्षण- नेट न्यूट्रैलिटी विख्यात संस्थाएं	https://www.youtube.com/watch?v=b8v__bhZ4Ms&list=PL5A1EFF827E94624E	13 जुलाई, 2018
8.	देश देशांतर - हमारी पंचायत।	https://www.youtube.com/watch?v=idksK3g1YOc	24, अप्रैल 2019
9.	देश देशांतर - पंचायतें: कितनी प्रभावी?	https://www.youtube.com/watch?v=nzQaN3bzX1Y&t=419s	27 जुलाई, 2019
10.	70 का गणतंत्र- बदला गरीबों का जीवन	https://www.youtube.com/watch?v=Tx4U3p8B-W4	20 जनवरी, 2020

सपना चड्डा

शोध मार्गदर्शन

क्रम सं.	पंजीकरण सं.	शोध प्रबंध
1.	क्रम संख्या 4511 पीयूष चंद्र गुप्ता	मोबाइल संचार : रेडियो फ्रीक्वेंसी इलेक्ट्रोमेग्नेटिक फील्ड एक्सपोज़र तथा सार्वजनिक सुरक्षा
2.	श्री अरविंद त्रिपाठी	अनुच्छेद 370 के प्रावधान समाप्त करना: एक निष्पक्ष आकलन तथा आगे का मार्ग

क. प्रकाशन

I. **पुस्तकें**

1. सतत उपभोग तथा जीवनशैली की ओर, (संपा.) सुरेश मिश्रा तथा सपना चड्डा, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी प्रा.लि., नई दिल्ली 2018 (अप्पा दीक्षांत समारोह 2019 के अवसर पर विमोचित)
2. सपना चड्डा तथा वारुणी बी.आर., उत्पाद दायित्व तथा उपभोक्ता, सी.सी.एल., भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2019
3. सपना चड्डा, सतत उपभोग की ओर - एक पुस्तिका, सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं., मार्च 2020

II. **संदर्भ जर्नलों/ पुस्तकों में पत्र प्रकाशित**

- सपना चड्डा ''सतत उपभोग : एक गाँधीवादी परिपेक्ष्य'', सुरेश मिश्रा तथा सपना चड्डा (संपा.), सतत उपभोग तथा जीवनशैली की ओर, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कंपनी प्रा. लि., नई दिल्ली, 2018-19.
- सपना चड्डा तथा दीपिका सुर, (2019), बीमा क्षेत्र मं उपभोक्ता शिकायतें, बिहार लोक प्रशासन जर्नल, खंड. XVI. सं.1, जनवरी-जून 2019, पृ. 25-40.
- सपना चड्डा, भारत में उत्पाद दायित्व पद्धति : हाल में हुए परिवर्तन तथा संभावनाएँ, भा. लो.प्र.सं. डाइजेस्ट, खंड सं.1, अंक संख्या 4, अक्तूबर-दिसंबर 2019
- सपना चड्डा, प्रत्यक्ष बिक्री हेतु मध्यस्थता, प्रत्यक्ष बिक्री आज, तृतीय संस्करण, 2019, पृ. 6-9.

III. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में पत्र प्रस्तुत

- पेरियार विश्वविद्यालय के सहयोग से 29-30 जुलाई, 2019 को आयोजित दो-दिवसीय संगोष्ठी ''वैश्वीकरण तथा प्रौद्योगिकी में नवीतनताएँ एवं उपभोक्ता संरक्षण'' में ''बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अनुभव तथा संतुष्टि : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।
- महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार के सहयोग से 14-15 अक्तूबर, 2019 को आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण'' में ''सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता संतुष्टि: बीमा क्षेत्र का एक अध्ययन'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।
- 22 अक्तूबर, 2019 को ''गुणवत्तपूर्ण अवसंरचना'' विषय पर इंडो-जर्मन कार्य समूह की सातवीं वार्षिक बैठक मे ''नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उत्पाद दायित्व'' पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- 16 जनवरी, 2020 को ''गुणवत्तापूर्ण अवसंरचना'' विषय पर इंडो-जर्मन कार्य समूह की 7 वीं वार्षिक बैठक में ''नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उत्पाद दायित्व'' पर प्रस्तुतीकरण दिया।
- 18 फरवरी, 2020 को एल.एस. कॉलेज, मुज़्फ्फरपुर में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''उपभोक्ता जागरुकता तथा विधायी माप अधिनियम तथा पैक वस्तु नियम की प्रभावकारिता'' पर पत्र प्रस्तुत किया।
- यशवंत राव चव्हाण विधि कॉलेज, पुण के सहयोग से 02-03 मार्च, 2020 को, ''उपभोक्ता संरक्षण में सामयिक चुनौतियाँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''भारत में ई-कामर्स का विनियात्मक ढाँचा- आवश्यकता तथा महत्व'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।
- पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से ''वैश्वीकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''उपभोक्ता कानून तथा नीति'' विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से ''वैश्वीकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''डिजिटल कार्य : प्रौद्योगिकी, ई-कामर्स तथा साइबर अपराध'' विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।
- यशवंत राव चव्हाण विधि कॉलेज, पुण के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण में सामयिक चुनौतियाँ'' विषय पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 03 मार्च, 2020 को ''ई-कामर्स में उपभोक्ता संरक्षण'' विषय पर सत्र में विशेषज्ञ।

ख. संस्थान के लिए किया गया अन्य प्रमुख योगदान

- सदस्य, राजभाषा कार्यान्वयन समिति
- संपादक, सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं. द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक ''न्यूज़लेटर ''कंज्यूमर डायलॉग'' तथा एस.सी.एच.के.आर.एम.पी. द्वारा प्रकाशित मासिक ई-न्यूज़लेटर ''कंज्यूमर बुलेटिन''।
- भा.लो.प्र.सं. कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा की संकाय प्रभारी।
- भा.लो.प्र.सं. जम्मू तथा कश्मीर क्षेत्रीय शाखा के साथ जम्मू में कार्यशाला का आयोजन किया।

ग. भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य शैक्षणिक/व्यवसायिक उपलब्धियाँ तथा योगदान

- सदस्य, चिन्ह तथा नाम (अनुचित प्रयोग निषेध) में संशोधन अधिनियम, 1950 हेतु समिति।
- सदस्य, नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम के अंतर्गत नियम बनाने हेतु समिति।
- उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार हेतु राज्य उपभोक्ता आयोगों की रैकिंग हेतु दिशा निर्देश तैयार किए।

ममता पठानिया

शोध मार्गदर्शन

क्रम सं.	पंजीकरण	शोध प्रबंध	डिग्री प्रदत्त
1.	4508 श्री अमाल गर्ग	सहारनपुर में रैग उठाने वालों के व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधी खतरे	संपन्न
2.	4530 एयर कमांडर राकेश रातूरी	भारतीय वायु सेना में रखरखाव शाखा अधिकारियों का वर्गीकरण	संपन्न

प्रकरण अध्ययन - लागू नहीं

प्रकाशन

क. पुस्तकें / विनिबंध

- स्वच्छ शासन : बदलती रूपरेखा, सी. शीला रेड्डी, ममता पठानिया, रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली- 2019
- जेनेरिक दवाई तथा उपभोक्ता, जी.एन. श्रीकुमारन, ममता पठानिया, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली- 2019.
- डी.टी.एच./केबल नेटवर्क पर उपभोक्ता गाइड (टी.आर.ए.आई. विनियम), ममता पठानिया, जी. एन. श्रीकुमारन (पुस्तिका में एफ.ए.क्यू. संकल्प है, 2019) भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2019.
- साइबर सुरक्षा तथा उपभोक्ता, ममता पठानिया, उपभोक्ता शिक्षा विनिबंध श्रृंखला, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली
- उपभोक्ता क्विज़, ममता पठानिया, जी.एन. श्रीकुमारन (पुस्तिका में उपभोक्ता संरक्षण पर क्विज़ के प्रश्न हैं, 2019) भा.लो.प्र.सं,, नई दिल्ली

ख. पत्र तथा लेख

1. ''स्वच्छ शासन : बदलती रूपरेखा'' में शासन विचारों से कार्यवाही तक, ममता पठानिया, रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली, 2019, ISBN-978-93-5171-152.
2. ''भारत में उपभोक्त सरंक्षण : चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग'' (प्रो. गुरमीत पन्नू द्वारा संपादित, प्रकाशन ब्यूरों, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला 2019, ISBN-978-81-302-0509-0) में विद्युत क्षेत्र में शिकायत निवारण तंत्र : दिल्ली का एक प्रकरण अध्ययन, सुरेश मिश्रा तथा ममता पठानिया

संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में पत्र प्रस्तुत

I. संगोष्ठी/कार्यशाला/सम्मेलन आदि का शीर्षक

- श्री महंत शतानंद गिरि हरिहर संस्कृत कॉलेज बोधगया के सहयोग से 25-26 नवंबर, 2019 को आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के ''उपभोक्ता अधिकार, उपभोग पैटर्न और पर्यावरणीय मुद्दे'' विषय पर पूर्ण सत्र में पेनलिस्ट।
- हेमचंद्राचार्य नाथ गुजरात विश्वविद्यालय, पटन के सहयोग से 03-04 जनवरी, 2020 को आयोजित दो-दिवसीय सामर्थ्य निर्माण कार्यशाला ''डिजिटल इरा में उपभोक्ता तथा वी.सी. ओज़'' में एक सत्र की अध्यक्षता की।
- राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल, गुजरात के सहयोग से आयोजित ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' विषय पर दो-दिवसीय संगोष्ठी में एक सत्र की अध्यक्षता की।

भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता

क. समिति/अन्यों (प्रभाग तथा योजना एवं परामर्शदात्री समिति की सदस्यता, समन्वकत्व,

संयोजकत्व आदि)- का विवरण तथा भागीदारी की प्रकृति

- राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली की सह-परियोजना निदेशक
- सदस्य, एन.सी.एच. कर्मचारी चयन समिति
- सदस्य, संपादक मंडल, ई-न्यूज़लेटर, ''कंज्यूमर डॉयलॉग न्यूज़लेटर, कंज़्यूमर डॉयलाग त्रैमासिक न्यूज़लेटर (उपभोक्ता अध्ययन केंद्र द्वारा प्रकाशित त्रैमासिक न्यूज़लेटर)
- संस्थान द्वारा समय-समय पर गठित आंतरिक सममितयों की सदस्य

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर अन्य शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता (समितियों/बोर्डो आदि की सदस्यता)

- सदस्य, राष्ट्रीय मिरर समिति, भारतीय मानक ब्यूरों की उपभोक्ता नीति समिति, नई दिल्ली
- नियुक्त सदस्य, एरिया सलाहकार बोर्ड तथा अध्ययन बोर्ड, एमिटी लोकनीति संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश
- सदस्य, स्क्रिप्ट समिति, उपभोक्ता जागरुकता पर दृश्य-श्रव्य और मुद्रित सृजनों हेतु स्क्रिप्ट पर विचार हेतु समिति (जागो ग्राहक जागो बैनर के अंतर्गत) उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार।
- यू.पी.एस.सी. तथा विविध राज्यों के लोक सेवा आयोगों के समीक्षा तथा मूल्याँकन पेनल में।

शाखाओं से संबद्धता

- शाखा से संबद्ध : तमिलनाडु

गतिविधियों से संलग्नता

- तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा के साथ ''उपभोक्ता संरक्षण तथा जागरुकता'' पर दो-दिवसीय संगोष्ठी की।

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण

कमला नेहरू कॉलेज, दिल्ली विश्वविद्यालय ने अपने कार्यक्रम आयोजन के दौरान निर्णायक के रूप में आमंत्रित किया, 29 जनवरी, 2020

अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है।

- देश के विविध कार्यक्रमों के दौरान उपभोक्ता कल्याण से संबंधित विविध मुद्दों पर मुद्रण तथा इलेक्ट्रॉनिक दोनों मीडिया के साथ परस्पर विचार-विमर्श तथा इंटरव्यू।
- राज्य सभा टी.वी. द्वारा अपने ''देश देशांतर- गैर पैक किया खाद्य तथा समापन तिथियाँ'' विषयक कार्यक्रम में एक पेनलिस्ट के रूप में आमंत्रित, राज्य सभा टी.वी., 26 फरवरी, 2020.

श्यामली सिंह

प्रकरण अध्ययन तैयार किए

I शीर्षक : (क) सतत पर्यटन (ख) कृषि तथा जीववैविध्य

II वित्त पोषक अभिकरण : यू.एन.डी.पी.

(क) पत्र तथा लेख

I शीर्षक : चरम जलवायु का कृषि परिस्थितिकी तथा परंपरागत लघुधारक चावल कृषकों के शारीरिक स्वास्थ्य पर विविधि प्रभाव

क. जर्नल : पर्यावरणीय न्याय

ख. खंड : 13

ग. संख्या : 2

घ. दिनाँक : 2020

(ख) अन्य प्रकाशन

I शीर्षक : आई.ओ.टी. समर्थ वायु मॉनीटरन पद्धति

II पुस्तक/जर्नल में अध्याय : स्प्रिंगर की कुशल पद्धति, तकनीकें तथा अनुप्रयोग

III. स्थान : सिंगापुर

IV. दिनाँक : 2020

(ग) पुस्तक समीक्षा

क. पुस्तक का शीर्षक : जंगल की आग तथा आगजनी का निवारण : सर्वोत्कृष्ट अंतरराष्ट्रीय व्यवहार

ख. लेखक का नाम : जैनट स्टैनले

ग. जर्नल का नाम : वर्नन प्रेस

घ. दिनाँक : 2019

संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में पत्र प्रस्तुत

- ''सतत शहरी भविष्य पोषित करना'' शीर्षक ई-चर्चा पत्र।
- सम्मेलन में ''सी.एस.आर. तथा सतत व्यवहार'' विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।

भा.लो.प्र.सं में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता

(क) समितियाँ/अन्य (प्रभाग तथा योजना एवं परामर्शदात्री समिति आदि की सदस्यता, समन्वयकत्व, संपादकत्व, संयोजकत्व आदि)- विवरण तथा भागीदारी आदि की प्रकृति

(ख) भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/बोर्डो आदि की सदस्यता)

क. भारतीय वानिकी शोध तथा शिक्षा परिषद् की विशेषज्ञ सदस्य नियुक्त

ख. आई.आर.डी.आर. युवा वैज्ञानिक कार्यक्रम युवा वैज्ञानिक, आई.आर.डी.आर., हैडन जिला, बीजिंग 100094, पी.आर.चीन

ग. आकाशवाणी द्वारा वैश्विक श्रोताओं हेतु विश्व आकाशवाणी सेवा पर ''जलवायु परिवर्तन अवबोध'' विषय पर विषय पर वार्ता हेतु वक्ता के रूप में आमंत्रित।

घ. एमिटी विश्वविद्यालय के पाठ्यचर्या अनुसीमन बोर्ड में

शाखाओं से संबद्धता

शाखा से संबद्ध : असम शाखा

भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण

- विविध न्यूज़चैनलों तथा राज्यसभा टी.वी., आकाशवाणी, डी.डी. उर्दू पर जलवायु परिवर्तन तथा संसाधन कुशलता पर विषय विशेषज्ञ के रूप में पेनलेस्टि के रूप में आमंत्रित।
- यू.एस.कॉन्स्यूलेट जनरल मुंबई, यू.एस. दूतावास काबुल तथा शैक्षणिक और सांस्कृतिक मामले ब्यूरो के सहयोग से आयोजित ''हमारे शहरी भविष्य के लिए सतत समाधान'' विषय पर इंडो-अफ़गान तकनीकी शिविर अनुवर्ती कार्यशाला में अध्यक्ष के रूप में आमंत्रित।
- एमिटी विश्वविद्यालय अध्ययन संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय द्वारा अपने पर्यावरणीय प्रबंधन रणनीतियाँ (स्नातक), पर्यावरण तथा अर्थशास्त्र (स्नातक), पर्यावरणीय प्रबंधन पद्धति (स्नातकोत्तर), पर्यावरणीय टॉक्सिकॉलॉजी (स्नातकोत्तर), पर्यावरणीय टॉक्सिकॉलॉजिकल अध्याय (स्नातक), पर्यावरणीय माइक्रोबायोलॉजी तथा बायोटेक्नॉलॉजी (स्नात्तकोत्तर- इन स्नातक तथा स्नातकोत्तर पाठ्यक्रमों की पाठ्यचर्या के पुनरीक्षण के लिए आमंत्रित।
- दिल्ली तथा एन.सी.आर. के विविध विश्वविद्यालयों में परीक्षक पेनल में शामिल।

अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है।

- पर्यावरणीय तथा वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित जलवायु प्रेरित हानि तथा क्षति केंद्र पाइपलाइन में है।
- समेकित पर्यावरणीय पर्यटन पर परियोजना पर्यटन मंत्रालय को सौंपी।
- विज्ञान तथा प्रौद्योगिकी विभाग द्वारा प्रायोजित ''जलवायु स्मार्ट शासन'' पर अग्रणी नोडल केंद्र
- दक्षिण एशिया जलवायु कार्यवाही नेटवर्क पर परामर्श पाइपलाइन में है।

- एम.एस.एम.ई. के लिए टी.टी.ज़ेड कॉरिडोर हेतु ई.आई.ए.
- नमामि गंगे हेतु ''सामाजिक आर्थिक क्षेत्र'' पर गंगा अनुसंधान के लिए प्रश्नावली तैयार की
- गंगा स्टेकहोल्डरों के लिए मिश्रित सामर्थ्य-निर्माण कार्यक्रम का प्रस्ताव एन.एम.सी.जी. को सौंपा
- भारत में कोविड स्थिति के दस्तावेज़ीकरण का प्रस्ताव, गृह मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपा

गदाधर मोहपात्र

(क) पत्र तथा लेख

I शीर्षक : स्वच्छ भारत मिशन में संभावित व्यावहारिक परिवर्तन: एक लोक नीति परिपेक्ष्य

II जर्नल : इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेज़ प्रकाशन

III खंड : 65

IV संख्या : अंक सं. 2

V दिनांक : जून 2019

(ख) अन्य प्रकाशन

I शीर्षक : जनजातीय मामले मंत्रालय की पी.वी.टी. जीज़ की विकास योजना के प्रभाव का मूल्याँकन

II प्रकाशक : भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट शासन हेतु सामर्थ्य निर्माण, खंड स.2, अंक.1, जनवरी-मार्च, 2020 (पृ.20-21)

III स्थान : भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली

IV प्रकाशन की तिथि : 31 मार्च, 2020

I(ख) शीर्षक : स्मार्ट शहरों के संदर्भ में बृहत् डाटा : शहरी आयोजन तथा शासन का अन्वेषण

II पुस्तक/जर्नल में अध्याय : उषा मुजू मुंशी तथा नीता वर्मा संपादित डाटा विज्ञान लैंडस्केप - शोध मानक तथा नवाचार की ओर, स्प्रिंगर इंटरनेशनल प्रकाशन, बृहत् डाटा अध्ययन, खंड 38

III स्थान : स्प्रिंगर नेचर, सिंगापुर पी.टी.ई. लि.

IV तिथि : 2018

(ग) पुस्तक समीक्षाएँ

क. पुस्तक का शीर्षक : जोसेफ ए. शुंपीटर द्वारा उद्यमी-क्लासिक पाठ। केलीफोर्निया : स्टेनफोर्ड विश्वविद्यालय प्रेस, 2011 ix+368, पृ. 35.00

ख. लेखक का नाम : मार्कुस सी. बेस्कर, थार्बजॉर्न नुडसेन तथा रिचर्ड स्वेडबर्ग

ग. जर्नल का नाम : इंडियन जर्नल ऑफ पब्लिक एडमिनिस्ट्रेशन, सेज़ प्रकाशन

घ. संख्या : खंड 66, अंक 2

ङ. तिथि : अप्रैल-जून, 2020

ख. संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों आदि में पत्र-प्रस्तुत

राष्ट्रीय महिला आयोग, महिला तथा बाल विकास मंत्रालय ने ''उद्यमता तथा कौशल विकास के माध्यम से जनजातीय महिलाओं का सशक्तीकरण : संभावनाएँ तथा चुनौतियाँ'' पर एक राष्ट्रीय सम्मेलन संचालित करने के लिए 2,79,000/- (दो लाख उनासी हज़ार रुपये केवल) की धनराशि संस्वीकृत की है। (फाइल सं. 16 (148)। 2019-2020। राष्ट्रीय महिला आयोग (राज्य महिला आयोग), दिनाँक 01/11/2019)।

यह सम्मेलन अगस्त/सितंबर, 2020 में होना है।

ग. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य के साथ संबद्धता

क. समिति/अन्य (प्रभाग तथा योजना और परामर्शदात्री समिति आदि की सदस्यता, समन्वकत्व, संपादकत्व, संयोजकत्व, आदि)- विवरण तथा भागीदारी की प्रकृति

- दल का सदस्य, जनजातीय अध्ययन तथा ग्रामीण विकास केंद्र, भा.लो.प्र.सं.
- दल का सदस्य, लोक नीति तथा सामाजिक न्याय हेतु डा. अम्बेडकर केंद्र
- प्रभारी, मुख्य रिसोर्स सेंटर (के.आर.सी.), भा. लो.प्र.सं. पेयजल तथा स्वच्छता मंत्रालय, भारत सरकार की सूची में शामिल है।

के.आर.सी.- भा.लो.प्र.सं. ने 2015 और 2016 में जिला कलेक्टर्स, जिला मजिस्ट्रेट तथा जिला पंचायत अध्यक्षों के लिए सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रमों की श्रृंखला संचालित की है। 2017 के दौरान भा.लो.प्र.सं. में जिला स्वच्छता फेलो के लिए पाँच सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम संचालित किए।

ख. भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/बोर्डों की सदस्यता)

- श्री अनुराग दत्ता (पंचीकरण सं. ए 6261419002), एमिटी समाज विज्ञान संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा- इस पीएच.डी. प्रत्याशी के बाह्य सह-मार्गदर्शक।
- पीएच.डी. प्रत्याशी सुश्री अरनिमा भार्गव, एमिटी समाज विज्ञान संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, नोएडा के बाह्य पर्यवेक्षक।

घ. शाखाओं के साथ संबद्धता

शाखा से संबद्ध : भा.लो.प्र.सं. की भुवनेश्वर क्षेत्रीय शाखा के सदस्य

सुजित कुमार प्रुसेथ

(क) पत्र तथा लेख

I शीर्षक : स्मार्ट अवसंरचना का निर्माण : मोदी 2.0 शासनकाल में नया शहरी एजेंडा कैसे चलाया जा सकता है, द फाइनेंशियल एक्सप्रेस, 25 जुलाई, 2019.

II ''रचनाकार गाँधी'' (गाँधी महान लेखक) पुस्तक में एक अध्याय ''ओडिशा रे गाँधी ओ गाँधी चर्चा'' (ओडिशा में गाँधी तथा गाँधी पर संवाद: चुने हुए निबंध- खंड II) - अरविंद पटनायक, दश बेन्हुर तथा चंद्र शेखर होता, ओडिशा साहित्य अकादमी द्वारा प्रकाशित, भुवनेश्वर, 2020.

मनन द्विवेदी

प्रकाशन

- पुस्तक, शीर्षक ''ट्रंप की घरेलू नीति तथा कूटनीति'', एन्ने पुस्तकें, 2020.
- मनन द्विवेदी, ''भारत का मैट्रिक्स तथा यू.एस. आई.टी. नीति'', स्प्रिंगर, यू.एस., 2019.
- मनन द्विवेदी, ''जम्मू तथा कश्मीर में शासन की स्थिति'', भारतीय राजनीति विज्ञान जर्नल, अक्तूबर 2019.
- मनन द्विवेदी, संपा. पुस्तक, ''भारत की विदेश नीति'', पेंटागन प्रेस, 2020 में।
- मनन द्विवेदी, ''तेल भू अर्थशास्त्र की कहानी'', वर्ल्ड फोकस, मई 2020.
- मनन द्विवेदी, मार्च 2019 से जून 2020 के दौरान पायोनियर राष्ट्रीय दैनिक समाचार-पत्र में यू.एस. मामलों पर 12 ओप एड।
- मनन द्विवेदी, दैनिक भास्कर तथा दैनिक प्रभात में एक ओप एड।
- मनन द्विवेदी, ''इरान तथा सऊदी अरब उलझाव'', वर्ल्ड फोकस, फरवरी, 2020।
- मनन द्विवेदी, भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट में दो पत्र।
- मनन द्विवेदी, भा.लो.प्र.सं. के इतिहास पर व्यक्तिगत रूप से पुस्तक लिखी तथा भा.लो.प्र.सं. को सौंप दी, माई आई.आई.पी.ए. के लिए साहित्य सृजन हेतु भा.लो.प्र.सं. को दो शोध-पत्र सौंपे।

पवन कुमार तनेजा

क. पत्र तथा लेख

I शीर्षक : सहज : ग्रामीण जीवन को सशक्त करने हेतु सतत विकास का एक पी.पी.पी. मॉडल

II जर्नल : प्रकरण केंद्र यू.के.

III खंड : प्रकरण संदर्भ सं. 719-0039-1

IV तिथि : 2019

ख. संगोष्ठी/कार्यशाला/ सम्मेलन आदि में पत्र प्रस्तुत

I शीर्षक : भारतीय जनता पार्टी के नेतृत्व वाली एन.डी.ए. सरकार की नीतियों का मूल्याँकन

II आयोजक अभिकरण : राजनीति विज्ञान विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय

III स्थान तथा तिथि : बृहस्पतिवार, 27 फरवरी, 2020

IV वित्त पोषण अभिकरण : यू.जी.सी. सी.ए.एस. –एस.ए.पी. कार्यक्रम

V प्रस्तुत पत्र का शीर्षक : समानता हेतु स्वास्थ्य देखभाल वित्तीयन: प्राथमिक तथा सहायक स्वास्थ्य देखभाल हेतु आयुष्मान भारत

ग. भा.लो.प्र.सं. में अन्य प्रकार के शैक्षणिक कार्य से संबद्धता

- सदस्य, आर्थिक विश्लेषण तथा प्रबंध अध्ययन केंद्र

घ. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण

- समीक्षक, जर्नल ऑफ क्लीनर प्रोडक्शन
- समीक्षक, विश्व स्वास्थ्य संगठन बुलेटिन

सुरभि पांडेय

क. भा.लो.प्र.सं. के बाहर शैक्षणिक कार्य से संबद्धता (समितियों/बोर्डो आदि की सदस्यता)

- एन.ए.सी.ई.एन. फरीदाबाद, एन.ए.सी.ई.एन. साकेत, आई.एस.टी.एम., सी.टी.ए. धर्मशाला

ख. शाखाओं से संबद्धता

शाखा से संबद्ध : उत्तर प्रदेश

ग. भा.लो.प्र.सं. के बाहर किए गए अन्य शैक्षणिक कार्य का विवरण

वरिष्ठ अधिकारियों के लिए डाटा वैश्लेषिकी, आर्टिफिशल इंटेलिजेंस, साइबर सुरक्षा, निर्णय लेने, सॉफ्ट स्किल्ज़ पर प्रशिक्षण संचालित तथा एन.ए.सी.ई.एन. फरीदाबाद, आई.एस.टी.एम., एन.आई.एल.ई.आर.डी. तथा केंद्रीय तिब्बत प्रशासन पर लीडरशिप सत्र।

घ. अन्य शैक्षणिक तथा संबंधित गतिविधि का विवरण जो ऊपर शामिल नहीं है।

- बी.आई.एस. उत्कृष्टता केंद्र सामर्थ्य निर्माण प्रस्ताव तैयार किया
- वेबसाइट एग्ज़ीवयूशन तथा विकास
- मूडल कस्टमाइज़ेशन
- भा.लो.प्र.सं. की डिजिटल तैयारी

अमित कुमार सिंह

क. प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए प्रस्ताव भेजा

- बिहार प्रशासनिक सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियो हेतु भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली में प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित करने के लिए बिहार लोक प्रशासन तथा ग्रामीण विकास संस्थान, पटना, बिहार से विचार-विमर्श चल रहा है।

शोध मार्गदर्शन

क्रम सं.	पंजीकरण संख्या	शोध प्रबंध	डिग्री प्रदत्त
1.	श्री देवेन्द्र सिंह कच्चवाहा (45वाँ अप्पा)	वर्तमान परिदृश्य में दूरसंचार विभाग के दूरसंचार अधिकारियों की प्रशिक्षण आवश्यकताऐं	प्रस्तुत करना है

ग. प्रशिक्षण/संगोष्ठियों/कार्यशालाओं/सम्मेलनों में भाग लिया और पत्र प्रस्तुत किए

- 45 वें अप्पा में बी-3 शहरी क्षेत्रीय दौरा : शहरी विकास तथा प्रशासन अध्ययन शाखा प्रभारी
- एस.एम.एस.जी. कॉलेज, शेरघाटी, गया, बिहार के भूगोल विभाग द्वारा ''उपभोक्ता अधिकार, उपभोग पैटर्न तथा पर्यावरणीय मुद्दे'' पर आयोजित दो-दिवसीय कार्यशाला में 26 नवंबर, 2019 को एक सत्र की अध्यक्षता की।
- 11 अक्टूबर, 2019 (शुक्रवार) को भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली के सम्मेलन कक्ष में ''गाँधी तथा सतत जीवनशैली'' विषय पर सम्मेलन में भाग लिया।
- राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण द्वारा 27 सितंबर, 2019 को, राष्ट्रीय आपदा प्रबंधन प्राधिकरण के

15 वें निर्माण दिवस के अवसर पर ''भारत में आग से सुरक्षा'' विषय पर आयोजित एक दिवसीय सम्मेलन में भाग लिया।

- आई.सी.एल.ई.आई. दक्षिण एशिया द्वारा आयोजित तथा सी.डी.के.एन. ज्ञान एक्सीलरेटर द्वारा रीजेंसी हॉल 5, द ललित, बाराखंबा रोड, कनॉट प्लेस, नई दिल्ली में 29 अगस्त, 2019 को संचालित राष्ट्रीय संलग्नता कार्यशाला में उपस्थित।
- चेतन्य कश्यप फाउंडेशन ए-101, गौरी सदन, 5 हेली रोड, नई दिल्ली में शुक्रवार, 26 जुलाई 2019 को ''मार्त स्वास्थ्य तथा निर्धनता संबंध : नीति एवं कार्यक्रम अभिप्रेतार्थ पर 52 वें निर्धनता डिस्कोर्स में भाग लिया।
- आई.सी.एल.ई.आई.- दक्षिण एशिया में सततता हेतु स्थानीय सरकारें द्वारा 15-17 अप्रैल, 2019 को होटल इरोज़, नई दिल्ली, भारत में ''शहरी प्रतिरोध क्षमता तथा अंगीकरण- प्रतिरोध क्षमता पूर्ण शहर एशिया पेसिपिक काँग्रेस 2019 पर चौथा एशिया प्रेसिपिक फोरम।

घ. प्रकाशन

(i) रिपोर्ट/ पुस्तकें प्रकाशित

- अचल संपदा (विनियमन तथा विकास) अधिनियम 2016 तथा इसके अभिप्रेतार्थ पर स्टेकहोल्डरों का परामर्श।

(ii) संदर्भित जर्नलों/ पुस्तकों आदि में पत्र प्रस्तुत

- सिंह ए.के. (2019) : ''स्वच्छ भारत मिशन का कार्यान्वयन : राँची शहर का एक प्रकरण अध्ययन'', बिहार लोक प्रशासन जर्नल XVI, खंड संख्या I, ISSN 0974-2735, जनवरी-जुलाई 2019, में।

ङ. अन्य कार्यों में संलग्नता

- कौशल विकास तथा उद्यमता मंत्रालय, भारत सरकार को सौंपी परियोजनाओं की पद्धति तथा नमूना डिज़ाइन तैयार किया:
  - i. पी.पी.पी. के माध्यम से 1396 सरकारी आई.टी.आईज़ के उन्नयन का मूल्याँकन
  - ii. 47 जिलों में कौशल विकास
  - iii. जन शिक्षा संस्थान का मूल्याँकन
- सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं. के लिए ''भारत में सामजिक समारोहों में खाद्य अपव्यय का आकलन'' पर परियोजना प्रस्ताव के लिए पद्धति तथा नमूना डिज़ाइन तैयार किया।
- 45 वें अप्पा के एक समूह के लिए शहरी शाखा के अंतर्गत शहरी अध्ययन दौरे का समन्वयन किया।
- भा.लो.प्र.सं. के लिए विविध शोध परियोजनाएँ। मूल्याँकन अध्ययन लाने में सफल।

परिशिष्ट-च.6
वर्ष 2019-2020 के दौरान शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता का विस्तृत ब्यौरा

क्रम सं.	क्षेत्रीय शाखाएँ	वित्तीय सहायता	50% ब्याज/ वार्षिक अंशदान	कुल राशि
1.	असम	30000	1078	31078
2.	बिहार	30000	4308	34308
3.	दिल्ली	30000	10394	40394
4.	गोवा (पश्चिमी तट)	0	0	0
5.	गुजरात	0	0	0
6.	हरियाणा	30000	1749	31749
7.	हिमाचल प्रदेश	0	0	0
8.	जम्मू तथा कश्मीर	30000	3855	33855
9.	झारखंड	0	0	0
10.	कर्नाटक	30000	2123	32123
11.	केरल	30000	2262	32262
12.	मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़	30000	1914	31914
13.	महाराष्ट्र	30000	4510	34510
14.	मणिपुर	0	0	0
15.	मेघालय	0	0	0
16.	मिज़ोरम	30000	374	30374
17.	ओडिशा	30000	1892	31892
18.	पंजाब और चंडीगढ़	30000	2231	32231
19.	राजस्थान	30000	2550	32550
20.	तमिलनाडु	30000	5652	35652
21.	तेलंगाना तथा आंध्र प्रदेश	30000	3619	33619
22.	उत्तर प्रदेश	30000	6257	36257
23.	उत्तराखंड	0	0	0
24.	पश्चिम बंगाल	0	0	0
	कुल (क)	**480000**	**54768**	**534768**

क्रम सं.	स्थानीय शाखाएँ	वित्तीय सहायता	50% ब्याज/ वार्षिक अंशदान	कुल राशि
1.	आगरा	0	0	0
2.	औरंगाबाद	15000	451	15451
3.	बरेली	30000	352	30352
4.	बदायूँ	15000	869	15869
5.	बुर्दवान	15000	187	15187
6.	कोयंबटूर	0	0	0
7.	कुददालोर	15000	484	15484
8.	कटक	0	0	0
9.	धारवाड़	15000	176	15176
10.	डिंडिगुल	0	0	0
11.	गुलबर्ग	15000	363	15363
12.	हावड़ा	15000	143	15143
13.	इंदौर	15000	319	15319
14.	जबलपुर	15000	418	15418
15.	जमशेदपुर	0	0	0
16.	कानपुर	15000	671	15671
17.	करीमनगर	15000	209	15209
18.	मदुरई	15000	1078	16078
19.	मेरठ	0	0	0
20.	मुज़्फरपुर	15000	363	15363
21.	मैसूर	0	0	0
22.	नागपुर	30000	693	30693
23.	नासिक	0	0	0
24.	पटियाला	0	0	0
25.	पाटलिपुत्र	15000	264	15264
26.	पुडुचेरी	15000	462	15462
27.	पुणे	15000	1624	16624
28.	सैदापेट	0	0	0
29.	सालेम	0	0	0

30.	सांगलि	0	0	0
31.	सिरोही	0	0	0
32.	तंजावुर	15000	143	15143
33.	तिरुचिरापल्लि	0	0	0
34.	तिरूनेलवेलि	0	0	0
35.	तिरुपति	15000	1065	16065
36.	तिरुपत्तुर	15000	176	15176
37.	वडोदरा	15000	297	15297
38.	वल्लभ विद्यानगर	0	0	0
39.	वेल्लोर	0	0	0
40.	वेल्लुपरम	15000	209	15209
41.	विरुद्धनगर	0	0	0
42.	विशाखापट्टनम	15000	583	15583
43	वारंगल	15000	715	15715
	कुल (ख)	**405000**	**12314**	**417314**
	कुल (क)	**480000**	**54768**	**534768**
	कुल योग (क)+(ख)	**885000**	**67082**	**952082**

परिशिष्ट-च.7

भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय शाखाओं से संबद्ध संकाय सदस्य

(31 मार्च, 2020 की स्थिति)

क्षेत्रीय शाखा का नाम	संबद्ध संकाय सदस्यों के नाम
1. असम क्षेत्रीय शाखा	डॉ. श्यामली सिंह
2. बिहार क्षेत्रीय शाखा	डॉ. नूपुर तिवारी
3. दिल्ली क्षेत्रीय शाखा	डॉ. चारू मल्होत्रा
4. पश्चिमी तट (गोवा) क्षेत्रीय शाखा	--
5. गुजरात क्षेत्रीय शाखा	--
6. हरियाणा क्षेत्रीय शाखा	डॉ. नीतू जैन
7. हिमाचल प्रदेश क्षेत्रीय शाखा	डॉ. वी.एन. आलोक
8. जम्मू व कश्मीर क्षेत्रीय शाखा	प्रो. अशोक कुमार विशनदास
9. झारखंड क्षेत्रीय शाखा	--
10. कर्नाटक क्षेत्रीय शाखा	डॉ. सपना चड्डा
11. केरल क्षेत्रीय शाखा	डॉ. गीतांजलि नटराज
12. मध्य प्रदेश तथा छत्तीसगढ़ क्षेत्रीय शाखा	डॉ. कुसुम लता
13. महाराष्ट्र क्षेत्रीय शाखा	डॉ. साकेत बिहारी
14. मणिपुर क्षेत्रीय शाखा	डॉ. सचिन चौधरी
15. मेघालय क्षेत्रीय शाखा	--
16. मिज़ोरम क्षेत्रीय शाखा	डॉ. अमित सिंह
17. उड़ीसा क्षेत्रीय शाखा	डॉ. जी. मोहापात्र
18. पंजाब तथा चंडीगढ़ (संघशासित) क्षेत्रीय शाखा	प्रो. के.के. पांडेय
19. राजस्थान क्षेत्रीय शाखा	प्रो. सुरेश मिश्रा
20. तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा	डॉ. ममता पठानिया
21. तेलंगाना तथा आँध्र प्रदेश क्षेत्रीय शाखा	प्रो. सी. शीला रेड्डी
22. उत्तर प्रदेश क्षेत्रीय शाखा	डॉ. सुरभि पांडेय
23. उत्तराखंड क्षेत्रीय शाखा	--
24. पश्चिम बंगाल क्षेत्रीय शाखा	डॉ. रोमा देबनाथ

परिशिष्ट-च.8

संकाय तथा वरिष्ठ अधिकारी

(31 मार्च, 2020 की स्थिति)

प्रोफेसर		
1.	प्रो. सुरेश मिश्रा	लोक प्रशासन के प्रोफेसर (उपभोक्ता मामलों में विशेषज्ञता सहित)
2.	प्रो. सी. शीला रेड्डी	चेयर प्रोफेसर (डा.बी.आर. अम्बेडकर चेयर)
सहयोगी प्रोफेसर		
1.	डॉ. वी.एन. आलोक	शहरी वित्त के सहयोगी प्रोफेसर
2.	डॉ. कुसुम लता	शहरी तथा क्षेत्रीय आयोजन की सहयोगी प्रोफेसर
3.	डॉ. चारू मल्होत्रा	ई-शासन तथा आई.सी.टी. की सहयोगी प्रोफेसर
4.	डॉ. सचिन चौधरी	लोक प्रशासन के सहयोगी प्रोफेसर
5.	डॉ. नीतू जैन	व्यावहारिक विज्ञान की सहयोगी प्रोफेसर
6.	डॉ. साकेत बिहारी	सहयोगी प्रोफेसर (विकास अध्ययन)
7.	डॉ. रोमा देबनाथ	सहयोगी प्रोफेसर (अनुप्रयुक्त सांख्यीकी)
8.	डॉ. नूपुर तिवारी	राजनीति विज्ञान तथा ग्रामीण विकास (पंचायती राज सहित) की सहयोगी प्रोफेसर
सहायक प्रोफेसर		
1.	डॉ. सपना चड्डा	संवैधानिक तथा प्रशासनिक विधि की सहायक प्रोफेसर
2.	डॉ. सुजित कुमार प्रुसेथ	शहरी प्रबंधन के सहायक प्रोफेसर (लियन पर)
3.	डॉ. मनन द्विवेदी	अंतर्राष्ट्रीय संबंध तथा अंतर्राष्ट्रीय प्रशासन के सहायक प्रोफेसर
4.	डॉ. श्यामली सिंह	पर्यावरण प्रबंधन तथा जलवायु परिवर्तन की सहायक प्रोफेसर
5.	डॉ. ममता पठानिया	लोक प्रशासन की सहायक प्रोफेसर
6.	डॉ. गदाधर मोहापात्र	समाजशास्त्र के सहायक प्रोफेसर
7.	डॉ. पवन कुमार तनेजा	प्रचालन शोध के सहायक प्रोफेसर
8.	डॉ. सुरभि पांडेय	सूचना प्रौद्योगिकी तथा ई-शासन की सहायक प्रोफेसर
संकाय (पुनर्रोज़गार आधार पर)		
1.	प्रो. वी.के. शर्मा	आपदा प्रबंधन के प्रोफसर
2.	प्रो. के.के. पांडेय	शहरी प्रबंधन के प्रोफेसर

संकाय (अनुबंध पर)		
1.	प्रो. गीतांजलि नटराज	अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र की प्रोफेसर
2.	प्रो. अशोक कुमार विशनदास	अनुप्रयुक्त अर्थशास्त्र के प्रोफेसर
3.	प्रो. गोविंद भट्टाचारजी	अर्थशास्त्र (लोक वित्त तथा कराधान) के प्रोफेसर
4.	डॉ. अमित कुमार सिंह	शहरी विकास के सहायक प्रोफेसर
वरिष्ठ प्रशासनिक कर्मचारी वर्ग		
1.	श्री अमिताभ रंजन	कुलसचिव
2.	श्री मिथुन बरुआ	उपकुलसचिव (शैक्षणिक सहायता)
3.	श्री. ओ.पी. चावला	उपकुलसचिव (वित्त एवं प्रशासन)
4.	श्रीमती मैथिली	सहायक कुलसचिव (प्रशासन)
5.	श्रीमती अलका जिंदल	अधीक्षक (प्रशिक्षण)
6.	श्री. एम.एस. बिष्ट	अधीक्षक (सदस्यता)
7.	श्री अनिल कुमार शर्मा	अधीक्षक (अप्पा)
8.	श्री आर.डी. कर्दम	प्रभारी अधिकारी (लेखा)
9.	श्री भीम सिंह	प्रभारी अधिकारी (हॉस्टल)
प्रकाशन कर्मचारी वर्ग		
1.	सुश्री मेघना चुक्कथ	सहायक प्रकाशन अधिकारी (अनुबंध पर)
वरिष्ठ पुस्तकालय कर्मचारी वर्ग		
1.	श्री हुक्म चंद यादव	कार्यवाहक पुस्तकालयाध्यक्ष
2.	श्रीमती सुनीता गुलाटी	उपपुस्तकालयाध्यक्ष (पुनर्रोज़गार पर)
3.	श्रीमती मीना	व्यवसायिक सहायक (उच्च वेतनमान)
4.	श्री हेमंत खरे	व्यवसायिक सहायक (उच्च वेतनमान)
5.	श्रीमती शक्ति चौहान	व्यवसायिक सहायक (उच्च वेतनमान)
6.	श्री नरेन्द्र कुमार	व्यवसायिक सहायक (उच्च वेतनमान)
7.	श्रीमती सुनीता गौतम	व्यवसायिक सहायक (उच्च वेतनमान)

शोध समन्वयन एकक		
1.	श्री मिथुन बरुआ	उपकुलसचिव (शैक्षणिक सहायता)
2.	श्री राकेश जोशी	अधीक्षक (शोध तथा परामर्श एवं सी.यू.एस.)
अनुरक्षण अनुभाग		
1.	श्री हरि ओम गोयल	अधिशासी अभियन्ता
2.	श्री अशोक शर्मा	विद्युत पर्यवेक्षक

परिशिष्ट-च.9
कार्यशालाओं/सम्मेलनों/संगोष्ठियों में भाग लेने के लिए संकाय सदस्यों तथा अन्यों के विदेश दौरे

1. प्रो. के.के. पांडेय

"भूमंडलीय विश्व में शहरी मेट्रो अर्थव्यवस्था तथा वित्त" विषय पर अधिशासी पाठ्यक्रम में भाग लेने के लिए 15 से 20 जुलाई, 2019 को मेरान शहरी प्रबंधन संस्थान, न्यूयार्क का दौरा किया। यू.एन.हेबीटैट तथा न्यूयार्क विश्वविद्यालय ने समस्त खर्च वहन किया।

2. प्रो. विनोद कुमार शर्मा

संयुक्त राष्ट्र जलवायु परिवर्तन सम्मेलन में भाग लेने के लिए 2 से 8 दिसंबर 2019 को मेड्रिड, स्पेन का दौरा किया। इसका व्यय जलवायु कार्यवाही नेटवर्क ने वहन किया।

3. डा. श्यामली सिंह

"लघुधारक चावल कृषकों की अतिविषम जलवायु में स्वास्थ्य तथा पर्यावरणीय संवदेनशीलता" परियोजना के अंतर्गत "ए.आई-एस.ओ.सी.डी. बीज अनुदान कार्यक्रम 2019" में भाग लेने के लिए 16.03.2020 से 21.03.2020 को सेलॉग्नॉर, मलेशिया का दौरा किया। इसका व्यय "ए.आई-एस.ओ.सी.डी. बीज अनुदान कार्यक्रम 2019" तथा विज्ञान परिषद् संस्थान, एशिया क्षेत्रीय कार्यालय ने वहन किया।

परिशिष्ट-च.10
शहरी अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ
(अप्रैल 2019-मार्च 2020)

शहरी अध्ययन केंद्र ने वर्ष 2019-2020 के दौरान शोध, सामर्थ्य निर्माण तथा सलाहकार सेवाओं के माध्यम से अपना विस्तार तथा प्रसार किया। यह केंद्र, राज्यों तथा शहरों के शहरी क्षेत्र के संस्थानों की सामर्थ्य-निर्माण कर रहा है तथा द्विपक्षीय/बहुपक्षीय सहयोग कार्यक्रम के अंतर्गत सरकारी विभागों/अभिकरणों तथा अधिकारियों में भारत सरकार के शहरी एजेंडा का विस्तार/साझा भी करता है।

भारत सरकार के शहरी मिशन पर प्रशिक्षण तीव्र करने के लिए बिहार, उत्तरप्रदेश तथा मिज़ोरम सरकार के साथ समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए हैं। आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के निदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार तथा अरूणाचल प्रदेश के साथ भी संशोधित समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए। आई.आई.टी. रूड़की के साथ भी व्यावसायिक सहयोग तथा अनुभव आदान-प्रदान हेतु समझौता ज्ञापन पर हस्ताक्षर किए गए।

प्रशिक्षण तथा सामर्थ्य-निर्माण गतिविधियाँ

वर्ष के दौरान, केंद्र ने 33 आयोजन किए जिनमें 1058 प्रभिागी शामिल थे। इन आयोजनों में छः कार्यशालाएँ/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन/पेनल चर्चाएँ, शहरी विकास तथा संबंधित मुद्दों पर चौदह अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम, अखिल भारतीय/केंद्रीय तथा सुरक्षा सेवाओं और सरकारी विभागों तथा अभिकरणों के सरकारी अधिकारियों हेतु तेरह सेवा मध्य/करियर वर्धन कार्यक्रमों के लिए शहरी मॉड्यूल का डिज़ाइन, विकास तथा वितरण शामिल हैं। इन कार्यक्रमों में शहरी शासन, वित्त, निर्धनतामों उन्मूलन, आवास, पर्यावरण तथा उत्पादकता-ये विविध विषय भी शामिल हैं।

कार्यशाला/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन तथा पेनल चर्चाएँ

शहरी अध्ययन केंद्र (सी.यू.एस.) शहरी विकास तथा अन्य संबंधित मुद्दों पर कार्यशाला/संगोष्ठियाँ/सम्मेलन तथा पेनल चर्चाएँ संचालित कर रहा है। सी.यू.एस. ज्ञान भागीदार के रूप में अन्य संस्थानों के साथ मिलकर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन भी संचालित कर रहा है। दो संगोष्ठियाँ, एक अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन, पेनल चर्चाएँ तथा कार्यशालाएँ आयोजित की गई। संचालित कार्यशाला/संगोष्ठियों/सम्मेलनों/पेनल चर्चा की सूची तालिका-1 में दी गई है।

शहरी विकास तथा संबंधित मुद्दों पर अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

फरवरी 2020 तक शहरी विकास तथा संबंधित मुद्दों पर चौदह अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम संचालित किए गए। संबंधित कार्यक्रमों मे शहरी स्थानीय निकायों तथा आवास और शहरी मामले मंत्रालय और इसके अभिकरणों (सी.पी.ड्ब्ल्यू.डी., एन.बी.सी.सी तथा हुडको) सी.पी.सी.बी. (केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड कैंटान्मेंड बोर्ड/एम.ई.एस.) तथा राज्यों (अरूणाचल प्रदेश, बिहार तथा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली) से प्रतिभागियों ने भाग लिया।

सी.यू.एस. ने शहरी विकास पर एक-सप्ताह के विशेष कार्यक्रम तथा अखिल भारतीय सेवाओं, केंद्रीय सेवाओं और रक्षा सेवाओं के सरकारी पदाधिकारियों के लिए चार शहरी प्रदर्शन यात्राएँ भी संचालित की। इन अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची तालिका-2 पर दी गई है।

सरकारी अधिकारियों हेतु सेवा मध्य कार्यक्रम में शहरी मॉड्यूल का डिजाइन, विकास तथा वितरण

फरवरी 2020 तक भ.ला.प्र.सं. के तेरह कार्यक्रमों में सरकारी अधिकारियों (अखिल भारतीय/केंद्रीय तथा रक्षा सेवाओं और सरकारी विभागों तथा अभिकरणों) हेतु सेवा मध्य/जीविका वर्धन कार्यक्रमों में शहरी मॉड्यूल का डिज़ाइन, विकास तथा वितरण। शहरी मॉड्यूल के डिज़ाइन, विकास तथा वितरण की सूची तालिका-3 पर दी गई है।

शोध तथा सलाहकार सेवाएँ

समसामयिक शहरी मुद्दों पर शोध तथा सलाहकार सेवाओं में (i) चुने हुए राज्यों का हस्ताग्रह, (ii) आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय द्वारा सुझाए गए विशिष्ट कार्य तथा (iii) शहरी क्षेत्र के स्टेकहोल्डरों हेतु व्यावसायिक गतिविधियाँ शामिल हैं।

शोध

सी.यू.एस. ने अपने दो शोध अध्ययनों (i) एन.डी.एम.सी. के छः (मानव संसाधन, सार्वजनिक स्वास्थ्य, सिविल इंजीनियरिंग, बाग़बानी, शिक्षा तथा विद्युत) विभागों का जनशक्ति आकलन तथा (ii) आठ अस्पतालों (माननीय दिल्ली उच्च न्यायालय के आदेशानुसार राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार) का तृतीय पक्ष लेखा-परीक्षण (शासन पद्धति की प्रक्रिया का परीक्षण) की अंतिम रिर्पोट सौंप दी है। ठोस अपव्यय प्रबंधन के सर्वोत्कृष्ट व्यवहार का दस्तावेज़ीकरण को अंतिम रूप दिया जा रहा है। इसके अतिरिक्त, चार शहरी अध्ययन रिपोर्टे भी तैयार की गई हैं। इनमें मैसूर तथा इससे सटे हुए शहर, अहमदाबाद, दिल्ली तथा शिलाँग के शहरी अध्ययन दौरों के बारे में बताया गया है।

तकनीकी प्रस्ताव तैयार करके मंत्रालयों, राज्यों तथा अन्य शहरी संस्थाओं को भेजे गए हैं, अन पर बातचीत चल रही है। ये प्रस्ताव निम्नानुसार है:

1. अध्ययन/शैक्षनिक गतिविधियों हेतु निम्न को तकनीकी प्रस्ताव भेजे गए हैं (i) आई.सी.बी. कार्यक्रम के अंतर्गत समझौता ज्ञापन हेतु बिहार, अरूणाचल प्रदेश, लखनऊ, मिज़ोरम आदि राज्य सरकारों को, (ii) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार आदि को सामाजिक प्रभाव आकलन हेतु।
2. आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, भारत सरकार को स्मार्ट सिटी मिशन के अंतर्गत विदेश अध्ययन यात्रा हेतु प्रस्ताव।
3. अरूणाचल प्रदेश सरकार के अधिकारियों को विदेश अध्ययन यात्रा हेतु प्रस्ताव।
4. एन.सी.ए.पी. (राष्ट्रीय स्वच्छ वायु कार्यक्रम) में शहरी स्थानीय निकायों की भूमिका की रूपरेखा पर अध्ययन हेतु प्रस्ताव।
5. राष्ट्रीय स्वच्छ गंगा अभियान, जल शक्ति मंत्रालय, भारत सरकार को दो अध्ययन प्रस्ताव भेजे।
6. इथोपिया में शहरी अग्रगण्यों हेतु संयुक्त राष्ट्र पर्यावास सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम हेतु प्रस्ताव भेजा।
7. उत्तर प्रदेश में शहरी जल आपूर्ति हेतु लागन तथा कीमत तथा लागत वसूली पर अध्ययन।

परामर्श सेवाएँ

सी.यू.एस. ने आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय भारत सरकार हेतु लघु टिप्पणियों, संकल्पना पत्रों तथा राज्य स्तरीय सूचना के रूप में मंत्रालयों तथा राज्यों को परामर्श सेवाएँ उपलब्ध कराई।

1. राष्ट्रमंडल स्थानीय सरकारी पुस्तिका 2019-2020 को अद्यतन करने के लिए आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के अनुरोध पर राज्यों से सूचना एकत्रित की।
2. भारत में योग्य बस्तियों का शहरीकरण पर लघु टिप्पणी।
3. 74वें सी.ए.ए. पर लघु टिप्पणी।
4. एम.पी.सी./डी.पी.सी. पर लघु टिप्पणी।
5. शहरी क्षेत्रों में विकेंद्रीकृत अपशिष्ट प्रबंधन पर विशेष पत्र।

प्रकाशन तथा अन्य व्यावसायिक गतिविधियाँ

सी.यू.एस. ने अनेक प्रकाशन निकाले तथा अन्य

व्यावसायिक गतिविधियाँ की। इन गतिविधियों का विवरण नीचे दिया गया है:

(क) राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र योजना मंडल, राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार, आई.टी.पी.आई. (भारतीय शहर आयोजन संस्थान), ए.एम.डी.ए. (नगरपालिकाएँ तथा विकास प्राधिकरण संघ), कुछ प्रतिष्ठित जर्नलों यथा नगरलोक, लोक प्रशासन की एशियाई पुनरीक्षा तथा आकाक्षा-वाई. एस.एस.जी. पत्रिका आदि के संपादक मंडल आदि द्वारा केंद्र के संकाय सदस्यों को पहचान दी गई।

(ख) केंद्र के संकाय सदस्यों ने समाचार-पत्रों, पत्रिकाओं तथा पुस्तकों आदि में पत्र प्रकाशन हेतु दिए।

(ग) इसके अतिरिक्त, सी.यू.एस. के संकाय सदस्यों ने हरियाण लोक प्रशासन संस्थान, हयूमन सेटलमेंट मैनेजमेंट इस्टीट्यूट, योजना तथा वास्तुकला विद्यालय, भारतीय नगर आयोजक संस्थान, नगरपालिका तथा विकास प्राधिकरण संघ-द्वारा संचालित पाठ्यक्रमों में संकाय सहायता उपलब्ध कराई। इन कार्यक्रमों ने आगे और प्रचार के लिए सीखने तथा सिखाने का अवसर उपलब्ध कराया।

(घ) नगरलोक (त्रैमासिक) नियमित रूप से प्रकाशित किया जा रहा है। वर्ष के दौरान इसके चार अंक प्रकाशित हुए।

(ड़) केंद्र के संकाय सदस्यों के द्वारा लिखित पत्र तथा लेख उच्च प्रतिष्ठा प्राप्त जर्नलों/पत्रिकाओं में छपे।

(च) केंद्र के संकाय सदस्यों ने समसामयिक शहरी मुद्दों पर अनेक संगोष्ठियों/कार्यशालाओं तथा टेलिविज़न चर्चाओं में भाग लिया।

सहयोग/समझौता ज्ञापन प्रस्ताव

1. यूरोपीय संघ के साथ सहयोग
2. आई.आई.टी. रूड़की के साथ सहयोग
3. आई.सी.बी. कार्यक्रम के अंतर्गत पंजाब सरकार के साथ समझौता ज्ञापन।
4. आई.आई.टी. रूड़की के साथ सहयोग में दोनों संस्थानों के व्यवसायियों में परस्पर शिक्षण हेतु संकाय तथा छात्रों का व्यवस्थापन तथा संयुक्त पाठ्यक्रम और शोध शामिल है।

सामर्थ्य निर्माण में नई स्थिति से निबटने के लिए ऑनलाइन पाठ्यक्रम विकसित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इनमें अनेक अन्य कार्यक्रम शामिल किए जाएँगे चूँकि लॉकडाउन तथा संबंधित परिदृश्य में इस अति विशिष्ट परिस्थिति के कारण पहले से प्लान किए गए कार्यक्रम प्रभावित होंगे।

सामर्थ्य-निर्माण हेतु सामग्री उपलब्ध कराने तथा आगे नए शोध के लिए मुद्दों की पहचान हेतु नाज़ुक मुद्दों पर वेबिनार आयोजित करने के प्रयत्न किए जा रहे हैं। इसके साथ ही, पहले के समान क्लास रूम प्रशिक्षण शुरू होने तक, टिप्पणियों, तकनीकी पत्रों, पृष्ठभूमि पत्रों, आदि से संबंधित कार्य भी शुरू किया जा रहा है।

तालिका-1 कार्यशाला, संगोष्ठियाँ, सम्मेलन तथा पेनल चर्चाएँ

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	महानगरीय आयोजन: वैश्विक व्यवहार तथा भारत के लिए पाठ विषय पर एक-दिवसीय संगोष्ठी	19 सितंबर, 2019	54
2.	"स्थानीय क्षेत्रीय आयोजन तथा नगर आयोजन योजना" विषय पर एक-दिवसीय संगोष्ठी, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश में	4 नवंबर, 2019	37
3.	शहरी/नगर शासन नवीनताएँ पर पेनल चर्चा	7 नवंबर, 2019	60

4.	भावी शहर-2019 पर अतरराष्ट्रीय सम्मेलन (ज्ञान भागीदार आई.आई.टी. रूड़की के साथ)	11-13 दिसंबर, 2019	160
5.	शहरी स्थानीय निकायों तथा अन्य अभिकरणों द्वारा शहरी नवीनताओं पर एक दिवसीय विशेष कार्यशाला	16 जनवरी, 2020	50
6.	"जी.आई.एस.: शहरी विकास का एक साधन" पर राज्य स्तर की कार्यशाला	25 फरवरी, 2020	35

तालिका-2 शहरी विकास तथा संबधित मुद्दों पर अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	'समेकित शहरी जल पद्धति प्रबंधन-अरूणाचल प्रदेश' पर अत्याधुनिक प्रशिक्षण कार्यक्रम	2-4 जुलाई, 2019	46
2.	राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सरकार के लिए समेकित सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम और अनुवर्ती कार्यवाही शोध तथा प्रशिक्षण (कैप्सूल 3)	6-8 अगस्त, 2019	22
3.	आई.डी.ई.एस. अधिकारियों हेतु सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	16-20 सितंबर, 2019	5
4.	अरूणाचल प्रदेश के जिला शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों हेतु समेकित अभिमुखीकरण कार्यक्रम	23-25 सितंबर, 2019	76
5.	"ऑनलाइन भवन अनुमति पद्धति" पर तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम, इटानगर, अरूणाचल प्रदेश	5-7 नवंबर, 2019	49
6.	अखिल भारतीय तथा केंद्रीय सेवाओं के वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों हेतु विशेष शहरी विकास पाठ्यक्रम	5-9 नवंबर, 2019	46
7.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों हेतु एक-सप्ताह का दिल्ली का शहरी प्रकटन तथा अध्ययन दौरा	19-23 नवंबर, 2019	28
8.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों हेतु एक-सप्ताह का अहमदाबाद का शहरी प्रकटन तथा अध्ययन दौरा	19-23 नवंबर, 2019	5
9.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों हेतु एक-सप्ताह का मैसूर का शहरी प्रकटन तथा अध्ययन दौरा	19-23 नवंबर, 2019	7
10.	वरिष्ठ सरकारी अधिकारियों हेतु एक-सप्ताह का शिलाँग का शहरी प्रकटन तथा अध्ययन दौरा	19-23 नवंबर, 2019	6
11.	अरूणाचल प्रदेश सरकार के जिला शहरी विकास प्राधिकरण तथा शहरी स्थानीय निकायों के अधिकारियों हेतु एस.एम. तथा आई.डी. एवं एस.ई.पी. पर प्रशिक्षण कार्यक्रम	28-30 जनवरी, 2020	37

12.	आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के आई.सी.बी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों हेतु समेकित संवेदीकरण कार्यक्रम	6-7 फरवरी, 2020	15
13.	आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय के आई.सी.बी.पी. कार्यक्रम के अंतर्गत बिहार के शहरी स्थानीय निकायों के चुने हुए प्रतिनिधियों हेतु समेकित संवेदीकरण कार्यक्रम	13-14 फरवरी, 2020	20
14.	"जी.आई.एस. साफ्टवेयर की क्रियाशीलता" पर तीन दिन का प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-28 फरवरी, 2020	35

तालिका-3 शहरी माड्यूल का डिज़ाइन, विकास तथा वितरण

क्रम सं.	कार्यक्रम का नाम	अवधि	प्रतिभागियों की संख्या
1.	"रणनीतिगत वित्तीय तथा जोखिम प्रबंधन" पर दो-सप्ताह का प्रशिक्षण कार्यक्रम (आई.टी.ई.सी. विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	25 मार्च से 5 अप्रैल, 2019	23
2.	राष्ट्रीय ट्यूनीशिया स्कूल के ट्यूनीशियाई प्रशासकों हेतु ई-शासन पर दो-सप्ताह का विशेष प्रशिक्षण कार्यक्रम	15-26 अप्रैल, 2019	22
3.	समाज कल्याण मंत्रालय, बाँग्लादेश सरकार हेतु भारत में सामर्थ्य निमार्ण तथा कौशल विकास पर प्रशिक्षण	20-24 अप्रैल, 2019	20
4.	आई.एफ.एस. अधिकारियों हेतु सतत विकास के लिए पर्यावरणीय अर्थशास्त्र की भूमिका पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (पर्यावरण, वन तथा जलवायु परिवर्तन मंत्रालय द्वारा प्रायोजित)	6-10 मई, 2019	18
5.	नीति आयोग के जी.सी.एस. अधिकारी विभाग हेतु संगत क्षेत्रों में दो-सप्ताह का सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम	13-24 मई, 2019	14
6.	"जाखिम प्रबंधन पर परियोजना तथा दो सप्ताह का अंतरराष्ट्रीय प्रशिक्षण" पर रूस के प्रतिनिधियों हेतु आई.टी.ई.सी. के अंतर्गत प्रशिक्षण कार्यक्रम (विदेश मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	20-31 मई, 2019	25
7.	कार्यस्थल पर लिंग समानता विषय पर एक-दिवसीय कार्यशाला (डी.पी.ई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	7 जून, 2019	14

8.	"व्यापार उत्कृष्टता प्राप्ति में सहायक तथा नेतृत्व" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (डी.पी.ई., भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	17-21 जून, 2019	29
9.	"वैश्विक अर्थवयवस्था में व्यापार उत्कृष्टता हेतु नेतृत्व" पर 8वाँ उच्च स्तरीय नेतृत्व कार्यक्रम (पी.एस.यू द्वारा प्रायोजित)	19 अगस्त-17 सितंबर, 2019	14
10.	भारतीय डाक तथा दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु "लोक प्रशासन" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (एन.आई.सी.एफ., संचार मंत्रालय, दूरसंचार विभाग, भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	26-30 अगस्त, 2019	16
11.	जल गुणवत्ता पैरामीटरों हेतु विश्लेषणात्मक प्रक्रियाओं पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.पी.सी.बी. द्वारा प्रायोजित)	23-25 सितंबर, 2019	27
12.	"जल गुणवत्ता पैरामीटर-समान नयाचार पर विश्लेषणात्मक प्रक्रियाएँ" पर प्रशिक्षण कार्यक्रम (सी.पी.सी.बी. भारत सरकार द्वारा प्रायोजित)	26-28 नवंबर, 2019	25
13.	वैज्ञानिकों तथा तकनीकीविदों हेतु 19वाँ आधारभूत प्रशिक्षण कार्यक्रम (8 सप्ताह) (बी. तथा सी. स्तर तथा बराबर स्तर के वैज्ञानिक तथा तकनीकीविद्) (डी.एस.टी. द्वारा प्रायोजित)	27 जनवरी-20 मार्च, 2020	18

परिशिष्ट-च.11

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की गतिविधियाँ अप्रैल 2019-मार्च 2020

1. परिचय

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र भा.लो.प्र.सं. के बारह केंद्रों में से एक है। यह केंद्र भा.लो.प्र.सं. के विधायी ढाँचे के अंतर्गत सचिव, उपभोक्ता मामले, भारत सरकार की अध्यक्षता वाली मॉनीटरन समिति के नीति-निर्देशों द्वारा प्रचालित है। केंद्र की भूमिका प्रचालनात्मक तथा प्रोन्त्यात्मक दोनों प्रकार की है। भा.लो.प्र.सं. में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र की स्थापना जुलाई, 2007 में हुई। इस केंद्र का वित्त पोषण उपभोक्ता मामले विभाग द्वारा किया जाता है। यह केंद्र अपनी विविध गतिविधियों के माध्यम से उत्कृष्टता केंद्र के रूप में उभरा है। उपभोक्ता के शिक्षा के अधिकार के संरक्षण तथा प्रोन्नति के लिए विशेषत: समर्पित यह केंद्र देश में अपने प्रकार का एकमात्र केंद्र है। इस केंद्र की गतिविधियाँ है विविध स्टेकहोल्डरों की सामर्थ्य-निर्माण करना, संगोष्ठियाँ, कार्यशालाएँ तथा शोध संचालित करना और सूचना का प्रसार और दस्तावेज़ीकरण करना। इस केंद्र का लक्ष्य उपभोक्ताओं के हितों तथा कल्याण को सुकर करना है।

यह केंद्र उपभोक्ता संरक्षण तथा उपभोक्ता कल्याण से संबंधित शोध तथा नीति संबंधी मुद्दों हेतु उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के 'विशेषज्ञ समूह' तथा 'ज्ञान भागीदार' के रूप में पहचाना जाता है। यह केंद्र राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन तथा राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन ज्ञान संसाधन प्रबंधन पोर्टल का भी संचालन करता है।

2. अप्रैल 2019- मार्च 2020 की अवधि में केंद्र की गतिविधियाँ

अपने उद्देश्यों तथा लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए क्रेंद्र ने अप्रैल 2019 से मार्च 2020 के दौरान विविध कार्यक्रम आयोजित किए।

I. सामर्थ्य निर्माण पहल

इस अवधि में केंद्र ने विविध स्टेकहोल्डरों के लिए 31 सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रम आयोजित किए जिसमें प्रशिक्षण कार्यक्रम, कार्यशालाएँ, संगोष्ठियाँ तथा सम्मेलन शामिल हैं। सामर्थ्य निर्माण कार्यक्रमों की सूची परिशिष्ट च. 1 पर संलग्न है।

II. 45वें अप्पा में उपभोक्ता संरक्षण पर शाखा

जनवरी 2020 में 45 वें अप्पा में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण : कानून तथा नीतियाँ'' विषय पर शाखा सफलतापूर्वक संपन्न की।

अप्पा शोध हेतु मार्गदर्शन

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र के संकाय सदस्यों में निम्नलिखित छ: शोध पत्रों हेतु मार्गदर्शन किया:

क्रम सं.	विषय तथा अभ्यार्थी का नाम	मार्गदर्शक का नाम	स्थिति
1.	भारत में कुछ चुनी हुई वस्तुओं के स्पॉट बाज़ार तथा फ्यूचर बाज़ार के मध्य संबंध का एक अध्ययन अनुपम मिश्रा (रोल नं. 4524)	प्रो. सुरेश मिश्रा	शोध पत्र अनुमोदित
2.	आई.टी.यू. का आई.सी.टी. विकास इंडेक्स (आई.डी.आई.): भारत के रैंक में सुधार की रणनीति सुभाषचंद्र (रोल नं. 4503)		
3.	मोबाइल संचार : रेडियो फीक्वेंसी इलेक्ट्रोमैगनेटिक क्षेत्र संसर्ग तथा सार्वजनिक सुरक्षा पीयुष चंद गुप्ता (रोल नं. 4511)	डा. सपना चड्डा	शोध पत्र अनुमोदित

4.	अनुच्छेद 370 का प्रावधान हटाना: एक निष्पक्ष आकलन तथा आगे का मार्ग अरविंद कुमार त्रिपाठी (रोल नं. 4543)	डा. सपना चडडा	शोध पत्र अनुमोदित
5.	भारतीय वायु सेना में रखरखाव शाखा अधिकारियों श्रेणीकरण : एयर कॉमॉडोर राकेश राटुरी (रोल नं. 4530)	डा. ममता पठानिया	शोध पत्र अनुमोदित
6.	सहारनपुर में चिथड़े इकट्ठे करने वालों के व्यावसायिक स्वास्थ्य संबंधित खतरे: अमल गर्ग (रोल नं. 4508)		

III. शोध अध्ययन

विचारधीन अवधि में उपभोक्ता अध्ययन केंद्र ने उपभोक्ता संबंधित मुद्दों पर दो शोध अध्ययन किए

1. कुछ चुने हुए राज्यों में स्ट्रीट फूड वेंडरों में खाद्य सुरक्षा मानकों का मूल्याँकन तथा पार्टियों और विवाहों के दौरान खाद्य अपव्यय को रोकने के उपाय सुझाना।
2. उपभोक्ता मामलों को निपटाने में प्रक्रियात्मक विलंब का विश्लेषण तथा उपभोक्ता मंचों की कार्यप्रणाली।

IV. प्रकाशन

वर्ष के दौरान केंद्र ने, तीन पुस्तकें, सात विनिबंध तथा सतत विकास पर दो पुस्तकें प्रकाशित किया। इसके अतिरिक्त केंद्र के संकाय तथा स्टाफ ने उपभोक्ता संरक्षण से संबंधित मुद्दों पर पत्र प्रस्तुत किए तथा प्रकाशित किए।

क. पुस्तकें

- सतत उपभोक्ता, (संपा.) सुरेश मिश्रा तथा ममता पठानिया, कॉन्सेप्ट पब्लिशिंग कं.प्रा.लि., नई दिल्ली (प्रेस में)
- उपभोक्ता संरक्षण : कुछ झलकियाँ (प्रेस में)
- सुशासन : बदलती रूपरेखा, सी.शीला रेड्डी तथा ममता पठानिया, रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली–2019

भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण

संपादक

डा. वी. मणिकावासगम
डा. सुरेश मिश्रा
डा. सी. वेथिराजन
डा. सपना चड्डा

नए बाज़ारों में उपभोक्ता सशक्तीकरण : भारतीय पहल – 26–27 अक्तूबर, 2017 को उपभोक्ता संरक्षण पर अंतरराष्ट्रीय सम्मेलन हेतु पृष्ठभूमि सामग्री – सुरेश मिश्रा तथा सपना चड्डा

बिज़नस इंटेलिजेंस तथा इनोवेशन पर अंतरराष्ट्रीय जर्नल, उपभोक्ता संरक्षण विशेषांक, खंड 1, सितं. 2017 – आर. अरुमुगम, सी. थिलकम, सुरेश मिश्रा तथा ई. राजा जसटस

ख. विनिबंध

1. सुरेश मिश्रा, उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019–एक पाठक, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र (सी.सी.एस.) भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2019
2. सपना चड्डा तथा वारुणी बी.आर., उत्पाद दायित्व तथा उपभोक्ता (सी.सी.एस.) भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2019
3. ममता पठानिया, साइबर सुरक्षा तथा उपभोक्ता (सी.सी.एस.) भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2019
4. ममता पठानिया तथा जी.एन. श्रीकुमारन, उपभोक्ता क्विज़, सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2018
5. सुरेश मिश्रा, रेरा तथा इसका उपभोक्ता पर प्रभाव (मुद्रण हेतु तैयार)

6. ममता पठानिया, कीटनाशकों का उपभोक्ता पर प्रभाव (मुद्रण हेतु तैयार)

7. सपना चड्डा, नागरिक विमानन तथा उपभोक्ता (मुद्रण हेतु तैयार)

ग. विश्व उपभोक्ता दिवस 2020 के अवसर पर ''सतत उपभोक्ता'' विषय पर प्रकाशित प्रकाशन।

1. सुरेन्द्र नाथ त्रिपाठी तथा ममता पठानिया, सतत उपभोक्ता, सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2020

2. सपना चड्डा, सतत उपभोग की ओर- एक पुस्तिका, सी.सी.एस., भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, 2020

घ. पत्र/ लेख

1. सुरेश मिश्रा, उपभोक्ता संरक्षण बिल 2019, उपभोक्ता आवाज़, खंड 4- अंक 2, अक्तू-दिसं 2019.

2. सुरेश मिश्रा, इनफोकस, प्रत्यक्ष बिक्री पर साक्षात्कार, आज प्रत्यक्ष बिक्री में प्रकाशित, अक्तू. 2019.

3. सुरेश मिश्राा तथा ममता पठानिया, (2019) विद्युत क्षेत्र में शिकायत प्रतितोष तंत्र : दिल्ली का एक प्रकरण अध्ययन, गुरप्रीत पन्नू (संपा.), भारत में उपभोक्ता संरक्षण : चुनौनियों तथा आगे का मार्ग, प्रकाशन ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला, 2019.

4. डा. सपना चड्डा तथा दीपिका सुर, (2019), बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता शिकायतें, बिहार लोक प्रशासन जर्नल, खंड XVI, सं.1, जनवरी-जून 2019, पृष्ठ 25-40.

5. डा. सपना चड्डा, पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से 29-30 जुलाई, 2019 को भूमंडलीकरण तथा ''प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''बीमा क्षेत्र में उपभोक्ता अनुभव तथा संतुष्टि : एक विश्लेषणात्मक अध्ययन'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।

6. डा. सपना चड्डा, महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार के सहयोग से 14-15 अक्तू. , 2019 को ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी ''सेवा क्षेत्र में उपभोक्ता संतुष्टि : बीमा क्षेत्र का एक अध्ययन'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।

7. प्रो. सुरेश मिश्रा, शिकायत दर्ज करना सुगम करना, निपटान तीव्र करना, ट्रिब्यून, चंडीगढ़, 2019.

8. सुरेश मिश्रा, प्रो. ए. रंगारेड्डी की पुस्तक ''पुस्तक में डिजिटलाइज़ेशन तथा सुधारों का प्रसार'' की प्रस्तावना लिखी, तिरुपति।

9. प्रो. सुरेश मिश्रा, वैश्वीकृत बाज़ार में उपभोक्ता सशक्तीकरण: उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019, भा.लो.प्र.सं. डाइजेस्ट, खंड सं. 01, 4, अक्तू-दिसं. 2019.

10. डा. सपना चड्डा, भारत में उत्पाद दायित्व पद्धति : हाल में हुए परिवर्तन तथा संभावनाएँ, भा.लो. प्र.स. डाइजेस्ट, खंड सं.1, अंक सं.4, अक्तू-दिसं., 2019, पृष्ठ 48-53.

11. डा. सपना चड्डा, प्रत्यक्ष बिक्री हेतु मध्यस्थता, आज प्रत्यक्ष बिक्री, तृतीय संस्करण, 2019, पृष्ठ 6-9.

12. डा. सपना चड्डा ने एल.एस. कॉलेज, मुज़्फ्फरपुर में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में 18 फरवरी, 2020 को ''उपभोक्ता जागरुकता तथा विधायी मेट्रॉलॉजी अधिनियम तथा पैक की हुई वस्तु नियम की प्रभावकारिता'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।

13. डा. सपना चड्डा ने यशवंत राव च्वहाण विधि कॉलेज, पुणे के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण में समसामयिक चुनौतियाँ'' विषय पर 02-03 मार्च,

2020 को आयोजित दो-दिवसीय संगोष्ठी में ''भारत में ई-कामर्स हेतु नियामक ढॉचा-आवश्यकता तथा महत्व'' विषय पर पत्र प्रस्तुत किया।

14. डा. ममता पठानिया; शासन : विचारों से कार्यवाही तक, ''सुशासनः बदलती रूपरेखा'', रिसर्च इंडिया प्रेस, नई दिल्ली, 2019 ISBN : 978-93-5171-152-0

15. प्रो. सुरेश मिश्रा तथा ममता पठानिया; विद्युत क्षेत्र में शिकायत प्रतिरोष तंत्र : दिल्ली का एक प्रकरण अध्ययन, ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण : चुनौतियाँ तथा आगे का मार्ग (प्रो. गुरप्रीत पन्नु, प्रकाशन ब्यूरो, पंजाब विश्वविद्यालय, पटियाला द्वारा संपादित खंड, 2019)

V. अंतर्राष्ट्रीय संपर्क

1. प्रो. सुरेश मिश्रा तथा डा. सपना चड्डा ने 16 जनवरी, 2020 को गुणवत्ता अवसंरचना इंडो-जर्मन कार्य समूह की सातवीं वार्षिक बैठक में नए उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम में उत्पाद दायित्व पर प्रस्तुतीकरण दिया।

VI. अन्य संगठनों को समर्थन तथा हस्ताग्रह

यह केंद्र विविध राज्य सरकारों/ विश्वविद्यालयों/ संगठनों/एन.जी.ओज़ तथा वी.सी.ओज़ को उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण से संबंधित मुद्दों पर समर्थन तथा हस्ताग्रह उपलब्ध करा रहा है। केंद्र सामर्थ्य निर्माण गतिविधियों तथा सूचना प्रसारण आदि संबंधित समर्थन उपलब्ध करा रहा है। विविध राज्य सरकारों तथा संगठनों के साथ प्रशिक्षण मॉड्यूल तथा साहित्य साझा किया गया। केंद्र उपभोक्ता संरक्षण पाठ्यक्रमों हेतु पाठ्यचर्या विकास की दिशा में अनेक विश्वविद्यालयों के साथ कार्य कर रहा है।

1. उपभोक्ता मामले विभाग हेतु सवोत्कृष्ट राज्य आयोग पुरस्कार के लिए राज्य उपभोक्ता विवाद निपटान आयोग की श्रेणी निर्धारण हेतु पद्धति तथा आकलन पैरामीटर तैयार किए।

2. ज़ोनल हेल्प लाइन की कार्यप्रणाली का मूल्याँकन किया तथा उपभोक्ता मामले विभाग को रिपोर्ट सौंपी।

3. विधि विद्यालय, इग्नू, नई दिल्ली के उपभोक्ता संरक्षण पर सर्टिफिकेट पाठ्यक्रम की पाठ्यचर्या निर्माण में योगदान दिया।

4. प्रो. सुरेश मिश्रा, गाँधी शांति प्रतिष्ठान, नई दिल्ली में शीर्षस्थ स्वनियामक वी.सी.ए. निकाय के वार्षिक सम्मेलन में 6 सितंबर, 2019 को ''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा वी.सी.ए. की भूमिका'' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया।

VII. ई-न्यूज़लेटर

विविध स्टेकहोल्डरों के लाभार्थ, केंद्र त्रैमासिक ई-न्यूज़लेटर ''कंज्यूमर डायलॉग'' प्रकाशित करता है।

VIII. ई-पत्रिका

केंद्र ने वर्ष के दौरान चारों तिमाहियों में हिंदी की त्रैमासिक ई-पत्रिका ''उपभोक्ता वार्ता'' प्रकाशित की।

IX. वेबसाइट

केंद्र की वेबसाइट www.consumereducation.in पूर्णतया अद्यतन है। केंद्र की गतिविधियों से संबंधित समस्त नवीनतम सूचना नियमित रूप से इस पर अपलोड की जाती है।

उपभोक्ताओं के लिए अत्यंत उपभोगी सूचना भी इस पर अपलोड की गई है। यह वेबसाइट विविध स्टेकहोल्डरों के मध्य अत्यंत प्रचलित है। केंद्र के सभी प्रकाशन तथा रिपोर्टें इस वेबसाइट पर उपलब्ध हैं और इन्हें सरलता से डाउनलोड किया जा सकता है।

X. उपभोक्ता अध्ययन केंद्र फेसबुक तथा ट्विटर पर

केंद्र उपभोक्ताओं तक पहुँचने और उन्हें शिक्षित करने के लिए अब सोशल मीडिया का भी प्रयोग कर रहा है। केंद्र की गतिविधियों से संबंधित सूचना, महत्वपूर्ण घटनाएँ तथा उपभोक्ताओं के लिए उपयोगी

अन्य सूचना फेसबुक तथा ट्विटर पर साझा की जाती है। फेसबुक पेज है ''सेंटर फॉर कंज्यूमर स्टडीज़'' तथा ट्विटर है @ccs_IIPA (कंज़्यूमर डायलॉग)। सोशल मीडिया के माध्यम से उपभोक्ता संबंधी अनेक मुद्दे प्रकाश में लाए जाते हैं।

XI. मीडिया के साथ आदान-प्रदान

- प्रो. सुरेश मिश्रा ने उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 पर पेनल चर्चा में भाग लिया, राज्य सभी टी.वी., 24 दिसंबर, 2019.
- प्रो. सुरेश मिश्रा को उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019 : आगे का मार्ग, पर पेनल चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया, ज्ञान दर्शन टी.वी., इग्नू, 23 दिसंबर, 2019
- प्रो. सुरेश मिश्रा को विश्व उपभोक्ता दिवस पर राज्य सभा टी.वी. में पेनल चर्चा के लिए आमंत्रित किया गया।
- डा. ममता पठानिया को राज्य सभा टी.वी. में ''देश-देशांतर-पैक न किया हुआ खाद्य तथा अंतिम तिथि'' विषय पर कार्यक्रम में एक पेनलिस्ट के रूप में आमंत्रित किया गया, राज्य सभा टी.वी., 26 फरवरी, 2020.
- प्रिंट तथा इलेक्टॉनिक दोनों मीडिया के साथ आदान-प्रदान किया और देश में आयोजित विभिन्न कार्यक्रमों के दौरान उपभोक्ता कल्याण से संबंधित मुद्दों पर साक्षात्कार किया।

XII. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम 2019 तथा नियमों के सूत्रीकरण से संबद्धता

- सी.सी.एस. उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम तथा निम्न नियमों का प्रारूप तैयार करने से संबंधित विविध समितियों से संलग्न रहा है:
- मध्यस्थता
- ई-कामर्स
- केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण प्राधिकरण
- डा. सपना चड्डा चिन्ह तथा नाम (अनुपयुक्त प्रयोग रोकथाम) अधिनियम, 1950 की संशोधन समिति से संलग्न थी।

XIII. विविध समितियों की सदस्यता

1. सदस्य, केंद्रीय उपभोक्ता संरक्षण परिषद्
2. सदस्य, कॉपॉलको, भारतीय मानक ब्यूरो की राष्ट्रीय मिरर समिति, नई दिल्ली।
3. सदस्य, विशेषत: विवाहों/पार्टियों/समारोहों आदि में खाद्यान्न के अपव्यय तथा दिखावटी व्यवहार की रोकथाम हेतु समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।
4. सदस्य, भ्रामक विज्ञापनों तथा धन परिचालन योजनाओं के माध्यम से उपभोक्ताओं को ठगने पर समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।
5. सदस्य, उपभोक्ता जागरुकता सृजन हेतु मल्टीमीडिया सलाहकार समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।
6. सदस्य, उपभोक्ता जागरुकता पर दृश्य-श्रव्य तथा प्रिंट सृजनों की स्क्रिप्ट पर विचार हेतु समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।
7. सदस्य, जागरुकता सृजन हेतु सशक्तीकरण समिति, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार।
8. सदस्य, पैक की हुई वस्तुओं पर विविध कानूनों के अंतर्गत लेबल लगाने की आवश्यकता के सौहार्दीकरण हेतु स्थायी समिति, उपभोक्ता मामले विभाग।
9. सदस्य, केंद्रीय मॉनीटरन समिति, ए.एस.सी.आई. परियोजना।
10. सदस्य, आंतरिक गुणवत्ता आश्वासन कोष्ठ, राष्ट्रीय विधि संस्थान, भोपाल।
11. सदस्य, क्षेत्रीय सलाहकार मंडल तथा अध्ययन मंडल, एमिटी सार्वजनिक नीति संस्थान, एमिटी विश्वविद्यालय, उत्तर प्रदेश।
12. सदस्य, अध्ययन मंडल, आई.आई.एस. विश्वविद्यालय, जयपुर।

13. सदस्य, संपादकीय मंडल, अंतरराष्ट्रीय प्रबंध अध्ययन जर्नल, के.आई.टी., गाज़ियाबाद।

14. उपभोक्ता विज्ञान जर्नल के समीक्षक के रूप में नामांकित, परिवार तथा उपभोक्ता विज्ञान विभाग, मानव इकॉलॉजी संकाय, बॉगॉर कृषि विश्वविद्यालय, इंडोनेशिया।

15. सदस्य, आई.एस.ओ./कॉपॉलको (उपभोक्ता नीति समिति), भारतीय मानक ब्यूरो की राष्ट्रीय मिरर समिति।

16. विधि विद्यालय, इग्नू के स्कूल बोर्ड के सह-योजित सदस्य, नई दिल्ली।

17. सदस्य, शासक मंडल, अंसल विश्वविद्यालय, गुरुग्राम।

XIV. अन्य प्रोन्नत्यामक गतिविधियाँ

उपभोक्ता में जागरुकता पैदा करने तथा उन्हें शिक्षित करने के लिए उपभोक्ता केंद्र के प्रो. सुरेश मिश्रा, डा. सपना चड्डा तथा डा. ममता पठानिया ने निम्नलिखित प्रोन्नत्यामक गतिविधियाँ कीं:

1. प्रो. सुरेश मिश्रा ने पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से, 29-30 जुलाई, 2019 को ''भूमंडलीकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''भूमंडलीकरण, बाज़ार तथा उपभोक्तावाद'' पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।

2. डा. सपना चड्डा ने पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से, 29-30 जुलाई, 2019 को ''भूमंडलीकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''उपभोक्ता कानून तथा नीति'' विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।

3. डा. सपना चड्डा ने पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से, 29-30 जुलाई, 2019 को ''भूमंडलीकरण तथा प्रौद्योगिकी एवं उपभोक्ता संरक्षण में नवीनताएँ'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''डिजिटल कार्य: प्रौद्योगिकी, ई-कामर्स तथा साइबर अपराध'' विषय पर तकनीकी सत्र की अध्यक्षता की।

4. भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, विदेश मामले मंत्रालय, भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्यूनीशिया विद्यालय के ट्यूनीशियाई प्रशासकों हेतु प्रायोजित दो-सप्ताह के ''ई-शासन पर विशिष्ट कार्यक्रम में डा. ममता पठानिया ने ''भारत में उपभोक्ताओं को आवाज़ देने तथा राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की भूमिका'' विषय पर सत्र लिया, 2019 ।

5. डा. ममता पठानिया ने राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान, संचार मंत्रालय, दूर-संचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 26 अगस्त-30 अगस्त, 2019 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु प्रायोजित लोक प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा जागरुकता: प्रतितोष तंत्र'' पर सत्र लिया।

6. डा. ममता पठानिया ने, आई.डी.ई.एस. के सेवा मध्य अधिकारियों हेतु ''नागरिक केंद्रित शासन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतर्दृष्टि'' विषय पर सत्र लिया, सितंबर, 2019.

7. डा. ममता पठानिया ने, आई.डी.ई.एस. के सेवा मध्य अधिकारियों हेतु ''नागरिक केंद्रित शासन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''उपभोक्ता शिकायत निपटान : राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली'' विषय पर सत्र लिया, सितंबर, 2019.

8. प्रो. सुरेश मिश्रा ने ''स्वास्थ्य देखभाल में समेकित तकनीकें: सस्ती तथा सुलभ स्वास्थ्य देखभाल हेतु एक समाधान स्वास्थ्य देखभाल सशक्तीकरण की और एक कदम'' विषय पर राष्ट्रीय संगोष्ठी में ''स्वास्थ्य देखभाल, तकनीकी तथा उपभोक्ता

संरक्षण'' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया। हेमचंद्राचार्य नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, 29 सितंबर, 2019.

9. प्रो. सुरेश मिश्रा ने 10 दिसंबर, 2019 को उपभोक्ता मामले, खाद्य तथा सार्वजनिक वितरण मंत्रालय की ''डी.पी.डी.एस. में सुधार-एक राष्ट्र एक राशन कार्ड'' विषय पर परामर्श बैठक में भाग लिया।

10. डा. ममता पठानिया ने भारतीय तकनीकी तथा आर्थिक सहयोग कार्यक्रम, विदेश मामले मंत्रालय भारत सरकार द्वारा राष्ट्रीय ट्यूनीशिया विद्यालय के ट्यूनीशियाई प्रशासकों हेतु प्रायोजित दो-सप्ताह के ''ई-शासन पर विशिष्ट कार्यक्रम में ''भारत में उपभोक्ताओं को आवाज़ देना राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की भूमिका'' पर सत्र लिया, 2019.

11. डा. ममता पठानिया ने राष्ट्रीय संचार वित्त संस्थान, संचार मंत्रालय, दूर-संचार विभाग, भारत सरकार, नई दिल्ली द्वारा 26-30 अगस्त, 2019 को भारतीय डाक दूरसंचार लेखा तथा वित्त सेवा के परिवीक्षाधीन अधिकारियों हेतु प्रायोजित लोक सेवा प्रशासन पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''उपभोक्ता संरक्षण तथा जागरुकता : प्रतितोष तंत्र'' पर सत्र लिया।

12. डा. ममता पठानिया ने आई.डी.ई.एस के सेवा मध्य अधिकारियों हेतु ''नागरिक केंद्रित शासन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण पर एक अंतर्दृष्टि'' विषय पर सत्र लिया, सितंबर, 2019.

13. डा. ममता पठानिया ने आई.डी.ई.एस के सेवा मध्य अधिकारियों हेतु ''नागरिक केंद्रित शासन'' पर प्रशिक्षण कार्यक्रम में ''उपभोक्ता शिकायत निपटान : राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन की कार्यप्रणाली'' विषय पर सत्र लिया, सितंबर, 2019.

14. डा. ममता पठानिया ने ''भारतीय राजस्व सेवा (सीमा तथा उत्पाद शुल्क), फेज़-III (बैच-II) के अधिकारियों हेतु सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम'' में ''उपभोक्ता संरक्षण: जागरुकता तथा शिक्षण'' विषय पर सत्र लिया, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, दिसंबर, 2019.

15. प्रो. सुरेश मिश्रा, परिवार तथा उपभोक्ता विज्ञान विभाग मानव इकॉलॉजी संकाय, बॉगॉर कृषि विश्वविद्यालय, इंडोनेशिया के उपभोक्ता विज्ञान जर्नल के समीक्षक नामंकित किए गए।

16. प्रो. सुरेश मिश्रा ने डिंडिगुल जिला, तमिलनाडु, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के ''निजी अस्पतालों की बाज़ार सेवाएँ'' विषय पर शोध-प्रबंध का मूल्याँकन किया।

17. डा. ममता पठानिया ने ''भारतीय राजस्व सेवा (सीमा तथा उत्पाद शुल्क), फेज़-III (बैच-II) के अधिकारियों हेतु सेवा-मध्य प्रशिक्षण कार्यक्रम'' में ''उपभोक्ता संरक्षण: जागरुकता तथा शिक्षण'' विषय पर सत्र लिया, भा.लो.प्र.सं., नई दिल्ली, दिसंबर, 2019.

18. डा. ममता पठानिया ने श्री महंत गिरि हरिहर संस्कृत कॉलेज बोध गया के सहयोग से ''उपभोक्ता अधिकार, उपभोग पद्धति तथा पर्यावरणीय चिंताएँ'' विषय पर आयोजित दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला के एक पूर्ण सत्र में पेनलिस्ट थीं, 25-26 नवंबर, 2019.

19. डा. ममता पठानिया ने हेमचंद्राचार्य नाथ गुजरात विश्वविद्यालय के सहयोग से आयोजित दो-दिवसीय सामर्थ्य निर्माण कार्यशाला ''डिजिटल युग में उपभोक्ता तथा वी.सी. ओज़'' में एक सत्र की अध्यक्षता की, 3-4 जनवरी, 2020.

20. डा. ममता पठानिया ने राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल के सहयोग से आयोजित दो-दिवसीय संगोष्ठी ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' में एक सत्र की अध्यक्षता की, गुजरात।

21. प्रो. सुरेश मिश्रा ने वाणिज्य विभाग, दिल्ली विश्वविद्यालय के ''भारत में निजी इक्विटी

निवेश का एक अनुभवजन्य अध्ययन : प्रवृत्तियाँ तथा निर्धारक'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध का मूल्याँकन किया।

22. प्रो. सुरेश मिश्रा, विधि विद्यालय, इग्नू, नई दिल्ली के विद्यालय मंडल के सदस्य सहयोजित किए गए।

23. प्रो. सुरेश मिश्रा ने ''स्वास्थ्य देखभाल ने समेकित तकनीकें : सस्ती तथा सुलभ स्वास्थ्य देखभाल हेतु एक समाधान-स्वास्थ्य देखभाल सशक्तीकरण की ओर एक कदम'' विषय पर अंतरराष्ट्रीय संगोष्ठी में ''स्वास्थ्य देखभाल, तकनीकी तथा उपभोक्ता संरक्षण'' विषय पर मुख्य व्याख्यान दिया, हेमचंद्र नार्थ गुजरात विश्वविद्यालय, 29 सितंबर, 2019.

24. प्रो. सुरेश मिश्रा, दिल्ली विश्वविद्यालय के 'भारत में निजी इक्विटी निवेश का एक अुनभवजन्य अध्ययन : प्रवृत्तियाँ तथा निर्धारक'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

25. प्रो. सुरेश मिश्रा, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के ''डिंडिगुल जिला में निजी क्षेत्र के बैंकों में उपभोक्ता संतुष्टि का एक अध्ययन'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

26. प्रो. सुरेश मिश्रा, इग्नू, नई दिल्ली की ''शहरीकरण पर सरकारी योजनाओं का प्रभाव: एन.सी.आर. दिल्ली का एक प्रकरण अध्ययन (1983-2013)'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

27. प्रो. सुरेश मिश्रा, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय के ''तमिलनाडु में टी.एन.एस.टी.सी. में औद्योगिक संबंध'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

28. प्रो. सुरेश मिश्रा, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय तमिलनाडु द्वारा ''डिंडिगुल जिला तमिलनाडु में निजी अस्पतालों की बाज़ार सेवाएँ'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

29. प्रो. सुरेश मिश्रा, मदुरई कामराज विश्वविद्यालय द्वारा ''मदुरई में पर्यटन का खुदरा तथा स्ट्रीट वेंडर्स की सामाजिक-आर्थिक स्थिति पर प्रभाव का एक अध्ययन'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

30. प्रो. सुरेश मिश्रा, कला संकाय/ गाँधीवादी अध्ययन, पंजाब विश्वविद्यालय चंडीगढ़ द्वारा ''महात्मा गाँधी तथा भगत सिंह: स्वतंत्रता के अनुभव'' विषय पर पीएच.डी. शोध प्रबंध के मूल्याँकन हेतु बाह्य परीक्षक नियुक्त किए गए।

XV. राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन

राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन, उपभोक्ता अध्ययन केंद्र, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान की छत्रछाया में, उपभोक्ता मामले विभाग, भारत सरकार के साथ समझौता-ज्ञापन के अंतर्गत कार्य करती है। इसकी स्थापना उपभोक्ताओं को सशक्त करने की दृष्टि से तथा उपभोक्ता मंच पर जाए बिना उनकी उपभोक्ता संबंधी शिकायतों में उनकी सहायता करने के लिए की गई थी। एक परेशान उपभोक्ता मात्र एक टोल-फ्री नंबर पर फोन करके शीघ्र ही नि:शुल्क सलाह प्राप्त कर सकता है। राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन का उद्देश्य जनता में अपने उपभोक्ता अधिकारों के संबंध में जागरुकता पैदा करना तथा उन्हें अपनी शिकायतों के समाधान के लिए उपलब्ध अवसरों की जानकारी उपलब्ध कराना है। एन.सी.एच., 'कनवर्जेस कार्यक्रम के अंतर्गत कंपनियों को उनकी उपभोक्ता संबंधी शिकायतों को सौहार्दता से सुलझाने के लिए मंच प्रदार करता है। लॉकडाउन के दौरान भी राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन ने अपना कार्य तथा उपभोक्ताओं को सहायता करना जारी रखा। शिकायतों आदि का संक्षिप्त विवरण नीचे दिया गया है।

01-04-2019 से 31-03-2020 के दौरान इंग्राम सारांश रिपोर्ट

इंग्राम पर कुल पंजीकृत डॉकेट्स	सामान्य पूछताछ	शिकायत			कुल	
		कनवर्जेस	नॉन कनवर्जेस	सरकारी क्षेत्र	क+ख+ग	
		(क)	(ख)	(ग)		
कुल योग	741094	127750 (17.24%)	289483 (39.06%)	207448 (27.99%)	116413 (15.71%)	613344 (82.76%)

शिकायतों का प्रकार	कुल पंजीकृत डॉकेट्स	कुल निबटाए गए डॉकेट्स
कनवर्जेस*	289483	289085 (99.86%)
नॉन कनवर्जेस	207448	207448 (100.00%)
सरकारी क्षेत्र**	116413	116345 (99.94%)

* मारुति सुज़की, बी.एस.एन.एल., यात्रा कॉम जवाब नहीं दे रहे हैं।
** मार्च 2020 की मास्क तथा सेनीटाइज़र संबंधी शिकायतें अभी भी लंबित हैं।

XVI. राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन ज्ञान संसाधन प्रबंधन पोर्टल

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन ज्ञान संसाधन प्रबंधन पोर्टल, राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन की गतिविधियों का समन्वयन तथा मॉनीटरन करता है, इन हेल्पलाइनों को समाधान तथा सलाहकार सेवाएँ उपलब्ध कराता है, जानकारी तथा डेटाबेस रखता है और राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइन के कार्मिकों की सामर्थ्य-निर्माण में सहायता करता है तथा समेकन एव मिलान करवाता है। ज्ञान संसाधन प्रबंधन पोर्टल विविध राज्य सरकारों तथा अन्य स्टेकहोल्डरों के साथ समन्वयपूर्वक कार्य करता है। जबकि 26 राज्यों में उपभोक्ता हेल्पलाइनें कार्य कर रही हैं, इनमें से 13 राज्यों की उपभोक्ता हेल्पलाइनें कॉल रजिस्टर करने तथा ज्ञान डाटाबेस का प्रयोन करने के लिए सामान्य मंच का प्रयोग कर रही हैं। इस समय 13 राज्य भा.लो.प्र.सं. के केंद्रीकृत आई.टी. प्लेटफार्म था ज्ञान डाटाबेस का प्रयोग कर रहे हैं।

सारांश

राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनों को सामान्यत: टेलिफोन- टोल फ्री नंबर के माध्यम से, उपभोक्तओं से शिकायतें प्राप्त होती हैं। इसके अतिरिक्त उपभोक्ता पत्र, ई-मेल, सीधे स्वयं आकर और वेबसाइट पर ऑनलाइन शिकायत पंजीकरण के प्रयोग द्वारा सीधे शिकायत द्वारा भी राज्य उपभोक्ता लाइन तक पहुँच रहे हैं। राज्य उपभोक्ता हेल्पलाइनें राज्यों में सुझाव देने तथा सहायता करने के लिए अँग्रेजी तथा हिंदी के साथ-साथ उस राज्य की विशिष्ट स्थानीय भाषा का भी प्रयोग करती है। इसके आँकड़े नीचे दिए गए हैं:

➢ शिकायतें का स्नैपशॉट

- 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान उपभोक्ताओं से 68530 कॉल्ज़ प्राप्त हुईं।
- मध्यप्रदेश, झारखंड, तेलंगाना, गुजरात, हरियाणा, पश्चिम बंगाल, महाराष्ट्र, राजस्थान, उत्तर प्रदेश तथा पुडुचेरी इन राज्यों से, राज्य हेल्पलाइनों में सबसे अधिक काल्ज़ प्राप्त हुईं।
- 1 अप्रैल, 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान 13072 काल्ज़ पंजीकृत करने के साथ मध्यप्रदेश इसमें सबसे ऊपर है।
- राज्यों में हेल्पलाइन कार्यप्रणाली को स्थानीय सेवा उपलब्ध कराने वालों से डाटा एकत्रित करने के लिए भी तैयार किया जा रहा है जिससे राज्य

हेल्पलाइनें उपभोक्ताओं की शिकायतों को सुगमता से सुलझा सकें।

➢ शिकायतें

- हरियाणा तथा राजस्थान राज्यों ने सूचित किया है कि क्रमशः 95% तथा 88% शिकायतें सुलझा ली गई हैं। जबकि तेलगाँना तथा महाराष्ट्र राज्यों में उपभोक्ताओं की क्रमशः 78% तथा 63% शिकायतें सुलझाई हैं।
- 1 अप्रैल 2019 से 31 मार्च 2020 के दौरान 98% शिकायतें सुलझाने के साथ मध्यप्रदेश सबसे ऊपर है।

ज्ञान डाटाबेस

आई.टी.पोर्टल पर ज्ञान आधारित डाटाबेस उपलोड करके तथा नियमित रूप से रिपोर्टें प्रकाशित करके इसे लगातार अद्यतन किया जाता है। इसमें हाल ही में किए गए कुछ अपडेट इस प्रकार से हैं:

1. त्रैमासिक न्यूज़लेटर ''कंज़्यूमर कनेक्ट'' https://consumeradvice.in/Newsletter.aspx
2. त्रैमासिक सांख्यीकी रिपोर्ट https://consumeradvice.in/pra.aspx
3. मासिक ''मासिक सांख्यीकी रिपोर्ट https://consumeradvice.in/pra.aspx
4. मासिक ''कंज़्यूमर बुलेटिन'' https://consumeradvice.in/Bulletin.aspx
5. मध्य प्रदेश के जिला/ब्लॉकों का डाटा अद्यतन
6. उपभोक्ता मामलों पर दैनिक समाचारों का संकलन- ''948''
7. जनमत सर्वेक्षण आयोजित करता है।

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र
आयोजित प्रशिक्षण कार्यक्रमों की सूची
(अप्रैल 2019 से मार्च 2020)

क्रम सं.	कार्यक्रम	अवधि	पाठ्यक्रम समन्वयक	स्थान
1.	''उत्पाद दायित्व तथा उपभोक्ता संरक्षण'' पर एक-दिवसीय राष्ट्रीय सम्मेलन	2 अप्रैल, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
2.	जिला मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 105 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण	8-12 अप्रैल, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
3.	भा.लो.प्र.सं., तमिलनाडु क्षेत्रीय शाखा, चेन्नई के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा जागरुकता'' पर दो-दिवसीय संगोष्ठी	22-23 अप्रैल, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	चेन्नई, तमिलनाडु
4.	जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 166 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	17-21 जून, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
5.	ए.टी.आईज़/एस.आई.आर.डीज़/विश्वविद्यालय/ शोध संस्थाओं के संकाय सदस्यों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण में 24 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	24-28 जून, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
6.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, उत्तर प्रदेश सरकार के सहयोग से ''पंचायती राज'' के सदस्यों, ग्रामीण विकास के सदस्यों तथा सेवा प्रावधानकर्ताओं हेतु उपभोक्ता संरक्षण'' पर दो-दिवसीय कार्यशाला	5-6 जुलाई, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	हापुड़ उत्तर प्रदेश
7.	वी.सी.ओज़/एन.जी.ओज़ के सदस्यों तथा प्रमुखों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण में 16 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	8-12 जुलाई, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
8.	पेरियार विश्वविद्यालय, सालेम के सहयोग से ''तकनीकी में वैश्वीकरण तथा नवीनताएँ तथा उपभोक्ता संरक्षण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	29-30 जुलाई, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	सालेम तमिलनाडु
9.	महात्मा गाँधी लोक प्रकाशन संस्थान, चंडीगढ़ के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर दो-दिवसीय कार्यशाला	20-21 अप्रैल, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	चंडीगढ़ पंजाब

10.	जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 107 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	26-30 अगस्त, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
11.	राज्य ग्रामीण विकास संस्थान, मेघालय के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण'' पर दो-दिवसीय सामर्थ्य-निर्माण कार्यशाला	02-03 सितंबर, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	शिलाँग मेघालय
12.	जोनल उपभोक्ता हेल्पलाइनों के समन्वयकों तथा काउन्सलरों हेतु ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण'' पर चौथा प्रशिक्षण कार्यक्रम	23-27 सितंबर, 2019	ममता पठानिया दीपिका सुर	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
13.	महात्मा गाँधी केंद्रीय विश्वविद्यालय, बिहार के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	14-15 अक्तूबर, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	मोतीहारी बिहार
14.	''गाँधी तथा सतत जीवनशैली'' पर एक-दिवसीय सम्मेलन	11 अक्तूबर, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
15.	''उपभोक्ता संरक्षण अधिनियम, 2019'' पर एक-दिवसीय ज़ोनल सम्मेलन	22 अक्तूबर, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
16.	स्कूल के छात्रों में उपभोक्ता जागरुकता पर अंतर्स्कूल प्रतियोगिता, उत्कृष्टता स्कूल, कालकाजी, नई दिल्ली	23 अक्तूबर, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	स्कूल ऑफ एक्सीलेंस कालकाजी
17.	जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 108 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	18-22 नवंबर, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
18.	श्री महँत शतानंद गिरि हरिहर संस्कृत कॉलेज बोधगया के सहयोग से ''उपभोक्ता अधिकार, उपभोग पैटर्न तथा पर्यावरणीय मुद्दे'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय कार्यशाला	25-26 नवंबर, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	गया बिहार
19.	ए.टी.आईज़/राज्य ग्रामीण विकास संस्थानों/ विश्वविद्यालयों/ शोध संस्थाओं के संकाय सदस्यों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर 25 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण	02-06 दिसंबर, 2019	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
20.	जम्मू तथा कश्मीर भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय शाखा, जम्मू के सहयोग से उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर दो-दिवसीय कार्यशाला	16-17 दिसंबर, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	जम्मू तथा कश्मीर
21.	राष्ट्रीय उपभोक्ता दिवस 2019	24 दिसंबर, 2019	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा ममता पठानिया	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली

22.	हेमचंद्राचार्य उत्तरी गुजरात विश्वविद्यालय, पटन के सहयोग से ''डिजिटल युग में उपभोक्ता तथा वी.सी.ओज़'' पर दो-दिवसीय सामर्थ्य-निर्माण कार्यशाला	03-04 जनवरी, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	पटन गुजरात
23.	पवित्र गंगा घाट मेला, इलाहाबाद में उपभोक्ता शिक्षण तथा जागरुकता शिविर	31 जनवरी से 02 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा वी.एन. मिश्रा	इलाहाबाद, उत्तर प्रदेश
24.	राजकोट शहर जिला ग्राहक सुरक्षा मंडल, गुजरात के सहयोग से ''भारत में उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' पर दो-दिवसीय संगोष्ठी	05-06 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	मोर्बी गुजरात
25.	जिला उपभोक्ता मंचों के अध्यक्षों तथा सदस्यों हेतु 109 वाँ अभिमुखीकरण प्रशिक्षण कार्यक्रम	10-14 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
26.	डी.एस.टी. अधिकारियों हेतु उपभोक्ता संरक्षण पर कार्यशाला	17 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
27.	एल.एस. कॉलेज, मुज़्ज़फ्फरपुर तथा मुज़्ज़फ्फरपुर भा.लो.प्र.सं. स्थानीय शाखा, बिहार के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण तथा सशक्तीकरण'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	17-18 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	मुज़्ज़फ्फरपुर बिहार
28.	वी.सी.ओज़/एन.जी.ओज; के प्रमुखों तथा सदस्यों हेतु उपभोक्ता संरक्षण तथा कल्याण पर 17 वाँ प्रशिक्षकों का प्रशिक्षण कार्यक्रम	24-28 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा ममता पठानिया	भा.लो.प्र.सं. नई दिल्ली
29.	मध्यप्रदेश राज्य के डी.सी.ए. के अधिकारियों हेतु दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित)	24-25 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	मध्यप्रदेश
30.	मध्यप्रदेश राज्य के डी.सी.ए. के अधिकारियों हेतु दो-दिवसीय प्रशिक्षण कार्यक्रम (मध्यप्रदेश सरकार द्वारा प्रायोजित)	27-28 फरवरी, 2020	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	मध्यप्रदेश
31.	यशवंतराव च्वहान विधि कॉलेज, पुण के सहयोग से ''उपभोक्ता संरक्षण में समसामयिक चुनौतियाँ'' पर दो-दिवसीय राष्ट्रीय संगोष्ठी	02-03 मार्च, 2020	सुरेश मिश्रा सपना चड्डा	पुणे महाराष्ट्र

परिशिष्ट च-12.1

1.4.2019 से 31.3.2020 के दौरान कार्यकारी परिषद् तथा अन्य समितियों की बैठकों/शाखाओं के पदाधिकारियों से संबंधित यात्रा भत्ते/ महँगाई भत्ते का विवरण

क्रम सं.	नाम	राशि
1.	श्री वी.वी. पचकवाडे	57517
2.	प्रो. एस.सी. मिश्रा	30353
3.	श्री देवेन्द्र सिंह	4610
4.	श्री आर.डी. तालुकदार	3900
5.	श्री शेखर दत्त	6240
6.	श्री राजकुमार	800
7.	श्री वी. पद्मनाभन्	800
8.	श्री. एन. लोकेन्द्र सिंह	57270
9.	श्री जी. राधाकृष्ण कुरुप	89633
10.	श्री एस.एस. क्षत्रिय	13600
11.	श्री कुलामणि देव	10904
12.	प्रो. सुरिन्द्र सिंह	11090
13.	भा.लो.प्र.सं. क्षेत्रीय/ स्थानीय शाखाएँ/ अन्य समितियाँ	181873
	कुल	**468590**

परिशिष्ट च-12.2

वर्ष 2019-20 के दौरान संकाय सदस्यों को भुगतान किए गए वेतन तथा मानदेय का ब्यौरा

क्रम सं.	नाम	वेतन (रु.)	मानदेय (रु.)	कुल (रु.)
1.	प्रो. सुरेश मिश्रा	3517048	0	3517048
2.	प्रो. के.के. पांडेय	2729164	0	2729164
3.	प्रो. वी.के. शर्मा	2069548	0	2069548
4.	डा. वी.एन. आलोक	2391246	0	2391246
5.	डा. गिरीश कुमार	701442	0	701442
6.	डा. चारु मल्होत्रा	2154368	71990	2226358
7.	डा. सचिन चौधरी	2567192	0	2567192
8.	डा. कुसुम लता	2324982	29111	2354093
9.	डा. सी. शीला रेड्डी	2269836	0	2269836
10.	डा. नीतू जैन	2669584	40185	2709769
11.	डा. रोमा देबनाथ	2486588	0	2486588
12.	डा. सपना चड्डा	1731926	0	1731926
13.	डा. ममता पठानिया	1485874	0	1485874
14.	डा. सुजित कुमर प्रुसेथ	1086731	0	1086731
15.	डा. गदाधर मोहापात्र	1509274	0	1509274
16.	डा. पवन कुमार तनेजा	1196652	0	1196652
17.	डा. मनन द्विवेदी	1549546	0	1549546
18.	डा. साकेत बिहारी	2323052	29111	2352163
19.	डा. नूपुर तिवारी	2486588	0	2486588
20.	डा. श्यामली सिंह	1911149	0	1911149
21.	डा. सुरभि पांडेय	1130404	40185	1170589
22.	डा. अंजलि ढेंगले	152000	29111	181111
23.	डा. अनुपम सरकार	429333	29111	458444
24.	डा. अमित कुमार सिंह	960000	0	960000
25.	डा. गीतांजलि नटराज	2100000	0	2100000
26.	डा. अशोक कुमार विशनदास	2100000	0	2100000
27.	डा. गोविंद भट्टाचारजी	2100000	0	2100000
	कुल	**50133527**	**268804**	**50402331**

स्वतंत्र लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

भारतीय लोक प्रशासन के सदस्य

योग्य मत

हमने भारतीय लोक प्रशासन संस्थान (भा.लो.प्र.सं.), के संलग्न वित्तीय विवरण, जिसमें 31 मार्च, 2020 के अनुसार तुलन पत्र, तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष का आय और व्यय लेखा, प्राप्ति तथा भुगतान तथा महत्वपूर्ण लेखा नीतियों का सारांश और अन्य विश्लेषणात्मक सूचना शामिल है, का लेखा परीक्षण किया।

हमारे मत में तथा हमें प्राप्त सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी रिपोर्ट में तथा हमें प्राप्त सूचना तथा दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार हमारी रिपोर्ट के ''योग्य मत का आधार'' भाग में वर्णित मामले के प्रभावों को छोड़कर, उपरोक्त वित्तीय विवरण 31 मार्च, 2020 को संस्थान की वित्तीय स्थिति का वास्तविक तथा स्पष्ट चित्र देते हैं तथा उसी तिथि को समाप्त वर्ष का आय तथा व्यय और प्राप्ति एवं भुगतान विवरण, भारतीय चर्टरित लेखापाल संस्थान द्वारा जारी मानकों के अनुरूप हैं।

योग्य मत का आधार

हमने भारतीय चर्टरित लेखापाल संस्थान (आई.सी.ए.आई.) द्वारा जारी लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार अपना परीक्षण संचालित किया। उन मानकों के अनुसार हमारे उत्तरदायित्व आगे हमारी रिपोर्ट के ''वित्तीय विवरणों की लेखा परीक्ष हेतु लेखा परीक्षकों के उत्तरदायित्व'' भाग में उल्लिखित हैं। आई.सी.ए.आई. द्वारा जारी आचार-संहिता के अनुसार हम स्वतंत्र अस्तित्व हैं तथा हमने आचार-संहिता के अनुसार अपने अन्य नैतिक उत्तरदायित्वों को पूरा किया है। हमारा मानना है कि हमें प्राप्त लेखा परीक्षा साक्ष्य हमारे मत को आधार प्रदान करने के लिए पर्याप्त तथ्य उपयुक्त हैं।

हम सूचित करते हैं कि

क. स्थायी परिसंपत्तियाँ

प्रबंधन परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन संचालित करवा रहा है। स्थायी परिसंपत्तियों के सकल मूल्य तथा भौतिक रूप से सत्यापित परिसंपत्तियों में, गत् वर्ष भी रिपोर्ट की गई 114 लाख रुपये की विसंगतियों का समाधान किए जाने की आवश्यकता है। तथापि भौतिक सत्यापन दल के निष्कर्षों का अंतिम समाधान होने तक, वित्तीय विवरण में इस विचार नहीं किया गया है। हमें सूचित किया गया है कि इस मुद्दे का समाधान करने के लिए समिति गठित की गई है।

ख. सेवा कर

भा.लो.प्र.सं. शैक्षणिक संस्था होने के नाते, सरकार से सेवा कर में छूट का अनुरोध कर रहा है। तथापि किसी प्रत्युत्तर के अभाव में, भा.लो.प्र.सं. ने 1 अप्रैल, 2016 से सेवा कर कार्यन्वित कर दिया है। जैसा हमें बताया गया, जवाब प्राप्त हो जाने पर, 1 अप्रैल, 2016 से पहले सेवा कर अनुपालन का समाधान किया जाएगा। 1 अप्रैल, 2016 से पहले सेवा पर लागू करने के संबंध मे विशेषज्ञ मत लिया जाना चाहिए।

ग. वस्तु तथा सेवा कर

क. हमने पाया कि मासिक जी.एस.टी. रिटर्न समय पर नहीं भरे गए हैं। 17-18 का जी.एस.टी. वार्षिक रिटर्न अभी भरा जाना है।

ख. वित्त वर्ष 2018-2019 तथा 2019-2020 का मासिक जी.एस.टी.आर.1 अभी भरा जाना है। हमारा सुझाव है कि इनवॉयस रेज़ करने की पद्धति को केंद्रीकृत किया जाना चाहिए जिससे जी.एस.टी.आर.1 में रेज़ किए गए इनबॉक्स का विवरण सुगम हो।

ग. जी.एस.टी. मामलों की पुनरीक्षा की जानी चाहिए, विशेषत: इनपुट क्रेडिट के समक्ष समायोज्य इनपुट क्रेडिट की। हम इसके प्रभाव पर यदि कुछ है तो उस पर टिप्पणी करने में असमर्थ हैं।

घ. स्त्रोत पर कर कटौती

भा.लो.प्र.सं. ने टी.डी.एस. का लेखा प्रोद्भवन आधार पर तैयार नहीं किया है। यह पाया गया कि 18.405 लाख रुपये के देय व्यय पर टी.डी.एस. देयता नहीं उठाई गई है। जैसा हमें बताया गया, व्यय के भुगतान के समय टी.डी.एस. देयता निश्चित कर ली जाएगी।

वित्त विभाग द्वारा उपलब्ध कराए जाने वाले उपयोग प्रमाण-पत्र परियोजना प्रमुखों द्वारा अनुमोदित विवरण पर आधारित हैं।

आगे, निम्न पर ध्यान आकृष्ट करवाया जाता है

- चालू देयता में, प्रशिक्षण कार्यक्रमों तथा परियोजनाओं से प्राप्त 63.73 लाख रुपये की राशि शामिल है जिसे सूचना के अभाव में आय के रूप में नहीं दिखाया गया है। हमारे मत में, जल्द से जल्द इसका समाधान करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
- प्रशिक्षण कार्यक्रम से वसूली योग्य 51.55 लाख रुपये का अधिशेष प्रबंधन द्वारा वसूली योग्य माना गया है। हमारे मत में, जल्द से जल्द इसको वसूल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
- चालू देयताओं में भा.लो.प्र.सं. के सदस्यों से प्राप्त 2.18 लाख रुपये का डोनेशन शामिल है, जिसे अनुमोदन प्राप्त न होने के कारण आय में अंतरित नहीं किया गया है। संदर्भ अनुसूची 13 संख्या ख (v)
- **एन.आई.डी.एम. से वसूली योग्य किराया (20%)**

  गत् चार वर्षों से वसूली योग्य 2.17 करोड़ रुपये बकाया हैं। इनको जल्द से जल्द वसूल करने का प्रयत्न किया जाना चाहिए।
- स्थायी परिसंपत्तियाँ रजिस्टर जी.एफ.आर. प्रावधानों के अनुसार हैं। इसे नियमित रूप से अद्यतन किया जाना चाहिए।
- अनुदान से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों का लेखा उपचार अनुदान वर्तमान से अर्जित स्थायी परिसंपत्तियों को, परिसंपत्ति निधि में तदनुरूप क्रेडिट देकर, पूँजीकृत किया जाता है। हमारे मत में अनुदान से अर्जित परिसंपत्तियों के मूल्य को, परिसंपत्तियों की सकल लागत से कम किया जाना चाहिए। यद्यपि परिसंपत्तियों के निष्कर्षों की अंतिम समीक्षा होने तक, प्रबंधन द्वारा इस संबंध में कोई विचार नहीं किया गया है।
- 109.87 करोड़ रुपये की एक बड़ी दीर्घावधि देयता (सेवानिवृत्ति लाभ जैसे पेंशन, अनुग्रह राशि आदि सहित) है। यह बड़ी देयता भा.लो.प्र.सं. के लिए चिंता का विषय है तथा इस मुद्दे के समाधान के लिए उपाय किए जाने चाहिए।

प्रबंधन तथा वित्तीय विवरण संचालन प्रभारी के उत्तरदायित्व

प्रबंधन, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप कैश फ्लो, वित्तीय निष्पादन तथा वित्तीय स्थिति का वास्तविक तथा स्पष्ट चित्र देने वाले वित्तीय विवरण की निर्मिति के लिए उत्तरदायी है। इस उत्तरदायित्व में वास्तविक तथा स्पष्ट चित्र देने वाले वस्तुपरक गलतविवरण, चाहे वह धोखे के कारण हो अथवा गलती से, से रहित वित्तीय विवरण की निर्मिति तथा प्रस्तुतीकरण के लिए उपयुक्त आंतरिक नियंत्रण का कार्यान्वयन तथा रखरखाव और डिज़ाइन शामिल हैं।

वित्तीय विवरण की निर्मित्त में प्रबंधन का यह दायित्व है कि वह संस्था को लाभकारी संस्था के रूप में जारी रखने की योग्यता का आकलन करे, तथा जैसा भी लागू हो, सरकारी संस्था से संबंधित मामलों को प्रकट करे कि क्या प्रबंधन संस्था को बेचना या समाप्त करना चाहता है अथवा उसका प्रचालन बंद करना चाहता है, अथवा उसके पास ऐसा करने के अतिरिक्त कोई उचित विकल्प नहीं है।

शासन प्रभारी का उत्तरदायित्व संस्थान की वित्तीय रिपोर्ट प्रक्रिया का निरीक्षण करना है।

वित्तीय विवरणों के लेखा परीक्षण हेतु लेखा परीक्षकों का उत्तरदायित्व

हमारा उद्देश्य यह उचित आश्वासन प्राप्त करना है कि क्या ये वित्तीय विवरण धोखे तथा गलती के कारण होने वाले वस्तुपरक गलतविवरण से मुक्त हैं तथा इसके साथ ही लेखा परीक्षण की रिपोर्ट जारी करना है जिसमें हमारा मत शामिल है। उचित आश्वासन एक उच्च-स्तरीय आश्वासन है, किंतु यह इस बात की गारंटी नहीं है कि लेखा परीक्षण मानकों के अनुसार संचालित लेखा परीक्षा हमेशा वस्तुपरक गलत विवरण, यदि वह है, तो उसका पता लगा लेगी। यह गलत विवरण धोखे के कारण भी हो सकता है तथा गलती के कारण भी तथा इन्हें वस्तुपरक माना जाता है यदि, व्यक्तिगत रूप से तथा समग्रतः, इनसे इन वित्तीय विवरणों के आधार पर उपयोक्ताओं के आर्थिक निर्णयों को प्रभावित करने की संभावना हो।

अन्य विधायी तथा नियामक अपेक्षाओं पर रिपोर्ट

हम सूचित करते हैं कि-

i. हमारी जानकारी तथा मतानुसार लेखा परीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए।

ii. हमारे मत में, जहाँ तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है कि संस्थान द्वारा विधि द्वारा अपेक्षित उचित लेखा बही बनाई गई है।

जी.एस.ए. तथा सहयोगी एलएलपी
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. सं. 000257 एन./एन. 500339

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
सदस्यता सं. 083899

16, डी.डी.ए. फ्लैट, पंचशील पार्क
मालवीय नगर के समीप
नई दिल्ली - 110017

यू.डी.आई.एन.: 20083899 ए.ए.ए.ए.बी.यू. 8756

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2020 को तुलन-पत्र

		अनसूची	31.03.2020 को (₹)	31.03.2020 को (₹)
देयताएँ				
परिसंपत्ति निधि		1	137,339,594	134,066,546
परिसंपत्ति निधि एफ.सी.आर.ए.		1	842,449	842,449
संचित अतिरेक/(घाटा)			(1,098,680,751)	(977,596,577)
सदस्यता निधि सहित पूंजीगत निधि		2	75,823,389	73,881,838
अप्रयुक्त अनुदान		3	129,428,504	51,810,777
– सामान्य निधि	125,914,358			
– विदेश निधि	3,514,146			
प्रावधान				
– देय अनुग्रह राशि			63,400,000	57,800,000
– देय छुट्टी नकदीकरण			63,500,000	57,900,000
– देय पेंशन			1,092,436,418	984,138,759
चालू देयताएँ		4	60,411,931	90,960,698
योग			**524,501,533**	**473,804,490**
परिसंपत्तियाँ				
स्थायी परिसंपत्ति निधि – अनुदान से (सकल)		5	137,339,594	134,066,546
स्थायी परिसंपत्ति निधि – अपनी निधि से		5	5,509,810	3,757,591
– (घटाएँ) : संचित अवमूल्यन			(668,117)	(774,863)
परिसंपत्ति निधि एफ.सी.आर.ए.		5	842,449	842,449
निवेश		6	71,313,293	69,612,548
वसूली योग्य अनुदान		3	27,797,040	18,149,611
चालू परिसंपत्तियाँ		7	282,367,465	248,150,608
योग			**524,501,533**	**473,804,490**

महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ 13
अनुसूचियाँ 1 से 13 लेखा के समेकित अंश हैं।
समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार

कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन 500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
स.सं. 083899
16, डी.डी.ए. फ्लैट्स, पंचशील पार्क, न्यू मालवीय नगर

सी. चंद्रमौलि
अध्यक्ष

एस.एन. त्रिपाठी
निदेशक

के. के. पांडेय
सदस्य
कार्य परिषद्

नई दिल्ली

दिनांक : 16/09/2020
यू.डी.आई.एन.सं. : 20083899 ए.ए.ए.ए.बी.यू. 8756

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	अनसूची	वर्ष 2019-2020 हेतु (₹)	वर्ष 2019-2020 हेतु (₹)
आय			
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान - वेतन		85,000,000	70,000,000
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से अतिरिक्त सहायता अनुदान - 7 वाँ सी.पी.सी.		-	57,400,000
कार्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान - सामान्य		60,000,000	50,000,000
कार्मिक तथा प्रशिक्षण अनुभाग से सहायता अनुदान- पूँजीगत		35,000,000	
सदस्यों का अंशदान	8	1,024,410	1,078,140
प्रकाशनों की बिक्री		348,570	435,680
शोध कार्यक्रमों से आय ओवरहेड प्रभार सहित		19,269,117	20,167,277
प्रशिक्षण कार्यक्रमों की फीस		207,910,199	167,900,004
अन्य आय			
- प्रयोक्ता प्रभार		13,240,498	17,761,622
- विविध प्राप्तियाँ	9	6,526,852	5,394,523
- शोध सावधि निधि से अंतरित		199,755	109,689
- प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वसूली योग्य प्राप्ति		6,994,747	13,324,826
वसूली योग्य प्रयोक्ता प्रभार		96,182	139,687
योग		**435,610,330**	**403,711,448**
व्यय			
वेतन एवं भत्ते	10	99,711,655	119,813,438
परिसर रखरखाव	11	29,065,653	32,599,688
प्रशासनिक एवं अन्य व्यय	12	5,552,573	6,859,344
पूँजीगत व्यय		35,000,000	
पुस्तकालय, पत्रिकाएँ तथा जिल्दसाजी प्रभार		518,609	2,328,434
प्रशिक्षण कार्यक्रम		194,755,196	146,057,012
प्रकाशन		542,862	839,363
शाखा प्रोन्नत गतिविधियाँ		475,904	415,359
सी.जी.एच.एस. को भुगतान की गई राशि		1,094,647	923,087
अवमूल्यन		656,606	774,863
पेंशन	5	60,000,000	53,000,000
लेखा परीक्षकों की फीस	12	120,000	100,000
जी.एस.टी./प्रीमियम व्यय		8,234,467	11,038
दीर्घावधि सेवानिवृत्ति देयता			
अनुग्रह राशि	10	6,504,960	32,615,750
छुट्टी नकदीकरण	10	6,163,714	17,993,815
पेंशन व्यय	10	108,297,659	217,406,722
		556,694,503	**631,737,913**
		(121,084,174)	(228,026,465)
वर्ष के दौरान आय से व्यय की अधिकता		(977,596,577)	(749,570,112)
गत वर्ष से आय से व्यय की अधिकता			
अधिशेष तुलन पत्र में अग्रेनीत #		**(1,098,680,751)**	**(977,596,577)**
महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ	13		

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

31 मार्च 2020 को समाप्त वर्ष की प्राप्तियाँ एवं भुगतान लेखा

	अनसूची	वर्ष 2019-2020	वर्ष 2018-2019
		(₹)	(₹)
प्राप्तियाँ :			
आदिशेष			
नकद तथा बैंकों में अधिशेष	**7**	156,221,265	106,066,318
रखरखाव अनुदान एवं आंतरिक प्राप्तियाँ	**क**	428,576,902	390,704,135
ऋण, अग्रिम तथा अन्य प्राप्तियाँ	**ख**	171,344,953	257,794,148
शोध परियोजनाओं आदि हेतु प्राप्त अनुदान	**3**	257,038,301	236,076,256
योग		**1,013,181,421**	**990,640,857**
भुगतान :			
रखरखाव अनुदान तथा आंतरिक प्राप्तियों में से व्यय	**क**	432,214,652	382,720,854
निधियों, जमा तथा अग्रिमों से भुगतान	**ख**	201,226,117	219,114,074
शोध परियोजनाओं आदि हेतु प्राप्त अनुदानों से व्यय	**3**	182,720,495	232,584,664
अंत अधिशेष			
नकद तथा बैंकों में अधिशेष	**7**	197,020,157	156,221,265
योग		**1,013,181,421**	**990,640,857**

अनुसूचियाँ क से ख प्राप्ति तथा भुगतान लेखा के समेकित अंश हैं।

परीक्षण किया तथा सही पाया

कृते जी.एस.एन. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल,
एफ.आर.एन. 000257एन/एन.500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
स.सं. 083899

सी. चंद्रमौलि
अध्यक्ष

एस.एन. त्रिपाठी
निदेशक

के. के. पांडेय
सदस्य
कार्य परिषद्

नई दिल्ली
दिनांक : 16/09/2020
यू.डी.आई.एन.सं. : 20083899 ए.ए.ए.ए.बी.यू. 8756

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-1
परिसंपत्ति निधि

		1-4-2019 को अधिशेष	वर्ष के दौरान जोड़	वर्ष के दौरान समायोजन/ प्रयुक्त	31-3-2020 को अधिशेष
		(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
आई.आई.पी.ए. (कोर)		109,811,938	2,658,765	98,182	112,372,521
सी.यू.एस.		4,630,790	-	-	4,630,790
ए.पी.पी.पी.ए. (अप्पा)		9,696,784	-	-	9,696,784
सी.सी.एस.		3,154,902	-	-	3,154,902
एन.सी.एच.		6,772,132	712,465	-	7,484,597
	उप-योग	**134,066,546**	**3,371,230**	**98,182**	**137,339,594**
एफ.सी.आर.ए.		842,449	-	-	842,449
	उप-योग	**842,449**	**-**	**-**	**842,449**
	योग	**134,908,995**	**3,371,230**	**98,182**	**138,182,043**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-2
पूँजीगत निधियाँ

	1-4-2019 को अधिशेष	अंशदान ब्याज	प्रयुक्त राशि	31-3-2020 को अधिशेष
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
क				
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	97,339	6,552	3,089	100,802
भूपेन्द्र हूजा स्मारक निधि	45,381	2,990	-	48,371
परामर्श सहायता निधि	1,403,852	101,297	93,487	1,411,662
अवसंरचना विकास निधि	46,765,269	2,794,434	2,044,947	47,514,756
नेदुम्मा स्मारक विज्ञान फाउंडेशन	1,146,947	52,984	81,281	1,118,650
प्रो. एस. सरोजा स्मारक निधि	537,847	30,032	21,140	546,739
शोध सावधि निधि	4,494,481	301,903	286,384	4,510,000
श्रीमती कुसुम ताई शंकर राव चव्हाण स्मारक निधि	146,175	9,696	2,202	153,669
कर्मचारी कल्याण निधि	322,716	196,855	19,594	499,977
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार	111,296	5,059	9,191	107,164
उप-योग	**55,071,303**	**3,501,802**	**2,561,315**	**56,011,790**
ख				
(सदस्यता पूँजीगत निधि)				
निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि	3,786,362	208,145	185,402	3,809,105
आजीवन सदस्यता पूँजीगत निधि	15,024,173	1,652,273	673,952	16,002,494
उप-योग	**18,810,535**	**1,860,418**	**859,354**	**19,811,599**
योग (क+ख)	**73,881,838**	**5,362,220**	**3,420,669**	**75,823,389**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-3
अप्रयुक्त अनुदान अधिशेष

	01-04-2019 को अप्रयुक्त अधिशेष (₹)	वर्ष के दौरान प्राप्तियाँ (₹)	कुल (₹)	भुगतान/ समायोजन (₹)	वर्ष के दौरान देय (₹)	31-3-2020 को अप्रयुक्त अधिशेष (₹)
(क) सामान्य निधि						
शहरी अध्ययन केंद्र हेतु आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय, नई दिल्ली से प्राप्त अनुदान (आंतरिक प्राप्तियाँ रु. 11188/- सहित) (संदर्भ परिशिष्ट-2)	(14,381,321)	32,075,248	17,693,927	27,157,342	1,532,910	(10,996,325)
अप्पा	10,124,142	37,748,676	47,872,818	7,892,792	278,533	39,701,493
उपभोक्ता मामले केंद्र	2,122,124	-	2,122,124	-	-	2,122,124
सी.सी.एस. चरण II (प्रकाशनों सहित)	4,720,070	34,607,000	39,327,070	26,769,928	809,109	11,748,033
उपभोक्ता मामले केंद्र (योजना)	1,167,393	-	1,167,393	-	-	1,167,393
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	66,593	-	66,593	-	-	66,593
आई.सी.जी.आर.एस.-एन.सी.एच. परियोजना	14,301,946	41,600,000	55,901,946	47,412,870	2,536,314	5,952,762
जनजातीय मामले केंद्र (कोर्टक्स)	1,420,178	2,816,000	4,236,178	3,259,529	241,900	734,749
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से स्कीम अनुदान	518	-	518	518	-	-
पूंजीगत सहायता अनुदान	64	-	64	64	-	-
अप्पा विदेश/क्षेत्रीय दौरों हेतु अन्य अनुदान	5,521,985	26,839,816	32,361,801	9,733,991	-	22,627,810
अन्य कार्यक्रम	(3,768,291)	9,842,990	6,074,699	9,345,132	235,382	(3,505,815)
फेलोशिप हेतु आई.सी.एस.एस.आर. से अनुदान	406,568	96,667	503,235	327,890		175,345
अन्य शोध परियोजनाएँ	10674170	46,479,405	57,153,575	28,592,270	713,360	27,847,945
शोध -I परियोजनाएँ	503,381	-	503,381	28,169		475,212
योग क	**32,879,519**	**232,105,802**	**264,985,321**	**160,520,495**	**6,347,508**	**98,117,318**
(+) नामे अधिशेष अर्थात वसूली योग्य अनुदानः	18,149,611	-	-	-	-	27,797,040
31.3.2020 को अप्रयुक्त अनुदान अधिशेष	**51,029,130**	**232,105,802**	**264,985,321**	**160,520,495**	**6,347,508**	**125,914,358**
(ख) विदेशी अनुदान	781,647	24,932,499	25,714,146	22,200,000	-	3,514,146
कुल योग क + ख	**51,810,777**	**257,038,301**	**290,699,467**	**182,720,495**	**6,347,508**	**129,428,504**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-4

चालू देयताएँ	**31 मार्च, 2020 को**	**31 मार्च, 2019 को**
	(₹)	(₹)
कैंटीन कॉन्ट्रेक्टर/मेस प्रभार	539,586	363,715
संकाय/कर्मचारी वर्ग को देय राशि	151,482	135,606
विविध लेनदार	449,624	894,309
अन्य देयताएँ :		
अन्यों को देय	34,758,511	64,960,070
अन्य जमा	2,590,909	2,618,198
देय व्यय	15,940,705	21,971,790
ड्यूटी तथा कर (सेवा कर/जी.एस.टी.)	5,981,114	-
सफ़ल मदर डेयरी से अग्रिम किराया	-	17,010
योग	**60,411,931**	**90,960,698**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-5
स्थायी परिसंपत्तियाँ

	1.4.2019 को कीमत	जोड़े गए	(-) बिक्री	समायोजन	अवमूल्यन	31.3.2020 को कीमत
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
क) स्थायी परिसंपत्तियाँ-अनुदान से खरीदी गई						
भूमि तथा भवन	11,209,007	-	-	-	-	11,209,007
फर्नीचर, जुड़नार	21,172,398		-	-	-	21,172,398
वातानुकूलन यंत्र एवं वाटर कूलर	4,826,385	892,499	-	-	-	5,718,884
फिल्म प्रोजेक्टर तथा मंच उपकरण	4,003,079	1,469,333	-	-	-	5,472,412
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	18,779,142	296,933	-	-	-	19,076,075
हॉस्टल तथा मेस उपकरण	2,996,127		-	-	-	2,996,127
कार्यालय उपकरण	19,484,032	-	-	-	-	19,484,032
आंतरिक संचार	1,975,935	-	-	-	-	1,975,935
पुस्तकालय उपकरण	2,685,529	-	-	-	-	2,685,529
पुस्तकालय पुस्तकें (कोर)	22,582,122	-	-	-	-	22,582,122
वाहन	98,182	-	98,182	-	-	-
उप-योग	**109,811,938**	**2,658,765**	**98,182**	-	-	**112,372,521**
सी.यू.एस. - फर्नीचर, जुड़नार तथा कार्यालय उपकरण	3,007,287	-	-	-	-	3,007,287
सी.यू.एस. - पुस्तकालय पुस्तकें	1,623,503	-	-	-	-	1,623,503
उप-योग	**4,630,790**	-	-	-	-	**4,630,790**
अप्पा - पुस्तकालय पुस्तकें	4,641,278	-	-	-	-	4,641,278
अप्पा - फर्नीचर, जुड़नार तथा कार्यालय उपकरण	5,055,506	-	-	-	-	5,055,506
उप-योग	**9,696,784**	-	-	-	-	**9,696,784**
सी.सी.एस. - फर्नीचर, जुड़नार, कार्यालय उपकरण	1,744,265	-	-	-	-	1,744,265
सी.सी.एस. - पुस्तकालय पुस्तकें	299,501	-	-	-	-	299,501
एन.सी.एच.- फर्नीचर, जुड़नार, कार्यालय पुस्तकें	7,883,268	712,465	-	-	-	8,595,733
उप-योग	**9,927,034**	**712,465**	-	-	-	**10,639,499**
कुल योग	**134,066,546**	**3,371,230**	**98,182**	-	-	**137,339,594**
ख) स्थायी परिसंपत्तियाँ-अपनी निधि से						
फर्नीचर, जुड़नार	707,045	360,854	-	-	169,401	898,498
डाटा प्रोसेसिंग उपकरण	20,720	147,796	-	-	57,830	110,686
कार्यालय उपकरण	1,189,138	972,924	-	-	190,225	1,971,837
वाहन	1,077,336	1,033,997	-	-	239,150	1,872,183
योग	**2,994,239**	**2,515,571**	-	-	**656,606**	**4,853,204**
कुल योग (क + ख)	**137,060,785**	**5,886,801**	**98,182**	-	**656,606**	**142,192,798**
ग) स्थायी परिसंपत्तियाँ-एफ.सी.आर.ए.						
एफ.सी.आर.ए.- फर्नीचर, जुड़नार तथा कार्यालय उपकरण	**842,449**	-	-	-	-	**842,449**
उप-योग	**842,449**	-	-	-	-	**842,449**
कुल योग	**137,903,234**	**5,886,801**	**98,182**	-	**656,606**	**143,035,247**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-6

निवेश

	1.4.2019 को अधिशेष	वर्ष के दौरान जमा	वर्ष के दौरान भुनाई गई राशि	31.3.2020 को अधिशेष
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	91,738	52,858	48,678	95,918
भूपेन्द्र हूजा स्मारक निधि	34,807	39,582	34,807	39,582
परामर्श सहायता निधि	1,395,644	1,551,475	1,440,439	1,506,680
निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि	3,563,051	662,743	619,835	3,605,959
अवसंरचना विकास निधि	44,780,837	15,569,249	14,491,071	45,859,015
आजीवन सदस्यता पूँजीगत निधि	13,667,884	144,000	-	13,811,884
नेदुम्मा स्मारक विज्ञान फाउंडेशन	809,393	55,050	48,777	815,666
प्रो. एस. सरोजा स्मारक निधि	500,000	-	-	500,000
शोध सावधि निधि	4,168,697	1,614,798	1,328,910	4,454,585
श्रीमती कुसुम ताई चव्हाण स्मारक निधि	141,046	-	-	141,046
कर्मचारी कल्याण निधि	366,846	314,021	291,970	388,897
टी.एन. चतुर्वेदी पुरस्कार निधि	92,605	22,983	21,527	94,061
योग	**69,612,548**	**20,026,759**	**18,326,014**	**71,313,293**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-7
चालू परिसंपत्तियाँ, ऋण तथा अग्रिम

		31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
विविध देनदार			
संचालित प्रशिक्षण कार्यक्रमों से वसूली योग्य राशि		31,620,336	43,458,607
वसूली योग्य जी.एस.टी.		17,312	
	उप-योग	**31,637,648**	**43,458,607**
अन्य परिसंपत्तियाँ			
वसूलीयोग्य टी.डी.एस.		11,155,314	6,904,578
जी.एस.टी. पर टी.डी.एस.		348,357	-
कर्मचारियों को ऋण तथा अग्रिम		13,801,814	7,595,309
जमा (डेसू, डी.डी.ए. आदि में) तथा अन्य वसूलीयोग्य		642,210	640,210
एन.आई.डी.एम. से वसूलीयोग्य किराया (20 प्रतिशत)		21,737,800	21,737,800
निवेश पर उपचित ब्याज किंतु देय नहीं		1,359,761	2,290,526
गृहनिर्माण अग्रिम पर प्रोद्भूत ब्याज		670,215	686,319
शोध/प्रशिक्षण हेतु ई.एम.डी.		3,028,500	4,188,500
वसूलीयोग्य किराया		237,870	141,687
पूर्वदत्त बीमा		39,108	22,024
वसूली योग्य जल/विद्युत/जेनरेटर प्रभार		800	800
मैसर्स फूड पाकीज़ा से वसूलीयोग्य राशि		167	167
मैसर्स सेज़ प्रकाशन से वसूली योग्य राशि		3,746	-
संचित जी.एस.टी. इनपुट		-	3,493,316
पूर्वदत्त व्यय (प्रीमियम)		684,000	769,500
	उप-योग	**53,709,661**	**48,470,736**
नकद तथा बैंक अधिशेष (प्रबंधन द्वारा प्रमाणित)			
हाथ में रोकड़		-	-
राजस्व टिकट पेशगी		200	200
	उप-योग	**200**	**200**
अनुसूचित बैंकों में अधिशेष			
यूको बैंक चालू खाते में		1,275,751	1,019,435
यूको बैंक बचत खाते में		172,017,818	135,873,099
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में		262,547	262,547
यूको बैंक - एफ.सी.आर.ए. - बचत खाता		3,514,146	781,647
यूको बैंक पी.एफ.एम.एस. लेखा		299,163	4,445
यूको बैंक परियोजना लेखा		2,201,657	1,846,392
यूको बैंक - उपभोक्ता पी.एफ.एम.एस. लेखा		16,198,804	16,433,500
यूको बैंक - सी.यू.एस. पी.एफ.एम.एस. लेखा		1,250,071	-
	उप-योग	**197,019,957**	**156,221,065**
	योग	**197,020,157**	**156,221,265**
	कुल योग	**282,367,465**	**248,150,608**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-8

सदस्यता अंशदान/सदस्यता निधि पर ब्याज

	वर्ष 2019-20 के लिए (₹)	वर्ष 2018-19 के लिए (₹)
अंशदान-सहयोगी	71,107	33,329
अंशदान-निगमित	80,000	120,000
अंशदान-छात्र सदस्यता	800	1,200
अंशदान-साधारण	44,900	53,300
निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि पर ब्याज	165,237	174,303
आजीवन सदस्यता पूँजीगत निधि पर ब्याज	662,366	696,008
योग	**1,024,410**	**1,078,140**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-9

विविध प्राप्तियाँ

	वर्ष 2019-20 के लिए (₹)	वर्ष 2018-19 के लिए (₹)
ब्याज		
- अल्प अवधि जमा राशियों पर	2,031,072	528,499
अन्य प्राप्तियाँ	678,354	906,024
सेवा प्रभार	3,166,456	2,967,313
सदस्यता प्रपत्रों की बिक्री	29,170	14,637
सी.जी.एच.एस. वसूलियाँ	621,800	978,050
योग	**6,526,852**	**5,394,523**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-10
(क) वेतन तथा भत्ते-कोर

	वर्ष 2019-2020 के लिए (₹)	वर्ष 2018-2019 के लिए (₹)
लेखा एवं पेंशन कोष्ठ	7,098,660	6,978,617
प्रशासन	17,583,827	17,833,040
कंप्यूटर केंद्र	735,182	-
संकाय तथा संबद्ध कर्मचारी वर्ग	30,469,203	39,217,365
हॉस्टल	1,062,611	997,175
पुस्तकालय	12,226,310	17,809,023
रखरखाव	10,928,421	13,385,723
सदस्यता	2,818,320	3,746,792
शैक्षिक गतिविधियाँ कार्यालय	11,136,721	11,921,203
प्रकाशन	4,934,877	6,432,225
शोध तथा परामर्श एकक	707,941	1,444,586
समयोपरि भत्ता	9,582	47,689
	99,711,655	**119,813,438**
(ख) सेवानिवृत्ति लाभ	120,966,333	268,016,287
योग (क + ख)	**220,677,988**	**387,829,725**

अनुसूची-11
परिसर रखरखाव

	वर्ष 2019-2020 के लिए (₹)	वर्ष 2018-2019 के लिए (₹)
मरम्मत तथा रख रखाव	1,398,958	4,275,701
हॉस्टल आम रखरखाव	2,377,332	2,172,160
किराए, दरें तथा कर	1,020,559	1,020,559
जल तथा विद्युत प्रभार	9,312,626	12,269,935
सुरक्षा व्यवस्था	4,140,781	3,858,310
हाउस कीपिंग प्रभार		
हॉस्टल	6,021,766	4,192,345
मुख्य भवन	4,793,631	4,810,675
योग	**29,065,653**	**32,599,685**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-12
प्रशासनिक तथा विविध व्यय

	वर्ष 2019-20 के लिए (₹)	वर्ष 2018-19 के लिए (₹)
यात्रा व्यय		
1. संकाय/संस्थान तथा कर्मचारी वर्ग हेतु	34,701	7,233
2. कार्यकारी परिषद तथा इसकी समितियों की बैठकों हेतु	286,717	164,473
3. शाखाओं के पदाधिकारियों तथा अन्यों हेतु	181,873	185,395
विज्ञापन व्यय	-	18,662
कर्मचारियों को सुविधाएँ	127,670	454,724
वार्षिक प्रतिवेदन	104,106	384,455
बैंक प्रभार	51,887	135,515
निबंध/ प्रकरण अध्ययन पुरस्कार	43,820	98,574
वार्षिक आम बैठक पर व्यय	700,610	641,848
सम्मेलन पर व्यय	152,205	-
लेखा परीक्षकों को शुल्क	120,000	100,000
विशेषज्ञों को मानदेय	53,400	226,000
मेस तथा केंटीन के लिए आई.जी.एल. गैस हेतु	298,479	295,509
इंडिया इंटरनेशनल सेंटर की सदस्यता	61,360	52,000
कानूनी खर्च	228,000	315,000
वर्दियाँ	-	30,000
स्थानीय यात्रा व्यय	306,402	310,731
बैठक व्यय	236,673	250,337
विविध व्यय	645,045	605,085
मोटर कार व्यय	283,873	305,473
डाक तथा तार व्यय	262,560	235,288
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	710,244	1,141,795
मरम्मत, रखरखाव, फोटोकॉपी मशीन/ए.एम.सी.	225,861	242,798
टेलीफोन व्यय	557,087	758,450
योग	**5,672,573**	**6,959,345**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-क

भारत सरकार से प्राप्त सहायता अनुदान तथा आंतरिक प्राप्तियों की प्राप्ति तथा भुगतान लेखा

	वर्ष 2019-2020 के लिए (₹)	वर्ष 2018-2019 के लिए (₹)
प्राप्तियाँ:		
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान – वेतन	85,000,000	70,000,000
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से अतिरिक्त सहायता अनुदान – 7वाँ सी.पी.सी.	-	57,400,000
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान – सामान्य	60,000,000	50,000,000
कार्मिक एवं प्रशिक्षण विभाग से सहायता अनुदान – पूँजीगत	35,000,000	-
सदस्यों का अंशदान	1,024,410	1,078,140
प्रशिक्षण कार्यक्रमों के लिए शुल्क	207,910,199	167,900,004
शोध कार्यों से परिशुद्ध आय ओवरहेड सहित	19,269,117	20,167,277
प्रयोक्ता प्रभार	13,297,573	20,979,917
प्रकाशनों की बिक्री	348,570	435,680
विविध प्राप्तियाँ	6,527,279	2,176,228
शोध सावधि निधि से अंतरित	199,755	109,689
कर्मचारियों से ऋण तथा अग्रिमों की वसूली	-	457,200
योग	**428,576,902**	**390,704,135**
भुगतान :		
वेतन तथा भत्ते	102,260,471	137,771,684
पेंशन	60,000,000	53,000,000
पूँजीगत व्यय	35,000,000	
प्रशिक्षण कार्यक्रम	194,773,898	146,318,881
प्रकाशन	542,862	839,363
पुस्तकालय ग्रंथ, पत्र पत्रिकाएँ, जिल्दबंदी तथा उपकरण प्रभार	518,609	2,332,231
शाखा प्रोन्नत गतिविधियाँ	475,904	415,359
परिसर रखरखाव	29,280,055	32,231,033
प्रशासनिक एवं विविध प्रभार	5,667,136	7,150,826
स्वयं अपनी निधि से खरीदी गई परिसंपत्तियां	2,515,571	1,448,349
कर्मचारियों को अग्रिम तथा ऋण का भुगतान	-	279,000
सी.जी.एच.एस. को भुगतान की गई राशि	1,094,647	923,087
जी.एस.टी./प्रीमियम पर व्यय	85,500	11,041
योग	**432,214,652**	**382,720,854**
वर्ष के दौरान भुगतान से प्राप्तियों की अधिकता	(3637751)	7,983,281
गत् वर्ष प्राप्तियों से अधिक भुगतान	2904424	(5078857)
भुगतान से प्राप्तियों की कुल अधिकता	**(733326)**	**2904424**

उपयोग प्रमाण-पत्र

प्रमाणित किया जाता है कि भारत सरकार, कार्मिक, लोक शिकायत तथा पेंशन मंत्रालय, कार्मिक और प्रशिक्षण विभाग, नई दिल्ली से 2019-20 के दौरान प्राप्त 18,00,00,000/- रुपये के वेतन/सामान्य/पूँजीगत सहायता अनुदान का वर्ष के दौरान पूर्ण उपयोग किया गया है।

इसके अतिरिक्त, संस्थान ने वर्ष 2019-20 के दौरान 24,85,76,902/- रुपये का आंतरिक राजस्व जनित किया है तथा गत् वर्ष 2018-19 से 29,04,424/- रुपये की भुगतानें से अधिक प्राप्तियाँ आगे लाई गईं।

प्राप्ति तथा भुगतान लेखा की अनुसूची सं. क में दिए अनुसार 31.03.2020 को 7,33,326/- रुपये का प्राप्ति से भुगतान की अधिकता अधिशेष आगामी वित्त वर्ष 2020-21 के दौरान समायोजन हेतु आगे लाया गया है।

जी.एस.ए. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. सं. 00257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल	सी. चंद्रमौलि	के.के. पांडेय	एस.एन त्रिपाठी
भागीदार	अध्यक्ष	सदस्य, कार्यकारी समिति	निदेशक

सदस्यता सं. 083899
16, डी.डी.ए. फ्लैट्स,
पंचशील पार्क,
नियर मालवीय नगर
नई दिल्ली- 110017

दिनाँक : 16.09.2020

यू.डी.आईएन. सं. 20083899एएएएबीयू 8756

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-ख

निधियों, जमा एवं अग्रिमों की प्राप्तियों एवं भुगतान का लेखा

	वर्ष 2019-20 के लिए (₹)	वर्ष 2018-19 के लिए (₹)
प्राप्तियाँ		
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	6,552	5,984
भूपेन्द्र हूजा स्मारक निधि	2,355	4,807
परामर्श समर्थन निधि	101,297	44,877
निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि	208,145	218,699
आजीवन सदस्यता पूँजीगत निधि (अंश)	1,208,566	960,256
अवसंरचना विकास निधि	1,907,753	3,161,663
नेदुम्मा स्मारक निधि	45,074	54,877
प्रो. एस. सरोजा स्मारक निधि	24,533	33,752
शोध सावधि निधि	289,658	224,689
श्रीमती कुसुमताई स्मारक निधि	6,612	6,612
कर्मचारी कल्याण निधि	196,855	37,309
टी.एन.चतुर्वेदी पुरस्कार निधि	5,059	6,129
कर्मचारियों/संकाय से वसूली योग्य अग्रिम	41723823	29,724,957
अग्रिम किराया	17,057	17,010
पार्टियों से वसूली योग्य राशि	-	60
कर्मचारियों को देय राशि (देयता)	15,876	45,000
बैंक में सावधि जमा	18,326,014	27,957,878
जी.एस.टी. इनपुट संचित	20,419,132	-
जी.एस.टी. आउटपुट/ आर.सी.एम.संचित		54,926,292
चालू परिसम्मपत्तियाँ	107,524	-
गृहनिर्माण अग्रिम पर उपचित ब्याज	16,104	-
मेस प्रभार	581,850	688,855
अन्य जमा (परिसंपत्तियाँ)	500	48,000
अन्य जमा (देयता)	2,415,629	1,757,891
अन्य देयताएँ	61,531,001	87,437,504
अन्य देयताएँ (विविध लेनदार)	1,567,443	21,474,291
पूर्वदत्त बीमा/प्रीमियम	107,524	20,353
विविध देनदार	20,513,018	27,931,362
वसूली योग्य टी.डी.एस.	-	1,005,040
कुल योग	**171,344,954**	**257,794,147**

भुगतान	वर्ष 2019-2020 के लिए (₹)	वर्ष 2018-2019 के लिए (₹)
वार्षिक स्कूल पुरस्कार निधि	-	-
निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि	165,237	174,303
आजीवन सदस्यता पूँजीगत निधि (अंशदान)	662,366	713,008
अवसंरचना विकास निधि	-	90,699
प्रो. एस. सरोजा स्मारक निधि	21,140	26,510
शोध सावधि निधि	199,755	121,189
कर्मचारी कल्याण निधि	-	160,000
नेदुम्मा स्मारक निधि	76,575	-
टी.एन. चतुर्वेदी निधि	7,490	-
कर्मचारियों/संकाय से वसूली योग्य अग्रिम	47,503,775	29,374,571
अन्य चालू परिसंपत्तियाँ	139,037	-
वर्ष के दौरान देय व्यय	11,070,784	5,744,469
बैंक में सावधि जमा	20,024,339	29,063,252
जी.एस.टी. इनपुट संचित	19,235,863	16,277,281
जी.एस.टी. आउटपुट संचित	-	54,989,630
मेस प्रभार	405,979	1,025,161
अन्य जमा (परिसंपत्तियाँ)	2,500	97,000
अन्य जमा (देयता)	2,442,918	1,038,535
अन्य देयताएँ	92,066,056	48,071,736
अन्य देयताएँ (विविध लेनदार)	2,065,898	21,209,971
पूर्वदत्त बीमा/प्रीमियम	-	791,524
विविध देनदार	537,312	7,293,300
वसूली योग्य टी.डी.एस.	4250736	2,851,934
जी.एस.टी पर टी.डी.एस.	348,357	-
कुल योग	**201,226,117**	**219,114,073**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-1

(संदर्भ अनुसूची-3)

शोध परियोजनाओं का प्राप्ति एवं भुगतान लेखा (एफ.सी.आर.ए. अनुदान को छोड़कर)

	वर्ष 2019-2020 के लिए (₹)	वर्ष 2018-2019 के लिए (₹)
प्राप्तियाँ :		
आवास, शहरी मामले तथा रोज़गार मंत्रालय से शहरी अध्ययन केंद्र (सी.यू.एस.) हेतु अनुदान (प्रकाशनों की बिक्री सहित)	32,075,248	32,000,300
अप्पा विदेश तथा क्षेत्रीय दौरे	26,839,816	18,202,003
अन्य कार्यक्रम	9,842,990	9,211,640
उपभोक्ता मामले केंद्र	34,607,000	46,150,500
अन्य शोध परियोजनाएँ/अध्ययन	46,479,405	23,335,359
शोध-1 कार्य	-	2,479,055
सहायता अनुदान पूँजी	-	30,000,000
आई.सी.एस.एस.आर./फेलोशिप प्राप्ति	96,667	1,410,000
अप्पा I	37,748,676	23,606,000
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	-	17,863,008
आई.सी.जी.आर.एस. - एन.सी.एच.	41,600,000	29,500,000
सी.ओ.आर.टी.ई.एक्स.	2,816,000	2,006,000
कुल	**232,105,802**	**235,763,865**
भुगतान :		
शहरी अध्ययन केन्द्र	27,157,342	28,953,088
अप्पा क्षेत्रीय तथा विदेश दौरे	9,733,991	20,267,742
अन्य कार्यक्रम	9,345,132	16,854,540
उपभोक्ता मामले केंद्र	26,769,928	28,065,856
शोध परियोजनाएँ/अध्ययन	28,592,270	41,158,180
शोध-1 कार्य	28,169	7,567,940
स्कीम अनुदान	518	-
सहायता अनुदान पूँजी	64	29,999,936
आई.सी.एस.एस.आर./फेलोशिप	327,890	1,003,432
अप्पा 1	7,892,792	31,862,127
राष्ट्रीय उपभोक्ता हेल्पलाइन	-	18,024,499
आई.सी.जी.आर.एस. - एन.सी.एच.	47,412,870	8,123,252
सी.ओ.आर.टी.ई.एक्स.	3,259,529	392,572
भुगतान से प्राप्तियों की अधिकता	71,585,307	3,490,701
योग	**232,105,802**	**235,763,865**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-2

(संदर्भ अनुसूची-3)

सी.यू.एस. हेतु आवास तथा शहरी मामले मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की प्राप्तियों तथा भुगतान का लेखा

	वर्ष 2019-2020 के लिए (₹)	वर्ष 2018-2019 के लिए (₹)
प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	32,064,060	32,000,000
सी.यू.एस. प्रकाशनों की बिक्री	11,188	300
योग	**32,075,248**	**32,000,300**
भुगतान		
वेतन एवं भत्ते	23,449,696	25,815,977
अवसंरचना	-	54,000
यात्रा खर्च	494,068	370,765
पुस्तकालय पुस्तकें तथा पत्र पत्रिकाएँ	1,215	137,063
प्रशिक्षण पाठ्यक्रम	-	200,000
विविध तथा आकस्मिक खर्च	135,089	199,744
मुद्रण तथा लेखन सामग्री	201,028	42,349
परिसर रखरखाव	840,644	443,646
प्रकाशनों का मुद्रण	67,553	48,365
जल तथा विद्युत	596,151	620,120
उपरि प्रभार	2,904,808	2,678,443
	28,690,252	**30,610,472**
वर्ष के दौरान भुगतान से प्राप्तियों की अधिकता	3,384,996	1,389,828
गत् वर्ष प्राप्तियों से भुगतान की अधिकता	(14,381,321)	(15,771,149)
योग	**(10,996,325)**	**(14,381,321)**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-3

(संदर्भ अनुसूची-3)

उपभोक्ता अध्ययन केंद्र हेतु उपभोक्ता मामले मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की प्राप्तियों तथा भुगतान का लेखा

	वर्ष 2019-20 के लिए (₹)	वर्ष 2018-19 के लिए (₹)
प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान	34,607,000	46,150,500
योग	**34,607,000**	**46,150,500**
भुगतान		
संचार	186,270	225,324
अवसंरचना	95,636	132,470
पुस्तकालय पुस्तकें	-	105,163
विविध व्यय	229,488	257,495
वेतन तथा भत्ते	10,081,286	8,773,805
प्रकाशन	869,268	192,476
प्रकाशन अनुदान से व्यय	-	-
शोध अध्ययन	528,260	426,187
संगोष्ठी/कार्यशला	1,890,523	3,207,154
प्रशिक्षण कार्यक्रम	7,465,000	9,326,000
यात्रा व्यय	335,363	107,775
उपरि प्रभार	5,907,629	6,044,604
	27,588,723	**28,798,453**
वर्ष के दौरान भुगतान से प्राप्तियों की अधिकता	7,018,277	17,352,047
गत् वर्ष प्राप्तियों से भुगतान की अधिकता	4,720,070	(12,631,977)
योग	**11,738,347**	**4,720,070**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुलग्नक-4

(संदर्भ अनुसूची-3)

एन.सी.एच. के माध्यम से समेकित उपभोक्ता शिकायत समाधान पद्धति हेतु उपभोक्ता मामले मंत्रालय से प्राप्त अनुदान की प्राप्ति तथा भुगतान का लेखा

		वर्ष 2019-20 के लिए (₹)
प्राप्तियाँ		
वर्ष के दौरान प्राप्त अनुदान		41,600,000
जमा (+) : गत वर्ष का अप्रयुक्त सहायता अनुदान		14,301,946
	योग	**55,901,946**
भुगतानः		
एस.सी.एच. सहित संचार व्यय		10,951,952
एस.सी.एच. सहित अवसंरचना व्यय		2,172,731
श्रमशक्ति		24,352,560
विविध व्यय		131,260
एस.सी.एच. सहित मुद्रण तथा लेखन सामग्री		79,609
मरम्मत कार्य		2,317,978
कर्मचारी कल्याण		344,472
प्रशिक्षण		55,719
एस.सी.एच. सहित यात्रा व्यय		38,316
वेबसाइट व्यय		6,937
संस्थागत प्रभार		9,497,650
		49,949,184
वर्ष के दौरान भुगतान से आय की अधिकता		5,952,762
	योग	**5,952,762**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अनुसूची-13

लेखा के अंगस्वरूप महत्वपूर्ण लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ

1. पृष्ठभूमि

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, सोसाइटी पंजीकरण अधिनियम के अंतर्गत स्वायत्तशासी निकाय के रूप में स्थापित हुआ। 29 मार्च, 1954 को पंडित जवाहर लाल नेहरू ने इसका उद्घाटन किया जो इस सोसाइटी के प्रथम सभापति थे। इस संस्थान की स्थापना का मूल उद्देश्य था सरकारी तथा अन्य सार्वजनिक क्षेत्र के संगठनों के अधिशासियों की प्रबंधकीय क्षमताओं तथा नेतृत्व गुणों को बढ़ाने के लिए शैक्षणिक गतिविधियाँ चलाना।

2. लेखा पद्धति

संस्थान का वित्तीय विवरण 'प्रोद्भवन आधार' पर तैयार किया गया है जो सामान्यतः स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है। वित्तीय विवरण दिल्ली कार्यालय के लेन-देन के संबंध में तैयार किए जाते हैं। वित्तीय विवरण, जब तक अन्यथा उल्लिखित न हो, ऐतिहासिक लागत परंपरा के आधार पर तैयार किए गए हैं।

क. स्थायी परिसंपत्तियाँ

- 31 मार्च 2012 तक अपने संसाधनों से अर्जित परिसंपत्तियों को लाभ तथा हानि लेखा से प्रभारित किया जाता था तथा तुलन पत्र में परिसंपत्ति निधि लेखा में उसके तदनुरूप प्रविष्टि दी जाती थी। किंतु 2012-13 में लेखा पद्धति के नकद से प्रोद्भवन लेखा में परिवर्तन के समय स्वसंसाधनों से अर्जित परिसंपत्तियों को पूँजी मद माना गया है तथा इसे स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत पूँजीकृत किया गया है। पूँजीकरण की कट-ऑफ तिथि पाँच वर्ष रखी गई है अर्थात् 1 अप्रैल 2008 से स्वयं अपने संसाधनों से अर्जित परिसंपत्तियों को पूँजी दिखाया गया है। भूमि तथा भवन और पुस्तकों का मूल्य 31 मार्च 2013 अनुसार के वित्तीय रिकॉर्ड से लिया गया है।
- यद्यपि प्रायोजित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की निधियों से प्राप्त अनुदान से सृजित परिसंपत्तियों को, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान के पास है, संस्थान की स्थायी परिसंपत्ति माना जाता है तथा पूँजीगत निधि में तदनुरूप क्रेडिट दिया जाता है। यद्यपि इन निधियों से अर्जित इन परिसंपत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया जाता।

क. सहायता अनुदान

- आवर्ती व्यय हेतु प्राप्त रखरखाव अनुदान को, प्राप्ति के समय पर, आय माना जाता है।
- पूँजीगत व्यय उदाहरणार्थ स्थायी परिसंपत्तियों हेतु सहायता अनुदान को पूँजीगत निधि में अंतरित कर दिया जाता है।
- विशिष्ट कार्य के लिए प्राप्त सहायता अनुदान उसी उद्देश्य के लिए प्रयोग किया जाता है जिसके लिए यह अनुदान प्राप्त हुआ है तथा अप्रयुक्त अनुदान आगे लाकर तुलन पत्र में देयता के रूप में दिखाया जाता है। यदि, व्यय प्राप्त अनुदान से अधिक है, तो इसे वसूलीयोग्य अनुदान के रूप में दिखाया जाता है।
- शोध परियोजनाओं/कार्यों के अतिरेक/घाटे को लेखा परियोजना/कार्य की समाप्ति पर आय तथा व्यय लेखा में दिया जाता है।

ख. चालू प्रायोजित परियोजनाओं, शोध परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों से संबंधित व्यय उस विशिष्ट परियोजना में नामे दिखाया जाता है। परियोजना से वसूला गया उपरिप्रभार संस्थान की आय माना जाता है।

ग. प्राप्त आजीवन सदस्यता / नियमित सदस्यता शुल्क को आय नहीं माना जाता अपितु इसे विशिष्ट निधियों जैसे आजीवन सदस्यता / निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि में अंतरित किया जाता है।

घ. आजीवन सदस्यता / निगमित सदस्यता पूँजीगत निधि में से किए गए निवेश पर प्राप्त ब्याज को संबधित निधि में अंतरित कर दिया जाता है तथा इसे आय नहीं माना जाता। जबकि साधारण निधियों पर प्राप्त 50 प्रतिशत ब्याज को आय लेखा में अंतरित कर दिया जाता है तथा शेष 50 प्रतिशत शाखाओं को देय दर्शाया जाता है।

ङ. कर्मचारियों से भवन निर्माण तथा अन्य ब्याज वाले अग्रिमों से होने वाली आय का लेखा प्रोद्भवन आधार पर दिया गया है, यद्यपि ब्याज की वास्तविक वसूली पूरी मूलराशि की अदायगी के बाद आरंभ होती है।

च. पूँजीगत निधि से संबंधित आय तथा व्यय को संबंधित पूँजीगत निधि में जमा/नामे किया जाता है।

छ. प्राप्त अनुदानों, प्रायोजित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की निधियों से सृजित परिसंपत्तियों, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान के पास है, को पूँजीगत निधि में जमा करते हुए संस्थान की स्थायी संपत्ति माना जाता है। यद्यपि इन निधियों से अर्जित इन परिसंपत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया जाता।

ज. आयकर महानिदेशक से प्राप्त दिनाँक 20 दिसंबर, 2010 के कर से छूट प्रमाण-पत्र को ध्यान में रखते हुए आयकर हेतु किसी प्रावधान पर विचार नहीं किया गया है।

झ. विदेशी मुद्रा का लेन-देन, उस लेन-देन की तिथि को उसकी विद्यमान दर के अनुसार अंतरित किया गया है। यद्यपि वर्ष के अंत के मौद्रिक लेन-देन को वर्ष के अंत में विद्यमान दर पर दिखाया गया है।

ञ. निम्नलिखित को छोड़कर, विविध गतिविधियों से आय तथा व्यय का लेखा प्रोद्भवन आधार पर दिया गया है-

- सदस्यता शुल्क प्राप्ति, जिसको प्राप्ति के समक्ष गिना जाता है।
- हॉस्टल के कमरों से प्राप्ति का हिसाब नकद आधार पर रखा जाता है।
- एल.टी.सी. पर व्यय का लेखा नकद आधार पर दिया गया है।
- शाखाओं को दी गई वित्तीय सहायता भुगतान के वर्ष में व्यय के रूप में दिखाई गई है।
- प्रवेश प्रपत्रों की बिक्री का लेखा नकद आधार पर दिया गया है।
- प्रकाशनों की बिक्री से प्राप्त रॉयलटी।

3. स्थायी परिसंपत्तियाँ

- स्थायी परिसंपत्तियों को प्राप्त करने की लागत (प्राप्ति से संबंधित वाहन शुल्क, ड्यूटी, कर तथा प्रासंगिक और प्रत्यक्ष व्यय सहित) में से संचित अवमूल्यन घटाकर दिखाया गया है।
- प्राप्त अनुदानों, प्रायोजित परियोजनाओं तथा कार्यक्रमों की निधियों से सृजित परिसंपत्तियों, जहाँ ऐसी परिसंपत्तियों का स्वामित्व संस्थान के पास है, को संस्थान की स्थायी परिसंपत्ति माना जाता है तथा इसे पूँजीगत निधि में जमा कर दिया जाता है। यद्यपि इन निधियों से अर्जित इन परिसंपत्तियों पर किसी अवमूल्यन का दावा नहीं किया जाता।

4. स्थायी परिसंपत्तियों पर अवमूल्यन

(क) प्राप्त अनुदानों/प्रायोजित निधियों से प्राप्त परिसंपत्तियों के व्यतिरिक्त अन्य चीज़ों पर ह्रासित पद्धति से आयकर अधिनियम में उल्लिखित निम्न दरों पर अवमूल्यन प्रभारित किया गया है :

– वाहन	15%
– अन्य उपकरण	15%
– कम्प्यूटर	40%
– फर्नीचर	10%

- 30 सितम्बर के बाद प्राप्त परिसंपत्तियों के मामले में लागू दर का 50% की दर पर अवमूल्यन प्रभारित किया जाता है।
- 5000/– रुपये से कम की लागत वाली परिसंपत्तियों को अर्जित करने के वर्ष में पूर्णयता अवमूल्यित किया जाता है।

(ख) लेखा टिप्पणियाँ

i. संस्थान द्वारा गठित समिति ने स्थायी परिसंपत्तियों का भौतिक सत्यापन संचालित किया। यद्यपि समिति के निष्कर्ष समीक्षाधीन हैं। समिति द्वारा सूचित की गई, विसंगतियों के प्रभाव अर्थात् स्थायी परिसंपत्तियों के सकल मूल्य में 114 लाख रू. की कमी को अंतिम पुनरीक्षा के समय गिना जाएगा। वित्तीय वितरण के उद्देश्य से स्थायी परिसंपत्तियों का बही अधिशेष स्थायी परिसंपत्तियों के अंतर्गत माना गया है। स्थायी परिसंपत्ति रजिस्टर अद्यतन करने का कार्य प्रगति पर है।

ii. सेवाकर देयता के लिए अभी तक कोई प्रावधान नहीं किया गया है। और इसके लिए अभी तक कोई परामर्श नहीं लिया गया है।

iii. व्यय हेतु कर्मचारियों को दिए गए अग्रिम पुष्टि के अधीन हैं। वित्तीय विवरण के उद्देश्य से वित्तीय बही के अनुसार वसूली योग्य राशि को वसूलीयोग्य माना गया है। कर्मचारियों/संकाय सदस्यों से अधिशेष पुष्टि प्राप्त करने का काम किया जा रहा है।

iv. टी.डी.एस. भुगतान के समय काटा गया है।

v. चालू देयताओं मे भा.लो.प्र.सं. के सदस्यों से प्राप्त 2,18,313/- रुपये का डोनेशन शामिल है, आवश्यक अनुमोदन के उपरांत इसे आय लेखा में अंतरित कर दिया जाएगा।

vi. गत् वर्ष के आँकड़े यथावश्यक पुनर्व्यवस्थित, पुनर्निर्मित तथा पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

श्री. चंद्रमौलि
अध्यक्ष

एस.एन. त्रिपाठी
निदेशक

के.के. पांडेय
सदस्य
कार्यकारी परिषद्

दिनांक : 16.09.2020
स्थान : नई दिल्ली

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य

पेंशन निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान **पेंशन निधि** के 31 मार्च, 2020 के संलग्न तुलनपत्र तथा उस से संलग्न इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखा का भी परीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण निधि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारी उत्तरदायिता, अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना है।

हमने, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना परीक्षण कार्य किया। इन मानकों के अनुसार अपेक्षित है कि हम परीक्षण की योजना और कार्य इन आवश्यक आश्वासन के लिए करें कि क्या यह वित्तीय विवरण वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में, राशि के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन का जाँच के आधार पर परीक्षण शामिल है। परीक्षण में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन के मूल्यांकन के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करता है।

आगे, हम सूचित करते है कि

1. हमारी जानकारी तथा मतानुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए;
2. हमारे मतानुसार, जहाँ तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा विधि से अपेक्षित उचित लेखा बही बनाई गई है;
3. तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में हमने काम किया है, लेखा बही के अनुरूप हैं; तथा
4. हमारे मत में तथा हमें प्राप्त सूचना और हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा टिप्पणियों (अनुसूची-3) सहित कथित लेखा, भारत में सामान्यत : स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप है तथा निम्न का वास्तविक तथा स्पष्ट चित्र देता है :

क. तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2020 को निधि की वस्तुस्थिति का, तथा

ख. आय-व्यय लेखा के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के, घाटे का।

कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन.एन. 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
सदस्यता सं. 083899
16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क
मालवीय नगर के समीप, नई दिल्ली-110017
यू.डी.आई.एन.: 20083899एएएबीवी6284

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि
31 मार्च, 2020 को तुलन पत्र

	अनुसूची	31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
देयताएँ			
कार्पस	1	83,563,582	70,861,241
दीर्घावधि देयता		1,092,436,418	984,138,759
योग		**1,176,000,000**	**1,055,000,000**
परिसंपत्तियाँ			
निवेश	2	22,966,574	34,306,574
वसूली योग्य टी.डी.सी.		9,989	9,989
भारतीय स्टेट बैंक में अधिशेष		60,587,019	36,544,678
भा.लो.प्र.सं. से वसूली योग्य राशि		1,092,436,418	984,138,759
योग		**1,176,000,000**	**1,055,000,000**
लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	3		

अनुसूची 1-3 लेखा के समेकित अंश हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
स.सं. 083899
16 डी.डी.ए. फ्लैट्स,
पंचशील पार्क,
नियर मालवीय नगर
नई दिल्ली-110017

सदस्य सचिव
कुल सचिव

अध्यक्ष
निदेशक

सदस्य
कार्यकारी परिषद, भा.लो.प्र.सं.

सदस्य
भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ

दिनांक : 16.9.2020
यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.बी.वी. 6284

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय तथा व्यय लेखा

		31.3.2020 को समाप्त वर्ष	31.3.2019 को समाप्त वर्ष
		(₹)	(₹)
आय			
कर्मिक तथा प्रशिक्षण विभाग से प्राप्त राशि		60,000,000	53,000,000
भा.लो.प्र.सं. से प्राप्त राशि		10,164,891	48,653,628
ब्याज से आय			
वर्ष के दौरान प्राप्त ब्याज		3,235,903	6,348,777
	योग-क	**73,400,794**	**108,002,405**
व्यय			
(प्रबंधन द्वारा यथाप्रमाणित)			
पेंशन का रुपांतरित मूल्य		1,801,370	3,665,897
मासिक पेंशन का भुगतान		58,894,040	99,639,642
बैंक प्रभार		3,043	3,587
	योग-ख	**60,698,453**	**103,309,126**
वर्ष का अतिरेक	**(क-ख)**	12,702,341	4,693,279
(गत् वर्ष का घाटा) अतिरेक तुलन पत्र में लाया गया		(15,087,576)	(19,780,855)
अवितरित ब्याज तुलन पत्र में अग्रेनीत		**(2,385,235)**	**(15,087,576)**

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ
अनुसूची 1-3 लेखा के समेकित अंश है।
समतिथ की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चार्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल	सदस्य सचिव	अध्यक्ष
भागीदार	कुल सचिव	निदेशक
स.सं. 083899		
16 डी.डी.ए. फ्लैट्स,		
पंचशील पार्क,	सदस्य	सदस्य
नियर मालवीय नगर	कार्य परिषद	भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ
नई दिल्ली-110017		

दिनांक : 16.09.2020
यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.बी.वी. 6284

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-1
कॉपर्स

		31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2019 को समाप्त वर्ष (₹)
सरकारी अनुदान		55,071,000	55,071,000
बकाया देने हेतु प्राप्त अनुदान		7,327,000	7,327,000
सी.पी.एफ. से नियोक्ता के अंश का अंतरण-अग्रानीत	17,270,529		
(+) प्रतिनियुक्ति पर कर्मचारियों का पेंशन योगदान	6,280,288	23,550,817	23,550,817
(+) आय तथा व्यय लेखा से अंतरित		(2,385,235)	(19,780,855)
योग		**83,563,582**	**66,167,962**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-2

निवेश	31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
(क) विशेष जमा योजना, एस.बी.आई., आई.पी. एस्टेट	68,774	68,774
(ख) केंद्रीय सरकार की प्रतिभूतियाँ		
10.25% भारत सरकार 2021	3,400,000	3,400,000
8.15% भारत सरकार एफ.सी.आई. विशेष बाँड 2022	545,000	545,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	515,000	515,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	2,000,000	2,000,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	1,025,000	1,025,000
8.26% भारत सरकार 2027	4,000,000	4,000,000
8.19% भारत सरकार 2020	-	6,000,000
योग (क)	**11,553,774**	**17,553,774**
(ग) राज्य सरकार के बाँड (15% श्रेणी)		
8.31% राज्य विकास ऋण प.बं. 2019	-	290,000
8.38% राज्य विकास ऋण महाराष्ट्र 2020	-	1,050,000
8.11% राज्य विकास ऋण राजस्थान 2020	600,000	600,000
8.88% राज्य विकास ऋण गुजरात 2021	750,000	750,000
योग (ख)	**1,350,000**	**2,690,000**
(घ) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं आदि के बाँड (40% श्रेणी)		
8.92% यूको बैंक 2020	-	4000000
9.45% एस.बी.आई. लोअर टायर II 2026	2,890,000	2,890,000
9.75% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पो.लि. 2021	3,172,800	3,172,800
9.75% रूरल इलेक्ट्रिफिकेशन कॉर्पो.लि. 2021	4,000,000	4,000,000
योग (ग)	**10,062,800**	**14,062,800**
कुल योग	**22,966,574**	**34,306,574**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

पेंशन निधि

अनुसूची-3

लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ

क. लेखा नीतियाँ

1. निधि का लेखा नकद आधार पर तैयार किया गया है।
2. निवेश को प्रत्यक्ष मूल्य पर दिखाया गया है।
3. निवेश पर ब्याज का लेखा प्राप्ति के आधार पर लिया गया है।
4. निवेश पर भुगतान किया गया प्रीमियम/प्राप्त छूट को प्राप्ति वर्ष में लाभ तथा हानि लेखा के माध्यम से दिखाया गया है।

ख. लेखा टिप्पणियाँ

1. गत वर्ष के आंकड़े यथावश्यक पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किये गए हैं।

सदस्य सचिव	अध्यक्ष
(कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.)	(निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य

अंशदायी भविष्य निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान **अंशदायी भविष्य निधि** के 31 मार्च, 2020 के संलग्न तुलनपत्र तथा उस से संलग्न इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखा का भी परीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण निधि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारी उत्तरदायिता, अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना है।

हमने, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना परीक्षण कार्य किया। इन मानकों के अनुसार अपेक्षित है कि हम परीक्षण की योजना और कार्य इस आवश्यक आश्वासन के लिए करें कि क्या यह वित्तीय विवरण वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त हैं। लेखा परीक्षण में, राशि के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन का जाँच के आधार पर परीक्षण शामिल है। परीक्षण में प्रयुक्त, लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राक्कलन के मूल्यांकन के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करता है।

आगे, हम सूचित करते है कि

1. हमारी जानकारी तथा मतानुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए;
2. हमारे मतानुसार, जहाँ तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा विधि से अपेक्षित उचित लेखा बही बनाई गई है;
3. तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में हमने काम किया है, लेखा बही के अनुरूप हैं; तथा
4. हमारे मत में तथा हमें प्राप्त सूचना के अनुसार तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा टिप्पणियों (अनुसूची-3) सहित कथित लेखा, भारत में सामान्यत : स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निम्न का वास्तविक तथा स्पष्ट चित्र देता हैं :

क. तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2020 को संस्थान की वस्तुस्थिति का, तथा

ख. आय-व्यय लेखा के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे का।

कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339
16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क
मालवीय नगर के समीप, नई दिल्ली-110017
यू.डी.आई.एन.: 20083899ए.ए.ए.बी.एक्स. 7180

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि
31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र

	अनुसूची	31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
देयताएँ			
संचित अधिशेष	1	21382191	18408095
अवितरित ब्याज		(4298660)	(4,104,463)
सामान्य भविष्य निधि को देय राशि		1089444	-
योग		**18,172,975**	**14,303,632**
परिसंपत्तियाँ			
निवेश	2	11430000	12670000
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिशेष		6742975	1633632
योग		**18,172,975**	**14,303,632**
लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	3		

अनुसूची 1-3 लेखा के समेकित अंश हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
स.सं. 083899

सदस्य सचिव
(कुल सचिव, भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
कार्य परिषद

सदस्य
भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ

नई दिल्ली-110017
दिनांक : 16.9.2020
यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.ए.बी.एक्स.7180

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2019 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
ब्याज	1284889	1604859
प्रीमियम	-	(348,600)
	1,284,889	**1,256,259**
व्यय		
(क) ब्याज जमा किया		
– सदस्यों के अंशदान में	1068159	975307
– नियोक्ता के अंशदान में	407228	359973
(ख) बैंक तथा डाक प्रभार	3699	885
	1479086	**1336165**
वर्ष के दौरान अतिरेक/(घाटा)	(194,197)	(79,906)
गत् वर्ष से अवितरित ब्याज	(4,104,463)	(4,024,557)
अवितरित ब्याज तुलन पत्र में अग्रेनीत	**(4,298,660)**	**(4,104,463)**

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ **3**

अनुसूचियाँ 1-4 लेखा के समेकित अंश हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.एन. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.ए. 000257 एन/एन 500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
स.सं. 083899

सदस्य सचिव
(कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
(कार्यकारी परिषद, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
(भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ)

नई दिल्ली-110017
दिनांक : 16.09.2020
यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.बी.एक्स.7180

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-1

	सदस्यों का अंशदान	नियोक्ता का अंशदान	31.3.2020 को समाप्त वर्ष का कुल	31.3.2019 को समाप्त वर्ष का कुल
	(₹)	(₹)	(₹)	(₹)
संचित हकदारी				
आदि शेष	13,056,413	5,351,682	18,408,095	16,652,509
वर्ष के दौरान अंशदान	1,401,440	733,120	2,134,560	3,435,369
जोड़ा गया ब्याज	1,068,159	407,228	1,475,387	1,335,280
योग	**15,526,012**	**6,492,030**	**22,018,042**	**21,423,158**
(-) घटाएँ : अंतिम भुगतान	(313,040)	(322,811)	(635,851)	(3,015,063)
योग	**15,212,972**	**6,169,219**	**21,382,191**	**18,408,095**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-2

निवेश

	31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
(क) अन्य निवेश		
10.25% भारत सरकार 2021	300,000	300,000
8.15% भारत सरकार एफ.सी.आई. विशेष बाँड 2022	200,000	200,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	625,000	625,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	250,000	250,000
8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	375,000	375,000
8.26% भारत सरकार 2027	1,000,000	1,000,000
8.19% भारत सरकार 2020		730,000
9.56% एस.बी.आई. परपेचुअल बाँड	7,000,000	7,000,000
योग (क)	**9,750,000**	**10,480,000**
(ख) राज्य सरकारी बाँड (15%)		
8.43%.एस.डी.एल. (गुजरात) 2018		
8.31% प.बं.एस.डी.एल. 2019	-	360,000
8.38% एस.डी.एल. महाराष्ट्र 2020	-	150,000
8.11% एस.डी.एल. राजस्थान 2020	200,000	200,000
8.88% एस.डी.एल. गुजरात 2021	520,000	520,000
योग (ख)	**720,000**	**1,230,000**
(ग) सार्वजनिक वित्तीय संस्थाओं आदि के बाँड (40% श्रेणी)		
9.45% एस.बी.आई. लोअर II 2016	960,000	960,000
8.92% यूको बैंक 2020		
योग (ग)	**960,000**	**960,000**
कुल योग (क)+(ख)+(ग)	**11,430,000**	**12,670,000**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

अंशदायी भविष्य निधि

अनुसूची-3

लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ

क. लेखा नीतियाँ

1. निधि का लेखा नकद आधार पर तैयार किया गया है।
2. निवेश को प्रत्यक्ष मूल्य पर दिखाया गया है।
3. निवेश पर ब्याज का लेखा प्राप्ति आधार पर लिया गया है।
4. निवेश पर भुगतान किया गया प्रीमियम/प्राप्त छूट को प्राप्ति वर्ष में लाभ तथा हानि लेखा के माध्यम से दिखाया गया है।

ख. लेखा टिप्पणियाँ

1. संस्थान मूल वेतन का दस प्रतिशत की दर से नियोक्ता अंशदान में योगदान दे रहा है।
2. सदस्य मूल वेतन के न्यूनतम दस प्रतिशत की दर से योगदान दे रहे हैं।
3. ब्याज का भुगतान वित्त मंत्रालय, भारत सरकार के आदेशों के अनुसार किया जा रहा है।
4. सदस्यों को अग्रिमों का अधिशेष पुष्टि के अधीन है।
5. गत् वर्ष के आँकड़े यथावश्यक पुनर्व्यवस्थित/पुनर्वर्गीकृत किए गए हैं।

सदस्य सचिव (कुल सचिव, भा.लो.प्र.सं.)	अध्यक्ष (निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

लेखा परीक्षकों की रिपोर्ट

सदस्य

सामान्य भविष्य निधि, भा.लो.प्र.सं.

हमने, भारतीय लोक प्रशासन संस्थान **सामान्य भविष्य निधि** के 31 मार्च, 2020 के संलग्न तुलनपत्र तथा उससे संलग्न इसी तिथि को समाप्त वर्ष के आय तथा व्यय लेखा का भी परीक्षण किया है। ये वित्तीय विवरण निधि के प्रबंधन का उत्तरदायित्व हैं। हमारी उत्तरदायिता, अपने लेखा परीक्षण के आधार पर इन वित्तीय विवरणों पर मत प्रकट करना है।

हमने, भारत में सामान्यत: स्वीकृत लेखा परीक्षा मानकों के अनुसार अपना परीक्षण कार्य किया। इन मानकों के अनुसार अपेक्षित है कि हम परीक्षण की योजना और कार्य इस आवश्यक आश्वासन के लिए करें कि क्या यह वित्तीय विवरण वस्तुपरक गलत विवरण से मुक्त है। लेखा परीक्षण में, राशि के समर्थन में साक्ष्यों तथा वित्तीय विवरणों में प्रकटन का जाँच के आधार पर परीक्षण शामिल हैं। परीक्षण में, प्रयुक्त लेखा सिद्धांतों तथा प्रबंधन द्वारा किए गए महत्वपूर्ण प्राकलन के मूल्यांकन के साथ ही संपूर्ण वित्तीय विवरण के प्रस्तुतीकरण का मूल्यांकन भी शामिल है। हमारा मानना है कि हमारा लेखा परीक्षण हमारे मत को ठोस आधार प्रदान करता है।

आगे, हम सूचित करते हैं कि :

1. हमारी जानकारी तथा मतानुसार लेखापरीक्षा के लिए आवश्यक समस्त सूचना तथा स्पष्टीकरण हमें प्राप्त हुए;
2. हमारे मतानुसार, जहाँ तक उन पुस्तकों के हमारे परीक्षण से प्रतीत होता है, संस्थान द्वारा विधि से अपेक्षित उचित लेखा बही बनाई गई है।
3. तुलन पत्र तथा आय और व्यय लेखा, जिन पर इस रिपोर्ट में हमनें काम किया है, लेखा बही के अनुरूप हैं; तथा
4. हमारे मत में तथा हमें प्राप्त सूचना और तथा हमें दिए गए स्पष्टीकरण के अनुसार लेखा टिप्पणियों (अनुसूची-3) सहित कथित लेखा, भारत में सामान्यत : स्वीकृत लेखा सिद्धांतों के अनुरूप निम्न का वास्तविक तथा स्पष्ट चित्र देता हैं :

   क. तुलनपत्र के मामले में, 31 मार्च 2020 को निधि की वस्तुस्थिति का, तथा

   ख. आय-व्यय लेखा के मामले में, उसी तिथि को समाप्त वर्ष के घाटे का।

कृते जी.एस.ए. तथा सहयोगी
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

सदस्यता सं. 083899
16 डी डी ए फ्लैट पंचशील पार्क
मालवीय नगर के समीप, नई दिल्ली-110017
यू.डी.आई.एन.: 20083999ए.ए.ए.ए.बी.डब्ल्यू. 4218

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि
31 मार्च, 2020 को तुलन-पत्र

	अनुसूची	31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
देयताएँ			
संचित हकदारी	1	95,867,867	85,285,985
अवितरित ब्याज (आय तथा व्यय लेखा के अनुसार) अंशदायी भविष्यनिधि को देय राशि		(8,894,248)	(6,010,242)
योग		**86,973,619**	**79,275,743**
परिसंपत्तियाँ			
निवेश	2	68,320,316	52,940,316
स्टेट बैंक ऑफ इंडिया में अधिशेष		16,875,192	25,164,181
सदस्यों को अग्रिम		497,399	979,978
वसूलीयोग्य टी.डी.एस.		191,268	191,268
अंशदायी भविष्य निधि से वसूलीयोग्य राशि		1,089,444	-
योग		**86,973,619**	**79,275,743**
लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ	3	-	

अनुसूची 1-3 लेखा के समेकित अंश हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.एन. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.ए. 000257एन/एन500339

सुनील अग्रवाल
भागीदार
स.सं. 083899
16 डी डी ए फ्लैट्स पंचशील पार्क
नियर मालवीय नगर,
नई दिल्ली-110017

सदस्य सचिव
(कुलसचिव, भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
(कार्यकारी परिषद, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
(भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ)

दिनांक : 16.9.2020
यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.ए.बी.डब्ल्यू. 4218

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

31 मार्च, 2020 को समाप्त वर्ष का आय एवं व्यय लेखा

	31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2019 को समाप्त वर्ष (₹)
आय		
ब्याज	6,549,574	9,859,067
(–) प्रीमियम	(2,625,000)	(918,600)
योग	**3,924,574**	**8,940,467**
व्यय		
(i) सदस्यों के अंशदान में ब्याज जमा किया	6,806,492	6,494,276
(ii) बैंक प्रभार	2,088	3,832
योग	**6,808,580**	**6,498,108**
वर्ष के दौरान अतिरेक/घाटा	(2,884,006)	2,442,359
गतवर्ष से अवितरित ब्याज अधिशेष	(6,010,242)	(8,452,601)
कुल अवितरित ब्याज तुलन पत्र में अग्रेनीत	**(8,894,248)**	**(6,010,242)**

लेखा नीतियाँ एवं टिप्पणियाँ–3

अनुसूचियाँ 1–3 लेखा के समेकित अंश हैं।

समतिथि की हमारी रिपोर्ट के अनुसार
कृते जी.एस.एन. तथा सहयोगी एल.एल.पी.
चर्टरित लेखापाल
एफ.आर.एन. 000257एन/एन500339

(सुनील अग्रवाल)
भागीदार
स.सं. 083899
16 डी डी ए फ्लैट्स पंचशील पार्क
नियर मालवीय नगर,
नई दिल्ली–110017

सदस्य सचिव
(कुल सचिव, भा.लो.प्र.सं.)

अध्यक्ष
(निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
(कार्यकारी परिषद, भा.लो.प्र.सं.)

सदस्य
(भा.लो.प्र.सं. कर्मचारी संघ)

दिनांक : 16.9.2020
यू.डी.आई.एन.सं. 20083899ए.ए.ए.बी.डब्ल्यू. 4218

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-1

सदस्यों की संचित हकदारी

		31.3.2020 को समाप्त वर्ष (₹)	31.3.2019 को समाप्त वर्ष (₹)
आदि शेष		85,285,985	89,820,077
वर्ष के दौरान अंशदान		13,038,100	10,428,100
जमा ब्याज		6,806,492	6,494,276
	योग	**105,130,577**	**106,742,453**
घटाएँ -			
सदस्यों के लेखा का व्यवस्थापन		4,414,710	17,396,468
अंतिम निकासी		4,848,000	4,060,000
	योग	**95,867,867**	**85,285,985**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि
अनुसूची 2
निवेश

		31.3.2020 को (₹)	31.3.2019 को (₹)
(क)	**विशेष जमा योजना एस.बी.आई.आई.पी.एस्टेट**	8724356	8,724,356
(ख)	**अन्य निवेश**		
	10.25% भारत सरकार 2021	300,000	300,000
	8.15% भारत सरकार एफ.सी.आई. विशेष बाँड 2022	1,255,000	1,255,000
	8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	970,000	970,000
	8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	2,000,000	2,000,000
	8.20% भारत सरकार ऑयल विशेष बाँड 2024	3,000,000	3,000,000
	8.19% भारत सरकार 2020	-	2,000,000
	8.98% पी.एफ.सी. परपेचुअल बाँड	10,000,000	-
	9.50% एस.बी.आई. परपेचुअल बाँड	7,000,000	7,000,000
	9.45% एस.बी.आई. परपेचुअल बाँड	10,000,000	
(ग)	**राज्य सरकार के बाँड (15% श्रेणी)**		
	8.31% प.बं. एस.डी.एल. 2019	-	570,000
	8.38% एस.डी.एल. महाराष्ट्र 2020	-	1,050,000
	8.11% एस.डी.एल. राजस्थान 2020	1,800,000	1,800,000
	8.88% एस.डी.एल. गुजरात 2021	1,050,000	1,050,000
	8.95% आई.आर.एफ.सी. 2025	4,000,000	4,000,000
	9.35% पी.जी.सी. 2023	4,000,000	4,000,000
	9.75% आर.ई.सी. 2021	2,000,000	2,000,000
	9.75% आर.ई.सी. 2021	2,220,960	2,220,960
	8.925% यूको बैंक 2020	-	1,000,000
	8.28% नबार्ड 2028	10,000,000	10,000,000
	योग	**68,320,316**	**52,940,316**

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान, नई दिल्ली

सामान्य भविष्य निधि

अनुसूची-3

लेखा नीतियाँ तथा टिप्पणियाँ

क. लेखा नीतियाँ

1. निधि का लेखा नकद आधार पर तैयार किया गया है।
2. निवेश को प्रत्यक्ष मूल्य पर दिखाया गया है।
3. निवेश पर ब्याज का लेखा प्राप्ति के आधार पर लिया गया है।
4. निवेश पर भुगतान किया गया प्रीमियम/प्राप्त छूट को प्राप्ति वर्ष में लाभ तथा हानि लेखा के माध्यम से दिखाया गया है।

ख. लेखा टिप्पणियाँ

1. सदस्यों को अग्रिम अधिशेष पुष्टि के अधीन है।
2. निधि के सदस्य मूल वेतन के न्यूनतम 6% की दर से अंश दान कर रहे हैं।
3. सदस्यों के अंशदान तथा नियोक्ता के योगदान पर ब्याज भारत सरकार के आदेशों के अनुसार दिया जाता है।
4. गत् वर्ष के आंकड़ें यथा आवश्यक पुनर्व्यवस्थित/ पुनर्वर्गीकृत किये गये हैं।

सदस्य सचिव	अध्यक्ष
(कुल सचिव, भा.लो.प्र.सं.)	(निदेशक, भा.लो.प्र.सं.)

IIPA PUBLICATIONS

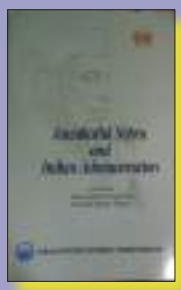

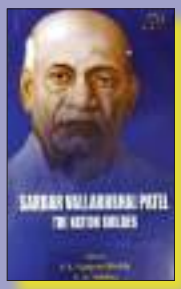

FOR PURCHASE OF BOOKS KINDLY CONTACT:-

Assistant Publication Officer, Indian Institute of Public Administration,
Indraprastha Estate, Ring Road, New Delhi – 110002

Phone +91-11-23468300 | Fax +91-11-23702440
Email: helpdesk.iipa@gmail.com | Website: www.iipa.org.in

Editorial Board

Editor in Chief
Surendra Nath Tripathi

Editor
Amitabh Ranjan

Joint Editor
Mithun Barua

Asstt. Editor
Meghna Chukkath

भारतीय लोक प्रशासन संस्थान

इन्द्रप्रस्थ एस्टेट, रिंग रोड, नई दिल्ली- 110002

iipa.org.in

मुद्रक: न्यू अमाइज़ प्रेस, 9811426024